दशम माला, खंड 15, अंक 21

बुधवार, 5 अगस्त, 1992

14 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 21 से 31 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दसम माला, खंड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)
अंक 21, बुधवार, 5 अगस्त, 1992/14 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 407 से 409 और 411	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—246
तारांकित प्रश्न संख्या : 410 और 412 से 427	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4221 से 4298, 4300 से 4305, 4307 से 4321, 4323 से 4366, 4368 से 4379. 4378 से 4387, 4389 से 4429, 4428 से 4333, 4435 और 4437 से 4454	49—246
वर्ष 1992-93 को योजना अवकाश के रूप में घोषित किए जाने के बारे में दिनांक 8 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 148 में उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	246—247
पत्रकारों द्वारा हड़ताल के बारे में	247—72
नियम 377 के अधीन मामले	272—76
(एक) मिजोरम की पैटे और पांग जनजातियों को मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
डा० सी० सिलवेरा	272
(दो) अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में आकर बसे चकमा शरणार्थियों का निर्वासन किए जाने की आवश्यकता	
श्री लाईता उम्ब्रे	273
(तीन) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में और अधिक डीजल पम्प खोले जाने की आवश्यकता	
डा० परशुराम गंगवार	283

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

(चार) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम का निरसन किए जाने और इस संबंध में राज्य सरकारों को अपना कानून बनाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव — 274

(पांच) बिहार में हजारीबाग में उत्तरी करमपुरा सुपर ताप विद्युत संयंत्र को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता — 274

(छः) मध्य प्रदेश में रीवा और भोपाल के बीच सीधी रेलगाड़ी प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री भीम सिंह पटेल — 275

(सात) नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन, तमिलनाडु के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम — 275

(आठ) उड़ीसा में झरसुगुड़ा में और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही — 275

सभा पटल पर रखे गए पत्र — 276—77

मंत्री द्वारा वक्तव्य — 277 – 81

(एक) रायबरेली में मस्जिद में हुए बम विस्फोट की घटना

श्री एम० एम० जैकब — 277

(दो) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं की घटना

श्री एम० एम० जैकब — 279

पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प — 281—94 और 295 – 318

और

पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री नीतीश कुमार — 281

श्री रामेश्वर ठाकुर — 28स

श्री श्रवण कुमार पटेल — 285

श्री गिरधारी लाल भार्गव — 287

श्री सुधीर गिरि — 288

श्री लोकनाथ चौधरी — 292

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या — 295

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 296

श्री गुमानमल लोढा 299

श्री जार्ज फर्नान्डीज 301

श्री सुधान्स चक्रवर्ती 309

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 310

पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश (1992 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

श्री नीतीश कुमार 314

पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक

खण्डवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री रामेश्वर ठाकुर 318

सभा की विशेष बैठक के बारे में घोषणा 294—95

कार्य मंत्रणा समिति 318

उन्नीसवां प्रतिवेदन

अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेलवे), 1992-92 319—323

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1988-89

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 320

लोक सभा

बुधवार, 5 अगस्त, 1992/14 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लाइसेंस देने संबंधी नीति को उदार बनाना

[हिन्दी]

+
*407. श्री राजेश कुमार
श्रीमती शीला गौतम } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लाइसेंस देने संबंधी नीति को उदार बनाने और निर्णय लेने के प्राधिकार को विकेन्द्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार के पास अभी भी राज्यवार कितने मामले लंबित पड़े हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति में पर्याप्त उदारीकरण की घोषणा जुलाई, 1991 में की गई थी। लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। परन्तु नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद किन्हीं अतिरिक्त मदों को लाइसेंस मुक्त नहीं किया गया है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	—
2.	आंध्र प्रदेश	219
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	7
5.	बिहार	42
6.	चंडीगढ़	—

1	2	3
7.	दादर और नगर हवेली	6
8.	दमन और दीव	20
9.	दिल्ली	2
10.	गोवा	5
11.	गुजरात	37
12.	हरियाणा	76
13.	हिमाचल प्रदेश	84
14.	जम्मू और कश्मीर	9
15.	कर्नाटक	116
16.	केरल	11
17.	लक्षदीप	—
18.	मध्य प्रदेश	74
19.	महाराष्ट्र	330
20.	मणिपुर	1
21.	मेघालय	3
22.	मिजोरम	—
23.	नागालैंड	—
24.	उड़ीसा	18
25.	पांडिचेरी	17
26.	पंजाब	49
27.	राजस्थान	62
28.	सिक्किम	3
29.	तमिलनाडु	54
30.	त्रिपुरा	—
31.	उत्तर प्रदेश	354
32.	पश्चिम बंगाल	38
33.	स्थापना-स्थल	15
	एक से अधिक राज्य में	कुल : 1600

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो जबाव दिया है, उसमें लिखा है कि पूरे देश में 1600 आवेदन पेंडिंग हैं और बिहार में 42 हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता चाहता हूं, एनआरआईज के ज़रिए आगामी वित्तीय वर्ष में देश में कितने उद्योग लगाने का प्रस्ताव है ? क्या बिहार के आदिवासी और उद्योगविहीन जिलों के अन्दर प्रमुखता दी जाएगी और उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन दिया है ? बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के बावजूद कीमतों में निरन्तर मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं और इन मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है मैं मंत्री महोदया से पूर्ण विवरण जानना चाहता हूं ?

श्रीमती कृष्णा शाही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए है, उनमें से मूल प्रश्न मैं यह समझ पाई कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, बिहार में कितने उद्योगों की स्थापना हुई है।

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं जानना चाहता हूं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम जिन्होने बिहार में उद्योग लगाने का आवेदन दिया है और आपने बताया है कि 42 पेंडिंग हैं, तो ये कब तक पूरे हो जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें से निकलता है यह प्रश्न ? इसमें से नहीं निकलता है, अगर मिनिस्टर जवाब देना चाहें, तो दे सकते हैं।

श्रीमती कृष्णा शाही : देश के पैमाने पर 1600 आवेदन पत्र लम्बित हैं और इनमें से बिहार के लिए आवेदन पत्र की संख्या 42 हैं। इन 42 में से 24 चीनी के लिए हैं, पांच बीयर के लिए और ग्यारह पोटेबल एल्कोहल के लिए हैं और दो अन्य हैं।

श्री राजेश कुमार : कौन-कौन सी कंपनियां हैं, उनके नाम बतायें ?

श्रीमती कृष्णा शाही : महोदय, यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभी तो आवेदन पत्रों की बातें हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर पूछ लीजिएगा।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या उदार लाइसेंसिंग नीति के तहत बड़े पूंजीपति लोग इससे अधिक उत्साहित होंगे और छोटे-छोटे उद्यमी बन्दी के कगार पर चले जायेंगे, जिस के कारणवश देश में बड़े पैमाने पर बेकारी और बेरोजगारी फैलने का अन्देशा नहीं है ? क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के फलस्वरूप देश के उद्योग धन्धों पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ? साथ ही साथ सरकार बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े उद्योग धन्धों का लाइसेंस नहीं देने का निर्णय किया गया है, जैसे मोटरकार बनाना और फ्रिज बनाना आदि ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं, छोटे उद्योगों को पुनः लाइसेंस परिधि में लाने पर विचार सरकार कर रही है, जैसे मिल्क प्रोडक्शन बनाने की फैक्ट्री आदि ?

श्रीमती कृष्णा शाही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं, क्या इससे छोटे-छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचेगा, मैं उनको बताना चाहती हूं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं

है। जहां तक रिव्यु आफ पॉलिसी की बात है, तो यह एक निरन्तर प्रक्रिया है, ऑन-गोइंग प्रोसेस है। लोग आवेदन पत्र देते हैं, सुझाव देते हैं। वैसे तो आपको जानकारी होगी कि जो हमारी नयी औद्योगिक नीति बनी है इस नीति के पश्चात् अभी उद्योग लगाने की सूचना भी मिली है और 10 महीने में जितना विदेशी पूंजी निवेश उद्योग के लिए प्राप्त हुआ है उतना 10 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हुआ था। हमारे यहां स्पीडी डिसपोजल एप्लीकेशंस का हो रहा है, जैसाकि इनको मालूम है कि 18 जो कम्पलसरी लाइसेंस रखे गए हैं उनमें विशिष्ट वर्ग के द्वारा उपयोग किए जाने वाले भी सामान हैं जैसे रेफ्रीजरेटर हैं, गाड़ियां हैं तो उनके सम्बन्ध में भी लोगों ने आवेदन-पत्र दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि इनको लाइसेंस से मुक्त किया जाए, परन्तु ऐसा अभी नहीं हुआ है। ऐसा सुझाव अभी प्राप्त हुआ है, अगर माननीय सदस्य की ओर से भी सुझाव आयेगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

डा० बसंत पवार : महोदय, औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की घोषणा जुलाई 1991 में की गई। अभी भी चीनी उद्योगों सहित महाराष्ट्र से प्राप्त लम्बित आवेदनों की संख्या 330 है। यह कहा गया था कि लाइसेंस देने की पुलिम को आसान बनाने के लिए 'वन विण्डो पालिसी' अपनाई जाएगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से प्राप्त इन 330 आवेदनों पर कब निर्णय लिया जाएगा। क्या इस सम्बन्ध में अभी भी कोई साफ सीधा बता सकते हैं। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार कोई लघु उद्योग नीति घोषित करने का प्रस्ताव रखती है।

[हिन्दी]

श्री कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सभी आवेदन-पत्र एक स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष रखे जाते हैं, यह कमेटी खाद्य विभाग में गठित है और कमेटी की संस्तुति पर औद्योगिक विकास विभाग के लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा इन आवेदनों पर विचार किया जाता है। खाद्य विभाग से जब संस्तुति प्राप्त होती है तब उस पर विचार करना सम्भव होगा और जैसाकि इन्होंने पूछा है, महाराष्ट्र से जो 330 हैं—उसमें 226 चीनी के हैं, 36 पौटेबल अल्कोहल के हैं और 47 बीयर के हैं। जैसाकि मैंने कहा कि यह विभिन्न विभागों से सम्बन्धित हैं—फूड विभाग, फूड प्रोसेसिंग विभाग और ये सारे प्रशासनिक विभागों की संस्तुति प्राप्त होने के बाद हम उस पर निर्णय लेते हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जब से हमारी यह नई नीति हुई है, नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा जब 24 जुलाई, 91 को हुई थी तो 1 अगस्त, 91 को 3354 आवेदन-पत्र लम्बित थे और अब केवल 1600 लम्बित हैं और नीति का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रणाली में तीव्रता लाने का है और हमने उसमें सफलता प्राप्त की है। वैसे तो जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक 60 दिनों के अन्दर निष्पादन हमारे विभाग से होना चाहिए लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आवेदन-पत्रों में कुछ स्पष्टीकरण पूछा जाता है और जब उनका स्पष्टीकरण आता है और विभिन्न विभागों से अनुशंसा आ जाती है तब उसमें निर्णय लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि

इस सरकार की उदारीकरण की नीति की घोषणा के पश्चात् देश में औद्योगिक विकास के प्रति कैसा रुझान रहा। दूसरी बात भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति की घोषणा से पहले कई आशय-पत्र जारी किए थे, और कई राज्य सरकारों के साथ अभी भी यह आशय पत्र हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया गया है। यहाँ केरल का भी उल्लेख किया गया है। अभी भी सरकार के पास ।! आवेदन लम्बित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि केरल राज्य सरकार द्वारा भेजे गये आवेदनों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब क्यों हो रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि सभी आवेदन-पत्र, एक लाइसेंसिंग कमेटी जो फूड डिपार्टमेंट में है वहां से जब अनुशंसा आती है तो औद्योगिक विकास विभाग उसमें विचार करता है और लाइसेंसिंग कमेटी के द्वारा इन आवेदनों पर विचार किया जाता है।

सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को बैठक होती है, उसमें हम रिव्यू करते हैं, लेकिन दूसरे विभाग से संबंधित होता है तो हम उन विभागों के पास विचार के लिए भेजते हैं। तो होना तो चाहिए 60 दिन के अंदर लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से संबंधित प्रशासनिक विभागों से जो विचार आते हैं, उसमें कुछ विलंब होता है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि 60 दिन के अंदर हम इसको करें।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और उनकी उपलब्धता

\+

*408. डा० महादीपक सिंह शाक्य
प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलब्धता पर निगरानी रखने हेतु कोई विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार समय-समय पर इन उपायों की समीक्षा करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछली बार की गई ऐसी समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले थे ;

(ङ) क्या इन उपायों के अपेक्षित परिणाम निकले हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) और (ख) केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मूल्य संबंधी मंत्रिमण्डल

समिति और मूल्यों की परिवीक्षा हेतु सचिवों की विशेष कारवाई समिति नियमित आधार पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा कर रही है। ये समितियां आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा इन वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करती हैं। नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी 10 आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, चने की दाल, तूर-दाल, सरसों के तेल, मूंगफली के तेल, वनस्पति, चाय और नमक के मूल्यों की दैनिक और साप्ताहिक आधार पर परवीक्षा कर रहा है।

(ग) से (छ) : आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों के प्रभाव के बारे में मूल्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सी०सी०पी०), मूल्यों की परवीक्षा हेतु सचिवों की विशेष कारंवाई समिति (एस०ए०सी०सी०) और नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा की जाती हैं। आवश्यक वस्तुओं की सामान्य आपूर्ति में आने वाली बाधाएं हटाने, आधार ढांचे संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने तथा इन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने पर भी यथोचित ध्यान दिया जाता है। मूल्यों की निरंतर परिवीक्षा के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के पहले 16 सप्ताहों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में केवल 3.2% की वृद्धि हुई है, जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में यह वृद्धि 5.6% थी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रश्न के प्रथम खण्ड में दो प्रकार की समितियों का उल्लेख किया गया है, जो समीक्षा करती हैं और जवाब आपने दिया है, गेहूं, चावल आदि 10 आवश्यक वस्तुएं हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन के दो पहलू हैं, एक आवश्यक वस्तुएं, जिनका उपभोग किया जाता है और दूसरी वस्तुएं सुरक्षा के लिए, तो आपने जो मात्र 10 वस्तुओं की सूची दी है, दोनों प्रकार की आवश्यक वस्तुएं, जीवन चलाने के लिए और जीवन की सुरक्षा के लिए, ये दोनों चीजें सम्मिलित होनी चाहिए थीं, जो नहीं हैं, क्या इसके लिए समिति से समीक्षा कराना चाहते हैं, ताकि दोनों प्रकार की चीजें इसमें एडजस्ट की जा सकें।

[अनुवाद]

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, 66 आवश्यक वस्तुयें हैं। मैंने यह कहा है कि दस अति-आवश्यक वस्तुओं की यह मंत्रालय परिवीक्षा करता है।

मेरा ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि बाकी वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन वस्तुओं के संबंध में भी मंत्रिमण्डल समिति तथा सचिवों की समिति द्वारा मूल्यों की परिवीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष जी, दूसरा मेरा सवाल यह है कि आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में मिलनी चाहिए, इसके लिए आप क्या करने

जा रहे हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि आवश्यक वस्तुओं का मांग के अनुपात में अभाव है और वे इसका उपायकर रहे हैं, ताकि आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को आसानी से मिल सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कौन-कौन से उपाय कर रहे हैं और वे उपाय कब तक पूर्ण हो जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में आवश्यक वस्तुएं मिल सकें और जो आप नीति बनाने जा रहे हैं, क्या आप नीति शहरों और देहातों के लिए एक समान नीति होगी, क्या देहाती क्षेत्रों के लिए भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : सर, कीमतों को एक हद में रखने के लिए जो मानिटरिंग की जाती है, वह पूरे देश के लिए है। यह केवल शहरों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। कई किस्म के इसमें स्टेप्स लिए जाते हैं, एविलएबिलिटी क्या है, उत्पादन क्या है, डिमान्ड क्या है, दोनों के बीच अन्तर क्या है, उससे जो कीमत बढ़ती है उसको रोकने के लिए किस किस्म के उपाय किए जाएं, इन तमाम चीजों पर गौर होता है। इसमें खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चरल प्राबलम्स भी होती हैं उसमें और मिनिस्टरीज भी इनवाल्व होती हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी इनवाल्व होती है। रेलवे मिनिस्टरी इनवाल्व होती है। इन सब से एक किस्म का इंटरएक्शन किया जाता है। देखा यह जाता है कि तमाम चीजें, सही ढंग से, सीधे ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएं। यह मेन बात है। वैसे कीमत का जो ट्रेंड है उसको रेगूलरली, जैसा मैंने कहा है कि 10 वस्तुओं की हद तक हम हर हफ्ता, बल्कि हर रोज देखते हैं, डिफरेंट सेंटर्स से कीमतें ली जाती हैं, होल सेल प्राईस लिया जाता है, रिटेल प्राईस लिया जाता है उसके लिहाज से अगर कहीं पर बहुत ज्यादा कीमत बढ़ जाती है तो उसका क्या कारण है, वह कारण कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में उपाय करते हैं।

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 10 आवश्यक वस्तुओं का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या प्रमाण है ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह जो वितरण प्रणाली है इसको स्ट्रेंग्थन करना, शक्तिशाली बनाना भी कीमतों पर एक लिहाज से काबू पाने का तरीका है। ग्रामीण क्षेत्र में यह जो वितरण प्रणाली है इसके तहत् जो कोमोडिटीज आती हैं उसमें गेहूं, चावल, इम्पोर्टेड किया हुआ तेल, शूगर, कैरोसीन आदि चीजें हैं उनको हम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसको स्ट्रेंग्थन करने के उपाय किए गए हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा कीमत बढ़ रही है, जिससे आम आदमी पीड़ित है, वह दवा है, इसकी कीमत पिछले दिनों में बहुत अनियंत्रित तरीके से बढ़ी है, आम आदमी के बस के बाहर हो रही है, क्योंकि दवा अस्पतालों में भी उसको उपलब्ध नहीं होती है, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए जो 10 चीजों की सूची आपने बनायी है इसमें दवा को भी शामिल करेंगे ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा सुझाव है, हम इसके बारे में विचार

करेंगे। उसके लिए मिनिस्टरी आफ कैमिकल्स में खास तौर से प्राइसिस की कमेटी मुकर्रर है। वह प्राइसिस फिक्स करती है। लेकिन यह सुझाव है, इसको मैं जरूर एग्जाजिन करूंगा।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, कीमतों की जो तुलना की जाती है, इसमें बताया गया है होल सेल प्राइस इंडैक्स इस समय केवल 3·2 बढ़ा जो गए समय में 5·6 था। होल सेल प्राइस इंडैक्स असल में वास्तविकता दर्शाता नहीं है। आम आदमी के लिए जो रिटेल प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि होल सेल प्राइस इन्डैक्स की बजाए रिटेल प्राइस इन्डैक्स क्या रखा जाएगा ? उसकी तुलना को वृद्धि को ख्याल रखते हुए उसके अनुसार सरकार क्या कोई उपाय करेगी ? इस प्रकार का मेरा सवाल है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : अध्यक्ष जी माननीय सदस्य को जानकर खुशी होगी कि अभी जो लेटेस्ट इनफ्लेशनरी रेट आया है वह 10·9 है। हम यह आशा कर रहे हैं कि इस महीने के आखिर तक हम इसको सिंगल डिजिट तक ले आयेंगे। रिटेल प्राइस के ताल्लुक से जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, ये जो 10 वस्तुएं हैं इसमें कुछ की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ की कीमतों में कमी हुई है और कुछ की कीमतों में स्टीडी रही हैं।· ·

श्री राम नाईक : कौन सी चीज की कीमत में कमी हुई है, यह बताइए ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : -(व्यवधान) जो कीमतें कम हुई हैं और जो स्टडी हैं, उनके बारे में पहले बताता हूं। तुअर दाल में 1 रुपए की कमी बंबई में हुई है··· (व्यवधान)

श्री राम नाईक : हम मुम्बई के हैं। वहां किसी चीज में कमी नहीं हुई है। हमें बाजार में जाकर खरीदना पड़ता है। हमारी पत्नी बोलती है कि आप बाजार में जाकर खरीदो। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई कमी नहीं हुई है।···(व्यवधान)

श्री कमालुद्दीन अहमद : 31 जुलाई 1991 को बंबई में तुअर दाल की कीमत 17 रुपए प्रति किलो थी और 27-12-91 को वह 19 रुपए प्रति किलो हुई।

श्री राम नाईक : अभी का बोलिए।

श्री कमालुद्दीन अहमद : जो नहीं बढ़ा है वह बता रहा हूं। दिल्ली में इसकी कीमत पिछले साल 16 रुपए प्रति किलो थी और अब भी 16 रुपए प्रति किलो है। (व्यवधान) दिल्ली में एक मार्किट या दूसरी मार्किट में एक या दो रुपए का फर्क होता है। अगर आप खान मार्किट और जोरबाग मार्किट की प्राइस को लें तो डेफीनेटली सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार की कीमतों से ऊंची होती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में ऐसे नहीं होता है, बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : होल-सेल के बदले में रिटेल प्राइस इन्डैक्स के आधार पर तुलना करेंगे क्या और ऐसी नीति अपनायेंगे क्या ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं कि होल-सेल प्राइस को ध्यान में रखकर, रिटेल प्राइस को भी ध्यान में रखकर कुछ कर रहे हैं क्या ।

श्री कमालुद्दीन अहमद : रिटेल को ध्यान में रखकर ही मैंने अर्ज किया है। जब इसकी जानकारी ली जाती है तो रिटेल प्राईस को भी लेते हैं, उसके बाद हर हफ्ते हम बैठकर एक्सरसाइज करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा करेंगे तो प्रश्न का जवाब नहीं आएगा।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, आप कम से कम हमारी रक्षा कर इनको उत्तर देने के लिए मजबूर कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नाईक साहब, उन्होंने रिटेल और होल-सेल को ध्यान में रखते हुए कह दिया है। उन्होंने इस ढंग से कहा है कि उसमें कुछ दिक्कतें उन्होंने जाहिर की हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध न होने का कारण जमाखोरी भी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियन्त्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। इसमें विद्वता का सवाल नहीं है, बिना वजह बीच में उठकर बोलते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा जमाखोरों तथा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तेज कर दी है। वर्ष 1992 के पहले छः महीनों के दौरान 52,503 छापे मारे गए, 1999 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये, 2296 लोगों पर मुकदमे चलाये गए, 119 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया, तथा 840.48 लाख की वस्तुएं जब्त की गईं ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपकी दुकानों से जो सामान मिलता है उसकी क्वालिटी को चैक करने के लिए कोई इंतजाम है या नहीं ? आज पूरे हिन्दुस्तान में ड्राऊट की सिचुएशन है तो क्या सरकार ने कोई इमरजेंसी प्लान बनाया है

जिसके तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर बड़ा भण्डार खड़ा किया जा सके ताकि आने वाले दिनों में अगर अकाल की समस्या रहे तो उसका मुकाबला किया जा सके ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : मान्यवर, जी जो वर्तमान स्थिति है, उसके मुताबिक से जो फोर-कास्ट है वह सरकार के हक में है।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : पिछले वर्ष वस्तुओं की कम वसूली के कारण विभिन्न राज्यों में परचून की दुकानों की मांग पूरी नहीं हो पाई। इसके कारण खुले बाजार में मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है। महोदय, चावल···

अध्यक्ष महोदय : यह एक सम्पूर्ण प्रश्न है। आप उदाहरण मत दीजिए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले वर्ष गेहूं तथा चावल की कम खरीद की गई जिसके कारण कई राज्यों में परचून दुकानदारों की मांग पूरी नहीं की जा सकी।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, यह एक तथ्य है कि पिछले वर्ष की तुलना गेहूं और चावल की कम खरीद हुई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा सकता हूं।

सूती कपड़ा मिलों संबंधी त्रिपक्षीय समिति

[हिन्दी]

+
*409. श्री नीतीश कुमार
श्री जगमीत सिंह बरार } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मिलों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देने के लिए 1992 में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति की कोई सिफारिश मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने सूती कपड़े से संबंधित औद्योगिक समिति का पुनर्गठन किया है जिसका उद्देश्य इस औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त रुग्णता की समस्याओं की जांच करना तथा समुचित उपचार सुझाना है। समिति से अपना ध्यान न केवल पहले से ही रुग्ण इकाइयों में केन्द्रित करने बल्कि निरोधात्मक उपायों की ओर भी ध्यान देने की आशा की जाती है। 21 फरवरी, 1992 को हुई समिति की बैठक में यह देखा गया था कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को दी जाने वाली बजट सहायता को अचानक बन्द नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि इसे एक नियत समय के अन्दर नियोजित तरीके से क्रमिक रूप में बन्द किया जाना चाहिए। उपरोक्त बैठक में समिति ने सूती वस्त्र उद्योग में औद्योगिक रुग्णता के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की काफी समय से रुग्ण 34 मिलों की गहराई से छानबीन की जानी चाहिए। कपड़ा मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए व्यवसाय संघों को अपेक्षित आंकड़े भेजेगा। तब व्यवसाय संघ और राष्ट्रीय वस्त्र निगम अपनी संबद्ध इकाई स्तर पर बदलाव लाने की नीति पर विचार करेंगे तथा रुग्ण इकाइयों को पुनुरुज्जीवित करने से संबंधित विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्रम पक्ष राष्ट्रीय वस्त्र निगम के इस प्रस्ताव पर विचार करने पर भी सहमत था कि कुछ इकाइयों को विभिन्न नियंत्रणों में पुनवर्गीकृत कर दिया जाए ताकि वे वित्तीय रूप से सक्षम बन सकें।

चुनिदा राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों से संबंधित कपड़ा मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना समिति में प्रनिनिधित्व वाले सभी व्यवसाय संघ संगठनों को भेज दी गई थी। अभी तक, केवल आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ही कुछ संघों की प्रतिक्रिया के बारे में सूचित किया है। तथापि, इकाई स्तर पर प्रबंधन और व्यवसाय संघों के बीच विचार-विमर्श के बाद किसी भी इकाई को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव को विशेष त्रिपक्षीय समिति/औद्योगिक समिति के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मूल प्रश्न में हमने यह पूछा था कि क्या सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना बनाई है, उसका जिक्र उत्तर में कुछ नहीं है। लेकिन माननीय श्रम मंत्री ने सदन के बाहर जरूर अपनी बात कही है, यह 17 जून के अखबारों में प्रकाशित हुई है। इसमें इन्होंने कहा है -

अनुवाद]

"वस्त्र उद्योग के जीर्णोद्धार के लिए एन० टी० सी० के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है जोकि मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए लम्बित है।"

[हिन्दी]

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एन० टी० सी० के जीर्णोद्धार के लिए 700 करोड़ रुपए की योजना है वह मंत्रिमंडल की स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित है, क्या उस पर स्वीकृति मिल गई या नहीं, नहीं मिली तो इसके क्या कारण है ? हम लोगों ने सदन में प्रश्न पूछा उसका तो जवाब

नहीं किया गया, जबकि मंत्री जी बाहर इसका जवाब देते हैं। इसलिए कृपया मंत्री जी बताएं कि वह जो जीर्णोद्धार की योजना मंत्रिमण्डल के सामने लम्बित है उसका क्या हुआ ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मेरे विचार में यह है कि क्या मजदूर संघों के प्रस्तावों के अनुसार कोई योजना बनाई गई है या नहीं। हमें किसी भी मजदूर संघ की ओर से कोई भी पुनरुद्धार योजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हमें एक मात्र सूचना ए० आई० टी० यू० सी० से प्राप्त हुई है, जिन्होंने राष्ट्रीय निगम पर एक सेमिनार आयोजित करके उसका कार्यवाही वृत्तांत हमें भेजा है।

उन्होंने कोई विशिष्ट पुनरुद्धार योजना हमें नहीं भेजी है। इसलिए ऐसी किसी योजना के स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव है ही नहीं।

जिस पुनरुद्धार योजना का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, सम्भवत: उससे उनका तात्पर्य वस्त्र मंत्रालय द्वारा बनाई गई पुनरुद्धार योजना से ही है। वास्तव में इस पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए 700 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अकेले मानव शक्ति के आधुनिकीकरण और युक्तिकरण पर 1422 करोड़ रुपए खर्च आयेगा। इसके अतिरिक्त कर्ज मुआफी से 1645 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।

इसलिए वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए एक व्यापक पुनरुद्धार योजना बनाई है।

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने टैक्सटाइल मिनिस्ट्री का हवाला दिया तो टैक्सटाइल मिनिस्ट्री का प्रोपोजल होगा लेकिन स्टेटमेंट तो श्री पी० ए० संगमा का है जो ये बता रहे हैं जिसे आप भी सुन रहे हैं और यह सदन भी सुन रहा है और इनके बयान को हम रैफर करके ही हम दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। इन्होंने अपने बयान में कहा था :

> "श्री संगमा ने वामपंथी दलों के नेतृत्व वाली मजदूर संघों से बातचीत की थी और यह महसूस किया कि उनकी कठिनाई यह थी कि पूर्वी यूरोप में जो घटनाएं हुई थीं वह उनका पर्यवेक्षण करना चाहते थे।"

बाहर इन्होंने मजाक उड़ाया है और अभी यह स्वीकार करते हैं कि ट्रेड यूनियन से जो बातचीत हुई है, वह सिर्फ एंटक का प्रोग्राम है उसका प्रोपोजल मिला है जो लैफ्ट फ्रंट का ट्रेड यूनियन है। इसका मतलब यह हुआ कि अन्दर साफ है। बाहर हमला करते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि जो इनका पैकेज का प्रोग्राम है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। इस संबंध में जो नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन में जो 75 हजार मजदूर और एम्प्लाईज सरप्लस हो जायेंगे और नए प्रोग्राम से जो अनएम्प्लायड हो जायेंगे, उन्हें रिट्रेंच करने का विचार है या इसका कोई विकल्प यानि इनको रोजगार देने की योजना सरकार के पास है। दूसरी बात यह है कि क्या सरकार यह विचार कर रही है कि गुजरात में टैक्सटाइल यूनिट्स का जो प्रस्ताव हुआ है या जो सिक्क यूनिट्स

हैं, उनके असेट्स और प्रापर्टीज को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाये, इसका कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम में 1·70 लाख मजदूर हैं। माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ठीक ही संकेत किया है क्योंकि मैं श्रम मंत्री हूं, मैंने विशेष त्रिपक्षीय समिति की अध्यक्षता की थी और शायद मेरे पास त्रिपक्षीय समिति में चर्चा किए गए विषयों के बारे में कुछ जानकारी भी है। महोदय, मैं इस योजना का उत्तर नहीं दे सकता हूं कि वे श्रम शक्ति को कैसे व्यवस्थित करेंगे। यह प्रश्न वस्त्र मंत्रालय से किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : हमें चेयर का प्रोटेक्शन चाहिए···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जानकारी एकत्रित कर सदस्यों को भेजें।

श्री पी० ए० संगमा : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको प्रोटेक्शन दे दिया है।

श्री नीतीश कुमार : आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "श्रम मंत्री, श्री पी० ए० संगमा ने आज यहां कहा है कि पुन: चालू करने की योजना श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच वार्ता के बाद तैयार की गई थी और इसमें उन 75,000 श्रमिकों का भी ध्यान रखा जाएगा जो शायद फालतू श्रमिक हैं।"

[हिन्दी]

यह बात उन्होंने बाहर कही है और जब हाउस में पूछा जाता है तो इनका जवाब और होता है। क्या कोई पैकेज प्रोग्राम है ?

अध्यक्ष महोदय : नीतिश कुमार जी, आपका प्रश्न अच्छा था। इन्होंने यह बताया है कि टैक्सटाइल मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, उनको जानकारी नहीं है। मैंने उनसे कहा है मालूमात करके बता देंगे।

श्री नीतीश कुमार : ट्राईपेरटाईट कमेटी के संगमा जी चेयरमैन हैं—

अध्यक्ष महोदय : ट्राईपैरटाईट कमेटी अलग है और यह टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की स्कीम है और दोनों में फर्क होता है, यह उन्होंने बता दिया है।

श्री हरिन पाठक : माननीय अध्यक्ष जी, सूती कपड़ा मिलों के कामगारों की अनेक समस्याएं हैं। उनका समाधान करने के लिए आबिद हुसैन कमेटी का गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट 8-10 महीने पहले सरकार के पास आ गई थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आबिद हुसैन कमेटी की सिफारिशों को सरकार कब तक लागू करना चाहती है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : इसका आबिद हुसैन समिति से कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता यह है कि सरकार ने श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की थी। जब बंबई में 21 दिसम्बर को इस समिति की बैठक हुई थी तब यह निर्णय लिया गया था कि इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय उप-समिति गठित की जानी चाहिए। अतः पूरे उद्योग को 6 क्षेत्रों में बांटा गया था और उसमें से एक कपास कपड़ा उद्योग है।

10 फरवरी, 199. को यह समिति गठित की गई थी और 21 फरवरी, 1992 को इसकी बैठक हुई थी जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में मूलतः हमने तीन निर्णय यह हैं कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एक धारक कंपनी और नौ अनुषंगी कंपनियां हैं। इन नौ में से एक अनुषंगी कंपनी की अच्छी साख है लेकिन अन्य कंपनियों की नहीं है। लेकिन प्रबंधकों का कहना है कि यदि पांच अनुषंगी कंपनियों को पुनर्गठित कर दिया जाए तो प्रत्येक की साख अच्छी हो जाएगी और वित्तीय संस्थान उन्हें ऋण भी दे देंगे। उस बैठक में सिद्धांत रूप से यही सहमति हुई थी।

दूसरा निर्णय यह लिया गया था कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 121 एककों का एकक के मजदूर नेता द्वारा एककवार अध्ययन किया जाएगा। प्रबंधकों को मजदूर नेताओं को बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर जानकारी देने के लिए कहा गया था और उन्होंने ऐसा किया था। यह कार्य करने के बाद एककों को अध्ययन करने के लिए दो माह का समय दिया गया था और उन्हें पुनः चालू किए जाने के लिए पैकेज देने के लिए कहा गया था कि वे इन एककों को पुनः चालू करने के लिए कोई सुझाव अथवा प्रस्ताव दें मैंने ऐसे ही कहा था। ए० आई० टी० यू० सी० ने भी सभी यूनियनों का एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था जिसमें वे सब शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार को इन्हें बंद नहीं करना चाहिए। इन्हें पुनः चालू करना चाहिए क्योंकि इन्हें पुनः चालू किया जा सकता है। इसी दौरान वस्त्र मंत्रालय ने उन्हें पुनः चालू करने के लिए अपनी ओर से एक योजना तैयार की थी जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या आबिद हुसैन समिति गठित की थी, यदि हां, तो क्या उस समिति ने रिपोर्ट दी थी; यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है, यदि वह रिपोर्ट है तो क्या उसे क्रियान्वित किया गया है ?

श्री पी०ए० संगमा : मैं आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि इस समिति की रिपोर्ट काफी पुरानी हो गई है। मेरा कर्तव्य नई औद्योगिक नीति के प्रभाव की जांच करना है। यह एक सीमित प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं सभा में यह कहना चाहता हूं कि ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं जो एक से अधिक मंत्रालय से संबंधित होते हैं और मैं चाहता हूं कि मंत्री अपने अन्य अधिकारियों से परामर्श कर तैयार रहें।

शायद सभा में प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप जानकारी एकत्र न कर पाएं, आप उसके बाद जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करें और माननीय सदस्य को जानकारी दें।

श्री पी० ए० संगमा : मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि फरवरी 1992 में जो त्रिपक्षीय समिति का गठन हुआ है, इस समिति में कौन-कौन हैं ? उसकी अब तक कितनी बैठक हुई है और उस बैठक में जो-जो निर्णय लिए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए कुछ प्रोग्राम बने हैं। आज गुजरात में इतनी सूती कपड़ा मिलें हैं जो बीमार हालत में हैं। अब उस सिफारिश को गुजरात सरकार कहेगी या वह डायरेक्टर कह सकते है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या आप उत्तर देने की स्थिति में है।

श्री पी०ए० संगमा : मेरे पास समिति की रचना है। समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं। श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। श्रम मंत्रालय को एक स्थान प्राप्त है। कपड़ा मन्त्रालय को एक स्थान प्राप्त है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक को एक-एक स्थान दिया गया है। इस प्रकार राज्यों को कुल 9 स्थान दिए गए हैं।

नियोक्ताओं की तरफ से इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन को 6 सीट मिली है काउंसिल आफ इण्डियन इम्पलायर को चार सीट आल इण्डिया फेडरेशन आफ कापरेटिव सपीनिंग मिल्स को एक सीट। नियोक्ताओं के लिए कुल 11 सीटें हैं। श्रमिकों को कुल 11 सीटें मिली हैं—आई० एन० टी० यू० सी० को पांच सीटें मिली हैं। भारतीय मजदूर संघ 1 सीट; हिन्द मजदूर सभा 1 सीट; आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस—1 सीट; और नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन—3 सीटें। यह सममिति की रचना है।

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि देश के बहुत से हिस्सों में कपड़ा श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। जिसके फलस्वरूप देश के बहुत से हिस्सों में भुखमरी से बहुत-सी मौतें हो रही हैं। इन बुनकरों तथा मिल श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए माननीय मंत्री द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह मुद्दा प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन यदि आप इसका उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको चांस देते हैं तो आप उसका मिसयूज करते हैं और फिर कहते हैं कि हमको चांस नहीं मिलता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया कि एन०टी०सी० की 14 मिलें रूग्ण हालत में हैं, और अपने जवाब में इन्होंने यह भी कहा कि व्यवसाय संघ और राष्ट्रीय वस्त्र निगम अपने संबद्ध इकाई स्तर पर बदलाव लाने की नीति पर विचार करेंगे तथा रूग्ण इकाइयों को पुनरूज्जीवित करने से संबंधित विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर दो मिलें ऐसी हैं, जो एन०टी०सी० के अंतर्गत चल रही हैं लेकिन उनकी स्थिति यह है कि वहां मजदूरों को सिर्फ दो दिन की रोजी मिलती है जबकि बाहर से दिखाया जाता है कि मिलें चालू हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी मिलों को कब तक पुनरूज्जीवित कर दिया जायेगा और उन मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या किसी दूसरे काम पर लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास है।

अध्यक्ष महोदय : आपने भी समय का उपयोग नहीं किया।

राज्यों में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

[अनुवाद]

\+
411. **श्री दत्तात्रेय बंडारू**
डा० रमेश चन्द तोमर } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार के कौन-कौन से उपक्रम हैं;

(ख) कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं को छोड़कर केन्द्रीय सरकार की जो परियोजनाएं राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं अथवा जो विचाराधीन हैं, उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर राज्यवार अनुमानतः कितनी पूंजी व्यय होने की संभावना है?

उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) दिनांक 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की, उनके पंजीकृत कार्यालयों के अनुसार, राज्य-वार सूची 5-3-1992 को संसद में प्रस्तुत किये गये लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1990-91 के खण्ड-I के पृष्ठ विवरण-203 से लेकर विवरण-219 तक में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं (कोयला क्षेत्र को छोड़कर) जो 31-3-1992 तक कार्यान्वयनाधीन हैं, का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

अनुबन्ध

31-3-1991 तक विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

(कोयला क्षेत्र को छोड़कर)

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत मूल	कुल लागत अब प्रत्याशित	91/03 तक व्यय	91-92 का परिव्यय	तिमाही तक कुल खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	2834·6	9244·2	6981·1	893·1	7660·8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	312·8	516·5	61·0	30·0	92·6
3.	असम	4	498·4	1760·3	186·6	1[illegible]9·0	272·2
4.	बिहार	12	2455·2	4567·6	1306·7	472·2	1735·5
5.	गोवा	1	22·1	22·1	18·3	2·2	20·0
6.	गुजरात	15	2367·9	4180·4	1777·9	917·6	2649·9
7.	हरियाणा	4	173·8	236·4	166·8	15·8	192·9
8.	हिमाचल प्रदेश	3	2500·5	4743·0	1324·6	288·3	1578·1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6	2444·6	5617·5	1166·2	696·6	1572·7
10.	कर्नाटक	11	975·5	1443·5	490·6	249·2	721·9

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	7	246·5	404·6	206·3	78·0	275·2
12.	मध्य प्रदेश	16	1961·6	2707·0	1764·9	220·8	1923·6
13.	महाराष्ट्र	17	2668·7	4284·1	2779·7	375·3	3096·5
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैण्ड	1	96·3	251·0	48·3	20·0	65·1
18.	उड़ीसा	9	4557·5	6810·0	1384·3	781·4	1918·4
19.	पंजाब	6	452·3	897·9	462·8	106·3	534·3
20.	राजस्थान	6	1404·3	2016·1	331·7	233·2	473·6
21.	सिक्किम	1	181·1	181·1	17·5	30·0	38·9
22.	तमिलनाडु	12	879·8	1342·6	573·3	211·3	786·7
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	13	3432·0	4509·9	1539·4	706·6	2176·4
25.	पश्चिम बंगाल	31	4558·0	10687·4	4196·6	1635·9	5637·1

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	80·0	80·0	19·0	74·2	72·0
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
28.	दादर व नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	2	60·8	147·1	30·4	9·8	40·4
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
33.	बहुराज्य	47	9256·4	12686·9	3316·2	1186·2	4141·8
	जोड़	243	44421·6	79337·1	30170·2	9399·0	37676·6

श्री दत्तात्रेय बंडारू : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 243 इकाइयां हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की इन इकाइयों पर मूल लागत 44,421 करोड़ रुपये है। इन दस मिलों की अनुमानित लागत बढ़कर 79,333 करोड़ रुपये हो गई है। अतः इसमें 34,916 करोड़ रुपये का अन्तर हो गया है।

क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इस नई आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए क्या ये प्रस्तावित इकाइयां और विशेषतया आंध्र में जिनकी संख्या 17 हैं इसमें ठीक बैठती है। परियोजना लागत में इतना अधिक अंतर क्यों है अर्थात मूल लागत तथा अनुमानित लागत में इतना अंतर क्यों है? इसके क्या कारण हैं? क्या इतने अधिक अंतर को कम करने के लिए कोई तरीका निर्धारित किया गया है।

श्री पी० के० थुंगन : जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं। परियोजना रिपोर्ट बनाते समय और जैसे-जैसे समय बीतता रहता है, कच्चे माल तथा अन्य मदों की कीमत में वृद्धि हो जाती है। इस वजह से यह अंतर होता है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : आंध्र प्रदेश में 17 परियोजनाएं हैं। इस नई आर्थिक नीति में रूग्ण इकाइयों को या अव्यवहार्य इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए अप्रवासी भारतीयों को देने और प्रबंधकों से श्रमिकों को देने के बारे में क्या कोई प्रस्ताव है विशेषतया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आई०डी० पी०एल० इकाई के बारे में जो एक अव्यवहार्य इकाई है। फैक्टरी के प्रबंधन के लिए थोड़े धन की आवश्यकता होती है लगभग 5,000 श्रमिकों को पिछले दो माह से वेतन भी नहीं मिल रहा है। क्या माननीय मंत्री इन लोगों को वेतन दिलवाने के लिए कुछ कदम उठायेंगे? 17 परियोजनाएं जो आंध्र प्रदेश में हैं उनमें अप्रवासी भारतीयों को तथा श्रमिकों को कुछ प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं।

श्री पी० के० थुंगन : जहां तक कारखाने को बंद करने और उसके निजीकरण का संबंध है हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम रूग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने की योजनाएं बनाने के लिए रूग्ण इकाइयों को बी० आई० एफ० आर० को भेजेंगे।

जहां तक निजी पब्लिक सेक्टर इकाई का संबंध है, जिनके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, मैं इस समय उत्तर नहीं दे सकता। उसके लिए मुझे एक नये नोटिस (पूर्व सूचना) की आवश्यकता है।

अप्रवासी भारतीयों को प्रोत्साहन देने के लिए, निश्चय ही, हमारी नीति स्पष्ट है कि हमारी नीति और नियमों के अनुसार जहां तक संभव है हम अप्रवासी भारतीयों को और अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : श्रमिकों का क्या हुआ?

श्री पी० के० थुंगन : श्रमिकों की इकाइयों में भागीदारी के बारे में हमने पहले ही स्पष्ट किया था कि यदि रूग्ण इकाईयों के श्रमिक सहकारी समितियां बना सकते हैं तो हम उन्हें ये इकाइयां दे देंगे। निश्चय ही सरकार निर्धारित मापदण्ड के अंदर उनकी सहायता करेगी तथा उन्हें प्रोत्साहन देगी।

[हिन्दी]

डा० रमेश चंद तोमर : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो 73 परियोजनाएं अंडर इम्पलीमेंटेशन हैं वे कौन-कौन-सी हैं और किन-किन स्थानों पर हैं और उनके पूर्ण होने में और चालू होने में कितना-कितना समय लगेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, आप उन्हें लिखकर भेज सकते हैं।

श्री पी० के० थुंगन : निजी इकाइयों के बारे में मैं लिखकर भेज सकता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह : उत्तर से पता चलता है कि मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा में पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजना नहीं है। ऐसा क्यों है? इस क्षेत्र में बहुत-सी समस्याएं हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजना नहीं है। सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है? सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है? क्या उनका वहां कोई परियोजना शुरू करने का विचार है?

श्री पी० के० थुंगन : हम देश के किसी हिस्से की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। तकनीकी-आर्थिक रूप से जहां तक संभव है हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं तथा हम उन्हें प्रोत्साहन देते रहेंगे।

जहां तक मणिपुर, मेघालय तथा मिजोरम का संबंध है हम मिजोरम, त्रिपुरा, तथा अरुणाचल प्रदेश में सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया की कुछ इकाइयां स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूर्वान्चल के लिए राज्यों की औद्योगिक उपेक्षा की बात कही है, उसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि हम औद्योगिक दृष्टि से राज्य की उपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज की जितनी परियोजनाएं हैं, जो विचाराधीन हैं चाहे क्रियान्वित हो रही हैं, वे आन्ध्र प्रदेश में बहुत ही तेजी से कार्यान्वित हो रही हैं, विचाराधीन हो रही हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है कि आन्ध्र प्रदेश प्रधान मंत्री का गृह-प्रदेश है?

[अनुवाद

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि ये परियोजनाएं मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत हैं। एक अथवा दो परियोजनाएं हो सकती हैं, अथवा केवल एक परियोजना हो सकती है या फिर शायद एक भी परियोजना न हो। इस प्रकार मैंने यहां जिन आंकड़ों का जिक्र किया है, ये आंकड़े उन परियोजनाओं के बारे में है जिन पर काम चल रहा है और क्रियान्वयनाधीन हैं।

श्री ई० अहमद : मंत्री महोदय ने बताया है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में जो मौजूदा परियोजनाएं हैं, उनमें से कुछ परियोजनाओं के विकास और विविधिकरण के बारे में अनेकों प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इन महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्यो के लिए 243 परियोजनाओं में से कुल तीस परियोजाओं जिनमें से 7 परियोजनाएं तो केरल के लिए राज्य हैं, 12 परियोजनाएं

तमिलनाडु के लिए हैं और 11 परियोजनाएं कर्नाटक राज्य के लिए हैं। 31 मार्च, 1992 तक 37,676 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से इन तीन दक्षिणी राज्यों के लिए केवल 1,783.8 करोड़ रुपये की राशि ही व्यय की गई है। मेरे हिसाब से, यहराशि बहुत ही कम है और इससे एक तरह से इन तीन दक्षिणी राज्यों की उपेक्षा की गई है। 37,676 करोड़ रुपये के कुल व्यय से इन तीन दक्षिणी राज्यों के लिए केवल 1,783.8 करोड़ रुपये व्यय करना बहुत ही कम है।

मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि ऐसी विषमता क्यों पैदा हुई है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन तीन महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्यों के संबंध में सरकार कौन से उपचारात्मक कदम उठाने जा एक प्रश्न रही है।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, पहले भी एक माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : सभी राज्य इसी तरह की शिकायत करेंगे।

श्री पी० के० थुंगन : इनका प्रश्न भी इसी तरह का ही है। जहां तक हमारा संबंध है, हम किसी भी काम को करने के लिए समूचे देश को अपना आधार मानकर चलते हैं। किन्हीं स्थानों पर तकनीकी अथवा व्यावहारिकता कारणों से कुछ अधिक निवेश हो गया होगा। और कुछ स्थानों पर कुछ कम निवेश हुआ होगा। लेकिन जहां तक इस विशेष प्रश्नों का संबंध हैं, हमने केवल चालू परियोजाओं के बारे में, यानि कि मौजूदा ावंजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में जानकारी दी है। इसलिए इसके माध्यम से यह आंकना कि कितना-कितना निवेश हुआ है, यह बहुत ही कठिन कार्य है। यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधार पर समूचे निवेश का वास्तविक आलोचना करें तो केवल तभी हम यह बता सकते हैं कि किस-किस राज्य में कितना-कितना निवेश हुआ है।

श्री ई० अहमद : मंत्री जी बताएं कि क्या कोई और भी निवेश हुआ है...... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए बी०आई० आर० एफ० मृत संजीवनी सुरा है? मेरा प्रश्न यह है कि आप हर बात में बी०आई०आर०एफ० की बात लेकर रुग्ण इकाइयों को ठीक करने की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज उन्होंने वह बात नहीं की है। आप प्रश्न पर आइए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कुल कितनी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के परिवारवाद बी० आई० आर० एफ० के पास विचाराधीन हैं? मेरे राजस्थान में सात रुग्ण औद्योगिक इकाइयां, जिसमें से एक ओ०पी०सी०, कोटा का मामला पिछले नौ सालों से विचाराधीन है। क्या आपके पास बी० आई०आर०एफ० के लिए कोई पर्याप्त स्टाफ नहीं है? आप वह परिवारवाद कब तक निपटा पाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को डिसएलाऊ करता हूं। यह इसमें से नहीं निकलता है। आप सवाल पढ़िए उसके बाद पूछिए।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, जो 243 परियोजनाएं चल रही हैं, उन सबके बारे में इस वर्ष 9,399 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक परियोजना की धनराशि की कुल मांग क्या थी और उनको कितनी-कितनी धनराशि मिलनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कुछ परियोजनाओं के बारे में, जिनके जल्दी ही पूरा हो जाने की संभावना है, धनराशि के आबंटन में कोई विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उन परियोजनाओं पर आने वाली लागत में कमी हो सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष जो धनराशि आबंटित की गई है, उसमें तुलनागत रूप पर भी विचार किया है।

श्री पी०के० थुंगन : परियोजनाओं पर विचार करने और उन्हें स्वीकृति देने की एक प्रक्रिया होती है। इसके बारे में दिशा-निर्देश होते हैं और इन दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों के ऐसे निर्देश प्रस्ताव, जिसमें 20 करोड़ रुपए और इससे अधिक धनराशि का परिव्यय शामिल हो, उन्हें सार्वजनिक निवेश बोर्ड को भेजना होता है। पहले यह प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड के पास आते हैं और जब सार्वजनिक निवेश बोर्ड अपनी स्वीकृति दे देता है तब उसके पश्चात् धनराशि आबंटित की जाती है और इस वर्ष भी इसके आधार पर ही धनराशि आबंटित की गई है।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि के बारे में उन तमाम प्रस्तावों पर विचार कर लिया है जो कि समय पर प्रस्तुत किए गए हैं अथवा क्या सरकार ने चल रही परियोजनाओं को, जोकि इस समय अधूरी चल रही है, पूरा करने के लिए कुछ धनराशि आबंटित की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को मद्देनजर रख कर धनराशि आबंटित की गई है अथवा यह देखने के लिए कि परियोजनाएं अपने समय पर पूरी हो जाएं जिससे अपेक्षित परिणाम सामने आ सकें और लागत भी कम रहे। मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री पी०के० थुंगन : चूंकि माननीय सदस्य इस बारे में विशिष्ट जानकारी चाहते हैं, मैं भी उन्हें विशिष्ट जानकारी ही देना चाहूंगा। किसी भी परियोजना के लिए धनराशि के आबंटन को प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि परियोजना यथासंभव शीघ्र पूरी हो जाए। इसी वजह से मैंने कहा है कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड गणदोषों पर विचार करने के बाद ही परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति देता है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा परियोजना पर विचार करने और उसे स्वीकृत देने के पश्चात् ही धनराशि आबंटित की जाती है। इसीलिए मैं बार-बार यही कहता आया हूं कि सभी विवरणों पर बारीकी से विचार करने के लिए ही सार्वजनिक निवेश बोर्ड की आवश्यकता है। जब उन्हें यह तसल्ली हो जाती है कि परियोजना को लागू किया जा सकता है, इसकी आवश्यकता है और इससे देश को लाभ होगा, तब वे उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं और तब हम इसके लिए धनराशि आबंटित करते हैं।

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय, कुछ राज्यों में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय क्षेत्र के निवेश का जो असन्तुलन है उस पर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। श्री ई० अहमद ने

जो प्रश्न किया है, माननीय मंत्री जी ने उसका उचित उत्तर नहीं दिया है। केरल में केन्द्रीय क्षेत्र का निवेश साठ के दशक में 4 प्रतिशत था जोकि अब 2.2 प्रतिशत रह गया है। ऐसा तो तब है जबकि बहुत सी महत्वपूर्ण और व्यावहारिक परियोजनाओं के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भेजे गए हैं जो कि स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित है। क्या मंत्री जी इस सभा में ऐसा आश्वासन देंगे कि ऐसे प्रस्तावों को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और केन्द्रीय क्षेत्र के निवेश के बकाया हिस्से की भी पूर्ति की जाएगी ?

श्री पी०के० थुंगन : मेरे ख्याल से, इस मामले में मैं अपनी बात पहले ही कह चुका हूं फिर भी मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस सभा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं ? इन सभी को उत्तर देना तो आपके लिए कठिन है।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : परियोजनाओं को अर्थक्षम्य बनाने के लिए हमें भी धनराशि की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में बड़ी-बड़ी परियोजनाएं नहीं रहने के कारण वह क्षेत्र कृषि पर निर्भर करता है। इस कारण से आज झारखंड राज्य देने में दिक्कत हो रही है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या उत्तर बिहार और पूर्व उत्तर में आप बड़ी परियोजनाएं लगाने का विचार रखते हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, हमारे देश में उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में बहुत से राज्य हैं और उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। इसलिए मैं यह कह रहा था कि जहां तक हमारा संबंध है, हम तो समूचे देश को आधार मानकर चलते हैं और हम ऐसी परियोजनाओं को अपनाने की कोशिश करते हैं जो कि तकनीकी तौर पर और आर्थिक दृष्टि से व्यावहार्य हों। इसके साथ-साथ क्षेत्रीय असन्तुलन को भी ध्यान में रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह

[हिन्दी]

*410. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान छोड़े गए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रहों की क्या उपलब्धियां रहीं और इनसे देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ है ;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष विभिन्न भारतीय राष्ट्रीय उपग्रहों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस प्रयोजनार्थ आठवीं योजना में कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) क्या सरकार ने "भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह" प्रणाली के सम्बन्ध में देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी प्रक्षेपण सुविधा विकसित करने की कोई विशेष योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ विदेशी निहित स्वार्थ हमारे भू-उपग्रह कार्यक्रम में अड़चन पैदा कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट) प्रणाली ने गत तीन वर्षों में व्यापक प्रगति की है। जून, 1990 में प्रमोचित किया गया विदेश से प्राप्त इन्सेट-1 श्रृंखला के उपग्रह का चौथा और अन्तिम उपग्रह इन्सैट-1 डी सन्तोषप्रद ढंग से कार्य कर रहा है तथा सेवाएं मुहैया करा रहा है। इन्सैट-2 श्रृंखला के उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्वदेशी रूप में निर्मित किए गए हैं। द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट-2 श्रृंखला के प्रथम उपग्रह इन्सैट-2 ए का प्रमोचन जुलाई 10, 1992 को किया गया। हसन स्थित इन्सैट प्रधान नियंत्रण सुविधा केन्द्र से सभी कक्षीय उत्थापन युक्तिचालन और प्रस्तारण समादेश जारी किए गए तथा इन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सभी नीतभार अर्थात् 18 सी-बैण्ड प्रेषानुकर, 2 उच्च शक्ति के एस-बैण्ड प्रेषानुकर, अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियो-मीटर, आंकड़ा रिले प्रेषानुकर तथा खोज और बचाव नीतभार, चालू किए गए हैं और इनके सन्तोषप्रद ढंग से कार्यकरण की जांच कर ली गई है। आशा की जाती है कि सभी नीतभारों की जांच के पश्चात् इन्सैट-2 ए अगस्त, 1992 के दूसरे सप्ताह तक उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा।

इन्सैट प्रणाली के फायदे देश के कोने-कोने तक पहुंच गए हैं। पिछले तीन वर्षों में स्थलीय टी०वी० ट्रांसमीटरों को काफी संख्या में उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि इन्सैट उपग्रहों के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टी०वी० चैनलों को अभिग्रहण करते हैं। इससे उपग्रह टी०वी० के माध्यम से और अधिक क्षेत्र और जनसंख्या को आवृत्त किया गया है। इस समय भारत में 529 टी०वी० ट्रांसमीटर हैं। काफी संख्या में भू केन्द्रों [प्राथमिक, सुदूर और अत्यन्त लघु द्वारक टर्मिनल (वी-सैट) किस्म के] को वर्तमान दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे इन्सैट उपग्रहों के माध्यम से द्वि-मार्गी वाक् चैनलों और दूरसंचार रूटों की संख्या में वृद्धि हुई है। आजकल, इन्सैट उपग्रह 131 भू-केन्द्रों के उपयोग से 141 रूटों पर 4500 से भी अधिक द्वि-मार्गी वाक् परिपथ वहन करते हैं। दो वृहत् संदेश संप्रेषण नेटवर्कों में लगभग 700 वी-सैट प्रचालनात्मक हैं। सुदूर और पर्वतीय क्षेत्रों तथा द्वीप समुदायों को मुख्य भूमि से जोड़ा गया है। इन्सैट के जरिए उच्च कोटि के ध्वनि चैनलों को अभिग्रहण करने के लिए आकाशवाणी के सभी 127 केन्द्रों का नेटवर्क बनाया गया है। इन्सैट

मौसमविज्ञानीय प्रतिबिम्बकियों ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आपदाओं को कम करने में व्यापक सहायता की है।

(ख) विविध इन्सैट अन्तरिक्ष-खंड से सम्बद्ध योजनाओं/परियोजनाओं पर 1989-90 से अब तक का वर्षवार व्यय इस प्रकार है :

वर्ष		व्यय
1989-90	—	163.84 करोड़ रुपए
1990-91		89.87 करोड़ रुपए
1991-92	—	143.80 करोड़ रुपए

आठवीं योजना में इन्सैट-2 ए, बी०सी०डी० और ई के लिए लगभग 686 करोड़ रुपये की राशि का कुल प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) द्वितीय पीढ़ी के इन्सेट उपग्रह स्वदेशी रूप में निर्मित हैं। विदेश से केवल अन्तरिक्ष अर्हक पुर्जे, सामग्री और कुछ उपकरणों को ही प्राप्त किया गया है। जहां तक संभव है इनमें से अधिकतर पुर्जों, सामग्री तथा उपकरणों को स्वदेशीकृत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी०एस०एल०वी०) जोकि संभवत: 1995-96 तक पूरा हो जाएगा, भूतुल्यकाली अन्तरण कक्षा (जी० टी० ओ०) में इन्सैट-2 श्रेणी के उपग्रहों को स्थापित करने में सक्षम होगा, इससे विदेशी प्रमोचक राकेटों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) और (छ) इसरो को संघटकों और उपकरणों की होने वाली आपूर्ति पर अमरिकी सरकार द्वारा हाल ही में लगाया गया प्रतिबन्ध कुछ हद तक हमारे कार्यक्रम को प्रभावित करेगा। तथापि, अग्रिम कार्रवाई किए जाने के फलस्वरूप, इन्हें प्राप्त करने के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे राष्ट्रीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम अत्याधिक प्रभावित न हो, जटिल मदों का स्वदेशीकरण क्रमिक रूप में किया जा रहा है।

आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रतिवेदन

*412 श्री मदनलाल खुराना :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कम भंडार उपलब्ध होने तथा कृषि क्षेत्र में कम पूंजी निवेश किए जाने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है : और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाये जायेंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) आर्थिक सलाहकार परिषद ने, हाल ही की कृषि निष्पादन तथा

वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ इन विषयों पर भी ध्यान आकृष्ट किया है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा यह सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

विदेशी तकनीकी सहयोग

*413. श्री अंकुशराव टोपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 60 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाले विद्युत उत्पादन उपकरणों तथा कुछ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में विदेशी तकनीकी सहयोग और 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः मंजूरी की सुविधा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी सुविधा से भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी तकनीकी समझौतों और 51% विदेशी इक्विटी भागीदारों के लिए स्वतः अनुमोदन की सुविधा की व्यवस्था करने का कारण यह है कि इन मदों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता के रूप में समझा जाता है।

(ग) और (घ) उक्त कदम से सम्भावना है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के बिजली उत्पादन उपकरण प्रतिस्पर्धात्मक होंगे।

[हिन्दी]

नयी औद्योगिक नीति

*414. श्री छेदी पासवान :

श्री आनन्द अहिरवार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों और उनसे संबंधित समस्याओं पर नयी औद्योगिक नीति के प्रभावों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई त्रिपक्षीय समिति गठित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(च) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(छ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) नई औद्योगिक नीति के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करने तथा इस संबंध में समुचित सिफारिशें करने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की गई है। समिति की पहले ही दो बैठकें हो चुकी हैं। विशेष त्रिपक्षीय समिति के सुझाव पर सूती कपड़ा, जूट, रसायन, सड़क परिवहन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण और इन्जीनियरिंग केक्षेत्र में छः औद्योगिक समितियों को पुन: सक्रिय बनाया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में रुग्णता की जांच करना और समुचित उपाय निर्धारित करना है। विशेष त्रिपक्षीय समिति के अन्य महत्वपूर्ण सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं---उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सहायता प्रदान करना जिनके चालू कार्य संचालन को उनके अतीत के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए लाभकारी बनाया जा सकता है तथा एक ऐसी परिपाटी का विकास करना है जिसके द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) किसी सार्वजनिक क्षेत्र इकाई को पुनरुज्जीवित करने के बारे में विशेष त्रिपक्षीय समिति/औद्योगिक समितियों की सिफारिश की प्रतीक्षा करेगा। संबंधित मंत्रालयों को इससे अवगत करा दिया गया है।

[अनुवाद]

चुने हुए ब्लाकों को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन के लिए निर्धारित मानदण्ड

*415. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेलों आदि के राज्यवार और मदवार वितरण के लिए किन-किन मानदण्डों का पालन करती है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मानदण्ड अन्य राज्यों के लिए अपनाये जा रहे मानदण्डों की तुलना में बहुत कम हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चुने गए 1700 ब्लाकों को राशन उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष प्रावधान किया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग, केन्द्रीय पूल में भण्डार की स्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं तथा मौसमजन्य कारकों जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। लेवी चीनी आमतौर पर 1-10-1986 को अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मापदण्ड के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1991 से सितम्बर, 1992 तक के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के आवंटन में 5% तदर्थ वृद्धि की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन राज्य के भीतर स्थानीय उपलभ्यता की अनुपूर्ति के लिए होते हैं।

केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण हेतु कोई पैमाना निर्धारित नहीं करती है। राज्य सरकारों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरण हेतु पैमाना स्वयं ही नियत किया जाता है।

सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए चुने गए ब्लाकों हेतु 20 लाख मी० टन गेहूं और चावल का अतिरिक्त वार्षिक आवंटन निर्धारित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए जा रहे सामान्य आवंटनों के अलावा विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को जो ये अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं, वे केवल इन्हीं क्षेत्रों में वितरण हेतु हैं। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्लाकों में उपभोक्ताओं के बीच वितरण हेतु चावल और गेहूं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष राज-सहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं, जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रु० प्रति क्विंटल कम होते हैं।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर नेटवर्क में हिन्दी का प्रयोग

*41. डा० लाल बहादुर रावल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इनफर्मेटिक्स सैन्टर के नेटवर्क पर हिन्दी में जानकारी तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां तो इसका कितने प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या हिन्दी में संचार और प्रोसेसिंग की सुविधाएं सभी कम्प्यूटरों पर उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) हिन्दी में प्रोसेसिंग के लिए किस तरह के साफ्टवेयर की व्यवस्था है; और

(च) इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रयोक्ता विभागों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई० सी०) को भेजे गए सभी हिन्दी संदेशों को एन० आई० सी० कंप्यूटर नेटवर्क (जिसे निकनेट कहा जाता है) पर इनसे जोड़े गए स्थानों तक भेज दिया जाता है जिन्होंने द्विभाषी टर्मिनल लगाये हुए हैं।

(ग) से (ङ) निकनेट की कंप्यूटर और संचार प्रणाली हिन्दी अथवा अंग्रेजी शब्दों को भेजने और प्राप्त करने में सक्षम है। तथापि, हिन्दी शब्दों को डिस्पले करने के लिए विशेष टर्मिनलों (द्विभाषी) की आवश्यकता होती है। तकनीकी रूप से प्रमाणित किये गये द्विभाषी टर्मिनलों के बाजार में उपलब्ध होने के बाद एन० आई० सी० एक नीति के रूप में सरकार के विभिन्न विभागों के लिए केवल द्विभाषी टर्मिनलों को प्राप्त करके लगा रही है।

(च) इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग सैण्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटरिंग, पूणे के एक प्रभाग की सहायता कर रहा है।

[अनुवाद]

औषधि निर्माता एककों द्वारा उद्योग परिवर्तन

*417. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ड्रग कंपनीज ब्रांचिंग आउट इन न्यू एरियाज" शीर्षक के छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या कई औषधि निर्माता कंपनियों ने औषधि बनाने के व्यापार में और आगे निवेश करना बन्द कर दिया है और गैर-औषधि उद्योगों में पूंजी लगाना आरम्भ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या औषधि भेषज उद्योग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि कुछ औषध कंपनियां अपने विद्यमान कार्यकलापों के अलावा इस प्रकार का विविधीकरण कर रही हैं। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जो कंपनियों की कारपोरेट नीतियों पर निर्भर है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता। औषधि नीति, 1986 का एक लक्ष्य भेषज क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है और औषध नीति की चालू पुनरीक्षा में भी यह पहलू एक प्रमुख मुद्दा है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में नए उद्योग

*418. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नए उद्योग/फैक्टरियां लगाने संबंधी कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कहां-कहां स्थापित करने का विचार है! और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) आशय पत्रों की मंजूरी के लिए 18 आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं। नीति यह

है कि प्रस्तावित स्थापना स्थल के ब्यौरे आवेदनों पर अन्तिम निर्णय कर लिए जाने के बाद ही बताए जा सकते हैं।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसों के प्रस्तावों को निपटाने के लिए निर्दिष्ट समय-सारणी निर्धारित है। लंबित आवेदनों को निर्धारित समय के भीतर निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

"इनसेट-2ए"

*419 श्री पी० सी० थामस :

श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इनसैट-2ए" भू-स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया है;

(ख) "इनसैट-2ए" की उन प्रणालियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस बीच कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ग) संचार के क्षेत्र में तथा जन-उपयोगी अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न की जा रही अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) "इनसैट-2ए" पर कितना खर्च हुआ है; और

(ङ) भारत से ही ऐसे अन्तरिक्ष यान का प्रक्षेपण किए जाने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) इन्सैट-2ए अन्तरिक्षयान पर रखी सभी प्रणालियां सन्तोषप्रद ढंग से कार्य कर रही हैं। सभी नीतभार अर्थात् 18 सी-बैण्ड प्रेषानुकर, दो एस-बैण्ड उच्च शक्ति के प्रेषानुकर मेघ आवरण प्रतिबिम्बकी प्राप्त करने के लिए अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर, आंकड़ा संकलन प्लेटफार्म तथा खोज और बचाव नीतभार को चालू कर दिया गया है और इनके सन्तोषप्रद कार्यकरण की जांच कर ली गई है। विस्तृत विशिष्टकरण का कार्य किया जा रहा है और इसमें लगभग दो से तीन सप्ताह का समय लगेगा।

(ग) इन्सैट-2ए, लम्बी दूरी के दूरसंचार परिपथों, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टी०वी० नेटवर्क तथा व्यावसायिक संचार सम्प्रेषण और आंकड़ा संचार के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध करेगा।

(घ) इन्सैट-2ए और 2बी अन्तरिक्षयानों के लिए कुल परियोजना अनुमान 329.94 करोड़ रुपए की राशि का है, जिसमें से 63.20 करोड़ रु० की धनराशि इन्सैट-2ए, बी और सी अन्तरिक्ष-यानों के सम्पूर्ण जोखिम बीमा प्रीमियम के लिए तथा 110.83 करोड़ रुपए की धनराशि सुविधा स्थापना के लिए नियत की गई है। चूंकि इन्सैट-2ए को इन्सैट प्रधान नियंत्रण सुविधा केन्द्र से संचालित किया जाएगा, इसलिए इसकी प्रचालनात्मक लागत, इन्सैट-एम सी एफ के व्यय का ही एक भाग होगा, जो कि लगभग 5.00 करोड़ रुपए वार्षिक है।

(ङ) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट

(जी०एस०एल०वी०) को विकसित कर रहा है, जोकि इन्सैट-2 श्रेणी के उपग्रहों को भूतुल्यकाली अन्तरण कक्षा (जी०टी०ओ०) में स्थापित करने में सक्षम होगा। इसका विकास 1995-96 तक पूरा होने की संभावना है।

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*420 प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :

श्री अमल दत्त : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं योजना में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में कटौती करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार कटौती करने के क्या कारण हैं तथा कितनी कटौती की जाएगी ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण श्रमिक

*421 श्री एन० डेनिस :

श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने संबंधी केन्द्र-प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने-कितने ग्रामीण श्रमिक संगठनकर्ताओं की नियुक्ति की गई है;

(ख) इस योजना के आरम्भ से लेकर मार्च 1992 तक राज्यवार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने भी धन का योगदान किया है;

(घ) क्या इस योजना का अब तक कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा 100% आधार पर वित्तपोषित अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्ताओं को केन्द्रीय प्रायोजित योजना छठी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। योजना अगस्त, 1981 में शुरू की गई थी।

योजना का उद्देश्य ब्लाक स्तर पर ग्रामीण संगठनकर्ता नियुक्त करके, ग्रामीण कर्मकारों को संगठित और शिक्षित करना था। राज्य सरकारों द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा था। प्रत्येक संगठनकर्ता को 200/-रु० प्रतिमाह का मानदेय और 59/-रु० प्रतिमाह निश्चित यात्रा भत्ता दिया जाता था। संक्षिप्त में अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्ताओं के कार्य कर्मकारों को

उनके अधिकारों और कर्तव्यों की शिक्षा देना और संगठन की महत्ता पर जोर देना है ताकि वे अपने आपको सहकारी संस्थाओं, व्यवसाय संघों आदि के रूप में संगठित कर सकें।

3. राज्य सरकारों द्वारा आबंटित और तैनात किए गए अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्ताओं (एच० आर० ओ०) और 1983-84 से 1990-91 की अवधि के दौरान जारी की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

4. अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्ताओं की कार्य योजना में हुई प्रगति पर समय-समय पर श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ली गई बैठकों में विचार किया जाता था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम और राजस्थान राज्यों में योजना की राज्यवार समीक्षा सम्बद्ध राज्यों का दौरा करके जनवरी/फरवरी, 1986 के दौरान की गई थी। मई, 198 में राज्यों के श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन और राज्यों के श्रम सचिवों की बैठक में भी योजना के कार्यकरण पर विचार-विमर्श किया गया था।

5. उपरोक्त विचार-विमर्शों के आधार पर योजना का निम्नलिखित विशेषताओं के साथ पुनर्गठन किया गया था।

(1) अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्ताओं (एच० आर० ओ०) की तैनाती को विशेष रूप से चुने गए क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाना था।

(2) राज्य सरकारों द्वारा योजना की VIIवीं योजना अवधि के बाद भी चालू रखने के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को अगले वित्त आयोग के सम्मुख रखा जाना था।

(3) अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्ताओं के कार्यों को संशोधित करना था और उन्हें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे "गरीबी उन्मूलन" कार्यक्रम के लाभाग्भोगियों के संगठन (ओ०बी०ए०पी०पी०) के साथ जोड़ना था।

6. तदनुसार, ग्रामीण विकास विभाग की ओ०बी०ए०पी०सी० योजना को संशोधित कर दिया गया था।

विवरण

क्रम सं०	राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों का नाम	आबंटित अ० प्रा० सं० की सं०	तैनात किए अ०प्रा०सं० की संख्या	प्रदान की गई निधियां (रु० में) 1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	तमिलनाडु	115	62	—	22,671	1,82,313	1.67,409	1,53,127	—	18,089	—
2.	गुजरात	156	116	87,437	3,42,437	1,50,000	4,06,065	1,33,362	1,55,019	5 13,789	1,73,900
3.	उड़ीसा	130	80	1,17,000	—	—	2,66,689	2,03,500	—	—	2,88,532
4.	हरियाणा	14	*	—	—	—	3,496	12,000	—	—	—
5.	आंध्र प्रदेश	80	40	42,564	1,24,686	—	1,63,709	—	—	—	1,04,326
6.	पांडिचेरी	10	9	—	—	—	28,010	27-200	14,744	29,400	—
7.	असम	100	57	—	48,456	1,72,500	—	-	—	2,89,500	—
8.	कर्नाटक	115	100	—	81,343	1,07,235	—	—	—	—	—
9.	उत्तर प्रदेश	205	116	—	—	4,46,651	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	महाराष्ट्र	105	43	—	32,564	1,40,974	—	1,30,549	1,29,353	1,26,750	—
11.	राजस्थान	110	71	83,175	1,79,000	—	—	—	—	6,94,976	2,00,000
12.	पश्चिम बंगाल	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	मणिपुर	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	बिहार	160	70	1,92,750	2,11,400	—	—	—	—	—	—
15.	मध्य प्रदेश	155	100	—	—	1,33,060	—	—	—	7,06,986	5,00,949

(क) यह योजना अगस्त, 1981 में चलाई गई थी किन्तु 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान कोई निधि प्रदान नहीं की गई।

(ख) यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना से आगे प्रचलन में नहीं है।

(ग) राज्य सरकारों को वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का स्पिल ओवर दायित्व 7 वीं योजना अवधि से आगे भी जारी रहा है।

*यह योजना 1987-88 से बन्द कर दी गयी।

[हिन्दी]

अन्य देशों के विदेश मन्त्रियों की भारत यात्रा

*422. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत की यात्रा की;

(ख) प्रत्येक दौरे का प्रयोजन क्या था और इसका परिणाम क्या निकला;

(ग) क्या इन देशों के साथ व्यापार अर्थव्यवस्था और संस्कृत जैसे क्षेत्रों में कोई समझौता किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी देश-वार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

देश	यात्रा का उद्देश्य तथा उपलब्धि	सम्पन्न समझौते, यदि कोई हो, का विवरण
1	2	3
पाकिस्तान (24-7-89 से 25-7-89)	सार्क से सम्बन्धित मसलों पर विचार-विमर्श के लिए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मसलों पर भी विचार-विमर्श किया तथा इस बात के लिए संकल्प व्यक्त किया कि वे तीसरे विश्व को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण आर्थिक मसलों के लिए मिलकर कार्य करेंगे।	
अफगानिस्तान (जुलाई, 1989)	मार्गस्थ यात्रा।	
श्रीलंका (31-8-89)	द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए।	
मालदीव (अगस्त, 1989	सार्क शिखर सम्मेलन के आयोजन से सम्बद्ध मसलों पर विचार-विमर्श के लिए। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मसलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।	
नाईजीरिया (अगस्त 1989)	भारत-नाइजीरिया संयुक्त आयोग के दूसरे सत्र में भाग लेने के लिए भारत आए नाइजीरिया	

1	2	3
	प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का पुनरीक्षण किया गया तथा उन कई क्षेत्रों का पता लगाया जिनमें दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को और अधिक गति प्रदान करने के लिए ध्यान देने आवश्यकता है।	
ईरान (अगस्त, 1989)	यात्रा का उद्देश्य ईरान-ईराक युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र संकल्प सं० 598 पर भारत का समर्थन प्राप्त करना था।	कोंसली मामलों पर एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।
नेपाल (3-1-90 से 5-1-90)	भारत-नेपाल सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के लिए। एक-दूसरे के हितों तथा चिन्ताओं को समझने की दिशा में प्रगति हुई तथा यह निश्चय किया गया कि दोनों देशों के बीच सभी अनसुलझे मसलों का व्यापक हल तलाशा जाएगा।	
श्रीलंका (4-1-90 से 6-1-90)	द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए।	
पाकिस्तान (21-1-90 से 23-1-90)	सार्क संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श के लिए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में। द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करके इस यात्रा का लाभ उठाया गया। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों के बारे में हमारी चिन्ता से उन्हें अवगत कराया गया। इस बात को पुनः दोहराया गया कि हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। इस विषय पर सहमति हुई कि सार्क शिखर बैठक की तत्सम्बन्धी बैठकों पर अन्य सार्क सदस्यों के साथ पाकिस्तान जो और आगे परामर्श करेगा उस सम्बन्ध में पाकिस्तान तथा भारत की सरकार परस्पर सम्पर्क बनाए रखेंगी।	
आस्ट्रिया (8-2-90 से 10-2-90)	आस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ आपसी हित के मसलों पर विचार-विमर्श किया।	

1	2	3
	उन्होंने वाणिज्य, ऊर्जा/रेल तथा वित्त मंत्रियों से भी मुलाकात की।	
आयरलैंड (20-7-90 से 25-2-90)	सरकारी यात्रा आयरलैंड के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग को विशेषकर वाणिज्यिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में, मजबूत करने के बारे में विदेश मंत्री से बातचीत की। तथा क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी आपस में विचारों का आदान-प्रदान किया।	
अफगानिस्तान (फरवरी, 1990)	द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया। गया तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की गई।	
कोरिया गणराज्य 15-3-90 से 17-3-90)	क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मसलों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हाल ही में आए परिवर्तनों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के लिए। इस बात को दोहराया गया कि दोनों देशों के मध्य आपसी सम्बन्धों विशेषकर व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत बनाया जाए।	
चीन लोक गणराज्य (मार्च, 1990)	यात्रा से इस बात को बल मिला कि भारत तथा चीन के द्विपक्षीय सम्पर्कों को इस दृष्टिकोण से बढ़ाया जाए ताकि आपसी संबंधों को सामान्य बनाया जा सके तथा अनसुलझे मसलों को सुलझाया जा सके। इस यात्रा से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विस्तार से विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन विचार-विमर्श के परिणामत: दोनों पक्षों ने इस बात की पुष्टि की कि वे सीमा संबंधी प्रश्न के उचित न्यायपूर्ण तथा परस्पर स्वीकार्य हल की दिशा में मिलकर कार्य करना चाहते हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने को और गति मिली।	

1	2	3
क्यूबा (9-4-90 से 10-4-90)	भारत-क्यूबा संयुक्त आयोग की नई दिल्ली में प्रथम बैठक में भाग लेने के लिए।	विज्ञान और प्रौद्योगिकी खेल-कूद तथा संस्कृति में सहयोग बढ़ाने के लिए तीन करार सम्पन्न हुए।
बंगलादेश (मई, 1990)	भारत-बंगला देश संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक की विदेश मंत्री के साथ सहअध्यक्षता करने के लिए।	
मलेशिया (10-4-90 से 13-4-90)	भारत के प्रधान मंत्री को कोआलालम्पुर में जी-15 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने हेतु मलेशिया के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में। इस यात्रा के दौरान जी-15 शिखर सम्मेलन पर चर्चा हुई और हमारे प्रधानमंत्री ने जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।	
अफगानिस्तान (जून, 1990)	भारत अफगान संयुक्त आयोग के नौवें अधिवेशन में भाग लेने के लिए। आपसी हित-चिन्ता के क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई।	एक प्रोतोकोल सम्पन्न हुआ जिसमें अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास के लिए भारत के योगदान की आवश्यकता है।
अफगानिस्तान (अगस्त, 1990)	यह यात्रा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के प्रतिनिधिमण्डल के अंग के रूप थी।	(1) 1990-91 और 92 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। (2) नशीली दवाइयों मन: प्रभावी पदार्थों की मांग कम करने तथा उनके अवैध इस्तेमाल और अवैध व्यापार को रोकने तथा तत्संबंधी मामलों के लिए आपसी सहयोग पर करार।

1	2	3
		(3) समझौता ज्ञापन जिसमें आई० सी० ए० आर० तथा अफगानिस्तान कृषि अनुसंधान संस्थान के बीच सहयोग कार्यक्रम का विवरण है।
आस्ट्रेलिया (1-8-90 से 2-8-90)	द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए आधिकारिक वार्ता के दौरान द्विपक्षीय राजनैतिक तथा आर्थिक संबंधों की समीक्षा की गई। यह निर्णय किया गया कि द्विपक्षीय व्यापार की स्थापना की जाएगी और आर्थिक आदान-प्रदान तथा कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग की गति तेज की जाएगी। आस्ट्रेलिया द्वारा पाकिस्तान को 50 मिराज जेट बेचने के आस्ट्रेलिया के निर्णय पर भारत सरकार द्वारा व्यक्त खेद और निराशा से आस्ट्रेलिया ने सहमति व्यक्त की और हमारी चिन्ता को समझा। आस्ट्रेलिया ने हमें आश्वासन दिया कि यदि लड़ाई शुरू हो जाती है अथवा सन्निकट जान पड़ती है तो वह इस बिक्री की समीक्षा करेगा। फिजी की घटनाओं सहित क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई।	
फिलीपीन्स (1-8-90 से 4-8-90)	यह यात्रा द्विपक्षीय परामर्शों के लिए थी। आपसी हित के कई द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इस यात्रा से फिलीपीन्स के साथ हमारे आर्थिक और राजनीतिक कार्यकलापों में तेजी आई।	भारत और फिलीपीन्स के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के करार पर 3.8.90 को हस्ताक्षर हुए।
फिलीपीन्स (23-8-90 से 24-8-90)	खाड़ी संकट पर परामर्श के लिए। विदेश मंत्री के साथ खाड़ी-संकट पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि वे कुवैत से अपने देश के नागरिकों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था के संबंध में निकटता से सम्पर्क बनाए रखेंगे। उन्होंने खाड़ी संकट को खत्म करने के उपायों के महत्व पर भी चर्चा की।	

1	2	3
चेकोस्लोवाकिया (30-10-90 से 2-11-90)	चेकोस्लोवाकिया में 1989 में वेलवेट क्रांति के पश्चात् भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच उच्च स्तर की यह प्रथम यात्रा थी। द्विपक्षीय संबंधों तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने वार्ताकारों को अपने देश की वर्तमान आर्थिक गतिविधियों से परिचित कराया। व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा और संस्कृति इत्यादि के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई।	
ट्यूनिशिया (दिसम्बर, 1990)	द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए।	
फिनलैण्ड (12-1-91 से 13-1-91)	सरकारी यात्रा—विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध बनाने की फिनलैण्ड की इच्छा जाहिर की।	
अफगानिस्तान (फरवरी, 1991)	द्विपक्षीय परामर्श के लिए। बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग के मामले भी शामिल थे।	
आस्ट्रेलिया (मई, 1991)	भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अन्त्येष्टि में श्रीमती हांव के साथ आस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया।	
श्रीलंका (27-7-91 से 31-7-91)	विदेश मंत्री स्तर पर भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की स्थापना को अन्तिम समय देने और विचार-विमर्श के लिए।	भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए एक करार।
बोस्निया एवं हेर्जेगोविना (22-8-91 से 30.8.91)	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मेहमान के रूप में भारत की यात्रा की और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री ने भारतीय पक्ष को भूतपूर्व यूगोस्लाविया की स्थिति से अवगत कराया और अपने गणराज्य तथा भारत के बीच आर्थिक संबंधों को संवर्धित करने के तरीकों पर बातचीत की।	
बंगलादेश (26-8-91 से 29.8.91)	भारत बंगलादेश संबंधों के विभिन्न पक्षों और साथ ही आपसी हित विभिन्न मसलों पर बातचीत करने के लिए।	(1) दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय।

1	2	3
		(2) सरकार से सरकार को ऋण से संबंध एक करार जिसके अन्तर्गत भारत ने बंगलादेश को 30 करोड़ रुपए का ऋण दिया।
जिम्बाम्बे (सितम्बर, 1991)	दक्षिण अफ्रीका पर विदेश मंत्रियों की राष्ट्रमण्डल समिति की छठी बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की।	
आस्ट्रेलिया (13-9-91 से 14-9-91)	दक्षिण अफ्रीका पर राष्ट्रमण्डल के विदेश मंत्रियों की समिति की बैठक में भाग लेने के लिए इस यात्रा के दौरान उन्होंने आस्ट्रेलिया में भारत के विषय में बेहतर समझबूझ पैदा करने और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आर्थिक खेल-कूद के क्षेत्रों में और अधिक निकट संबंध के लिए आस्ट्रेलिया भारत परिषद की स्थापना करने से संबद्ध आस्ट्रेलिया के निर्णय से औपचारिक रूप से अवगत कराया।	
स्विटजरलैण्ड 4-10-91 से 13-10-91	द्विपक्षीय वार्ता के लिए। विदेश मंत्री से द्विपक्षीय मामलों/और आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श किया।	
रोमानिया (30-10-91 से 1-11-91)	1989 से रोमानिया में शासन बदलने के पश्चात् यह पहली उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्रा थी। द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और अधिक सुधारने तथा उन्हें विविधता प्रदान करने के तरीकों पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय व्यापार, नागर विमानन, संस्कृति और तकनीकी सहयोग से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई।	
मालदीव (19-11-91 से 22-11-91)	छठे सार्क सम्मेलन की तारीखों के बारे में परामर्श के लिए।	

1	2	3
सिंगापुर (5-12-91 से 8-12-91)	द्विपक्षीय परामर्श के लिए। आपसी हित के कई द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा हुई। इस यात्रा के परिणामस्वरूप सिंगापुर के साथ आर्थिक और राजनीतिक कार्य-कलाप तीव्र हुए।	
क्यूबा (16-12-91 से 21.12.91)	आपसी हित के विभिन्न मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए। इसमें दोनों देशों के बीच और आगे व्यापार के आदान-प्रदान की सम्भावनाओं पर भी चर्चा हुई जिसके परिणाम-स्वरूप, क्यूबा के विदेश व्यापार मंत्री ने फरवरी, 1992 में भारत की यात्रा की।	
श्रीलंका (4-1-92 से 8-1-92)	भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक के लिए श्रीलंका के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।	
ब्रिटेन (15-1-92 से 18-1-92)	विदेश मंत्री और गृह मन्त्री के साथ विचार-विमर्श किया और प्रधान मन्त्री के साथ मुलाकात की द्विपक्षीय मामलों पर जिनमें आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग मजबूत करना भी शामिल था, बातचीत हुई। ब्रिटेन के विदेश मन्त्री ने आश्वासन दिया कि यू० के० भारत के यूरोपीय समुदाय के साथ क्रियाकलापों में सहयोगी भूमिका निभाएगा।	
मोरक्को (18-2-92 से 20-2-92)	द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए।	
मालदीव (29-2-92 से 7-3-92)	आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत मालदीव संयुक्त आयोग के द्वितीय सत्र में भाग लेने के लिए।	
यूरोपीय आर्थिक समुदाय ट्रोइका (4-3-92 से 6-3-92)	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के तीन विदेश मंत्रियों ने अर्थात पुर्तगाल के विदेश मंत्री, नीदरलैण्ड्स के विदेश मन्त्री और ब्रिटेन के विदेशी मामलों के लिए पार्लियामेन्टरी अन्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वार्षिक भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय ट्रोइका वार्ता के लिए भारत की यात्रा की। तीनों	

1	2	3
	मंत्रियों ने विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया। भारत ने यूरोपीय समुदाय के साथ और निकट के सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा जाहिर की। तीनों मन्त्रियों ने इस पर अनुकूल रूप से विचार किया और यूरोपीय समुदाय के समक्ष इस प्रस्ताव की सिफारिश करने का वायदा किया।	
वियतनाम (21-3-92 से 27-3-92)	भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग के पांचवे अधिवेशन में भाग लेने और द्विपक्षीय परामर्श के लिए इस अधिवेशन के द्विपक्षीय सहयोग के अनेक क्षेत्रों का पता लगाया गया। इस यात्रा से भारत-वियतनाम सम्बन्धों को बढ़ावा मिला। आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर जिनमें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका शामिल थी; विचारों की समानता उभरी।	भारत और वियतनाम के बीच एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।
क्रोशिया (1-14-92 से 4-4-92)	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के अतिथि के रूप में भारत आए और विदेश मत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने भारत द्वारा क्रोशिया को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया (यह मान्यता बाद में 11 मई, 1992 को प्रदान की गई।) भूतपूर्व यूगोस्लाविया समाजवादी गणतंत्र संघ में घटनाओं पर क्रोशिया का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत और क्रोशिया के बीच आर्थिक सम्बन्ध मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की।	/
स्लोवेनिया (18-5-92 से 19-5-92)	यह यात्रा 11 मई 1992 को भारत द्वारा स्लोवेनिया को मान्यता प्रदान किए जाने के तुरन्त बाद की गई। दिल्ली में उनकी मुलाकातों में द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्धों पर चर्चा की गई। स्लोवेनिया के विदेश मंत्री ने भारत से संयुक्त राष्ट्र और गुट निरपेक्ष	भारत और स्लोवेनिया के बीच राजनयिक और कौंसली सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में प्रोत्तोकोल।

1	2	3
	आन्दोलन में स्लोवेनिया का समर्थन करने के लिए अनुरोध किया और भारतीय वार्ताकारों को यूगोस्लाविया के संकट के बारे में जानकारी दी।	
इराक (मई, 1992)	द्विपक्षीय परामर्शों के लिए। भारतीय नेताओं के साथ बैठकों में आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों पर व्यापक चर्चा हुई।	
न्यूजीलैंड (5-6-92 से 9-6-92)	द्विपक्षीय परामर्शों के लिए और न्यूजीलैंड उच्चायोग के नव निर्मित परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने के लिए विभिन्न अन्तर-राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मसलों पर विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। भारत में हाल ही में हुए आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक वाणि-ज्यिक कार्यकलापों को बढ़ाने की उत्तम सम्भा-वनाओं के बारे में उन्हें बताया गया।	
इन्डोनेशिया 5-7-92 से 7-7-92	सितम्बर 1992 में जकार्ता में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए प्रधान मन्त्री को आमन्त्रित करने के लिए राष्ट्रपति सुहार्तो के विशेष दूत के रूप में। इस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में विचारों का आदान-प्रदान हुआ।	

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति निगम

*423. श्री बापू हरि चौरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना कर ली गई है ;

(ख) लोक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शेष राज्यों में इस तरह के निगमों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने लोक वितरण योजना का विस्तार महाराष्ट्र के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में कर दिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलाउद्दीन अहमद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने

नागरिक आपूर्ति निगम स्थापित कर दिए हैं :—

(1) आंध्र प्रदेश (2) बिहार (3) गुजरात (4) हिमाचल प्रदेश (5) कर्नाटक (6) केरल (7) मध्य प्रदेश (8) उड़ीसा (9) पंजाब (10) तमिलनाडु (11) उत्तर प्रदेश (12) पश्चिम बंगाल और (13) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने का राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर ढंग से लागू करने के तरीकों तथा प्रबंधों के बारे में निर्णय करते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम स्थापित करने से संबंधित निर्णय भी वही करते हैं।

महाराष्ट्र राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों की संख्या घटाना

*424. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई संगठनों ने अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अपने श्रमिकों की संख्या घटाने तथा अपनी कुछ घाटे वाली गतिविधियों को कम करने की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है जैसाकि 6 जुलाई, 1992 के "द इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन योजनाओं को कब तक अंतिम रूप दिया जायेगा ; और

(घ) इस कार्यवाही से उनके मुनाफे में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अन्य कर्मचारियों का युक्तिसंगत बनाया जाना शामिल है। पुनर्गठन संबंधी कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं जिन्हें यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दे दिया जायेगा। सम्बद्ध उद्यम की लाभकारिता में वृद्धि की सीमा पुनर्गठन योजना की शर्तों पर निर्भर करेगी।

सुदूर संवेदी प्रणाली

*425. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए कार्य योजना बनाने हेतु सुदूर संवेदी प्रणाली का प्रयोग करने के लिए कोई योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं राज्यवार किन-2 जिलों में चलायी जायेंगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) लघु स्तर पर विकास के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से, अंतरिक्ष विभाग ने देश के 149 जिलों में एकीकृत अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों का उद्देश्य भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों पर तैयार किए गए थिमेटिक मानचित्रों का उपयोग करके तथा मौसम विज्ञानीय आंकड़ों, समाजार्थिक सूचना और लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के मूल्यांकन के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सर्वेक्षणों के साथ इनको एकीकृत करके, स्वस्थाने-विशिष्ट कार्य योजनाओं का निर्धारण करना है। इन 149 जिलों का चयन राज्य सरकारों के परामर्श तथा एक राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदण्डों के आधार पर किया गया है। संलग्न विवरण में है, प्रत्येक जिले के अध्ययन पर अनुमानित लागत 30 लाख रुपये की है। पहले चरण में इनमें से प्रत्येक जिले के लिए एक जलविभाजक अथवा ब्लाक के लिए कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव है, जिस पर प्रति जिला 12.5 लाख रुपये की लागत आयेगी। इन अध्ययनों के लिए वित्तीय आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है। इन अध्ययनों में केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्बद्ध विभाग तथा स्वैच्छिक एजेंसियां सम्मिलित हैं। अब तक तैयार किए गए 6 जलविभाजकों की कार्य योजनाओं का विशेषज्ञ समितियों द्वारा समीक्षा की जा रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि मे इन कार्य योजना को कार्यान्वित किया जायेगा। शेष 143 जिलों से सम्बद्ध कार्य योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में तैयार की जायेंगी।

विवरण

लघु स्तर पर विकास के लिए एकीकृत अध्ययन हेतु राज्यवार 149 जिलों की संख्या इस प्रकार है :

क्रम सं०	राज्य	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	2
4.	बिहार	7
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	10
7.	हरियाणा	7
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	जम्मू और कश्मीर	4
10.	कर्नाटक	12
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	10

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	14
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैण्ड	1
18.	उड़ीसा	7
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	19
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	10
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	18
25.	पश्चिम बंगाल	3
	कुल जिलों की संख्या	149

मारुति 1000 कार का इंजन

*426. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति 1000 कार में 970 सी सी क्षमता वाला इंजन है जैसाकि दिनांक 9 जुलाई, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किया गया है ;

(ख) क्या मारुति 1000 शब्दों के इस्तेमाल से यह आभास होता है कि इसमें 1000 सी सी का इंजन लगा है ;

(ग) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने कभी यह तथ्य जनता के समक्ष रखा है कि मारुति 1000 कारों में 970 सी सी क्षमता के इंजन लगे हैं ;

(घ) क्या एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग मामले की छानबीन कर रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मारुति 1000 कार के साहित्य और तकनीकी विनिर्देशों में स्पष्ट बताया गया है कि इंजन विस्थापन 970 सी सी है। कार का नाम मारुति 1000 रखने का अर्थ यह नहीं है कि इंजन क्षमता ठीक 1000 सी सी ही हो। सम्पूर्ण संसार में कार के इंजन की क्षमता को 100 सी सी के निकटतम में पूरा करके बताने की आम प्रथा है।

(घ) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मामले की प्रारम्भिक जांच के आदेश दे दिए हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीकी प्रतिनिधिमण्डलों की रियों में वार्ता

42 . श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों भारत-अमरीकी प्रतिनिधिमण्डलों के बीच रियो-दि-जेनिरियों में वार्ता हुई ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के दौरान कौन-कौन से द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मामले उठाये गये; तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) जून 1992 में रियो डी जनीरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने अमरीकी प्रतिनिधिमंडल सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ परामर्श किया था। जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन से सम्बद्ध मसलों पर चर्चा हुई थी। इस परामर्श से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन को उपयोगी निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिली जिसमें पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, कार्य सूची-21 और सभी प्रकार के वनों के प्रबंध, संरक्षण उनके स्थायी विकास के संबंध में सार्वभौमिक सर्व-सम्मति से सम्बद्ध विधि बाह्य बंधनकारी प्राधिकारिक वक्तव्य का पारित होना भी शामिल है। इस परामर्श के दौरान द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा नहीं की गई।

पाकिस्तान द्वारा अल्पसंख्यकों को भारत भेजना

4221. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा अल्पसंख्यकों को कच्छ का रण होकर भारत भेजने संबंधी हाल ही के समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल को कच्छ का रन क्षेत्र की सीमा पर कुछ क्षत-विक्षत शव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) सरकार को

पाकिस्तान के इन प्रयासों की जानकारी है कि वह भारत-पाकिस्तान सीमा के पार मे बंगलादेश राष्ट्रिकों को भारत भेज रहा है। रन आफ कच्छ क्षेत्र में ऐसी ही एक वारदात का हमारे सुरक्षा बलों को भी पता चला है। पाकिस्तान की यह कार्यवाही अमानवीय, गैर-कानूनी और पूर्णतया अस्वीकार्य है।

(ग) और (घ)। रन आफ कच्छ में सीमा सुरक्षा बल को मई 1992 में चालीस शव मिले थे। इन व्यक्तियों की मृत्यु निर्जलीकरण के कारण हुई थी। पाकिस्तान के प्राधिकारियों के समक्ष इस मामले में विरोध प्रदर्शित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो का बैंकिंग प्रभाग

4222. श्री एन० जे० राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बैंकिंग प्रभाग को अधिक मजबूत बनाने तथा दिल्ली के बाहर अन्य बड़े शहरों में बैंकिंग प्रभाग के और कार्यालय खोलने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन कार्यालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए विभिन्न स्तरों के पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त अस्थायी पदों की मंजूरी दी है ताकि ब्यूरो प्रतिभूतियों के लेन-देन इत्यादि संबंधी अनियमितताओं की जांच कर सकें। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आवश्यकता अनुसार देश के विभिन्न भागों से अपने कर्मचारी तैनात करने के लिए स्वतन्त्र है।

सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्ति

4223. भगवान शंकर रावत
श्री गुरुदास कामत } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विकलांग लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये गये;

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए कितनी रिक्तियां आरक्षित की गई; और

(घ) विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गए ?

कार्मिकी, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) विवरण 1 और 2 संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के अंतर्गत समूह (ग) और "घ" पदों/सेवाओं में सीधी

भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होती हैं। इनमें से, 1 प्रतिशत रिक्तियां दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए, 1 प्रतिशत रिक्तियां बधिरों के लिए तथा 1 प्रतिशत रिक्तियां अस्थिविकलांग विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होती हैं। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियां आदेशों के अनुसार ही भरी जाएं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं जिनमें दृष्टिहीनों के लिए विशेष परीक्षा भी शामिल है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान, रोजगार कार्यालयों में दर्ज शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988	1989	1990	1991 (जून)
1 2	3	4	5	6
राज्य				
1. आन्ध्र प्रदेश	35025	39004	37936	39811
2. अरुणाचल प्रदेश	—	5	5	5
3. असम	3090	3045	2767	2841
4. बिहार	13656	14397	13125	14259
5. गोवा	416	421	435	434
6. गुजरात	11910	12841	11415	10790
7. हरियाणा	6493	6430	6160	6510
8. हिमाचल प्रदेश	3233	3560	3496	3545
9. जम्मू तथा कश्मीर	569	628	652	677
10. कर्नाटक	12252	13457	14567	14607
11. केरल	21368	22970	23673	24301
12. मध्य प्रदेश	12837	14983	16155	15991
13. महाराष्ट्र	17874	21119	19742	20796
14. मणिपुर	934	998	1031	1083

1	2	3	4		6
15.	मेघालय	74	66	78	83
16.	मिजोरम	37	69	69	70
17.	नागालैण्ड	56	57	61	47
18.	उड़ीसा	7999	8845	9760	19318
19.	पंजाब	7462	7065	7326	7750
20.	राजस्थान	10806	12423	13466	13771
21.	सिक्किम*	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	29654	34207	37473	38860
23.	त्रिपुरा	1778	1913	1994	2030
24.	उत्तर प्रदेश	27977	29912	28836	.8224
25.	पश्चिम बंगाल	31540	35226	38311	39503
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	76	26	69	102
2.	चंडीगढ़	402	456	632	690
3.	दादर तथा नगर हवेली	24	24	24	24
4.	दिल्ली	5046	5079	5363	5148
5.	दमन तथा दीव	**	**	**	16
6.	लक्षद्वीप	34	34	34	34
7.	पांडिचेरी	1319	1199	1141	1125
	योग :	263941	290459	295846	302985

टिप्पण : *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है।

**आंकड़े नहीं रखे जाते।

आंकड़ों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों से संबंधित सूचना भी शामिल है।

विवरण-2

शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरियां उपलब्ध कराई गईं

		ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया
1988	—	5475
1989	—	3949
1990	—	3939
1991 (जनवरी-जून)	—	2213

टिप्पण : इन आंकड़ों में विशेष रोजगार कार्यालयों से संबंधित सूचना भी शामिल है।

[अनुवाद]

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीतियां

4224. श्री जीवन शर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन प्रमुख नीतियों पर बल दिया जाएगा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की संतुलित भोजन, स्वास्थ्य, रक्षा, विपणन तथा भंडारण और आधार-भूत सुविधाओं में सुधार आदि संबंधी कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्यमन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) आठवीं योजना में पेयजल, पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं आदि और लोगों की अधिक भागीदारी के साथ अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराते हुए मानव विकास, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता और सब के लिए स्वास्थ्य पर बल दिया जाएगा। आर्थिक विकास रोजगार सृजन और गरीबी कम करने के अनुरूप होगा जिसमें क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करने पर बल दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावशाली कार्यकरण के माध्यम से भोजन की पर्याप्त आपूर्ति और पर्याप्त रोजगार अवसर सुनिश्चित करते हुए गरीबों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकार पंचायती राज, सहकारिता आदि को मजबूत करने की तरह संस्थागत सुविधाओं को मजबूत करेगी। सामाजिक सेवाओं में लोगों को शामिल किए जाने पर बल दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रक में केन्द्र और राज्यों द्वारा जिम्मेवारियों को शेयर करते हुए नियमित योजना के सदृश्य एक कार्य नीति अपनाई जायेगी। शेष आर्थिक प्रणालियों के लिए योजना मुख्यतः निदेशात्मक प्रवृत्ति की है। खाद्य सुरक्षा बरकरार रखने के लिए लंबी अवधि की नीति अपनाई

जाएगी और कृषि गतिविधियों को कृषि व्यवसाय में विकसित होने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। दक्षता को बढ़ावा देने की नीति के रूप में बाजार तंत्र प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(ख) और (ग) "सब के लिए स्वास्थ्य" को पूरा करने में आठवीं योजना स्कीम में संतुलित भोजन और स्वास्थ्य देखभाल शामिल होंगे जिसमें अलाभान्वित वर्गों/कमजोर वर्गों से सम्बन्धित स्कूल पूर्व बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए ठोस आहार, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवाओं जैसे निवेशों सहित एकीकृत बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) का अनुसरकण शामिल होगा तथा उनके लिए पूरक आहार तथा पोषाहार तथा स्वास्थ्य सेवा शामिल होगी। इसके अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल पर्यावरणीय सफाई, स्वच्छता तथा परिवार नियोजन की योजनाओं का भी अनुसरण किया जाएगा।

आठवीं योजना से देश के भीतर और देश के बाहर कृषि पदार्थों के लिए विपणन आधारभूत संरचना, सुदृढ़ होगी और माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने और भंडारण में सुविधा होगी। उत्पादकों की सहकारिता के माध्यम से विपणन की कुशलता को तेज किया जाएगा।

आधारभूत संरचना क्षेत्रकों में संचार के अतिरिक्त परिवहन सेवाओं के विकास पर बल दिया जाएगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। अनिवार्य इनपुट स्कीमों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना, वर्तमान सड़कों की हालत में सुधार रेल यातायात में सुचारू आवागमन में अड़चनों को दूर करना, रेलवे विद्युतीकरण की गति को बढ़ाना, पर्याप्त कार्गो और जहाजरानी क्षमताओं का सृजन, कन्टेनर नेटवर्क को सुदृढ़ करना और अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास शामिल है। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने लिए मध्यम अवधि की ऊर्जा योजना लंबी अवधि की ऊर्जा योजना का एक घटक होगी जिसमें उच्च दक्षता मानदण्डों को लागू करते हुए और गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों का विकास करते हुए मौजूदा योजनाओं के निष्पादन में सुधार पर बल दिया जाएगा।

जहां तक सिंचाई इनपुट का संबंध है, प्रमुख और मीडियम परियोजनाओं में लागत और समय के अधिक लगने को कम करने, दक्षता को बढ़ावा देने और आधुनिकी सिंचाई सुविधाओं के विकास पर बल दिया जायेगा।

[हिन्दी]

परती भूमि विकास बोर्ड

4225. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परती भूमि विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था, गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितने बजट का नियतन किया गया और कार्यक्रमवार तथा वर्षवार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बोर्ड ने वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए तथा क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की;

(ग) बोर्ड की प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं और समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं, इसमें इस समय कितने पद रिक्त पड़े हैं और कब से रिक्त हैं; और

(घ) ये पद कब तक भरने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की 7 मई, 1985 में स्थापना की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निधि का आबंटन और उसके उपयोग निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	आबंटन	उपयोग (करोड़ रु० में)
1990-91	80.00	83.78
1991-92	121.50	121.93
1992-93	115.00	?6.35 (जून 1992 तक)

(ख) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के समन्वय और अनुवीक्षण के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड केन्द्रीय स्तर पर प्रमुख ऐजेंसी है। सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान कुल उपलब्धि 8·8 मिलियन हैक्टेयर रही जबकि लक्ष्य 8.6 मिलियन हैक्टेयर का था। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

करोड़ पौध
लाख हैक्टेयर क्षेत्र

	लक्ष्य		उपलब्धि	
	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि
1990-91	250·00	5·5	126·93	7·59
1991-92	150·00	10·5	137·86	10·03

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का गठन और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि बोर्ड की कोई प्रबन्ध समिति नहीं है अतः प्रबन्ध समिति में रिक्त पदों के भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

सं० 1·4/90-मि०

भारत सरकार

पर्यावरण और वन मन्त्रालय

नई दिल्ली

दिनांक 12-12-91

संकल्प

सं० 1.4/90-एम० I-दिनांक 11.6.90 के संकल्प सं० 1.4/90/मि०-I द्वारा राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के गठन, भूमिका तथा कार्यों में कतिपय परिवर्तन किए गए थे। अब बोर्ड के गठन में निम्न प्रकार से संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :—

गठन

(क) पदेन सदस्य

(1) अध्यक्ष —केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री

(2) उपाध्यक्ष —अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा

(3) से (11) सदस्य —सदस्य योजना आयोग (पर्यावरण प्रभारी निम्नलिखित विभागों में भारत सरकार के सचिव :

—कृषि एवं सहकारिता

—ग्रामीण विकास

—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

—व्यय (जो वित्त सदस्य होंगे)

— विज्ञान और प्रौद्योगिकी

—सदस्य सचिव, राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड

—वन महानिरीक्षक, भारत सरकार

—अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(ख) नामित सदस्य

(12-13) सदस्य —संसद सदस्य (लोक सभा तथा राज्य सभा प्रत्येक से एक-एक)

(14-20) सदस्य	—परती भूमि विकास तथा संबद्ध कार्यकलापों से सम्बन्धित स्वैच्छिक एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं आदिवासियों आदि से प्रतिनिधि (7 से अधिक नहीं) (अध्यक्ष द्वारा 2 वर्ष के लिए नामित किए जाएंगे।)
(21-25) सदस्य	--राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (5 से अधिक नहीं) जो राज्य सरकार के सचिव स्तर के नीचे के स्तर के न हों।
(ग) सदस्य सचिव	
(26) सदस्य-सचिव	—सचिव (पर्यावरण और वन), भारत सरकार

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की भूमिका और कार्य वही रहेंगे जिनका कि 11-6-90 के संकल्प सं० 1-4-90 मि० में उल्लेख किया गया है।

ह०

(र० राजामणि)

भूमिका और कार्य

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड देश में भू-अवक्रमण को रोकने तथा परती भूमि को उपजाऊ बनाने, बायोमास, विशेषत: ईंधन लकड़ी, चारा तथा वनोपज की उपलब्धता में वृद्धि करने और परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने पर लक्षित परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा। बोर्ड परती भूमि विकास के कार्यक्रम की आयोजना तथा कार्यान्वयन में जन सहभागिता प्राप्त करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जुटाने तथा अन्तर-विषयक समन्वय स्थापित करने के लिए एक मिशन का दृष्टिकोण अपनाएगा। इसके लिए वह :

(1) राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड के सहयोग से देश में परती भूमि के प्रबन्ध/विकास के लिए एक संदर्श योजना तैयार करेगा।

(2) परती भूमि का पता लगाएगा एक विश्वसनीय डाटा बेस तैयार करेगा और परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिए अपेक्षित सहायता और संसाधन जुटाने हेतु केन्द्र और राज्य के सम्बन्धित विभागों/एजेंसियों, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करेगा।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की विशेषकर ईंधन लकड़ी, चारा और वनोपज की जरूरतों को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी तरीके से योजनाबद्ध आयोजना तथा कार्यान्वयन के माध्यम से परती भूमि के एकीकृत विकास हेतु कार्यतन्त्र तैयार करेगा।

(4) पारिस्थितिकीय सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों की ईंधन लकड़ी, चारा तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पुनरुद्धार तथा समुचित उपायों से वनावरण स्थापित करेगा।

(5) वन क्षेत्रों पर पड़ रहे दबाव को कम करने और उद्योगों तथा बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनेतर व निजी परती भूमि पर ईंधन लकड़ी, चारे तथा इमारती लकड़ी के वृक्ष उगाएगा।

(6) परती भूमि के विकास के लिए नई और उचित प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार हेतु अनुसंधान प्रायोजित करेगा और अनुसंधान के निष्कर्षों का विस्तार करेगा।

(7) स्वैच्छिक एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज्य संस्थाओं तथा अन्यों की सहायता से परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिए सामान्य जागरूकता पैदा करेगा और एक जन-आन्दोलन तैयार करने में मदद देगा तथा सामुदायिक, सार्वजनिक भूमि एवं इसी तरह के अन्य अवक्रमित सामूहिक सम्पत्ति संसाधनों के सहभागी और सतत् प्रबन्ध को बढ़ावा देगा।

(8) योजनाबद्ध और लागत प्रभावी तरीके से भूमि की क्वालिटी को उन्नत करने के लिए परती भूमि विकास वनीकरण, वृक्षारोपण, मृदा तथा नमी संरक्षण आदि से जुड़े कार्यकलापों से सम्बन्धित कार्य-योजनाओं का समन्वय और अनुवीक्षण करेगा।

(9) देश में परती भूमि के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य सभी आवश्यक उपाय करेगा।

[अनुवाद]

छंटनी किए गए श्रमिकों के लिए एकमुश्त मुआवजा कार्यक्रम

2216. **श्री गोविन्दराम मिरधा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फालतू श्रमिकों की छंटनी करने के लिए एकमुश्त मुआवजा कार्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या छंटनी किए गए कर्मचारियों को विशेष बॉण्ड देने का प्रस्ताव किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) वर्तमानत: एक प्रारूपी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है जिसके तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु वित्त की व्यवस्था राष्ट्रीय नवीकरण कोष से किए जाने के प्रस्ताव पर तेजी से काम चल रहा है। उक्त कोष का गठन फरवरी, 1992 में सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन का इसके कर्मचारियों के हित में अच्छे परिणाम हेतु किया गया था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत भुगतान करने हेतु लचीले वित्तीय साधनों के प्रस्तावों पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकास कार्य

4227. श्री जितेन्द्रनाथ दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शुरू किए गए विभिन्न कार्यों का ब्योरा क्या है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक उपक्रम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) विभिन्न सरकारी उद्यमों द्वारा समय-समय पर अलग-अलग उद्यमों में अलग-अलग विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। बहरहाल, पश्चिम बंगाल में पंजीकृत कार्यालय वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में विगत दो वर्ष के दौरान विस्तार, विकास तथा प्रतिस्थापन आदि पर किए गए पूंजीगत व्यय का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1990-91	1989-90
		(लाख रुपयों में)	
1	2	3	4
1.	एण्ड्रयू यूले एंड कंपनी लि०	595	464
2.	बामेर लॉरी एंड कंपनी लि०	1109	684
3.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	48	16
4.	बंगाल इम्युनिटी लि०	0	—316
5.	भारत भारी उद्योग निगम लि०	1	3
6.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि०	14	18
7.	भारत प्रोसेस एंड मेकनीकल इंजी० लि०	4	15
8.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि०	4	—48
9.	बीको लॉरी लि०	26	44
10.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि०	—1	26
11.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि०	2[illegible]7	146
12.	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्र० लि०	20	—25
13.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि०	192	189
14.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि०	434	—679

1	2	3	4
15.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	929	1050
16.	कोल इण्डिया लि०	1567	1740
17.	भारतीय साइकिल निगम लि०	0	—1
18.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि०	341	750
19.	इस्टर्न कोलफील्डस लि०	0	20.34
20.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजी० लि०	864	724
21.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	3573	1431
22.	हिन्दुस्तान कॉपर लि०	6187	6495
23.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र० लि०	155	412
24.	हुगली डाक एंड पोर्ट इन्जी० लि०	50	159
25.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि०	34	0
26.	आई० बी० पी० कंपनी लि०	1784	1271
27.	इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंडरी कं० लि०	9	0
28.	इण्डियन आयरन एंड स्टील कं० लि०	3735	7300
29.	जेपस एंड कंपनी लि०	169	299
30.	भारतीय पटसन निगम लि०	3	2
31.	लगन जूट मशीनरी कंपनी लि०	5	12
32.	रद्दी धातु व्यापार निगम लि०	23	9
33.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पो० लि०	216	183
34.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	44	30
35.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०	181	388
36.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	—11	11
37.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	4	9
38.	रेरोल बर्न० लि०	57	0
39.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	5	20
40	भारतीय चाय व्यापार निगम लि०	5	4
41.	भारतीय टायर निगम लि०	927	233
42.	वेबर्ड (इण्डिया) लि०	0	4

[हिन्दी]

यूरेनियम की चोरी

4228. श्री ललित उरांव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में यूरेनियम की चोरी के मामलों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) चोरी के कितने मामले दर्ज किए गए और ये घटनाएं कहां-कहां हुईं; और

(घ) चोरी की इन घटनाओं से कितने मूल्य का यूरेनियम पकड़ा गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान यूरेनियम की तथाकथित चोरी के बारे में रिपोर्टें समय-समय पर प्रकाशित हुई हैं। तथापि, विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि जब्त किए गए माल के नमूनों में यूरेनियम विद्यमान नहीं था।

(ख) से (घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

4229. श्री किरिप चालिहा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम संवर्ग के कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के पद पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन अधिकारियों की संख्या अन्य राज्यों के अधिकारियों की संख्या की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) असम-मेघालय के संयुक्त संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के पदों पर कार्य कर रहे हैं (1-7-1992 की स्थिति)।

(ख) जी नहीं, इन अधिकारियों की संख्या इसी प्रकार के अन्य संवर्गों के अधिकारियों की संख्या की तुलना में कम नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पलायन

4230. श्री राम नारायण रबैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) और (ख) कुछ शिक्षित व्यक्ति अच्छे रोजगार अवसरों की तलाश में अन्य देशों को चले जाते हैं। चूंकि, ऐसे व्यक्तियों को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है अतः, इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम्प्यूटर मेंटीनेंस कार्पोरेशन द्वारा वित्तीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति

4231. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर मेंटीनेंस कार्पोरेशन (सी० एम० सी०) ने वित्तीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति के मामले में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) सी०एम०सी० लिमिटेड द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं ने अपनी-अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नया औद्योगिक सम्बन्ध कानून

4232. श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए औद्योगिक सम्बन्ध कानून से संबंधित मंत्रियों के दल ने छंटनी में वृद्धि करने तथा उद्योग बन्द करने के बदले श्रमिकों को दिए जाने वाले 15 दिनों की मजदूरी के मुआवजे को बढ़ाकर 45 दिनों की मजदूरी का मुआवजा देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रियों ने अन्य क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) रामानुजम समिति ने ऐसी क्या सिफारिशें की हैं जिनका मंत्रियों का दल विरोध करता है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) नए औद्योगिक संबंध कानून से संबंधित रामानुजम समिति की रिपोर्ट, जोकि पूर्णतः सर्वसम्मत नहीं है, पर फरवरी, 1992 में हुए श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन में किए गए निर्णय के अनुसरण में सहमति पर पहुंचने के उद्देश्य से असहमति वाले क्षेत्रों की जांच करने के लिए कोयला और श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के पांच श्रम मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया था। 25 अप्रैल, 1 जून और 24 जुलाई, 1992 को दल की बैठकें हुई जिनमें रामानुजम

समिति की रिपोर्ट के विवादास्पद मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। 1 जून को हुई अपनी बैठक में दल ने भारतीय श्रम सम्मेलन के विचार-विमर्श के लिए यह सिफारिश करने का निर्णय लिया था कि बंदी और छंटनी के मामले में सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन के वर्तमान मुआवजे के स्थान पर 45 दिन के वेतन के बराबर मुआवजा दिया जाए भले ही उन इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी ही हो और उनका कितना ही टर्नओवर हो। अन्तिम रूप दिए जाने पर दल की रिपोर्ट को भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

चाय बागान मजदूरों के लिए कल्याण योजना

4233. मेजर डी०डी० खनोरिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय बागान मालिकों के लिए कोई कल्याण योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान चाय बागान मालिकों के कल्याण के लिए राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया गया ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना में क्षेत्रवार आवंटन

4234. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार को वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना के लिए क्षेत्रवार आवंटन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 1992 में राज्य सलाहकार योजना आयोग ने केन्द्रीय योजना आयोग के साथ कोई विचार-विमर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में कोयले के स्टाकयार्ड

4235. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कोल इण्डिया लिमिटेड की "स्टाकयार्ड ओपरेशन स्कीम" अधर में लटकी हुई है;

(ख) पश्चिम बंगाल में कोयले के कुल कितने स्टाकयार्ड हैं और उनमें से कितने काम में लाए जा रहे हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल में कोयले के अधिकांश स्टाकयार्डों के काम में न लाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्टाकयार्डों के कार्यकरण को सरल एवं कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि घरेलू और लघु उद्योगों के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुम्बई के पास लम्बित पड़े अभ्यावेदन

4236. **श्री राम नाईक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुम्बई के पास मकिनान मेकनजी एण्ड कम्पनी के कर्मचारियों के कितने अभ्यावेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये अभ्यावेदन किस तारीख से लम्बित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुम्बई ने उक्त कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1991 के दौरान दायर की गई याचिका पर जारी किए गए मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को लागू किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई को दिनांक 6-4-1992 को छूट मंजूर करने और सांविधिक दरों पर ब्याज जमा कराने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शिकायत में व्यक्त किए गए विचारों को नोट कर लिया है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई ने उच्च न्यायालय के निर्देशों पर समुचित कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में दीवार गिरने से हुई मौतें

4237. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री 28 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4791 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक जांच कार्य पूरा हो गया है और दुर्घटना की जिम्मेदारी तय कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिम्मेवार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) मृतकों के संबंधियों को दिए मुआवजों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है तो इसमें देरी के क्या कारण हैं और वह कब पूरी होगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ङ) मे० हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० (एच०ओ०सी०एल०) ने सूचित किया है कि स्थानीय पुलिस ने एच०ओ०सी०एल० के भण्डार पर्यवेक्षक ग्रेड-2 श्री एन० ई० लिकजे और ठेकेदार द्वारा नियुक्त एक्सकवेटर के ड्राइवर श्री थाजी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304(क) के अंतर्गत एक मामला दायर किया था। यह मामला अदालत में लम्बित पड़ा हुआ है।

कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई पूरी कर ली गई है और अधिनियम के अनुसार 4.52 लाख रुपए की राशि की गणना एच०ओ०सी०एम० ने कामगर प्रतिपूर्ति आयुक्त, जो सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अलीबाग हैं, के पास जमा कर दिया है। इसके अलावा एच०ओ०सी०एल० ने मृतकों के निकट संबंधियों को 3.5 लाख रुपए अनुग्रह भुगतान के रूप में पहले ही दे दिए हैं और प्रत्येक मृतक के परिवार के एक व्यक्ति को कम्पनी में रोजगार दिया गया है। एक मामले में मृतक के बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं और कम्पनी शिक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति कर रही है। जैसे ही बड़ा लड़का 18 वर्ष का हो जाएगा उसे तुरन्त कम्पनी में रोजगार दिया जाएगा।

कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जांच के संबंध में जानकारी महाराष्ट्र सरकार के संबंधित प्राधिकारी से एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सिलिकोसिस के कारण मौतें

4238. श्री मृत्युंजय नायक : क्या श्रम मंत्री 11 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2357 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलिकोसिस के कारण हुई मौतों से सम्बन्धित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी, 1992 तक जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में सिलिकोसिस के कारण 155 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

[अनुवाद]

कोयले की ढुलाई

4239. श्री प्रफुल पटेल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कोयले की ढुलाई के समन्वयन के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा पहुंची है जैसा कि 19 मई, 1992 के "द इकोनामिक टाइम्स" में समाचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस समस्या से कैसे निपटने का है?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) संदर्भित समाचार मद के अंतर्गत यह सूचना दी गई है कि केन्द्रीय सरकार ने सचिव, समन्वय के पद को समाप्त करने का निर्णय किया है और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कोयले के संचलन के समन्वय के संवेदनशील कार्य पर इस कार्यवाही का विपरीत प्रभाव पड़ा है। सरकार ने चूंकि एक वरिष्ठ अधिकारी को सचिव, समन्वय नियुक्त कर दिया है और सचिव, समन्वय की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे संबंधी कार्य निष्पादन का समन्वय तथा समीक्षा करने के संबंध में बैठकों के आयोजन की कारंवाई शुरू कर दी गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण

4240. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष 10 प्रमुख संस्थाओं तथा अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए प्रति 10,000 व्यक्तियों के निमित्त आवंटित की गई धन-राशि का, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस वित्त पोषण के अनुपात को सभी राज्यों के लिए समान बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान प्रति 10,000 व्यक्तियों के पीछे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कक्षेत्तर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा क्रमशः 6650 रुपए, 7300 रुपए तथा 11,950 रुपए के करीब-करीब धन लगाया गया था। 1988-89 से 1990-91 तक तीन वर्ष की अवधि में कक्षेत्तर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं संबंधी 10 प्रमुख संस्थावार, 10 प्रमुख अनुसंधान और विकास केन्द्रवार तथा राज्यवार ब्यौरे विवरण 1, 2 और 3 में संलग्न है।

(ख) परियोजना प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए अनुसंधान और विकास स्कीमों का प्रचार किया जाता है। प्राप्त प्रस्तावों पर उपयुक्त क्रियाविधि द्वारा जांच की जाती है।

विवरण-1

संस्थान का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	56.06	71.39	167.43
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	64.47	51.59	195.49
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई	75.76	134.22	238.31
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	215.74	143.55	263.41
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	79.86	222.07	117.88
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	5.18	128.[illegible]3	173.65
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	217.38	12[illegible].2[illegible]	172.00
भारतीय विज्ञान संस्थान	485.13	235.69	535.37
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	89.01	100.14	33 36
पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च	110.87	9.25	170.17

विवरण-2

(लाख रुपए में)

अनुसंधान और विकास केन्द्र का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट	95.00	241.42	—
सैन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट	68.56	8.48	74 33
सैन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट	48.40	184.00	179.00
सैन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट	—	188.90	162.75
सन्ट्रल साइन्टीफिक इंस्ट्रूमेंट ओरगेनाइजेशन	10.79	—	461.74
सेन्ट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	2.51	14.96	218.39
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ केमिकल बायोलोजी	11.62	—	172.47
नेशनल ऐयरोनाटीकल लेबोरेटरी	46.27	142.15	50.02
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी	67.53	125.76	53.69
नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी	34.88	205.11	37.89

विवरण-3

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रुपए में)		
	1988-89	1989-90	1990-91
1. आंध्र प्रदेश	479.56	392.73	750.62
2. असम	5.14	34.76	19.67
3. बिहार	190.04	267.48	254.61
4. चंडीगढ़	141.35	33.29	696.47
5. दिल्ली	770.27	967.67	1022.28
6. गोवा	0.80	25.45	104.11
7. गुजरात	119.33	76.67	487.29
8. हरियाणा	22.89	61.72	76.02
9. हिमाचल प्रदेश	8.00	99.99	19.95
10. जम्मू और कश्मीर	10.22	25.74	9.30
11. कर्नाटक	871.73	729.19	1245.20
12. केरल	85.34	179.27	594.18
13. लक्षद्वीप	11.32	—	—
14. मध्य प्रदेश	90.48	132.38	315.78
15. महाराष्ट्र	583.13	601.56	956.75
16. मणिपुर	6.18	4.34	29.39
17. मेघालय	20.27	3.92	32.13
18. मिजोरम	—	—	4.26
19. उड़ीसा	169.77	37.44	152.82
20. पांडिचेरी	0.58	3.47	3.74
21. पंजाब	119.28	127.94	273.87
22. राजस्थान	172.82	383.47	81.83
23. तमिलनाडु	543.83	506.95	1069.68
24. त्रिपुरा	1.73	2.80	1.61
25. उत्तर प्रदेश	603.52	842.51	91[illegible].16
26. पश्चिम बंगाल	288.79	421.54	830.58

राज्यों को विकास कार्यों हेतु वित्तीय सहायता

241. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रत्येक योजना को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडार की राशन की दुकानों पर वस्तुओं का कम तोला जाना

4242. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भंडार की कुछ राशन की दुकानों पर तराजू आदि के प्रयोग न करने के कारण वस्तुओं को कम तोले जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय भंडार ने सूचित किया है कि उसकी सभी राशन की दुकानों पर अपेक्षित तराजू उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नारियल की जटा का निर्यात

4243. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश भारत से नारियल की जटा का आयात कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक देश को नारियल की जटा के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ग) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भी नारियल जटा का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को नारियल की जटा के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री

(प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जो देश भारत से कयर का आयात कर रहे हैं उनके नाम और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक देश को निर्यात किए गए कयर का कुल मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कयर बोर्ड जो एक कानूनी निकाय है, ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कयर व कयर उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। बोर्ड ने इन देशों में भारतीय कयर की खपत बढ़ाने के लिए ब्रिटिश तथा जर्मनी कयर संगठनों के साथ संयुक्त प्रचार कार्यक्रम भी आरम्भ किए हैं। बोर्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है और इन देशों के लिए बाजार विकास शिष्ट-मंडलों की व्यवस्था करता है। कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यात लक्ष्य सार्वभौमिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं और ई० ई० सी० देशों के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए लक्ष्य औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण

उन देशों की सूची जो भारत से कयर का आयात कर रहे हैं

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	देश	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	नीदरलैंड	539·10	565·78	716·08
2.	जर्मनी	408·89	667·04	735·77
3.	यू० एस० ए०	403·10	530·64	1447·62
4.	यू० के०	377·61	525·91	739·67
5.	इटली	344·13	621·60	898·61
6.	फ्रांस	332·04	400·64	55[illegible]·82
7.	आस्ट्रेलिया	232·81	219·81	344·45
8.	यू० एस० एस० आर०	229·68	138·98	—
9.	बेल्जियम	198·63	245·91	424 12
10	डेनमार्क	142·06	86·90	129·39
11.	पुर्तगाल	137·45	193·76	172·65
12.	ग्रीस	124·94	88·59	162·47
13.	कनाडा	60·39	94·68	109·49

1	2	3	4	5
14.	सिंगापुर	44·11	49·39	14·62
15.	हंगरी	42·32	8·04	18·96
16.	जी० डी० आर०	37·03	12·35	—
17.	यू० ए० इ०	34·75	44·54	73·83
18.	कुवैत	34·68	11·06	29·96
19.	जापान	33·43	19·33	58·06
20.	तुर्की	27·64	65·49	162·69
21.	मोरक्को	27·31	27·89	40·82
22.	सऊदी अरब	23·40	29·23	66·06
23.	ग्रेनेडा	21·05	5·71	—
24.	स्पेन	19·28	67·15	88·36
25.	युगोस्लाविया	18·75	12·34	41·02
26.	न्यूजीलैंड	12·91	20·66	44·72
27.	मिस्र	11·72	18·22	23·19
28.	इजराइल	8·79	12·37	32·45
29.	पोलैंड	7·99	7·29	25·06
30.	साइप्रस	7·89	1·74	5·05
31.	स्वीडन	6·84	9·31	28·78
32.	लेबनान	6·75	—	20·84
33.	स्विटजरलैंड	6·48	0·02	1·57
34.	नाइजीरिया	6·01	9.42	9·90
35.	बहरीन	5·83	2·19	8.93
36.	आइरिश गणतंत्र	5·47	7·66	41·33
37·	कतर	5.03	2.74	6.16
38.	मारीशस	4.63	5·76	15.01
39.	पाकिस्तान	3.08	—	24.34

1	2	3	4	5
40.	हांगकांग	2.70	2.84	1.76
41.	मलेशिया	2 69	—	—
42.	जार्डन	2.61	—	—
43.	बारबाडोस	2.53	0·67	0·78
44.	फिनलैंड	2·49	0·33	8·38
45.	लाइबेरिया	1.60	1.38	—
46.	नार्वे	1·32	2·67	1·70
47.	दक्षिण कोरिया	1·29	2·49	9·10
48.	ताइवान	1·12	2·87	2·37
49.	मस्कट	1·12	—	—
50.	उरुग्वे	1·01	0·62	1·07
51.	अल्जीरिया	0·95	3·35	—
52.	कैमरून	0·80	1·18	1·71
53.	सीरिया	0·70	—	—
54.	आस्ट्रिया	0·66	1·27	—
55.	ओमान	0·93	4·73	13·00
56.	वेस्टइंडीज	0·61	—	1·26
57	मोजांबिक	0·56	—	—
58.	विंडवर्ड महाद्वीप	0·13	—	—
59.	वेनेजुएला		5·58	7·54
60.	दक्षिण यमन	—	2·84	—
61.	नेपाल	-	1·77	23·77
62.	श्रीलंका	—	1·99	1·60
63.	त्रिनिदाद	—	1.22	2·21
64.	पेरु	—	1·[illegible]	2·38
65.	मालदीव द्वीपसमूह	—	0·91	—

1	2	3	4	5
66.	मालवी	--	0·30	—
67.	लीवर्ड द्वीपसमूह	—	1·13	—
68.	अर्जेंटीना	—	—	7·79
69.	मैक्सिको	—	--	3·29
70.	घाना	—	—	1·69
71.	पारागुवे	—	—	1·22
72.	माल्टा	—	—	0·51

सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

4244. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिक्किम को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वार्षिक अनुदान के अतिरिक्त भी धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस धनराशि में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं। सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए उसकी राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त कोई और विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के पुनर्गठित उपक्रमों के संबंध में श्वेत पत्र

4245. श्री पी० सी० नारायणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनर्गठित किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विस्तृत अध्ययन सहित एक श्वेत पत्र जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीलंका में भारतीय मूल के लोग

4246. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के बारे में किये गये शास्त्री-भण्डारनायके समझौते के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह समझौता कुल कितने व्यक्तियों पर लागू होता है;

(ग) 31, मार्च, 1992 तक कुल कितने व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित किया गया तथा उनमें कितनी-कितनी वृद्धि हुई;

(घ) 31 मार्च, 1992 तक कुल कितने व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता दे दी गई थी और इसमें कितनी-कितनी वृद्धि हुई;

(ङ) कुल कितने व्यक्तियों ने श्रीलंका की नागरिकता के लिए इच्छा जतायी है लेकिन उनके मामले श्रीलंका सरकार के पास अभी तक लम्बित पड़े हैं;

(च) कुल कितने व्यक्तियों ने भारत में प्रत्यावर्तन के लिए इच्छा जतायी है लेकिन उनके मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं; और

(छ) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुआर ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिनके बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (घ) 1964 और 1974 के भारत श्रीलंका समझौतों की शर्तों के अनुसार भारत को 6,00,000 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करनी थी और श्रीलंका को 3,75,000 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करनी थी। भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच 15-1-86 के समझौते के अनुसार इस बात को देखते हुए कि केवल 5,06,000 व्यक्तियों ने ही निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। श्रीलंका को 94,000 और व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करनी थी। और नागरिकता देने से संबद्ध भारत की प्रतिबद्धता 6,00,000 से कम होकर 5,06,000 रह गई।

31 मार्च, 1992 तक भारतीय मूल के कुल 5,92,669 व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। (इनमें से 4,20,311 व्यक्ति मूल संख्या से हैं और 1,72,358 व्यक्तियों की नैसर्गिक वृद्धि हुई है)।

31 दिसम्बर, 1988 तक कुल 3,37,620 व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की

जा सकी है (जिनमें से 2,37,151 व्यक्ति मूल संख्या में से हैं और 1,00,469 व्यक्तियों की नैसर्गिक वृद्धि हुई। (31-12-88 के बाद श्रीलंका की सरकार ने आंकड़े नहीं दिए हैं।

31 मार्च, 1992 तक कुल 4,61,755 व्यक्तियों को जो भारत प्रत्यावर्तित किया जा चुका है (जिनमें से 3,37,645 व्यक्ति मूल संख्या से हैं और 1,24,110 व्यक्तियों की नैसर्गिक वृद्धि हुई)।

(ङ) कुल 1,30,914 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है और वे प्रत्यावर्तन की इंतजार कर रहे हैं (जिनमें से 82,666 व्यक्ति मूल संख्या में से हैं और 48,248 व्यक्तियों की नैसर्गिक वृद्धि हुई है)।

(च) श्रीलंका की सरकार द्वारा आंकड़े नहीं दिए हैं।

(छ) आवेदनकर्ताओं के उत्तर के अभाव में भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु जिन व्यक्तियों के आवेदन बकाया पड़े हैं उनकी संख्या 73,644 है (जिनमें से 70,113 व्यक्ति मूल संख्या के हैं और 3531 व्यक्तियों की नैसर्गिक वृद्धि हुई है)।

[हिन्दी]

लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) में रिक्त पद

4247. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा 26 अगस्त, 1989 को विज्ञापित पद भर लिये गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त पद कब तक भरे जायेंगे ;

(ग) क्या कापार्ट में "40 सूत्रीय" रोस्टर अपनाया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) दो स्वतंत्र स्वायत्त निकायों, अर्थात् (ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद तथा भारतीय विकास लोक कार्यक्रम) को मिलाकर 1 सितम्बर, 1986 से अस्तित्व में आया। कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित भर्ती प्रणाली का परिषद द्वारा पालन किया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित भर्ती नियमों का परिषद द्वारा पालन किया जा रहा है। कापार्ट में "40 सूत्री" रोस्टर अपनाया जाता है। तथापि, रिक्तियों और पूर्वशेष पदों का सही अनुमान लगाने के लिए परिषद द्वारा अनुसूचित जाति आयोग से एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी को रिक्त आरक्षित पदों का

पता लगाने के कार्य को करने के लिए नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और पूर्वशेष पदों को शीघ्र भरा जायेगा।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करना

4248. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों को उनका वेतन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम अपने कर्मचारियों को भविष्य में भी वेतन देने में समर्थ नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) गत कुछ महीनों में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच० एस० सी०) द्वारा सामना की जा रही वित्तीय बाधाओं के कारण वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ है।

(ख) और (ग) एच० एफ० सी० के लिए निधियां जुटाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है ताकि यह अपने दायित्वों को पूरा कर सके।

लघु ताप विद्युत परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से सहायता

4249. श्री सुबास चन्द्र नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से राज्यों में लघु ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब और तमिलनाडु में निवेश आवश्यकताओं को कम करने और इस प्रकार योजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए संलग्न विवरण के अनुसार कुल 92 सिंचाई नहरों और बांध आधारित स्थानों को कुछ मानकीकृत प्रकार के डिजाइनों में विश्लेषित और संरक्षित किया गया। इस परियोजना का विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। इस परियोजना में इन मिनी/लघु जल विद्युत योजनाओं को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा इस मंत्रालय की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के माध्यम से वाणिज्यिक आधार पर उपलब्ध कराए वित्त से स्थापित किए जाने का विचार है।

विवरण

योजनाओं के लिए मानकीकृत डिजाइन विशिष्टयां

राज्य/योजना	मानकीकृत डिजाइन विशिष्टयां			
	शीर्ष (मीटर)	डिस्चार्ज (एम³)	क्षमता (कि०वा०)	ऊर्जा उत्पादन जी०डब्ल्यू०एच०/80% कुशलता की दर से
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
अदनकी बी० सी० 1	4.25	22.5	2.650	3.64
अदनकी बी० सी० 2	10	22·5	2.1250	6.8
गुंटूर बी० सी० 1	7	22.5	3.1250	17
गुंटूर बी० सी० 2	10	22.5	3.1250	19·8
गुंटूर बी० सी० 3	4.25	22.5	2.650	6.4
गुंटूर बी० सी० 4	7	22.5	2.1250	10.5
लोक-इम-सुला	10	22.5	2.1500	16.48
लोअर मनियार	7	22.5	2.1500	16
कर्नाटक				
अतेहल्ला	7	7.5	1.350	2.8
गलबेरी	15	7.5	2.650	5.26
वृन्दावन	13	30	3.3500	62
मेवरवेलेकेरे	13	12	1.1000	9.07
हरंगी	15	12	3.1500	14.52
कबीनी	10	12	3.650	6.25
किसारा	10	12	2.650	5.8
मदूर	13	7.5	2.1000	8.3
मलाप्रभा	10	12	2.1000	8.08
मदहोल	13	7.5	1.1000	4.86

1	2	3	4	5
नुगू	13	12	2.1000	6.15
राजनकोलूर	15	7.5	3.650	6.33
शाहपुर बी० सी० 1	7	7.5	3.650	5.1
शाहपुर बी० सी० 2	7	7.5	3.350	3.9
शाहपुर बी० सी० 3	7	7.5	3.350	3.65
शाहपुर बी० सी० 4	7	7.5	3.350	4.15
शाहपुर बी० सी० 5	10	7.5	2.650	4.88
शाहपुर बी० सी० 6	7	7.5	1.350	2
केरल				
कुटियाडी पी० एच० 1	15	12	2.1500	17.1
कुटीयाडी पी० एच० 2	7	12	2.650	5.7
कुटीयाडी पी० एच० 3	7	12	2.650	5.7
पीची 1 (सी० बी० यू०)	21	10	1.1500	10
पीची 2 (आर० बी० यू०)	30	12	2.2500	17.1
मंगलम	10	5	1.350	1.3
मनियार	15	22.5	6.2500	57.1
तमिलनाडु				
अलियार	30	5	2.1250	9.32
अमरावती	21	12	2.1000	10.58
लोअर भवानी	15	30	2.3500	24.25
पीचपराई	10	12	2.650	5.95
पेरूनचानी	15	7.5	2.650	5.1
शिवानूर	30	12	2.2500	21.82
त्रिमूर्ति	13	7.5	3.650	7.73
पंजाब				
बाबनपुर	3	30	2.650	7
चककाई	3	30	2.650	7.2

1	2	3	4	5
चरनवास	3	50	4.1000	29.25
चुपकी	3	30	2.650	30
दस्ला	4.25	30	2.1000	9.2
डोलवास	3	30	2.650	8.12
किसा	3	30	2.650	6.48
नारंगवाल	3	30	3.650	8.8
चंबलाम	3	50	6.1000	44 2
तुगल	3	22.5	3.350	6.5
सलार	3	22.5	2.350	3.44
खिचाना	3	12	2.350	4.12

स्रोत—ई० एस० एम० ए० पी० कम्प्यूटेशन

राज्यों में कोयला संसाधन

4250. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान ने देश, विशेषतौर पर उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, में कोयला संसाधनों की अनुमानित मात्रा का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान लो ऐश कोल से गन्धक की मात्रा कम करने की विधि तैयार करने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) और (ख) देश में कोयले के भण्डारों का पता लगाये जाने के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण निरन्तर आधार पर क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य किए जाने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा दिनांक 1-1-92 की स्थिति के अनुसार देश में कोयले के कुल भंडार 196 बिलियन टन होने का अनुमान कराया गया है। दिनांक 1-1-92 की स्थिति के अनुसार बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोयले

के भंडार नीचे दर्शाये गए हैं—

(भंडार मि० टन में)

राज्य	प्रमाणित	विनिर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
बिहार	28784·79	28035·91	6577.61	63398 31
मध्य प्रदेश	8909·15	19619·76	9922·94	28451·85
महाराष्ट्र	2917·70	1214·45	1967·36	6099·51
उड़ीसा	4954·02	21350·60	18883·70	45188·32
पश्चिम बंगाल	8926·19	13413·03	7807·95	30147·17

(ग) और (घ) कोयला खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० ने उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में उपयुक्त संसाधनों का पता लगाने के लिए कोयले में गंधक के विभाज्य की जांच किए जाने के लिए परियोजना शुरू की है, जोकि इस्पात संयन्त्रों की स्वीकार्य सीमा के अन्दर गंधक के तत्वों में कमी किए जाने के लिए परिष्कृत किया जा सकता है।

केरल में कम्प्यूटर केन्द्र

4251 श्री थाइल जान अंजलोस : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में और अधिक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ग) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) केरल में पहले से शुरू कम्प्यूटर केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को कम्प्यूटर पर आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य के अनुरूप एन० आई० सी० ने केरल में नीचे बताए गए अनुसार कम्प्यूटर केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए हैं :

स्थान	संस्थापित किया गया कम्प्यूटर
1	2
एन० आई० सी० केरल राज्य केन्द्र त्रिवेन्द्रम	एन० डी०-550 सुपर मिनि कम्प्यूटर और तीन 80386 आधारित सुपर ए० टी०
मुख्य मंत्री का कार्यालय त्रिवेन्द्रम	80386 आधारित सुपर ए० टी०
मुख्य सचिव का कार्यालय त्रिवेन्द्रम	86286 आधारित सुपर ए० टी०

1	2
केरल सरकार सचिवालय त्रिवेन्द्रम	80386 आधारित सुपर ए० टी०
विकास भवन परिसर, त्रिवेन्द्रम	80386 आधारित सुपर ए० टी० प्रत्येक
केरल के 14 जिला मुख्यालयों में 14 जिला सूचना विज्ञान केन्द्र	जिले में 80386 आधारित सुपर ए० टी० कम्प्यूटर

एन० आई० सी० के तकनीकी सहयोग से राजस्व विभाग, सी० बी० ई० सी० द्वारा निम्नलिखित कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए गए हैं

स्थान	स्थापित किया गया कम्प्यूटर
केन्द्रीय आबकारी कलक्टरी, कोचीन	ई०आई०एस०ए० 80486 आधारित कम्प्यूटर
त्रिवेन्द्रम, कोट्टयम, कोचीन (2 केन्द्र) कालीकट, त्रिचूर और कन्नानोर स्थित सात केन्द्रीय आबकारी प्रभागों में 7 कम्प्यूटर केन्द्र।	प्रत्येक प्रभाग में आई० एस० ए० 80486 आधारित कम्प्यूटर

गुजरात में खादी के लिए नई योजना

4252. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 में और जुलाई 1992 तक गुजरात के जामनगर और राजकोट जिलों के विभिन्न भागों में खादी और कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए बनाई गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी वास्तव में खर्च की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गये और इन योजनाओं के माध्यम से कितना मुनाफा कमाया गया ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग गुजरात राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए गुजरात राज्य के०वी० आई० बोर्ड को निधियां देता है। निधियां पूरे गुजरात राज्य को आवंटित की जाती हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जिला-वार सूचना नहीं रखता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के०वी०आई० बोर्ड को वितरित की निधियां इस प्रकार हैं—

(रु० लाख में)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1988-89	544·15	541·12	8·08	74·38
1989-90	553·32	123·31	32·28	186·43
1990-91	676·18	168·96	10·96	130·00

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिया गया रोजगार इस प्रकार है—

(व्यक्ति लाख में)

वर्ष	खादी	ग्रामोद्योग
1988-89	0·69	0·28
1989-90	0·73	0·32
1990-91	0·55	0·31

के० वी० आई० कार्यकलाप बिना लाभ-हानि के आधार पर किए जाते हैं।

श्रमिकों को पुन: बहाल करना

4253. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण मिलों के बन्द होने के कारण बेरोजगार होने वाले श्रमिकों के बारे में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों को पुन: बहाल करने का कोई फार्मूला बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) सरकार ने रुग्ण मिलों के बन्द होने के कारण फालतू करार दिए जाने वाले श्रमिकों का अब तक कोई आकलन नहीं कराया है।

(ग) और (घ) सामाजिक सुरक्षा तन्त्र की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन० आर० एफ०) की स्थापना की है जोकि प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से कर्मकारों की रक्षा करेगी।

निवारक राजनय के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य सूची

425·. श्री शरत् चन्द्र पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निवारक राजनय तथा शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नई संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य सूची की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने "एन एजेंडा फार पीस" शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के

सदस्यों को पेश की गई है और इस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें अधिवेशन में विचार-विमर्श होगा। सरकार उस मंच पर इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपना योगदान करेगी।

बर्मा शरणार्थियों की परिसम्पत्तियां

4255. श्री अन्नारासु इरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शरणार्थियों द्वारा पीछे छोड़ी गई परिसम्पत्तियों को हिन्द आजाद बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया था तथा उन्हें उनका स्वाधीनता पूर्व पुनर्भुगतान कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में किसी बैंक में अब तक ऐसे खाते रखे गए हैं;

(ग) क्या हिन्द आजाद बैंक द्वारा उन बर्मा शरणार्थियों को ऐसी परिसम्पत्तियों का स्वतन्त्रता पूर्व पुनर्भुगतान कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बर्मा शरणार्थियों को हस्तांतरित अथवा हिन्द, आजाद बैंक में निवेशित ऐसी परिसम्पत्तियों की स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ङ) स्वाधीनता संग्राम की सहायता के लिए संसाधन जुटाने हेतु नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा 1944 में स्थापित आजाद हिन्द बैंक की परिसम्पत्तियों में सोना, जेवर-जवाहिरात और जापानी मुद्रा में नकदी शामिल थी। इन परिसम्पत्तियों को ब्रिटेन ने 1945 में अपनी बर्मा वापसी के बाद अभिगृहीत कर लिया था। बर्मा को स्वाधीनता मिलने के बाद, ब्रिटेन की सरकार ने बैंक और उसकी परिसम्पत्तियां बर्मा की सरकार को सौंप दी थी।

महाराष्ट्र में विस्फोटक बनाने का कारखाना

4256. श्री रामचन्द्र घंगारे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डाइन इण्डिया लिमिटेड को वर्धा जिला, महाराष्ट्र में विस्फोटक बनाने का एक कारखाना लगाने की अनुमति दी थी, यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस कारखाने के लिए भूमि का अधिग्रहण भी किया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या डाइन इण्डिया लिमिटेड ने कारखाने का निर्माण करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र की एक परियोजना मैं० डाइन इण्डिया लि०, बम्बई को

डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग फ्यूजेज, कास्ट बूस्टर्स तथा पी० ई० टी० एन० के विनिर्माण हेतु महाराष्ट्र राज्य के जिला वर्धा, सेलू में औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस दिनांक 30-5-1986 व 25-11-1987 स्वीकृत किये गए जिसका अचल परिसम्पत्तियों में पूंजी निवेश लगभग 1767 लाख रु० हैं। लेकिन इन लाइसेंसों की वैधता क्रमश: 29-5-1988 और 24-11-1989 को समाप्त हो गई।

(ख) प्रस्तावित परियोजना स्थापित करने हेतु 202 हैक्टेयर की भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ग) जिन कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें 60 लाख रु० के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुसार, आयात शुल्क की दरों में प्रतिकूल परिवर्तनों तथा विदेशी मुद्रा की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण, परियोजना लागत काफी बढ़ गई जिससे यह वित्तीय रूप से अजीव्य हो गई है। इसलिए यह कम्पनी प्रस्तावित विनिर्माण सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर सकी।

हरियाणा के आई० ए० एस०/आई० पी० एस० अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

4257. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हरियाणा के कितने आई० ए० एस०/आई० पी० एस० अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) कितने अधिकारियों ने अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी कर ली है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस कोटे में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) 14-7-1992 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या क्रमश: 21 तथा 12 है।

(ख) इनमें से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी अधिकारी ने अपनी अवधि पूरी नहीं की है।

(ग) हरियाणा संवर्ग की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका से पी० एस० एल० वी० सम्बन्धी सामग्री की सप्लाई

42[illegible]. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रक्षेपण यानों में इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरणों व अन्य सामग्री के निर्यात पर नियन्त्रण को और मजबूत करने के अमेरिकी प्रशासन के निर्णय के दृष्टिगत सरकार ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानों में इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी सामग्री को प्राप्त करने के वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों से इस सामग्री का आयात करने के अलावा क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा अन्य सम्बद्ध संगठन इन आवश्यक उपकरणों तथा सामग्री, विशेषकर राकेट मोटरों में इस्तेमाल किया जाने वाला केव्लर फाइबर तथा कार्बन फेनालिक क्लाथ का स्वदेशी निर्माण करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल०वी०) सहित इसरो प्रमोचन राकेट कार्यक्रम पर लगे अमरीकी प्रतिबंध के प्रभाव की समीक्षा की है, तथा वैकल्पिक उपायों की योजना बनायी है। इनमें अन्य देशों से ऐसी सामग्री के आयात के अतिरिक्त इसरो के साथ साथ भारतीय उद्योगों में किए जाने वाले अनुसंधान और विकास प्रयास भी सम्मिलित हैं।

कार्बन फिनालिक क्लाथ के संबंध में, इसरो द्वारा उद्योगों को प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराने पर इसे देश के भीतर ही विकसित करने के लिए कार्रवाई की गई है। इसके परिणाम आशाजनक हैं। जहां तक केवलार फाइबर का संबंध है तो इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (एन०ए०एल०)/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, दोनों ने मिलकर प्रयोगशाला पैमाने पर केवलार 49 के गुणधर्मों के अनुरूप समतुल्य सामग्री विकसित की है। यह प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त उद्योग को अंतरित किए जाने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि का शेयरों में निवेश

4259 : **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की कई कम्पनियां कर्मचारी भविष्य निधि का शेयरों में निवेश करके उसका दुरुपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निजी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) शेयरों में कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश का कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव गैस कार्यक्रम

4260. श्री गुमान मल लोढा
श्री के० राममूर्ति टिंडिव नाम } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के लिए परिवार और सामुदायिक किस्म के कौन-कौन से जैव गैस कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार मल का प्रयोग करके जैव गैस संयंत्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने में कौन-कौन सी समस्याएं हैं ;

(ङ) अन्य परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की तुलना में भारवाही पशु शक्ति से कितने मेगावाट के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है ;

(च) एनीमल ड्राउन मल्टी टूल बार, पशु गाड़ियों के लिए पंचररहित टायर और अन्य उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए गये हैं ; और

(छ) इस प्रयोजनार्थ सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि दी जाएगी ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) : दो अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1892-93 के लिए 1.35 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र और 50 सामुदायिक/संस्थागत और विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्र (सी० बी० पी०/आई० बी० पी०/एन० बी० पी०) लगाए जाने के लक्ष्य का विचार है। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एन० पी० बी० डी०) के लिए लक्ष्य, संलग्न विवरण में दिये गये है। सामुदायिक संस्थागत और विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्रों के राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण राज्य सरकारों और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ परामर्श से किया जा रहा है।

(घ) बायोगैस प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर संवर्द्धन में महसूस की जा रही मुख्य अड़चनों में सीमित संसाधन, संयंत्रों की स्थापना की ऊंची लागत, भरण सामग्री के रूप में गोबर की पर्याप्त उपलब्धता, स्थापना के बाद अपर्याप्त सेवा सुविधाएं, ब्लाक स्तर पर अपर्याप्त संगठनात्मक ढांचा, और सामाजिक समस्याएं विशेषकर सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों के प्रबंधन की समस्याएं हैं।

(ङ) इस धारणा के आधार पर कि एक भारवाही पशु 1/2 अश्व शक्ति के बराबर कार्य कर सकता है और यह कि भारत में लगभग 80 मिलियम भारवाही पशु हैं भारवाही पशुओं से 50 मिलियन अश्व शक्ति के बराबर कार्य किया जा सकता है।

(च) यह विभाग मानव और पशुचालित मशीनों की कुशलता में सुधार और श्रमसाध्य

नीरसता को कम करने के लिए इन मशीनों के विकास और परियोजनाओं को निधियां उपलब्ध करा रहा है। ट्रापीकल्चर, एक बहुउद्देशीय ट्रेलर जो विभिन्न कृषि कार्यों और ग्रामीण परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, का विकास अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है और इसका तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में प्रदर्शन किया गया है। इस प्रौद्योगिक पर क्षेत्र भरण-सामग्री प्राप्त कर ली गई है और आगे अनुसंधान के लिए इसे अनुसंधान संगठन को भेजा गया है।

काटमैन, बंगलौर और कृषि इंजीनियरिंग कालेज त्रिची के कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत बैलगाड़ियों का विकास किया गया है जिन्हें देश के दक्षिणी राज्यों में सफलता पूर्वक प्रदर्शित किया जा रहा है। तह विभाग उन्नत हाथ गाड़ियों, ठेला गाड़ी पत्तों से कम बनाने की मशीन सुलभ पंप, साइकिल, ट्रेलर, हथकरघा पर भी परियोजनाओं का निधियन भी कर रहा है।

(छ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में एच० ए० ई० पी० कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 2.54 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1992-93 के लिए राज्यवार लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एजेंसी	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11000
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	1000
4.	बिहार	3500
5.	गोआ	150
6.	गुजरात	29500
7.	हरियाणा	1900
8.	हिमाचल प्रदेश	3400
9.	जम्मू एवं कश्मीर	100
10.	कर्नाटक	3500
11.	केरल	2000
12.	मध्य प्रदेश	4000

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	10000
14.	मणिपुर	150
15.	मेघालय	75
16.	मिजोरम	120
17.	नागालैंड	100
18.	उड़ीसा	11000
19.	पंजाब	1900
20.	राजस्थान	3000
21.	सिक्किम	100
22.	तमिलनाडु	7500
23.	त्रिपुरा	50
24.	उत्तर प्रदेश	10000
25.	पश्चिम बंगाल	7000
26.	अंडमान एवं निकोबार	5
27.	चंडीगढ़	3
28.	दादर एवं नगर हवेली	5
29.	दमन एवं दीव	2
30.	दिल्ली	10
31.	लक्षदीप	—
32.	पांडिचेरी	20
33.	के० वी० आई० सी०	23500
34.	एन० डी० डी० बी०	300
35.	वन विभाग (मध्य प्रदेश)	100
	जोड़ :	1,35,000

पवन ऊर्जा का उपयोग

4261. डा० आर० मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों और द्वीपसमूह में पवन ऊर्जा का उपयोग करने में विशेष-रूप से कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक स्थान पर कोई प्रदर्शनी यूनिट स्थापित करने का विचार है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय पवन ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें समुद्रतटीय क्षेत्रों तथा द्वीपों सहित देश के विभिन्न भागों में पवन सर्वेक्षण, पवन पम्पों, ग्रिड से जुड़ा तथा अलग विद्युत उत्पादन का कार्य शामिल है। 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पवन सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं तथा बहुत अच्छी वायु वाले स्थलों का पता लगाया गया है। पवन पम्प प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक 2900 पवन पम्प स्थापित किए गए हैं। 9 राज्यों में कुल 43 मे०वा० क्षमता की पवन विद्युत परि-योजनाएं शुरू की गई तथा कुल 19.6 मे०वा० क्षमता की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनमें निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठापन भी शामिल हैं। पूरी की गई परियोजनाओं में से, लगभग कुल 19.6 मे०वा० क्षमता वाले 8 स्थलों पर परियोजनाएं समुद्रतटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में 100 से अधिक पवन बैटरी चार्जर भी लगाए गए हैं। पवन ऊर्जा कार्यक्रम को आठवीं योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

यूनिवर्सल रबर मिल्स में कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि का भुगतान न करना

4262. श्री मुमताज अंसारी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूनिवर्सल रबर मिल्स लिमिटेड, नोएडा, गाजियाबाद द्वारा 1991 से आयकर की चोरी तथा कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि आदि का कर्मचारियों को भुगतान न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जांच के बाद ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी० एम० सी० में अनियमितताएं

4263. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति
श्री अनंतराव देशमुख
श्री आनंदरत्न मौर्य
श्री अवतार सिंह भड़ाना
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता
श्री जसवंत सिंह
श्री पांडुरंग पंडलिक फुंडकर
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1991 की अपनी रिपोर्ट संख्या 11 (वाणिज्यिक) में सी० एम० सी० लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के कार्यक्रम की आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सी०एम०सी० को पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी घाटा हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की वर्ष 1991 की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार सं० 11 (वाणिज्यिक) में सी०एम० सी० लिमिटेड की कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई है न कि इलेक्ट्रानिकी विभाग की। यह रिपोर्ट दिनांक 6 मई, 1992 को सभा पटल पर रख दी गई है।

(ख) सरकार ने नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है तथा सी०एम०सी० लिमिटेड को इस रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(ग) से (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान केवल वर्ष 1990-91 में ही सी०सम०सी० लिमिटेड को 6.76 करोड़ रुपये की हानि हुई। यह हानि दिनांक 1-1-1987 से कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होने के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान करने के कारण हुई। सी०एम०सी० लिमिटेड ने दिनांक 1-1-1992 से लागू होने वाले बकाया राशि के भुगतान का प्रावधान किया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए रिहायसी आवास

4264. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन**
श्री अवतार सिंह भडाना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त रिहायसी आवास हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारियों की पर्याप्त मात्रा में रिहायशी आवास संबंधी आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो पूल के अन्तर्गत रिहायशी मकान हैं और साथ ही इसके अधिकारी दिल्ली के बाहर सामान्य पूल आवास के लिए भी हकदार होते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारियों को दिल्ली में सामान्य पूल में से भी रिहायशी आवास देने पर विचार करने के लिए एक मामला शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विभिन्न स्थानों पर

आवासीय क्वार्टरों को खरीदने/उनके लिए भूमि अधिग्रहण/निर्माण संबंधी प्रस्ताव, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

प्रतिभा पलायन

4265. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि कितने प्रतिभावान व्यक्तियों ने देश से पलायन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारत से कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर/चिकित्सा स्नातक आदि दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं। आई० आई० टी० तथा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चुने हुए स्नातकों के प्रायोगिक अध्ययनो से यह स्पष्ट हुआ है कि अनेक वैज्ञानिक पहली बार उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं तथा उसके बाद लम्बी अवधि की नौकरी ढूंढ़ लेते हैं। अत: विदेश में रुकने का निर्णय लेने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का पता लगाना अत्यन्त कठिन है।

(ग) विदेश में बसे हुए भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को देश में वापिस लौटने के लिए आकर्षित करने के बारे में समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है—

— वैज्ञानिक की पूल स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के अस्थाई नियोजन के लिए व्यवस्था है।

— अधिसंख्य पदों के सृजन के लिए भी व्यवस्था की गई है।

— विदेश से वापस लौटने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को उपकरण आयात करने की सुविधा दी गई है।

— देश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए उनके आवेदनों को शीघ्रता से निपटान करवाने में अनिवासी भारतीयों की सहायता करने की दृष्टि से उद्योग मंत्रालय में एक विशेष सेल खोल दिया गया है।

— विज्ञान के नये एवं अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान जारी रखने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनके द्वारा देश में सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं सहित वैज्ञानिकों के कोड समूह सृजित किए जाते हैं।

— वैज्ञानिकों की कार्यदशाओं में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं को वर्धित प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

— भारतीय मूल के व्यवसायी पुरुषों और महिलाओं को जिन्होंने स्वयं को अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर लिया है और विदेश में बस गए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी तथा उभरते हुए क्षेत्रों में हमारे विकासात्मक प्रयासों में सहायता करने के लिए अल्पावधि तकनीकी नियुक्तियों हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।

कश्मीर घाटी में अफगान मुजाहिद्दीन

4266. प्रो० प्रेम धूमल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीर घाटी में अफगान मुजाहिदीनों के मौजूद होने संबंधी समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अफगानिस्तान के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी तो हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में मुजाहिद्दीन की उपस्थिति की पुष्टि करने से सम्बद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि संबंधी विशेषज्ञ पैनल

4267. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कृषि निर्यात नीति के बारे में सुझाव देने हेतु एक कृषि संबंधी विशेषज्ञ पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया गया था और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ) जी, नहीं। ऐसे "कृषि संबंधी विशेषज्ञ पैनल" का गठन नहीं किया गया है। तथापि योजना आयोग ने 6 दिसम्बर, 1991 को डा० जयंत पाटिल, सदस्य (कृषि) योजना आयोग की अध्यक्षता में कृषि वस्तुओं और संसाधित खाद्यान्न के निर्यात के लिए आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता का अध्ययन करने तथा वैकल्पिक संसाधन प्रयोग परिदृश्य के अन्तर्गत प्रत्येक वस्तु के लिए निर्यात मांग अनुमान और संबंधित आपूर्ति अनुमान प्रदान करने हेतु एक दल का गठन किया था। दल ने 17 फरवरी, 1992 को अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

कश्मीर में मतदान प्रक्रिया का ब्रिटेन द्वारा समर्थन

4268. श्री रवि राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन द्वारा कश्मीर में मतदान प्रक्रिया का समर्थन करने के सम्बन्ध में 6 जुलाई, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि यू० के० ने कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया का पक्ष लिया है जो इस सम्बन्ध में हमारी अपनी नीति के अनुरूप है।

हरियाणा में मरुस्थल विकास कार्यक्रम

4269. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हरियाणा सरकार से मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कतिपय योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा में इस समय चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और अब तक इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को "भूमि विकास", 'जल संसाधन विकास" और "वनरोपण तथा चरागाह विकास" के मुख्य क्षेत्रगत कार्यकलापों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य विविध कार्यकलाप जैसे मछली पालन विकास और पशुधन के लिए पेयजल सप्लाई के कार्य भी किए जाते हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना से अब तक भौतिक उपलब्धियों और खर्च को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 31 मार्च, 1992 तक हरियाणा में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई भौतिक उपलब्धियां और खर्च

	सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90)		1990-91		1991-92	
	भौतिक उपलब्धियां (00 हैक्टेयर)	किया गया भौतिक खर्च (लाख रु० में)	भौतिक उपलब्धियां (00 हैक्टेयर)	किया गया खर्च (लाख रु० में)	भौतिक उपलब्धियां (00 हैक्टेयर)	किया गया खर्च (लाख रु० में)
1. भूमि विकास	155.12	259.89	33.17	71.00	19.06	57.31
2. जल संसाधन विकास	96.91	422.85	9.86	99.63	13.71	74.71
3. वन-रोपण तथा चरागाह विकास	109.87	542.77	20.12	185.57	13.98	199.78

गुजरात में भूमिहीन कृषक

4270. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय भूमिहीन कृषकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की इन कृषकों को भूमि मुहैया कराने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें भूमि कब तक मुहैया कराई जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों में भूमिहीन किसानों की संख्या का कोई अनुमान नहीं लगाया है। तथापि, भारत की जनगणना 1991 रिपोर्ट से यह पता चलता है कि गुजरात राज्य में 32,42,069 कृषि श्रमिक हैं।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार के पास इन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि भूमि का विषय राज्य का होने के कारण केन्द्र सरकार की भूमिका मुख्यतः सलाहकारी और समन्वयकारी है। तथापि, राज्यों को समय-समय पर उपलब्ध अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, सरकारी बंजरभूमि तथा भूदान में मिली भूमि शीघ्रता से वितरण करने की सलाह दी गई है। अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए प्रति हैक्टेयर 2500 रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

कीटनाशकों का उत्पादन

4271. मोहम्मद अली अशरफ फातमी / श्री रामलखन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, देश में कीटनाशकों और कृमिनाशकों के उत्पादन और मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कीटनाशकों/कृमिनाशकों के उत्पादन हेतु पंजीकरण प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में कीटनाशकों और कृमिनाशकों का उत्पादन और मांग नीचे दी जाती है—

वर्ष	लगभग कुल उत्पादन (मी० टन)	अनुमानित मांग (मी०टन) (जैसा कार्यदल द्वारा अनुमान लगाया गया है)
1988-89	66,300	उपलब्ध नहीं
1989-90	71,600	79,482
1990-91	75,000	उपलब्ध नहीं
1991-92	उपलब्ध नहीं	91,040

(ख) कृमिनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कृमिनाशकों और कीटनाशकों के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकरण स्वीकृत किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंजीकरण स्वीकृत करने में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

मुम्बई के लिए केन्द्रीय सहायता

4272. श्री दत्ता मेघे : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अक्तूबर 1991 में मुम्बई की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने योजना आयोग के

उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच मुम्बई में अक्तूबर, 1991 में हुई बैठक में योजना आयोग से मुम्बई की समस्याओं से निपटने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन करने का अनुरोध किया था।

(ग) मुम्बई की समस्याओं से निपटने के लिए फार्मूला-आधारित (नेट) केन्द्रीय सहायता के समग्र आवंटन के तहत वर्ष 1992-93 के लिए राज्य की वार्षिक योजना में निर्दिष्ट किए बिना 50 करोड़ रु० की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

बेरोजगारी बढ़ाना

4273. डा० जयंत रंगपी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1992 के "टेलीग्राफ" में "3.5 पोटेन्शल जाब्स लास्ट इन ए ईयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) कुल बेरोजगारी का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी, गैर-सरकारी क्षेत्रों तथा सरकारी विभागों में रोजगार के कितने अवसर पैदा किए गए हैं?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। शीर्षक था "3.5 मिलियन जाब लास्ट इन ए ईयर"। 1991-92 के दौरान जी० डी० पी० की विकास दर में कमी से रोजगार की विकासदर में भी कमी हो सकती है। किन्तु कितनी कमी हुई है इसका अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग में कोई कार्य नहीं किया गया।

(ख) आठवीं योजना में महत्त्व दिए जाने वाले क्षेत्रों में एक क्षेत्र रोजगार सृजन भी है। आठवीं योजना की रोजगार कार्यनीति के मुख्य घटक कृषि का तेजी से भौगोलिक रूप में विविधीकृत विकास, बंजर भूमि विकास, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का विकास, लघु व विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, ग्रामीण आधार संरचना तथा आवास का विकास और सामाजिक सेवाओं का विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार है। योजना में प्रतिवर्ष औसतन 8 से 9 मिलियन रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होने का अनुमान है।

(ग) अप्रैल, 1992 में लगभग 17 मिलियन लोगों के बेरोजगार होने का अनुमान लगाया गया है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रकों में रोजगार के संबंध में, उपलब्ध सूचना सार्वजनिक क्षेत्रक तथा संगठित निजी क्षेत्रक में रोजगार से संबंधित है तथा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संगठित क्षेत्र में रोजगार*

(लाख रुपए में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी विभाग शामिल है)	निजी क्षेत्र	कुल
31 मार्च, 1989(पी)	185.16	74.70	259.85
31 मार्च, 1990(पी)	187.29	75.90	263.19
31 मार्च, 1991(पी)	189.65	78.54	268.19

पी : त्वरित अनुमान के अनुसार अनंतिम।

*ई० एम० आई० कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्रित किए गए, डी०जी०ई०टी०।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी की बिक्री

4274. प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के राजस्व को पूंजी में परिवर्तित किया गया है तथा इक्विटी की बिक्री से पूर्व इनकी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की परिसम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां तो इन उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के लिए कौन-सा तरीका अपनाया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयर सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, सांझा कोषों तथा व्यापारिक बैंकों को समूहों (बण्डलों) के रूप में नीलाम किए गए थे। हालांकि ऐसे उपक्रमों के शुद्ध राजस्व को आरक्षित निधि तथा अधिशेष के रूप में पूंजीकृत किया गया है फिर भी उनके सामान्य शेयरों की बिक्री से पूर्व उनकी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

भारत और सिंगापुर के बीच "ट्रेड कारीडार"

4275. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा सिंगापुर के बीच "ट्रेड कारीडॉर" बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव का उद्देश्य सिंगापुर की कंपनियों से पूंजी निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से किसी चुनिंदा स्थान पर आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा उन्नयन करना है ।

श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा

4276. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा देने का कोई नियम है जिनकी मृत्यु काम करते हुए हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुआवजे का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार का यह समय-सीमा कम करने का विचार है; और

(ङ) क्या उन श्रमिकों को भी कोई मुआवजा दिया जाता है जिन्हें काम करते हुए चोट लग जाती है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां, बशर्ते कि कर्मकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अथवा कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत शामिल किया गया हो ।

(ख) कार्य के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु हो जाने पर मृतक कर्मकार के आश्रित को दी जाने वाली मुआवजे की राशि इस प्रकार है :

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत मृतक कर्मकार की औसत दैनिक मजदूरी के लगभग 70% की दर से मासिक पेंशन ।

(2) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मृतक कर्मकार की मासिक मजदूरी के अधिनियम के अनुच्छेद IV में दिए गए संगत सूत्र से गुणा करके 40% की दर पर एकमुश्त मुआवजा; बशर्ते कि यह कम से कम 20,000/- रु० हो । यदि कर्मकार की मासिक मजदूरी, 1000 रु० से अधिक है तो उसकी मासिक मजदूरी केवल 1000 रु० मानी जाएगी ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत, लाभ तीन माह के अन्दर दिया जाता है/देय है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत, मुआवजा उसी समय देना अपेक्षित है जैसे ही यह देय हो ?

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, हां ।

[अनुवाद]

असम में बायोगैस संयन्त्र और सौर ऊर्जा केन्द्र

4277. श्री उद्धव बर्मन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अब तक स्थान-वार कितने बायोगैस संयंत्र और सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान असम में ऐसे कितने संयंत्र/केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय बायो गैस विकास परियोजना के अंतर्गत 1981-82 से जून, 1992 की अवधि के दौरान असम राज्य में 18 जिलों के बड़ी संख्या में गांवों में कुल लगभग 10,800 बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। असम राज्य में अब तक कोई सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया।

(ख) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत असम के राज्य नोडल विभाग के 1000 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1992-93 के दौरान असम में कोई सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, लागत भागेदारी योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सौर तापीय प्रणालियों के लिए 365 वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र की स्थापना और 50 सौर कुकरों के वितरण की व्यवस्था है।

(ग) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अधीन 1992-93 के दौरान पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु नियत लक्ष्य के लिए असम राज्य को वित्तीय सहायता देने के वास्ते बजट में पर्याप्त व्यवस्था है। अलग योजनाओं के अंतर्गत 1992-9 हेतु असम के लिए सौर तापीय प्रणालियों के लिए 4.0 लाख रुपए और सौर कुकरों के वितरण के लिए 8.250/- रुपए की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

4278. श्री सत्य देव सिंह : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में कितनी मात्रा में अपारम्परिक ऊर्जा उपयोग में लाई जा रही है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) (क) और (ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश

में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के अनुसंधान, विकास प्रदर्शन और प्रसार के कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन स्वायत्त संस्थाओं और अनुसंधान संगठनों के अलावा राज्य सरकारों और राज्य नोडल एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन और उपभोग के लिए योजना तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के प्रस्तावित स्थापना कार्य का विवरण, संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की स्थिति संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान प्रस्तावित अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना

क्रम सं०	कार्यक्रम/प्रणाली	यूनिट	अनंतिम लक्ष्य 1992-93
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	संख्या	10,000
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्र	मी³	925
3.	उन्नत चूल्हे	संख्या लाख में	3,00
4.	सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियां	संग्राहक क्षेत्र वर्ग मी	7,135
5.	सौर कूकर	संख्या	4,000
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी	संख्या	4,600
7.	सौर प्रकाशवोटीय विद्युत संयंत्र	के० डब्ल्यू० पी०	275,968
8.	सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेन	संख्या	1,400
9.	पवन पम्प	संख्या	50
10.	गहरे कूप पवन पम्प	संख्या	20
11.	पवन एरोजनरेटर (लघु)	कि०वा०	128
12.	मिनी-माइक्रो जल विद्युत परियोजनाएं	कि०वा०	925
13.	उन्नत हाइड्रो घराट	संख्या	50

विवरण-2

उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई विभिन्न प्रकार की अपार ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की स्थिति

क्रम सं०	कार्यक्रम	यूनिट	समग्र उपलब्धि
1	2	3	4
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	संख्या लाख में	2.00
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	116
3.	उन्नत चूल्हे	संख्या लाख में	15.01
4.	औद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियां	संख्या	550
5.	घरेलू सौर जल तापन	संख्या	255
6.	सौर वायु तापन प्रणालियां	संख्या	27
7.	सौर काष्ठ भट्टियां	संख्या	32
8.	सौर भभके	संख्या	586
9.	सौर कुकर	संख्या 000 में	21.29
10.	वे गांव जिन्हें प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी उपलब्ध कराई गई	संख्या	305
11.	प्रकाशवोल्टीय जल पंप	संख्या	305
12.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत इकाई	के० डब्ल्यू० पी०	87.18
13.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक टी०वी०/रोशनी प्रणालियां	संख्या	205
14.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी एकक	संख्या	5499
15.	पवन पम्प	संख्या	300
16.	पवन बैटरी चार्जर/एरोजनरेटर (लघु)	कि०वा०	69.40
17.	मिनी/माइक्रो जल विद्युत	संख्या	35
18.	ऊर्जाग्राम सर्वेक्षण	संख्या	460
19.	ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं	संख्या	47
20.	बायोमास गैसीफायर/स्टर्लिंग इंजिन	संख्या	34

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं

4279. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में चल रहे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई अनियमितताओं की कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसी जांच की गई है और इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) भारत सरकार को विभिन्न राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई अनियमितताओं के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में लिग्नाइट पर आधारित विद्युत संयंत्र

4280 श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जयकोंडम प्रस्तावित लिग्नाइट पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अक्तूबर, 1991 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और मैसर्स मैकनेलो भारत इंजीनियरिंग के बीच संयुक्त क्षेत्र के उद्यम के जरिए तापीय विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए जयमकोन्डा/चोलापुरम क्षेत्र में लिग्नाइट का खनन किए जाने का अनुमोदन दिए जाने का अनुरोध किया था। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के अंतर्गत कोयले/लिग्नाइट का निजी क्षेत्र में खनन कार्य किए जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु इस अधिनियम में ग्रहीत विद्युत उत्पादन के लिए कोयले/लिग्नाइट के खनन क्रियाकलापों को अनुमति दिए जाने के लिए उपयुक्त विधेयक के जरिए संशोधन किया जा रहा है। अधिनियम और संगत नियमों में उपर्युक्त रूप से संशोधन किए जाने के बाद तमिलनाडु राज्य सरकार का निजी/संयुक्त क्षेत्र में ग्रहीत तापीय विद्युत गृह का उत्पादन किए जाने के लिए लिग्नाइट का दोहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने के बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

किन्तु भारत सरकार, कोयला मंत्रालय ने राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा तापीय विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए नयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के पट्टेदारी क्षेत्र से बाहर जयमकोन्डा-

चोलापुरम क्षेत्र में लिग्नाइट के भण्डारों का दोहन किए जाने के लिए सैद्धान्तिक रूप में राज्य सरकार को अपनी अनापत्ति संबंधी सूचना प्रेषित कर दी है।

राज्य सरकारों द्वारा संसाधनों का जुटाया जाना

4281. श्री के० प्रधानी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से संसाधन जुटाने हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपरंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने से संबंधित उपायों में बजट उपाय (कर और गैर-कर) राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा क्रमशः टैरिफ और किराए-भाड़ों में वृद्धि करना, महंगाई भत्ते को रोकना तथा खर्च में किफायत करना शामिल है।

अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी महासंघ की रैली

4282. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955, की अवधि बढ़ाने के विरोध में अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी महासंघ ने 28 जुलाई, 1992 को दिल्ली में रैली आयोजित करने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के उपबंधों तथा उन्हें 31-8-92 के बाद जारी रखने के विरोध में 28-7-1992 को नई दिल्ली में रैली का आयोजन किया गया था। उक्त उपबंधों की वैधता की अवधि को बढ़ाने से संबंधित मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है। इस संगठन के विचारों तथा इससे पूर्व सरकार को अन्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को नोट कर लिया गया है।

जीव अंगों की पेटेंटिंग

4283. श्री मनोरंजन भक्त
श्री चार्ल्स फर्नान्डीज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियां और विकसित देशों की सरकारें जीव अंगों पर पेटेंटिंग लागू करने का प्रयास कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में देश के हितों की रक्षा करने के लिए कोई उपाय किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बहु-पक्षीय व्यापार समझौता वार्ताओं के चल रहे उरूग्वे दौराके तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार-सम्बद्ध पहलुओं संबंधी समझौता वार्ता समूह में सामान्यत: विकसित देश जीव अंगों से संबंधित अन्वेषणों के लिए पेटेंट संरक्षण की व्यवस्था करने पर जोर देते हैं। महानिदेशक, व्यापार तथा टैरिफ संबंधी सामान्य समझौता (गैट) द्वारा रखे गए समझौता प्रस्ताव में यह व्यवस्था है कि सदस्य देश कुछ शर्तों पर पौधों तथा पशुओं और पौधों तथा पशुओं के उत्पादन के लिए अनिवार्य बायोलोजीकल प्रक्रियाओं को पेटेंट एबिलिटी (एकस्वता) से निकाल सकते हैं। परन्तु पौधों तथा पशुओं के उत्पादन के लिए सूक्ष्म अंगों तथा गैर-बायोलोजीकल एवं माइक्रो-बायोलोजीकल प्रक्रियाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। यह भी व्यवस्था है कि इस स्थिति की दिव्य समझौते के लागू होने के चार वर्ष के बाद समीक्षा की जायेगी।

(ख) और (ग) : भारत में पेटेंटों को शामिल करने वाले कानून अर्थात् पेटेंट अधिनियम 1970 के अधीन जीव अंग पेटेंट योग्य नहीं हैं। इस अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी विभाग में समान पेंशन योजना

4284. डा० विश्वनाथम् कैनिथी
श्री सुदर्शन राय चौधरी
श्री अनिल बसु

} क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी विभागों में समान पेंशन योजना शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 रेलवे कर्मचारियों तथा सशस्त्र सेना कर्मियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों के पेंशन योग्य कर्मचारियों पर लागू होती हैं। रेलवे कर्मचारी अलग नियमों से शासित होते है परन्तु ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में दिए नियमों के ही अनुरूप हैं। किन्तु, सशस्त्र सेना कार्मिकों पर लागू विभिन्न सेवा शर्तों के कारण उन पर लागू नियमों में स्पष्ट अन्तर है। उपर्युक्त श्रेणियों के सभी कर्मचारियों पर एक समान पेंशन नियम लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय मूल के लोग

4285. श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर होने वाले हमलों से उनके हितों तथा कल्याण की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री आर० एल० भाटिया) : भारतीय मूल के लोगों पर हमला होने की वारदातें जब भी संबंधित भारतीय मिशनों के ध्यान में आती हैं तो वे उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाते हैं ताकि प्रभावित लोगों के हित-कल्याण की हिफाजत का सुनिश्चय किया जा सके।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

4286 श्री हाराधन राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों में कई दुर्घटनाएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो खान-वार कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई और वे किस किस्म की थी;

(ग) प्रत्येक मामले में दुर्घटना का क्या कारण है;

(घ) कितनी दुर्घटनाएं घातक तथा गम्भीर साबित हुई;

(ङ) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के आंतरिक सुरक्षा संगठन की दुर्घटनाओं से बचाव व होने देने में कोई भूमिका रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कई कोयला खानें बंद कर दी गई हैं; और

(ज) यदि हां, तो कंपनीवार ऐसी कितनी खानों की संख्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) से (घ) जनवरी से जून, 199 की अवधि के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में हुई मृत्यु की दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

तारीख	खान	मृत्यु की दुर्घटना	कारण
1	2	3	4
21-1-92	पापापुरा-II	1	छत गिरना
11-2-92	नाबा कजोरा	1	हवा में विस्फोट
15-2-92 जो दिनांक 4-7-92 को मृत्यु की दुर्घटना हो गई।	दुलारबंद	1	हालेज
24-2-92	खास कजोरा	1	हालेज

1	2	3	4
26-2-92	राजमहल	1	विद्युत पोल से गिरना
14-3-92	दुलारबंद	1	छत गिरना
21-3-92	खुदिया ओ० का०	1	हैम
22-3-92	झांझरा 1/2	1	छत गिरना
26-3-92	परासिया 6/7 इंक्ला०	1	रेत बंकर
7-4-92	राजमहल ओ० का०	1	हैम
11-4-92	बंसरा ओ० का० प०	1	हैम
20-4-92	तीरथ	1	शैफ्ट में केज द्वारा
7-4-92	बंकोला	1	छत गिरना
8-5-92	चिनाकुरी-II	1	साइड गिरना
9-5-92	के० के० ओ० का० प०	1	वाटर टैंकर का पलटना
8-6-92	पाण्डवेश्वर	1	केज द्वारा टकराना
13-6-92	परबेलिया	1	हैम
15-6-92	शंकरपुर ओ० का०	1	हैम

इसके अलावा 57 गंभीर रूप से दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 62 व्यक्तियों को चोटें आईं।

(ङ) और (च) कंपनी का आंतरिक सुरक्षा संगठन एक नियमित रूप से प्रचालित सुरक्षा लेखा परीक्षा के जरिए दुर्घटनाओं को रोकने पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करता है और यह कोयला खानों में सुरक्षा से संबंधित सांविधिक उपबंधों का सख्ती से अनुपालन का सुनिश्चय करता है।

(छ) और (ज) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में वर्ष 1992 के दौरान आर्थिक कारणों से केवल एक ही खान को बंद किया गया है।

पंजाब में औद्योगिक एककों के लिए आवेदन-पत्र

4287. श्री कमल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उद्योग लगाने के लिए केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1992 तक प्रति वर्ष, कितने आवेदन-पत्र मिले हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया और कितनों को अस्वीकृत किया गया;

(ग) इन आवेदन पत्रों को इतने लम्बे समय तक लम्बित रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) निम्नलिखित तालिका में पिछले तीन वर्षों में पंजाब में उद्योग लगाने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या और उनकी निपटान स्थिति बताई गई है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत	नामंजूर/अन्यथा निपटाये गए (30-6-1992 को)	शेष
1989-90	170	58	97	15
1990-91	102	24	53	25
1991-92	40	11	27	2

(ग) अलग-अलग मामलों का निपटान विनिर्माण की मद के लिए संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय तथा सक्षम तकनीकी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई नीति पर निर्भर करता है।

(घ) लंबित पड़े आवेदनों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों और अन्य तकनीकी प्राधिकरणों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करके नियमित निगरानी की जाती है।

नमक उद्योग में संकट

4288. **श्रीमती भावना चिखलिया**
श्री रति लाल वर्मा
श्रीमती सुखबिन्द्र कौर सीधा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने तथा इसकी मांग स्थिर रहने से इसका भारी स्टॉक एकत्र हो गया है जिसके कारण नमक उद्योग में संकट पैदा हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नमक की मांग की तुलना में इसके उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नमक उद्योग की सहायता के लिए सरकार क्या उपचारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) नमक का अधिक मात्रा में उत्पादन होने तथा इसकी मांग स्थिर रहने से नमक उद्योग में कोई संकट नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक उत्पादन और निर्गम के आंकड़े इस प्रकार हैं

वर्ष	उत्पादन (मी० टन लाख में)	निर्गम
1989	98 7	93.56
1990	124.00	104.07
1991	123.94	110.00

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बांग्लादेश से होकर पारगमन सुविधा

4289. डा० सुधीर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश से होकर जाने के लिए पारगमन सुविधा हेतु अनुरोध बांग्लादेश से किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश इस मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (घ) सरकार ने हमारे उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए बांग्लादेश में मार्गस्थ सुविधा देने हेतु बांग्लादेश की सरकार से अनुरोध किया है। इस मामले पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं।

औद्योगिक नीति की पुनरीक्षा

4290. श्री सुदर्शन राय चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं केन्द्रीय श्रमिक यूनियनों ने केन्द्रीय सरकार से अपनी औद्योगिक नीति की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु एककों को प्रोत्साहन

4291. श्री धर्मण्णा मौंडय्या सादुल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष तथा आठवीं योजना के दौरान लघु एककों को, उत्पाद

उपकर में छूट देकर तथा वित्तीय संस्थाओं से कम दर पर ऋणों के भुगतान की सुविधा प्रदान कर और अधिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) सरकार द्वारा 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीति पैकेज में लघु, अति लघु और ग्राम उद्यमों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने संबंधी प्रोत्साहनों का उल्लेख पहले ही कर दिया गया है।

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, विजयपुर, मध्य प्रदेश का विस्तार

292. श्री दिग्विजय सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, विजयपुर (मध्य प्रदेश) की क्षमता दुगुनी करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु अभी भी लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन० एफ० एल०) ने अपनी विजयपुर उर्वरक संयंत्र की क्षमता को दुगुनी करने का प्रस्ताव किया है। उनसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

पाकिस्तानी प्रधान मंत्री द्वारा कश्मीर पर दिया गया वक्तव्य

4293. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए कश्मीर को मुक्त कराने संबंधी वक्तव्य की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे को उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (घ) सरकार अनेक अवसरों पर पाकिस्तान सरकार को यह बताती रही कि भड़काने वाले वक्तव्य जनता को केवल हिंसा के लिए दुष्प्रेरित ही कर सकते हैं और ये विश्वास पैदा करने के माहौल के अनुकूल नहीं है। ये वक्तव्य हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप हैं। तथा द्विपक्षीय सम्बन्धों के माहौल को दूषित करते हैं।

[हिन्दी]

दुर्घटना मुआवजा

4294. श्री रामलखन सिंह यादव
श्री काशीराम राणा } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि उद्योगों में हर दुर्घटना में अलग-अलग होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए और यह सुनिश्चित करने हेतु कि मृतक के निकट संबंधी को समान राशि के मुआवजे का भुगतान किया जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) से (ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1929 में कर्मकारों/उनके आश्रितों की दुर्घटना द्वारा मृत्यु/जख्मी हो जाने के लिए प्रतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, दुर्घटना के समय कर्मकारों की उम्र और मजदूरी तथा दुर्घटना के प्रभावों, अर्थात् दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु या अस्थायी या स्थायी विकलांगता हुई है या नहीं, को ध्यान में रखते हुए प्रतिपूर्ति की राशि निर्धारित की जाती है। इस अधिनियम की अनुसूची-III में सूचीबद्ध किसी भी रोग की चपेट में आ जाने को भी दुर्घटना द्वारा हुई चोट माना गया है। प्रतिपूर्ति निर्धारित करने की यह पद्धति निष्पक्ष और उचित समझी गयी है और इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भविष्य निधि का भुगतान न किया जाना

4295. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने उपक्रम कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के भविष्य निधि का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य निधि के अंशदान का समय पर भुगतान कराने के लिए सरकार क्या कारवाई करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण भविष्य निधि अंशदान की अदायगी में 78 (अठहत्तर) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चूककर्ता होना सूचित किया गया है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कारंवाई की गई है, जिसमें भविष्य निधि देयों की समय पर अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वसूली तंत्र की स्थापना करने और बैंक खातों/सम्पत्ति को जब्त करने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

मारुति उद्योग लिमिटेड के विस्तार के लिए समझौता

4296. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने और आगे विस्तार हेतु सुजुकी कंपनी (जापान) के लिमिटेड के साथ हाल ही में कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड की विस्तार परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, बशर्ते कि उसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुमोदन प्राप्त हो जाए। इस परियोजना में प्रतिवर्ष 70,000 वाहनों की क्षमता-विस्तार और एक नई कार की शुरुआत शामिल है। इस नई कार के करार पर सुजुकी मोटर कारपोरेशन और मारुति उद्योग लिमिटेड ने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

प्रति व्यक्ति योजना व्यय

4297. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति व्यक्ति योजना व्यय का राष्ट्रीय औसत कितना है तथा राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत योजना व्यय कितना है और इस संबंध में छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत की तुलना में राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत योजना व्यय प्रतिशतता में लगातार कमी आ रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्यों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन कराने का है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) राजस्थान का छठी व सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में योजना व्यय का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत तथा प्रति व्यक्ति औसत योजना व्यय और इसके परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों का प्रतिशत नीचे दिया गया है।

प्रति व्यक्ति योजना व्यय

(रुपयों में)

	छठी योजना	सातवीं योजना	छठी योजना की तुलना में सातवीं योजना के प्रति व्यक्ति योजना व्यय में वृद्धि का प्रतिशत
राजस्थान	589	772	31·07
राष्ट्रीय औसत— राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं (केन्द्रीय योजना को छोड़कर)	706	1142	61·76
प्रति व्यक्ति योजना व्यय आकलित करने के लिए प्रयोग किया गया जनसंख्या अनुमान	1983	1987	

(ख) आठवीं योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता आबंटित करने के लिए मुखर्जी फार्मूला 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में समुचित चर्चा तथा विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इस मामले को पुनरीक्षित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वास

4298. श्री अवधभुआ प्रसाद सुमन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) इस संबंध में प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) कितने बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के (1989-90 से 1991-92 तक) के दौरान बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय-प्रायोजित के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को प्रदान की गयी केन्द्रीय अनुदान राशि केन्द्रीय सहायता के हिस्से के रूप में तथा पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई केन्द्रीय अनुदान राशि (रु० लाखों में)	पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या
1989-90	48.84	580
1990-91	शून्य*	223
1991-92	शून्य*	351

किसी स्वैच्छिक एजेंसी को केन्द्रीय अनुदान प्रदान किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के उद्देश्य के केन्द्रीय अनुदान प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

भारतीय पासपोर्ट अधिनियम सम्बन्धी कानून

4300. श्री जी० एस० सी० बालयोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पासपोर्ट अधिनियम संबंधी कोई कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) जी हां। संशोधन विधेयक का प्रयोजन पासपोर्ट सुविधाओं को बेहतर बनाना और पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघनों को रोकना है।

भारत-फ्रांस वैज्ञानिक परिषद् की संयुक्त परियोजनाएं

4301. श्री रामकृष्ण कुसमरिया
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्री नरेश कुमार बालियान
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-फ्रांस उन्नत अनुसंधान संवर्धन केन्द्र की वैज्ञानिक परिषद् ने दीर्घावधि संयुक्त परियोजनाओं के रूप में अनुसंधान के 13 प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बीच परियोजनाओं के इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिक तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। भारत-फ्रांस उन्नत अनुसंधान संवर्धन केन्द्र की वैज्ञानिक परिषद् ने इन क्षेत्रों के अंतर्गत सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगाया है। परिषद् मूलत: 13 प्रघात (थ्रस्ट) क्षेत्रों का पता लगाया है। यह सूची अब संशोधित की जा चुकी है तथा इसका 15 क्षेत्रों तक विस्तार कर दिया गया है।

(ख) पता लगाये गए प्रघात क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

1. शुद्ध और अनुप्रयुक्त गणित।
2. सैद्धांतिक कम्प्यूटर विज्ञान ; प्राकृतिक भाषा प्रक्रियण ; कम्प्यूटर प्रणालियां।
3. कोशिकीय तथा अणुजैविकी/आनुवांशिकी, आनुवंशिकी इंजीनियरी ; आयुर्विज्ञान तथा सस्य विज्ञान में अनुप्रयोग सहित जैव प्रौद्योगिकी।
4. आयुर्विज्ञान, महामारी विज्ञान, रोग प्रतिरक्षण विज्ञान, विषाणु विज्ञान, नये टीकों तथा नये औषधों का विकास, जैव-आयुर्विज्ञान इंजीनियरी अर्थात् कृत्रिम साधनों का डिजाइन)।
5. जैविकीय सक्रिय यौगिकों के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक उत्पादों का रसायन, कृषि रसायन।
6. उत्प्रेरण—विज्ञान और इंजीनियरी।
7. तरल अन्तरापृष्ठ विज्ञान।
8. पदार्थ विज्ञान तथा इंजीनियरी उन्नत मृत्तिकाशिल्प, सम्मिश्र, बहुलक।
9. दुर्लभ मृदा।
10. ताराभौतिक तथा रेडियो खगोल विज्ञान।
11. जैव भौतिकी, भूमंडल—जीवमंडल।
12. दूरसंवेदन।

13. जल संसाधन।

14. अर्धचालक भौतिकी, प्रकाशित इलैक्ट्रानिकी, सूक्ष्म इलैक्ट्रानिकी,

15. पृथक्करण विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

(ग) और (घ) : इन प्रधान क्षेत्रों में प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को भारत-फ्रांस उन्नत अनुसंधान संवर्धन केन्द्र की वैज्ञानिक परिषद द्वारा उचित मूल्यांकन एवं स्वीकार किए जाने पर भारत सरकार तथा फ्रांस सरकार की स्वीकृति के पश्चात् कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बीड़ी मजदूर कल्याण कोष से चलने वाले अस्पताल

4302. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन स्थानों पर बीड़ी मजदूर कल्याण कोष से अस्पताल चलाये जा रहे हैं और प्रत्येक अस्पताल में कितने बिस्तर हैं;

(ख) क्या इन अस्पतालों में कुप्रबंध के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) इस समय बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत दो अस्पताल, एक 50 बिस्तरों वाला टी॰बी॰ अस्पताल करमा (बिहार) में तथा दूसरा 10 बिस्तरों वाला मैसूर (कर्नाटक) में, कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : पिछले कुछ समय से इन अस्पतालों की अव्यवस्था के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। जब कभी किसी प्रकार के आरोप प्राप्त होते हैं तो क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त को उस बारे में जांच-पड़ताल करने को कहा जाता है।

कागज का आयात

4303. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने कागज का आयात किया गया ;

(ख) यह आयात किन-किन देशों से किया गया था ;

(ग) क्या सरकार का विचार कागज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है : और

(घ) यदि हां, इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) । (क) 1988-89 से दिसम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान आयातित कागज गत्ते, और इनके उत्पादों की कुल अनुमानित मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष		मात्रा (मी० टन में)
1988-89		36776
1989-90	—	604:8
1990-91	—	46700
अप्रैल "91" से		
दिसम्बर "91"	—	27144

(ख) कागज, गत्ते और इनके उत्पादों का आयात मुख्यतया चीन गणराज्य, जापान, सिंगापुर आस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जर्मनी, यू०के०, अमेरिका आदि से किया गया था।

(ग) और (घ): सामान्य किस्म के कागज और गत्ते के मामले में हमारा देश लगभग आत्म निर्भर है। आयात विशेष प्रकार के कागज का ही किया जाता है। कागज उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से (खोई, कृषि अपशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्चे माल से बनी लुगदी के न्यूनतम 75% पर आधारित) कागज एककों को कुछ शर्तों पर नयी औद्योगिक नीति में लाइसेंस मुक्त किया गया है। लिखाई और छपाई के कागज और बिना लेप के क्राफ्ट कागज, जिसमें खोई से बनी लुगदी का वजन 75% से कम न हो का निर्माण उत्पादन शुल्क से मुक्त है। रद्दी कागज और लुगदी का आयात सीमा शुल्क को कम दर पर करने की अनुमति है।

[अनुवाद]

कपड़ा मिलों में ठेका मजदूर

4304. श्री छीतू भाई गामीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सूरज की कपड़ा मिलों में ठेके के आधार पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या मिल मालिकों और कंपनियों के विरुद्ध श्रम कल्याण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

4305. आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कितने शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं ;

(ख) किन-किन राज्यों में अत्यधिक बेरोजगारी है ;

(ग) इन राज्यों में दोनों श्रेणियों के कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार हैं ;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) कर्मचारियों और श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और सरकार की नई आर्थिक नीति के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1991 जनगणना के दौरान इस संबंध में एकत्रित आंकड़ों को तैयार किया जा रहा है।

(घ) सातवीं योजना अवधि में रोजगार मुहैय्या कराये गये लोगों की संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1983 तथा 1987-88 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा रोजगार तथा बेरोजगारी पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 1983 तथा 1987-88 के बीच सामान्य मूल रोजगार स्थिति में 32.1 मिलियन की नियत वृद्धि का अनुमान है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष औसतन 8 से 9 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) सरकार ने आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के फलस्वरूप बेकार हुए श्रमिकों के पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन की लागत को कवर करने के लिए तथा किसी औद्योगिक इकाई के पुनर्गठन से प्रभावित श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए सहायता के जरिए श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की गई है।

विक्रम सीमेंट कारखाने से प्रदूषण

4307. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में स्थित विक्रम सीमेंट कारखाने में प्रदूषण नियंत्रणउपकरण नहीं लगाए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कारखाने से उड़ने वाली धूल के कारण सीमेंट कारखाने के कर्मचारियों और निकटवर्ती क्षेत्रों के कृषकों को फेंफड़ों से संबंधित बीमारियां हो रही हैं ; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : क) और (ख) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की विक्रम सीमेंट फैक्टरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग कर रही है।

(ग) और (घ) : इस संबंध में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

4308. श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के कृत्य क्या है ;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किन-किन कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को कितना अनुरक्षण अनुदान दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई०आई०पी०ए०) के कार्य—भारतीय लोक प्रशासन संस्थान एक स्वायत्त संस्था है जो मुख्यतः लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण अनुसंधान तथा परामर्श विषयक कार्यकलापों के आयोजन से संबद्ध है। इसके कार्यक्षेत्र में प्रकाशन और प्रकरण परिशीलन (केस स्टडीज) के कार्यक्रम भी शामिल हैं।

इस संस्था के संस्थापन ज्ञापन में निरूपित संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) लोक प्रशासन तथा अर्थ व्यवस्था और राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था करना और उसे बढ़ावा देना विशेषरूप से लोक प्रशासन तथा सरकारी तंत्र और तत्संबंधी शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में ;

(2) लोक प्रशासन तथा सरकारी तंत्र के संबंधित विषयों के अध्ययन पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यानों और अनुसंधान के आयोजन की व्यवस्था करना;

(3) लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण विषयक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए पत्रिका शोध पत्रों तथा पुस्तकों के प्रकाशन का आयोजन व व्यवस्था करना ;

(4) लोक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से पुस्तकालयों तथा सूचना सेवाओं की स्थापना एवं उनका संचालन तथा तत्संबंधी सूचना का प्रसारण ;

(5) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में प्रमुख केन्द्रों पर क्षेत्रीय शाखाएं खोलना या खुलवाना ; और

(6) लोक प्रशासन के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए अनुमोदित संस्थाओं तथा निकायों के साथ सहयोग करना।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने 47 कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को वर्ष 1990-91 के दौरान अनुरक्षण सहायता अनुदान के रूप में 113.58 लाख रुपये की राशि दी है।

(घ) इस अनुदान के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुदान

संकाय तथा स्टाफ के	वेतन और भत्ते	82.70 लाख रुपए
अन्य खर्चों के लिए		14.41 लाख रुपए
जोड़		97.21 लाख रुपए
शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान		
शहरी अध्ययनों के केन्द्र के लिए		16.37 लाख रुपए
कुल जोड़		113.58 लाख रुपए

विवरण

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली 1990-91 में सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1	2	3
प्रबन्ध विकास कार्यक्रम—I		
(भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित।)		
(क)	**प्रबंध अभिमुखी कार्यक्रम**	
1.	जीरो बेस बजट पर 7वां पाठ्यक्रम	16-21 जुलाई, 1990
2.	प्रबंधकीय वित्त पर 6ठां पाठ्यक्रम	20-25 अगस्त, 1990
3.	अभिप्रेरणा और नेतृत्व पर पहला पाठ्यक्रम	3-8 सितम्बर, 1990
4.	जीरोबेस बजट पर 8वां पाठ्यक्रम	5-10 नवम्बर, 1990
5.	कार्मिक प्रबन्ध पर 15वां पाठ्यक्रम	12-24 नवम्बर, 1990
6.	प्रशासनिक निर्णयों के कानूनी आयाम पर पहला पाठ्यक्रम	3-15 दिसम्बर, 1990
7.	प्रबन्धकीय वित्त पर 7वां पाठ्यक्रम	17-22 दिसम्बर, 1990
8.	आपराधिक न्याय प्रशासन पर 9वां पाठ्यक्रम	7-19 जनवरी, 1991

1	2	3
9.	बजट और वित्त नियन्त्रण पर 28 वां पाठ्यक्रम	14-19 जनवरी, 1991
10.	जनजातीय विकास नीति तथा प्रशासन पर दूसरा पाठ्यक्रम	11-16 फरवरी 1991
11.	संगठनात्मक व्यवहार पर पहला पाठ्यक्रम	18-23 फरवरी, 1991
(ख)	विशेष कार्यक्रम	
1.	लोक प्रशासन में 16 वां अग्रणीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2 जुलाई, 1990 से 30 मार्च, 1991
2.	भारत सरकार के के० स० से० के नामित उप सचिवों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम का 18वां पाठ्यक्रम	10 जुलाई, 1990 से 4 अगस्त, 1990
3.	खाद्य नीति तथा सार्वजनिक वित्त योजना तथा कार्यान्वयन संबंधी द्वितीय अग्रणीय पाठ्यक्रम	20 अगस्त से 1 सितम्बर, 1990
4.	भा० प्र० से० अधिकारियों (17 से 30 वर्ष के अधिकारियों के लिए) के लिए औद्योगिक नीति योजना विकास पर तीन सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	5 से 23 नवम्बर 1990
5.	भा० प्र० से० अधिकारियों (10 से 16 वर्ष की सेवा) के लिए तीन सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	14 जनवरी से 1 फरवरी, 1991

प्रबन्ध विकास कार्यक्रम—II

प्रायोजित कार्यक्रम (अन्य संस्थाओं के अनुरोध पर आयोजित)

1.	सार्क देशों के लिए जनसंख्या मानव संसाधन और विकास आयोजन के लिए आई० एल० ओ० एल० ए० पी० टी० ए०-आई० आई० पी० ए० प्रशिक्षण कार्यालय (आई० एल० ओ० द्वारा प्रायोजित)	2-13 अप्रैल, 1990
2.	भा० पु० सेवा अधिकारियों के लिए (जिले में पुलिस प्रबंध) पर सातवां पारस्परिक संबंध पाठ्यक्रम (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रायोजित)	11-19 मई, 1990
3.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के फील्ड अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के लिए अभिमुखी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित)	25 जून से 20 जुलाई, 1990

1	2	3
4.	भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों के लिए चौथा अभिमुखी कार्यक्रम (भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि विभाग द्वारा आयोजित)	23-28 जुलाई 1990
5.	श्रीलंका प्रबंध विकास संस्थान, कोलम्बो के प्रशिक्षणार्थियों के लिए देशीय जानकारी कार्यक्रम	30 जुलाई से 10 अगस्त 1990
6.	भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए कानून और व्यवस्था प्रबंध पर नौवीं प्रशिक्षण संगोष्ठी (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रायोजित)	10-15 सितम्बर, 1990
7.	युवा क्रिया-कलापों द्वारा सामाजिक विकास का पहला अभिमुखी पाठ्यक्रम (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)	24 सितम्बर से 5 अक्तूबर, 1990
8.	सहभागिता के द्वारा विकास का आठवां पाठ्यक्रम (ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	1-12 अक्तूबर, 1990
9.	दानीबाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजना, मध्य प्रदेश के अधिकारियों के लिए प्रबंध संबंधी पाठ्यक्रम (दानीबाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित)	5-15 नवम्बर, 1990
10.	जनजातीय विकास एवं सत्संबंधी प्रशासन पर तीसरा अभिमुखी पाठ्यक्रम (जनजातीय विकास प्रभाग कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	26-30 नवम्बर, 1990
11.	भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए "भविष्य में पुलिस प्रबंध"—आठवां पारस्परिक संबंध पाठ्यक्रम (भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रायोजित)।	10-15 दिसम्बर, 1991
12.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम (भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रायोजित)।	2-12 जनवरी, 1991
13.	अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन-दूसरा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)	28 जनवरी से 2 फरवरी, 1991

1	2	3
14.	सहभागिता द्वारा विकास नौवां पाठ्यक्रम (भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रायोजित)	4-14 फरवरी, 1991
15.	भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए जिले में पुलिस प्रबंध नौवां पारस्परिक संबंध पाठ्यक्रम (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रायोजित)	4-9 मार्च, 1991
(ख)	सशुल्क पाठ्यक्रम	
1.	"जीरो बेस" बजट संबंधी दृष्टिकोण छठा पाठ्यक्रम	16-20 अप्रैल, 1990
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कल्याण उपाय विषयक प्रशासन—पांचवा पाठ्यक्रम (सरकारी उद्यम ब्यूरो के सहयोग से)।	2-7 जुलाई, 1990
3.	नीति विश्लेषण तथा नैनीताल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रशासन अभिमुखी (उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल के सहयोग से)	8-13 अक्तूबर, 1990
4.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कल्याण उपाय विषयक प्रशासन—छठा पाठ्यक्रम (सरकारी उद्यम ब्यूरो के सहयोग से)।	31 दिसम्बर, 1990 4 जनवरी, 1991
5.	परियोजना प्रबंध—दूसरा पाठ्यक्रम	21-25 जनवरी, 1991
6.	प्रबंधकीय लेखा—बारहवां पाठ्यक्रम	28 जनवरी 8 फरवरी, 1991
7.	निर्णय निर्णायकों के लिए पूर्वानुमान तकनीक—दूसरा पाठ्यक्रम	18-22 फरवरी, 1991
	नगरीय अध्ययन केन्द्र	
1.	नगरीय योजना प्रशासन—13वां पाठ्यक्रम	16-27 जुलाई, 1990
2.	नगरीय विकास प्रबंध—छठा पाठ्यक्रम	20-31 अगस्त, 1990
3.	नगरीय प्रशासन में सतर्कता छठा पाठ्यक्रम	5-14 सितम्बर, 1990
4.	स्लम सुधार प्रबंध—तीसरा पाठ्यक्रम	8-12 अक्टूबर, 1990
5.	नगर परियोजना निरूपण तथा मूल्य निर्धारण दूसरा पाठ्यक्रम	19-23 नवम्बर, 1990

1	2	3
6.	नगरीय योजना हेतु प्रबंध सूचना प्रणाली—चौथा पाठ्यक्रम	3-12 दिसम्बर, 1990
7.	नगरीय जल आपूर्ति प्रबंध—दूसरा पाठ्यक्रम	16-25 जनवरी, 1991
8.	नगरीय परियोजना कार्यान्वयन, प्रबोधन तथा मूल्यांकन—तीसरा पाठ्यक्रम	6-15 फरवरी, 1991
9.	ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंध एवं पर्यावरणीय स्वच्छता—पांचवा पाठयक्रम	18-22 फरवरी, 1991

बल्क औषधों के लिए औद्योगिक लाइसेंस

4309. **श्री महेश कनोडिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बल्क औषधों और फार्मूलेशन नयी औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत आ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) औषध नीति की समीक्षा होने तक प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों को अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया है ताकि इस बात का सुनिश्चित हो सके कि औषधों के निर्माण के लिए मंजूरियां देते समय विद्यमान औषध नीति, 1986 के उपबंधों को समाविष्ट कर लिया गया है :

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्योग

4310. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनिवासी भारतीयों ने मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये उद्योग कहां-कहां स्थापित किये जाएंगे;

(घ) उनके द्वारा राज्य में कितनी पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ये उद्योग कब तक स्थापित कर लिए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) जुलाई 1991 में नयी उदारीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद आज तक विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) को मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापनार्थ अनिवासी भारतीयों से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अर्थात्—

(1) मशीनों के पुर्जे बनाने का कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश के भिलाई इन्डस्ट्रियल एस्टेट में स्थित अपने एकक जिसमें 27.57 लाख रुपये का पूंजी निवेश निहित है, के लिए चेकोस्लोवाकिया/जर्मनी से 15.12 लाख रुपए सी० आई० एफ० मूल्य का पुराना माल आयात करने हेतु श्री प्राण नाथ मेहता का प्रस्ताव; और

(2) हृदय के लिए पेसमेकर्स बनाने के लिए मध्य प्रदेश के जिला धार में स्थित अपने एकक, जिसमें 183.10 लाख रुपये का पूंजी निवेश निहित है, के वास्ते अमेरिका से 79585 अमेरिकी डालर के सी० आई० एफ० मूल्य का पुराना पूंजीगत माल आयात करने हेतु श्री अतुल के० सेठी (मार्फत श्री पेसट्रोनिक्स प्रा० लि०) का एक प्रस्ताव।

उपर्युक्त प्रस्तावों का क्रमशः दिनांक 25-9-91 और 31-12-91 को अनुमोदित किया जा चुका है।

(ङ) आवेदक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, पहले एकक के बारे हैं प्रस्तावित कार्यकलाप जिसमें केवल "जॉब वर्क" अन्तर्ग्रस्त है तथा परियोजना की स्थापना दिसंबर के बाद होने की आशा है जब अनिवासी भारतीय के भारत लौटने की संभावना है। दूसरी परियोजना के बारे में आशा है कि एकक अक्तूबर 1992 में उत्पादन करना आरम्भ कर देगा।

परियोजनाओं का निर्माण

4311. श्री रतिलाल वर्मा
श्री देवी बक्स सिंह : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली निर्धारित समय के अनुसार निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित समय पर पूरा न की जा सकने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) 1 जुलाई, 1992 को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की फ्लेश रिपोर्ट प्रबोधन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक 100 करोड़ रु० तथा उससे अधिक लागत वाली 124 केन्द्रीय परियोजनाएं कार्यान्वियनाधीन हैं। इनमें से, 50 परियोजनाएं निर्धारित समय पर हैं (जिसमें 5 निर्धारित समय से आगे हैं, को मिलाकर) तथा शेष 74 परियोजनाएं अपनी अनुमोदित सीमा के पीछे हैं, इनकी सूची संलग्न विवरण I और में क्रमशः दी गई गई है।

(ग) इनको शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन किया जा रहा है। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी की जाने वाली मासिक रिपोर्टों में संबंधित अभिकरणों द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाई हेतु समस्याग्रस्त क्षेत्रो पर प्रकाश डाला जाता है।

विवरण-1

अनुमोदित समय-सीमा पर केन्द्रीय परियोजनाओं की क्षेत्रवार सूची

(जुलाई, 1992 को प्रत्येक 100 करोड़ रु० तथा उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अभिकरण	चालू होने की अनुमोदित तारीख	चालू होने की प्रत्याशित तारीख
1	2	3	4	5
	कोयला			
1.	जामबाद ओ सी	ई सी एल	03/98	03/98
2.	राजमहल ओ सी	ई सी एल	03/95	12/94
3.	कोट्टाडीह ओ सी/यू जी	ई सी एल	03/98	03/98
4.	सतग्राम यू जी	ई सी एल	03/95	03/95
5.	पीपारवार एकीकृत हितकारी	सी सी एल	03/96	06/95 आगे
6.	दुधीचुआ ओ सी	एन सी एल	03/94	03/93 आगे
7.	निगाही ओ सी	एन सी एल	11/94	11/94
8.	उकनी ओ सी	डब्ल्यू सी एल	03/95	03/95
9.	अनन्ता ओ सी	एस ई सी एल	03/95	03/95
10.	लिंगराज ओ सी (एस ई सी एल)	एस ई सी एल	03/98	03/98
11.	लखनपुर ओ सी	एस ई सी एल	03/96	03/96
12.	कलिंग एकीकृत खान-सह-हितकारी	एस ई सी एल	03/99	03/99
13.	एस टी पी एस-1 जीरो यूनिट, नैवेली	एन एल सी	03/93	03/93
14.	खान-1 का विस्तार	एन एल सी	05/99	05/99
15.	प्रथम टी पी सी का जीवन-काल बढ़ाना	एन एल सी	03/96	03/96

1	2	3	4	5
16.	बरसिंगार लिग्नाईट खान	एन एल सी	05/95	05/95
17.	बरसिंगार लिग्नाईट लिंकड टी पी एस	एन एल सी	06/96	06/96
18.	रामागुण्डम-3 ओ सी	एस सी सी एल	03/95	03/95
19.	गोलेटी लोंगवाल	एस सी सी एल	03/98	03/98
20.	गोदावरी खानी-10 ए इंक लाइन	एस सी सी एल	03/95	03/95
	पैट्रो तथा प्राकृतिक गैस			
21.	एल-2 जलाशय विकास	ओ एन जी सी	04/94	04/94
22.	एल-3 इनफिल डेव० बम्बई/हाई	ओ एन जी सी	09/94	09/94
23.	पन्ना फील्ड विकास	ओ एन जी सी	10/93	10/93
24.	ल्यूब बेस स्टाक प्राडक्शन का विस्तार	एम आर एल	05/93	05/93
25.	सिंपल क्रूड वितरण सुविधा	एम आर एल	10/93	10/93
	विद्युत			
26	फरक्का एस टी पी पी एस टी-3	एन टी पी सी	12/95	12/95
27.	विन्ध्याचल एस टी पी पी एस टी-1	एन टी पी सी	03/91	03/91 बाद
28.	एन सी आर थर्मल पावर एस टी-1	एन टी पी सी	09/93	09/93
29.	गान्धार गैस विद्युत परियोजना एस टी-1	एन टी पी सी	09/95	09/95
30.	कोयल कारो हाइड्रो विद्युत	एन एच पी सी	11/99	11/99
31.	दुलहस्ती हाइड्रो विद्युत	एन एच पी सी	07/94	07/94
32.	सलाल हाइड्रो परियोजना एस टी-2	एन एच पी सी	09/93	09/93
33.	धौली गंगा एच ई पी-1	एन एच पी सी	10/98	10/98

1	2	3	4	5
34.	अतिरिक्त विंध्याचल संचरण प्रणाली-1	एन पी टी सी	09/94	09/94
35.	गान्धार संचरण प्रणाली एस टी-1	एन पी टी सी	09/95	08/95 आगे
	रेलवे			
36.	करूर-डिण्डीगुल-तूतीकोरिन ब्राड गेज-पी	रेलवे	03/95	03/95
37.	भाड़ा परियोजना सूचना प्रणाली	सी आर आई एस	03/95	03/95
38.	रेल कोच फैक्टरी कपूरथला-1	रेलवे	03/92	03/92
39.	तलचर-सम्बलपुर नई ब्राड गेज लाइन	रेलवे	03/95	03/95
40.	नांगलडेम तलवारा ब्राडगेज लाईन	रेलवे	03/95	03/95
41.	जम्मूतवी-ऊधमपुर नई ब्राड गेज लाईन	रेलवे	03/94	03/94
42.	गोधरा-इन्दौर-देवास-मकसी	रेलवे	03/96	03/96
43.	कोंकण रेलवे के आर सी एल	रेलवे	10/94	10/94
44.	सोननगर-पातारतू विद्युतीकरण	रेलवे	10/94	10/94
45.	भिलदी तथा समदारी जोधपुर ब्राड गेज	रेलवे	06/95	06/95
46.	फुलेरा-बीकानेर-मेरता आर डी जी सी	रेलवे	06/95	06/95
47.	सवाई माधोपुर-फुलेरा जी सी/बी जी	रेलवे	06/95	06/95
48.	परभनी-पूरना-कुवरखेड़-आदिलाबाद	रेलवे	03/95	03/95
49.	बंगलौर हुबली (जी सी)	रेलवे	03/95	03/95
50.	गुवाहाटी · लुमडिंग (जी सी)	रेलवे	03/93	03/93

विवरण-2

निलम्बित केन्द्रीय परियोजनाओं की क्षेत्रवार सूची

(1 जुलाई, 1992 को 100 करोड़ रु० तथा उससे अधिक लागत वाली प्रत्येक परियोजनाएं)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अभिकरण	चालू होने की अनुमोदित तारीख	चालू होने की प्रत्याशित तारीख
1	2	3	4	5
परमाणु ऊर्जा				
1.	काकरापार परमाणु विद्युत (1 एवं 2)	एन पी सी	08/92	04/93
2.	राजस्थान परमाणु विद्युत (3 एवं 2)	एन पी सी	11/95	05/97
3.	कैगा परमाणु (विद्युत (1 एवं 2)	एन पी सी	12/95	12/94
4.	नारवा पहार तुरामडीह यूरेनियम परियोजना	यू सी आई एल	1[illegible]/93	12/94
नागर विमानन				
5.	एयर बसों की प्राप्ति ए-320	आई ए	01/92	12/94
कोयला				
6.	पुटकी बलिहारी यू जी	बी सी सी एल	03/94	1[illegible]/95
7.	झरिया ब्लाक-2 ओ सी	बी सी सी एल	03/87	03/93
8.	मधुबंद वाशरी	बी सी सी एल	12/88	03/93
9.	झांजरा यू जी	ई सी एल	03/94	03/98
10.	सोनपुर-बाजारी 'ए' ओ सी	ई सी एल	03/91	03/97
11.	अमलोहरी ओ सी	एन सी एल	03/90	03/93
12.	काकरी ओ सी	एन सी एल	03/87	03/93
13.	खादिया ओ सी	एन सी एल	03/94	03/96
14.	बेल पहार ओ सी	एस ई सी एल	03/94	03/95
15.	400 किलोवाट संचरण प्रणाली एस टी-2	एन एन सी	08/91	12/92

1	2	3	4	5
16.	ए टी पी एस एस टी-2 नेवेली	एन एल सी	02/93	06/93
17.	रामागुंडम-2 ओ सी	एस सी सी एल	03/89	03/93
18.	गोदावरी खानी-2 ए	एस सी सी एल	03/89	03/93
	उर्वरक			
19.	पारादीप उर्वरक फेस-2	पी पी एल	10/90	06/92
20.	हल्दिया उर्वरक	एच एफ सी	04/82	10/82
	खान			
21.	कैप्टिव विद्युत संयंत्र यूनिट-6	एन ए एल सी ओ	10/93	04/94
	इस्पात			
22.	दुर्गापुर संयंत्र का आधुनिकीकरण	सेल	04/ 3	06/94
23.	राउरकेला संयंत्र का आधुनिकीकरण	सेल	04/95	12/95
24.	विशाखापट्टनम	आर आई एन एल	06/90	08/92
	रसायन और पेट्रो रसायन			
25.	महाराष्ट्र गैस क्रैकर परिसर	आई पी सी एल	12/89	07/92
26.	पोलिएस्टर विस्तार परियोजना	पी सी एल	08/92	01/93
	पेट्रोलियम			
27.	नीलम फील्ड विकास	ओ एन जी सी	04/94	07/94
28.	गान्धार विकास फेस-1	ओ एन जी सी	12/90	05/92
29.	अतिरिक्त स्वी० परिष्करण सुविधा	आई ओ सी	05/92	02/93
30.	डिगबोई रिफाइनरी का आधु-निकीकरण	आई ओ सी	09/93	09/94
		आई ओ सी	09/93	09/94
31.	कांडला भटिंडा प्रो० पाइपलाइन	आई ओ सी	05/93	03/94
32.	रिफाइनरी ल्यूब बेस स्टाक विस्तार	एच पी सी एल	12/93	09/94
	विद्युत			
33.	फरक्का एस टी पी पी एस टी-2	एन टी पी सी	03/92	06/93
34.	विंध्याचल एस टी पी पी-2 एक० एक्टि०	एन टी पी सी	11/90	12/92
35.	दादरी गैस विद्युत	एन टी पी सी	01/93	09/93

1	2	3	4	5
36.	कहलगांव एस टी पी पी एस टी-1	एन टी पी सी	07/92	06/94
37.	कवास गैस विद्युत	एन टी पी सी	04/91	09/93
38.	तलचर एस टी पी एस एस टी-1	एन टी पी सी	03/95	04/95
39.	बोकरो बी-2 टी पी पी	डी वी सी	10/85	11/92
40.	मेजिया थर्मल विद्युत	डी वी सी	09/92	12/94
41.	चामेरा हाइड्रो विद्युत	एन एच पी सी	04/90	03/93
42.	टनकपुर हाइड्रो विद्युत	एन एच पी सी	08/88	03/92
43.	उरी हाइड्रो विद्युत	एन एच पी सी	11/95	11/96
44.	रंगित एच ई पी-3	एन एच पी सी	03/95	09/95
45.	दोयांग हाइड्रो विद्युत	एन ई ई पी सी ओ	06/02	07/06
46.	रंगनदी हाइड्रो विद्युत	एन ई ई पी सी ओ	08/94	03/97
47.	कत्थलगुरी जी बी सी सी पी	एन ई ई पी सी ओ	03/92	07/95
48.	नेथपा-झाकरी एच ई पी	एन जे पी सी	04/96	06/98
49.	फरक्का संचरण लाइन एस टी-2	एन पी टी सी	03/91	06/93
50.	रिहन्द संचरण लाइन एस टी-2	एन पी टी सी	03/92	12/92
51.	कहलगांव संचरण लाइन एस टी-1	एन पी टी सी	03/90	03/93
52.	दुलहस्ती संचरण लाइन	एन पी टी सी	07/92	09/94
53.	नेथपा-झाकरी संचरण प्रणाली	एन पी टी सी	04/96	03/98
54.	कत्थलगुरी जी बी सी सी पी लाइन	एन पी टी सी	03/92	12/94
55.	रंगनदी संचरण लाइन	एन पी टी सी	04/92	11/96
	कागज, सीमेंट इत्यादि (डी पी ई)			
56.	नागसे न्यूजप्रिंट मिल	नेपा	10/93	10/94
57.	एक्स रे/चार्ट फिल्मों का विनिर्माण	एच पी एफ	10/91	10/92

1	2	3	4	5
58.	येरागुंतला सीमेंट संयंत्र रेलवे	सी सी आई	04/91	10/94
59.	कलकत्ता भूमिगत	रेलवे	06/91	0 /95
60.	मनखुर्द-बेलापुर लाइन विस्तार	रेलवे	06/91	09/92
61.	मद्रास बीच लुज आर टी एस लाइन	रेलवे	03/94	03/95
62.	जोगी पोपा गुवाहाटी नई लाइन	रेलवे	06/94	12/94
63.	गुना-इटावा नई लाइन	रेलवे	03/94	03/95
64.	कोरापुट-रायगढ़ ब्राड गेज लाइन	रेलवे	03/91	03/93
65.	डीजल संघटक कार्यशाला पटियाला	रेलवे	10/90	06/92
66.	बिलास पुर कटनी रेलवे विद्युतीकरण	रेलवे	03/94	06/94
67.	सोन नगर मुगलसराय-3	रेलवे	03/94	06/95
68.	बीरम गाम मिलदी जी सी नई लाइन	रेलवे	06/95	06/96
	भूतल परिवहन			
69.	एल आर-2 टैंकर (852(0 डी डब्ल्यू टी) की प्राप्ति	एस सी आई	04/93	11/93
70.	फास्फोरिक एसिड माल वाहक 30800 डी डब्ल्यू टी) की प्राप्ति	एस सी आई एस सी आई	02/92 02/92	06/92 06/92
71.	अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस-वे	जी पी डब्ल्यू डी	12/91	12/94
72.	न्हावा शेवा पत्तन	एन एस पी टी	05/89	06/92
73.	दूसरा हुगली पुल	एच आर बी सी	03/92	09/92
	दूर संचार			
74.	विद्युत स्विचिंग प्रणाली	आई टी आई	03/92	03/93

साक्षरता सम्बन्धी समिति

4312. श्री प्यारे लाल जाटव
श्री मृत्युंजय नायक } : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा गठित साक्षरता सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

वेव ऊर्जा संयंत्र

4313. श्री सुधीर सावन्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित वेव ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जिन क्षेत्रों का विशेष रूप से पश्चिमी तट के क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया गया था उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिमी तट पर किन क्षेत्रों को इन संयंत्रों के लिए उपयुक्त पाया गया;

(ग) क्या सरकार का महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग और रत्नगिरि जिलों में ऐसा संयंत्र लगाने का विचार है;

(घ) क्या इन जिलों में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पश्चिमी तट पर केरल में थंगासेरी और कार निकोबार द्वीप समूह में मस पाइंट पर एकीकृत तरंग ऊर्जा संयंत्रों को अधिष्ठापित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

कोयला खानों में माफिया गिरोह

4314. श्री राम टहल चौधरी : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोह अभी तक सक्रिय है;

(ख) सरकार द्वारा इस गिरोह की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने माफिया गिरोह तथा सम्बद्ध अधिकारियों के बीच मिलीभगत के सम्बन्ध में पता लगाया है; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) सामान्यतः

असमाजिक तत्व माफिया के नाम से जाने जाते हैं, जोकि संविदा कार्यों को प्रभावित करने, उधार पैसा देकर श्रमिकों का शोषण करने तथा लदान किए गए रेल वैगनों से कोयले की चोरी करने आदि जैसे गतिविधियों में लिप्त हैं। गुप्त प्रकृति की गतिविधियां होने के कारण उनका स्पष्ट उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

कोयला खनन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा शान्ति बनाए रखने के लिए कोयला कम्पनियों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती।

2. कर्मचारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण।

3. सतर्कता मशीनरी की सुदृढ़ीकरण।

4. बेतार-संचार व्यवस्था में सुधार करना।

5. सड़कों में सुधार करना।

6. कोयला परिवहन का विभागीकरण।

7. स्थानीय प्रशासन के समन्वय से असामाजिक तत्वों का निरोधात्मक रूप में बंदी रखा जाना।

इस सम्बन्ध में असामाजिक तत्वों और कोयला कम्पनी के अधिकारियों के बीच मिली-भगत होने के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला है।

[अनुवाद]

पिट कोयला खनन में निवेश

4315. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मई, 1992 के "टेलीग्राफ" में "ह्यूज इन्वेस्टमेंट आन पिट कोल माइनिंग मेड नो इम्पैक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला खनन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार द्वारा इसमें भारी पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद से मार्च, 1992 तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(घ) देश में इस पूंजी निवेश के कारण कोयला उत्पादन और इसके लागत मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) राष्ट्रीयकरण के बाद से मार्च, 1992 तक कोल इण्डिया लि० में कुल पूंजी निवेश 10,320 करोड़ रु० (अन्तिम) की राशि का विकल्प किया गया है।

(घ) राष्ट्रीयकरण के बाद से उत्पादन और लागत मूल्य में वृद्धि प्रतिशतता क्रमशः 192% और 541% रही है।

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु परियोजना

4310. श्री प्रवीन डेका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन चल रही संस्थाओं का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग तथा शिलांग स्थित इसके क्षेत्रीय मुख्यालय को पूर्वोत्तर राज्यों में परमाणु खनिजों का सर्वेक्षण करने, उनका पता लगाने, पूर्वेक्षण करने, निर्धारण करने तथा मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है। इस समय मेघालय में पश्चिम खासी हिल्स जिले के डोमियासिएट नाजक क्षेत्र में तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अन्य क्षेत्रों में जांच किए जा रहे हैं। ये कार्य अनिवार्यतः भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण स्वरूप के ही हैं।

(ख) गुवाहाटी स्थित डा० बी० बुरुआ कैंसर संस्थान को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है और डिब्रूगढ़ में एक रेडियो इम्यूनो ऐसे केन्द्र काम कर रहा है।

अखिल भारतीय सेवाओं में ग्रामीण उम्मीदवारों का प्रतिशत

4317. श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों से चुने जाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से चुने जाने वाले उम्मीदवारों से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) उम्मीदवारों को ग्रामीण तथा शहरी वर्गों में वर्गीकृत करने के कोई सर्वतः स्वीकार्य मानदण्ड नहीं हैं। संघ लोक सेवा आयोग से सर्वोत्तम उपलब्ध उम्मीदवारों को चुनने की आशा की जाती है तथा इसे सभी पात्र आवेदकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने होते हैं। अतः अखिल भारतीय सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों से चुन गए उम्मीदवारों की प्रतिशतता के बारे में निश्चित सूचना देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

आभूषणों की वापसी पर पुर्तगाल सरकार के साथ करार

4318. श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोवा के लोगों के आभूषणों की वापसी के संबंध में पुर्तगाल सरकार के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) 14 फरवरी 1991 को नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक और लिस्बन के बैंको नेशनल अल्ट्रामरीनों के बीच एक करार सम्पन्न हुआ था जिसके अनुसार जुलाई 1991 में पुर्तगाली प्राधिकारियों ने आभूषण वापस कर दिये थे।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन योजना

4319. श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन योजना के लिए क्या प्रस्ताव किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस मुद्दे पर अपनी पिछली बैठक में विचार-विमर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कोई नई योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज प्रारूप में शामिल नहीं की गई है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने की एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) जैसी प्रमुख चालू योजना को आठवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जाएगा। दूसरी ओर आठवीं योजना के दौरान एकीकृत क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण को भी अपनाया जायेगा। यह इस तर्क पर आधारित है कि विकेन्द्रीकृत आयोजना से गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं पर अच्छा प्रभाव होगा। इस दृष्टिकोण के ब्यौरे आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में शामिल किए गए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 22-23 मई, 1992 को हुई अपनी पांचवीं बैठक में आठवी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज प्रारूप पर विचार-विमर्श किया था। जबकि सामान्यत: इस बैठक में उपरोक्त दृष्टिकोण को समर्थन प्राप्त हुआ था, फिर भी राज्यों के परामर्श से चालू गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में अमूल परिवर्तन करने के लिए भी सहमति व्यक्त की गई थी। यह महसूस किया गया था कि राज्यों को अपने लिए स्कीमों/कार्यकलापों को चुनने में पर्याप्त लोचशीलता दी जानी चाहिए। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामग्री एवं मजदूरी अवयव के बीच अनुपात पर भी ध्यान दिया जाना था। आगे यह नोट किया गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 1991 को हुई बैठक में यह सहमति व्यक्त की गई थी कि भूमि सुधार को कार्य निष्पादन मानदण्ड के रूप में शामिल किया जाए ताकि राज्यों के पास भूमि सुधार को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन हो।

[हिन्दी]

नई आर्थिक नीति का प्रभाव

4320. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई आर्थिक नीति का विदेशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : नयी आर्थिक नीति का भारत के द्विपक्षीय और बहु पक्षीय सम्बन्धों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नयी नीतियों की सराहना हुई है और परिणामतः विकसित देशों से अपेक्षाकृत अधिक पूंजी निवेश प्रवाह आना शुरू हो गया है।

इन नीतियों का उद्देश्य भारत को सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था से प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ना है जिससे भारत और अन्य विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक आदान-प्रदान बढ़े।

[अनुवाद]

परमाणु अप्रसार संधि

4321. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में जिन विभिन्न देशों की यात्रा की, उनके नेताओं के साथ हुई प्रधान मन्त्री की वार्ता में यह मुद्दा उठाया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में से कुछ राज्य इस संधि को सार्वभौमिक बनाने की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में वे सामान्य रूप से उन राज्यों से, जो अभी तक अप्रसार संधि के पक्षकार नहीं हैं, इस संधि पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रधान मंत्री की विभिन्न देशों की यात्राओं के दौरान और कुछ नेताओं के साथ उनकी बातचीत में नाभिकीय हथियारों के प्रसार का प्रश्न उठा था। उन्होंने पूछा कि क्या शीत युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में अप्रसार संधि के प्रति भारत की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है ? प्रधान मंत्री ने स्पष्ट किया कि यद्यपि भारत अप्रसार के प्रति वचनबद्ध है तथापि वह अप्रसार संधि को भेदभावपूर्ण मानता है।

आर० सी० एफ० एल० में कैचमेंट का उपयोग

4323. श्री एस० बी० थोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अपने नाइट्रिक एसिड संयंत्र को बिना कैचमेंट के ही चलाता है जिसके फलस्वरूप करोड़ों रुपए के प्लैटिनम-रोडियम का भारी नुकसान होता है वह भी अधिकांश विदेशी मुद्रा का, जबकि यह धातु आयातित होती है; और

(ख) यदि हां, तो प्लैटिनम और रोडियम के संग्रह के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सके ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर० सी० एफ०) 7 जुलाई 1992 से अपने 750 टन प्रतिदिन क्षमता वाले नाइट्रिक एसिड संयंत्र में कैचमेंट गेज का उपयोग नहीं कर रही है। ऐसा कैचमेंट गेज के आपूर्तिकर्ता के साथ जिन्होंने गुणवत्ता और धातु की मात्रा के सम्बन्ध में कथित रूप से गलत परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये थे, ठेका समाप्त होने के कारण हुआ।

(ख) आर० सी० एफ० इस संदर्भ में हानि को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4324. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं क्योंकि इन उपक्रमों का उत्पादन इनकी अधिष्ठापित क्षमता से कम है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों की उत्पाद क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में तकनीकी अर्थक्षमता के आधार पर सरकारी क्षेत्र में कितने उपक्रम लगाये जाने थे परन्तु उन्हें स्थापित नहीं किया जा सका; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन उपक्रमों को स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिनांक 31-3-1991 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रम, नामशः इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तथा ने० टे० का० (गुजरात) लि० हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० लाभ कमाने वाला केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एक प्रमुख उपक्रम है, जबकि ने० टे० का० (गुजरात) लि० अधिग्रहीत एक रुग्ण उद्यम है, जिसे उन रुग्ण उपक्रमों की सूची में शामिल किया गया है, जिनके लिए पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने हेतु उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में जिन प्रमुख परियोजनाओं की स्थापना की योजना बनाई गयी थी, उनकी संख्या का उल्लेख, लोक उद्यम सर्वेक्षण 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 (खण्ड-1) के क्रमशः पृष्ठ संख्या 32, 48 तथा 44 (अंग्रेजी संस्करण) में किया गया है जिन्हें प्रत्येक वर्ष, संबद्ध बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया गया था। इन से उन योजनाओं तथा सम्बद्ध राज्यों में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि को भी शामिल करते हुए, इन परियोजनाओं के समापन/कार्यान्वयन की स्थिति का पता चलता है।

[अनुवाद]

आठवीं योजना के अन्तर्गत कर्नाटक में परियोजनायें

4325. श्री के० जी० शिवप्पा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कर्नाटक में शुरू की जाने वाली मुख्य विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकार के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान कर्नाटक में शुरू की जाने वाली नयी मुख्य विकास परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	परियोजना	अनुमानित लागत
1	2	3
1. सिंचाई परियोजनाएं		
1.	मार्कण्डेय	139.77
2.	रामथल लिफ्ट	104.50
3.	भीम फ्लो	129.49
4.	भीम लिफ्ट	75.48
5.	अपर भद्रा	568.70
6.	महादायी डाइवर्जन	96.80
7.	भवगमसूर सहित अपर तुंग	363.00
8.	अपर कृष्णा चरण-II	825.00
9.	सिंगतलुर	61.41
2, विद्युत परियोजनाएं		
1.	सरपदी बांध जल विद्युत परियोजना	166.32
2.	बेड्थी डाइवर्जन स्कीम	40.00
3.	आर० टी० पी० एस० चरण-3 यूनिट-5	628.13
4.	महादायी जल विद्युत परियोजना	312.00
5.	वराही हरिमेसम डेम पावर हाऊस	80.00
6.	लिग्नामक्की तथा तलाकल्ले को नाला का डाइवर्जन	120.00
7.	शिव समुद्रम सीजनल स्कीम	175.00

1	2	3
8.	थमनदल जल विद्युत परियोजना	750.00
9.	अयानाशिर्मी जल परियोजना	545.00
10.	ऊर्जा संरक्षण	1.20
3. अन्य परियोजनाएं		
1.	नीदरलैंड सहायता के तहत एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	25.00
2.	विश्व बैंक सहायता के तहत एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय परियोजना	143.50
3.	व्यापक भूमि प्रबंध परियोजना (सी०एल०यू०एम० पी०), ओ० ई० सी० एफ० (जापान) द्वारा सहायता प्राप्त	210.89
4.	यू० ए० एस० बंगलौर में जापान की सहायता से अनुप्रयो प्रयोगिक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना	22.12
5.	तद्री, कुम्ता, तालुक, यू० के० जिला वानिदा फंड (चरण-2) में इन्डो डैनिश मत्स्यपालन परियोजना	3.50
6.	ओ० डी० ए० की सहायता से वानिकी एवं पर्यावरण हेतु पश्चिम घाट विकास परियोजना	54.70
7.	एम० पी० एम०-2 एवं 3 की पेपर मशीनों का आधुनिकी करण (ओ० ई० सी० एफ० जापान द्वारा सहायता)	42.86 (संशोधित)
8.	प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास तथा आधारित संरचना सुविधाओं से संबंधित 12 परियोजनाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र के तहत यू० एन० डी० पी० परियोजनाएं	45.76
9.	नीदरलैंड की सहायता से देवदासीस का पुनर्वास	0.80
10.	नीदरलैंड की सहायता से गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए सामुदायिक विकास	0.19
11.	कावेरी जल आपूर्ति परियोजना चरण-IV बंगलौर शहर के लिए जल आपूर्ति में सुधार	490.00

रिफैम्पिसीन का आयात

4326. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में रिफैम्पीसीन का आयात किया गया तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) प्रारम्भिक स्तर से ही देश में रिफैम्पिसिन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान रिफैम्पिसिन के आयात की कोई अनुमति नहीं दी गयी थी।

(ख) प्रारंभिक अवस्था से विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए संगठित क्षेत्र में उत्पादन को किसी विशिष्ट समय के लिए मध्यवर्ती रिफा एस० की अवस्था से ही दी जाती है। उपान्तिम और मध्यवर्तियों के आयात को भी विनियमित किया जाता है ताकि प्रारम्भिक अवस्था से विनिर्माण की यथाशीघ्र प्राप्त करने का सुनिश्चय हो सके।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति

4327. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) इस केन्द्र में कितने कर्मचारियों को श्रेणी-एक ग्रेड में पदोन्नत किया गया है; और

(घ) इनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) 5002 (30-6-1992 तक)।

(ख) अनुसूचित जाति　　: ๖70
　　अनुसूचित जनजाति :　93

(ग) 1208.

(घ) अनुसूचित जाति　　: 7
　　अनुसूचित जनजाति　: शून्य

अंतरिक्ष विभाग/इसरो मे जिन श्रेणियों पर आरक्षण आदेश लागू होते हैं, उस संबंध में यह विभाग भी अन्य विभागों की तरह भर्ती के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण की पद्धति अपनाता है। योग्यता आधारित पदोन्नति की अरिक्तता-उन्मुख योजना को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी पदों की पदोन्नति के सम्बन्ध में अंतरिक्ष विभाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध आरक्षण आदेशों के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा गया है। विभाग द्वारा शुरू की गई उदार अनुपूरक योजना के अन्तर्गत, रिक्तियो की उपलब्धता के बिना सभी उपयुक्त तकनीकी कर्मचारियों, को योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। ऊपर (ग) में बतायी गई 1278 की संख्या में 1159 वैज्ञानिक तकनीकी अधिकारी हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4328. श्री ब्रजभूषण शरण सिंह : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार कितनी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश योजनाओं का धनाभाव के कारण कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) (क) से (ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन ब्लॉक ऋणों और अनुदानों के रूप में किया जाता है नाकि स्कीम/परियोजनाओं वार राज्य योजनाओं में स्कीम/परियोजनावार प्रावधान और उसका उपयोग राज्य सरकारों द्वारा स्वंय किया जाता है।

गुजरात में परती भूमि विकास परियोजना

4329 श्री हरिन पाठक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेमित परती भूमि विकास परियोजना गुजरात के कितने जिलों में चलायी जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना का कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) आगामी वर्ष के दौरान यह परियोजना किन-किन जिलों में चलायी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) एकीकृत परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के भावनगर, पंचमहल, जूनागढ़, जामनगर तथा सुरेन्द्र नगर जिलों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 3425 हैक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में जून 1992 तक की उपलब्धि 2673 हैक्टेयर सूचित की गई है।

(ग) उपरिलिखित जिलों के लिए पहले ही स्वीकृत की जा चुकी परियोजनाओं का अगले वर्ष के दौरान विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

राज्यों को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए धन का अंतरण

4330. श्री के० राममूर्ति टिंडीवनम : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने विभिन्न केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु धन के अन्तरण की मांग की है;

(ख) क्या धन के अन्तरण के बाद भी इन ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता दी जाती रहेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इन योजनाओं में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के भाग का अनुपात क्या है; और

(घ) धन के अन्तरण के मामले में इन योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को इसके वित्त-पोषण हेतु कहने के क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिसंबर, 1991 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रामीण विकास क्षेत्रक में नरसिंह राव समिति द्वारा यथा निर्धारित निम्नलिखित तीन केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्यों को अन्तरित की जानी है।

(1) ग्रामीण गो दामों की स्थापना।

(2) अधिशेष भूमि के समनुदेशिती को वित्तीय सहायता।

(3) बाजारों का विकास।

तथापि पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने हाल ही में मांग की है कि केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास स्कीमों हेतु निधि आवंटन के बजाय उन्हें लमटाइड फैसन (थुलेपन) से ग्रामीण विकास हेतु निधियों का आवंटन किया जाय ताकि वे अपनी पसंद की स्कीमों पर खर्च कर सकें।

(ख) और (ग) उपर्युक्त तीन स्कीमों को राज्यों को अंतरित करने के पश्चात्, उन्हें राज्यों को अपनी-अपनी योजनाओं में शामिल किया जायेगा तथा राज्यों द्वारा अपने निजी संसाधनों से ही निधियां मुहैया कराई जायेंगी।

(घ) यदि स्कीमों को एक बार राज्य योजनाओं में शामिल कर लिया जाता है तो राज्यों को उन्हें अपने निजी संसाधनों से निधियां मुहैया करानी होंगी।

[हिन्दी]

अति लघु उद्योग क्षेत्र

433. श्री नीतीश कुमार
डा० महादीपक सिंह शाक्य } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अति लघु उद्योग क्षेत्र नीति को अन्तिम रूप देने का है जैसा कि 18 जून, 1992 के "इकनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह नीति कब तक कार्यान्वित कर दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके अति लघु क्षेत्र के लिए पैकेज के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना

4332. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ की फसल के लिए रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) इस समय सभी प्रमुख उर्वरक रियायती दरों पर किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

कुओं की खुदाई तथा हैंडपम्पों को लगाना

4333. श्री प्रकाश वी० पाटिल
श्री हरि सिंह चावड़ा
श्री के० वी० रेड्डय्या यादव
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में निर्धारित समय के भीतर कुओं की खुदाई और हैंडपम्प लगाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत गांवों में पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाए गए कुओं और लगाए गए हैंडपम्पों की संख्या क्या है और राज्यवार इन पर कितना व्यय हुआ है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार बनाए गए कुओं तथा लगाए गए हैंडपम्पों की संख्या क्या है तथा इन पर कुल कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं सतही जल स्रोतों (ग्रेविटी फीड पाइप द्वारा जल आपूर्ति आदि तथा भूमिगत जल स्रोतों (हैंडपम्प, स्वच्छ कुओं आदि) के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले कुओं को मार्फत पेयजल की आपूर्ति के लिए योजनाओं में व्यवस्था नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए गए गांवों की संख्या तथा उन पर किए गए खर्च के ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कवर किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की संख्या तथा उन पर किए जाने वाले संभावित खर्च के राज्यवार ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण—1

1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए गए गांवों की संख्या तथा उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	कवर किए गए गांव			किया गया खर्च		
		1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2128	1100	1020	52.210	46.357	60.220
2.	अरुणाचल प्रदेश	132	128	140	4.680	7.731	9.740
3.	असम	2724	779	739	42.890	39.320	47.440
4.	बिहार	8591	8846	1404	58.450	46.743	76.450
5.	गोवा	71	42	50	2.070	4.088	6.220
6.	गुजरात	1384	585	642	54.904	54.510	56.720
7.	हरियाणा	469	96	382	20.973	27.726	38.630
8.	हिमाचल प्रदेश	350	350	511	23.010	40.903	42.570

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	299	243	341	37.525	26.250	33.100
10.	कर्नाटक	5667	5200	4473	43.730	41.594	46.810
11.	केरल	372	197	157	49.240	43.442	46.520
12.	मध्य प्रदेश	4135	5765	5877	61.240	47.800	59.560
13.	महाराष्ट्र	2255	1842	1631	97·844	137.239	121.980
14.	मणिपुर	285	188	162	9.790	9.488	12.130
15.	मेघालय	893	406	605	10.520	11.400	12.350
16.	मिजोरम	135	68	152	6.728	5.943	6.510
17.	नागालैंड	173	45	81	8.805	8.184	4.910
18.	उड़ीसा	3897	1589	3777	25.769	34.380	34.710
19.	पंजाब	401	372	562	17.198	15.839	26.010
20.	राजस्थान	1597	1255	2983	71.390	69.253	94.910
21.	सिक्किम	67	41	35	7.486	6.728	7.300
22.	तमिलनाडु	1768	1408	2229	60.440	54.255	78.340
23.	त्रिपुरा	1082	495	264	8.105	4.412	4.430

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	3181	5962	6044	10.[illegible]90	94.488	90.980
25.	पपश्चिम बंगाल	224	1784	2228	32.549	28.515	31.180
26.	अं० नि० द्वीप समूह	25	20	21	1.900	2.425	3.160
27.	दमन और दीव	—	—	—	0.100	0.528	2.820
28.	लक्षद्वीप	—	—	4	0.540	0.661	0.570
29.	पांडिचेरी	14	20	32	0.860	0.621	0.750
30.	दिल्ली	—	—	—	0.860	0.633	0.730
31.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
32.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
	जोड़	44319	38804	35647	912.101	911.456	1059.650

खर्च के आंकड़े न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम से संबंधित है।

विवरण-2

1992-93 के दौरान कवर किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की संख्या तथा किए जाने वाले संभावित खर्च के राज्यवार ब्योरे

क्रमांक	राज्य का नाम	1992-93 के दौरान कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	1992-93 के दौरान संभावित खर्च (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	600	50.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	13.67
3.	असम	764	52.16
4.	बिहार	4603	101.66
5.	गोआ	55	4.55
6.	गुजरात	500	70.44
7.	हरियाणा	220	33.50
8.	हिमाचल प्रदेश	777	47.12
9.	जम्मू व कश्मीर	321	45.16
10.	कर्नाटक	4590	65.98
11.	केरल	475	51.02
12.	मध्य प्रदेश	5592	73.19
13.	महाराष्ट्र	818	129.48
14.	मणिपुर	170	11.08
15.	मेघालय	950	16.20
16.	मिजोरम	105	6,09
17.	नागालैंड	100	8.20
18.	उड़ीसा	2297	45.20
19.	पंजाब	579	28.74
20.	राजस्थान	2000	93.40
21.	सिक्किम	34	7.02
22.	तमिलनाडु	2500	69.38
23.	त्रिपुरा	310	10.50
24.	उत्तर प्रदेश	4262	119.56
25.	पश्चिम बंगाल	2682	39.24

1	2	3	4
26.	अं० नि० द्वीप समूह	10	3.90
27.	दमन और दीव		0.96
28.	लक्षद्वीप	4	0.72
29.	पांडिचेरी	25	0.86
30.	दिल्ली	—	4.14
31.	चंडीगढ़	—	---
32.	दादरा और नगर हवेली	—	0.48
जोड़ :		35493	1203.66

टिप्पणी : संभावित एवं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन तथा राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान पर आधारित है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियम 4(ख) से छूट

4334. श्री राम विलास पासवान / श्री धर्मभिक्षम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा समर्थित कोई ऐसा ज्ञापन सरकार को दिया गया था, जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा के नियम 4 (ख) से छूट देने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मांगी गयी छूट देने पर सहमत हो गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 4 के दूसरे परन्तुक में दिए गए प्रतिबंधों को प्राक्कलन समिति (7वीं लोक सभा) द्वारा, उनकी 77वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ तथा अन्य [1962 (अनुपूरक-1) एस० सी० सी० 594] के मामले में इस नियम की सांविधानिक वैधता का समर्थन किया है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों का शोषण

4335. श्री देवी बक्स सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न उद्योगों में कानूनों का उल्लंघन करके बाल श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) दोषी उद्योगपतियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार ने बाल श्रमिकों को शोषण न होने देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बाल श्रमिकों के नियोजन से संबंधित कानूनी उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान की गयी कार्रवाई इस प्रकार है :--

वर्ष	पता लगाये गये उल्लंघनों की संख्या	अभियोजनों की की संख्या	सिद्ध दोषों की संख्या
89-90	473	2291	1468
90-91	685	1566	456
91-92	764	1291	774

(घ) इसके ब्यौरे दिनांक 29-7-1992 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3257 के उत्तर के भाग (घ) में दिए गये हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

4336. श्री के० पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संयंत्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पूर्वी विद्युत क्षेत्र जिसका उड़ीसा भी एक हिस्सा है, में कोयले की सम्पदा उपलब्ध होने की वजह से वहां पर परमाणु बिजलीघरों को स्थापित करने की प्राथमिकता निम्न है।

कालाहाण्डी को उद्योगविहीन जिला घोषित किया जाना

4337. श्री सुबास चन्द्र नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कालाहान्डी को "उद्योगविहीन जिला" घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिला उद्योग केन्द्र कार्य योजना 1979-80 के अनुसार जिन जिलों में कोई बड़े अथवा मझौले एकक नहीं थे, उन्हें "उद्योग रहित जिले" घोषित किया गया था। चूंकि उड़ीसा में कालाहांडी जनपद इस मानदण्ड को पूरा नहीं करता था, इसलिए उसे उद्योग रहित जिला घोषित नहीं किया गया था।

दिल्ली में स्टोन क्रशरों का बन्द किया जाना

4338. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्टोन क्रशरों के बन्द कर दिए जाने से उनमें काम करने वाले श्रमिक बेकार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों को वैकल्पिक काम देने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, हाल ही में एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सभी मशीनीकृत स्टोन क्रशर चलना कार्य करना 15 अगस्त, 1992 से बन्द कर देंगे। सभी स्टोन क्रशरों को उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार जिला फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थानान्तरित किया जाना है। इस समय किसी भी मजदूर को काम से नहीं हटाया गया है।

[हिन्दी]

लघु पन बिजली परियोजनाएं

4339. श्री एम० के० राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से चलायी जा रही लघु पन बिजली परियोजनाओं की राज्यवार, स्थानवार संख्या क्या है;

(ख) विश्व बैंक ने इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ग) यह परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) शून्य।

(ख) शून्य ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर मेंन्टीनेंस निगम की मूल्य नीति

4340. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर मैंन्टीनेंस निगम ने कोई ऐसी मूल्य निर्धारण नीति बनाई है जिसमें टर्नकी जोब के लिए रिटर्न-दर अथवा अलाभप्रद कार्यों को स्वीकार करने हेतु मार्गनिर्देश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत सी० एम० सी० लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने आद्योपान्त परियोजनाओं के लिए एक व्यापक मूल्य निर्धारण नीति बनाई है जिसमें परियोजनाओं के विभिन्न अंगों पर सी० एम० सी० लिमिटेड की लागत आंकी जाती है, जैसे कि सामग्री/उपस्कर, साफ्टवेयर विकास की लागत, जनशक्ति की लागत, प्रणाली साफ्टवेयर अथवा डेटाबेस की लागत (क्रय), कम्प्यूटर समय/आंकड़ा प्रविष्टि की लागत, यात्रा एवं प्रशासनिक लागत, परियोजना प्रबन्ध लागत, प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग में लाई गई वस्तुए तथा कलपुर्जे आदि ।

निम्नलिखित में से किसी एक मामले में किसी लाभ के बिना ही सी० एम० सी० लिमिटेड द्वारा कार्य स्वीकार किया जा सकता है :—

—जहां विकास कार्य व्यवसाय के नए क्षेत्र के अनुकूल हो तथा भविष्य में और कई ग्राहकों से उसी प्रकार के कार्य मिलने की संभावना हो ।

—नई प्रौद्योगिकियों के लिए नई संभावनाएं पैदा करना ।

—व्यावसायिक कारणों से ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

संरक्षण निधि

4341. श्री सनत कुमार मंडल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग किसी संरक्षण निधि का संचालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्षेत्र और उद्देश्य क्या है;

(ग) इस निधि का प्रशासनिक प्राधिकारी कौन है; और

(घ) स्वैच्छिक अभिकरणों को धन प्रदान करने तथा जिन अभिकरणों को अब तक धन दिया गया है उनके सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

4342. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरप्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उन अधूरी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए योजना के प्रथम वर्ष में धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ग) इन जिलों के लिए धनराशि का आबंटन करने अथवा विकास की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) जिलावार उन परियोजनाओं और विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान निवेश किया गया था ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4343. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारियों की, श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या आरम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति दोनों मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को लागू करने हेतु उपक्रमों को आदेश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या इन उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा भरा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस कोटे को शीघ्रताशीघ्र भरने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा कोटे को कब तक पूरा भरे जाने की आशा है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए अथक प्रयास करने के लिए समय-समय पर परामर्श दिया गया है। अ० जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए आयु सीमा तथा परीक्षा शुल्क के छूट और रियायत, साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति, अ० जा०/अ० ज० जा० से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए अलग से साक्षात्कार करवाना, विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति में अ० जा०/अ० ज० जा० के एक सदस्य को शामिल करना, सीधी भर्ती में अनारक्षण पर प्रतिबन्ध इत्यादि जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				
		ग्रेड ए	ग्रेड बी	ग्रेड सी	ग्रेड डी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	ए वाई एण्ड कंपनी	615	306	1041	17242	19204
2.	बी एच ई एल	13262	11310	40300	7843	72715
3.	**बी बी यू एन एल	1952	2149	14395	15790	34286
4.	बी वाई एन एल	2001	2417	7426	2164	14008
5.	बी ओ जी एल	38	31	388	121	578
6.	बी एल सी	23	32	132	76	253
7.	सी सी आई	1013	722	3528	1423	6686
8.	सी सी आई एल	135	81	2334		2550
9.	ई पी आई	549	233	145	52	979
10.	एच सी एल	588		3949	2561	7098
11.	एच ई सी	3362	2752	9836	2625	18575
12.	एच एम टी	3152	409	19797	1313	28353
13.	एच पी एफ	417	309	2428	830	3984

1	2	3	4	5	6	7
14.	एच एस एल	20	23	118	121	282
15.	एच पी सी	1009	692	4179	1739	7619
16.	आई एल के	840	268	2825	700	4633
17.	एम ए एम सी	752	1000	3191	1283	6126
18.	एम यू एल	579	547	2884	—	4010
19.	एन बी सी आई एल	42	382	475	—	899
20.	एन आई एल	48	46	277	37	408+777*
21.	नेपा	485	133	1456	1604	3598
22.	एन आई डी सी	162	114	40	26	342
23.	एन एस आई सी	268	347	1244	366	2223
24.	पी टी एल	90	199	1659	246	2194
25.	आर आई सी	33	91	924	1585	2633
26.	एस आई एल	156	94	790	1815	2855
27.	टेफको	92	47	1402	391	1930
28.	टी सी आई एल	81	259	591	2785	3716
						252737+777*

क्रम सं०	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या					अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या				
	ग्रेड ए	ग्रेड बी	ग्रेड सी	ग्रेड डी	योग	ग्रेड ए	ग्रेड बी	ग्रेड सी	ग्रेड डी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	27	12	53	1958	2050	2	21	42	3944	4009
2.	1820	654	6883	2675	11232	248	97	955	224	1524
3.	25	16	809	2196	3046	2	1	52	396	451
4.	143	242	1282	724	2311	7	17	182	57	263
5.	—	3	39	33	75	—	—	6	2	8
6.	3	7	38	27	67	—	—	2	—	8
7.	51	59	513	461	1084	4	10	223	179	416
8.	—	1	189		190	—	—	13		13
9.	59	38	20	14	131	7	7	1	1	16
10.	35		381	828	1244	1		77	254	332
11.	49	36	537	308	930	114	221	2070	1909	4314
12.	174	288	3274	320	4056	29	65	616	57	767
13.	39	28	376	201	644	7	5	61	41	114
14.	3	2	15	23	43	—	—	4	10	14
15.	27	44	304	244	619	35	34	517	344	930
16.	34	23	341	158	556	3	4	78	65	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	32	25	271	327	655	—	—	43	40	83
18.	35	25	433	—	493	11	1	10	—	22
19.	1	49	35	—	85	—	—	3	—	3
20.	1	8	35	7	51+135*	—	1	2	3	6+22
21.	3	7	73	428	511	—	1	10	105	116
22.	12	13	6	12	43	5	1	2	—	8
23.	26	45	174	117	462	2	8	18	4	32
24.	6	22	270	70	368	1	—	15	1	17
25.	1	2	79	151	233	—	—	—	10	10
26.	5	7	44	305	361	1	—	1	1	3
27.	4	3	355	188	550	—	—	—	—	
28.	1	3	5	89	98	—	—	—	9	9
				32088+135*					13632+22	

31-3-1990 को अवर्गीकृत औद्योगिक कर्मचारी।

संकेताक्षर

ए वाई एण्ड कंपनी	: एण्ड्र यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड
बी एच ई एल	: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
बी बी यू एन एल	: भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बी वाई एन एल	: भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बी ओ जी एल	: भारत आप्थेलिमक ग्लास लि०
बी एल सी	: भारत लेदर कारपोरेशन लि०
सी सी आई	: सीमेंट कारपोरेशन लि०
सी सी आई एल	: साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
ई पी आई	: इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०
एच सी एल	: हिन्दुस्तान केबल्स लि०
एच ई सी	: हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०
एच एम टी	: एच०एम० टी० लिमिटेड
एच पी एफ	: हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग क०लि०
एच एस एल	: हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
एच पी सी	: हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०
आई एल के	: इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा
एम ए एम सी	: माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०
एम यू एल	: मारुति उद्योग लि०
एन बी सी आई एल	: नेशनल बाईसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
एन आई एल	: नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
नेपा	: नेपा लि०
एन आई डी सी	: नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०
एन एस आई सी	: नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपो०लि०
पी टी एल	: प्रागा टूल्स लि०
आर आई सी	: रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०
एस आई एल	: स्कूटर्स इंडिया लि०
टेफ्को	: टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
टी सी आई एल	: टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०

[हिन्दी]

लघु कृषकों संबंधी समिति

4344. श्री मृत्युंजय नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण लघु उद्योगों की परिस्थितियों का अध्ययन करने और उनके पुनर्वास के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी तथा सावधिक ऋण की जरूरतों को पूरा करने और रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्स्थापना करने के प्रबन्धों की समीक्षा करने हेतु रिजर्व बैंक के पूर्व-डिप्टी गवर्नर श्री पी० आर० नायक की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित लघु एककों संबंधी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1992 के अंत तक प्रस्तुत कर देने की संभावना है।

[अनुवाद]

विशेष अभियान के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवार

4345. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से पहले से चली आ रही आरक्षित बकाया रिक्तियों पर संवर्गवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार भर्ती किए गए;

(ख) 31 मार्च, 1992 को संवर्गवार कितने बकाया पद बिना भरे रह गए;

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के आशय से वर्ष 1989, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं। पहचान की गई बकाया रिक्तियों तथा उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए हैं, इस प्रकार हैं :—

	1989		1990-91		1991-92	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
बकाया	18002	17645	16658	15269	9234	10807
भेजे गए नियुक्ति प्रस्ताव	17326	13927	11053	8826	5326	3945
शेष रिक्तियां	676	3718	5615	6443	3908	6862

(ग) और (घ) तकनीकी योग्यता वाली बहुत-सी रिक्तियां इस कारणवश नहीं भरी जाती हैं क्योंकि इन पदों को भरने के लिए अनु० जाति तथा अनु० जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार

पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बाकी बची बकाया रिक्तियों को भरने के लिए मंत्रालयों/विभागों में प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को अर्थक्षम बनाना

4346. श्री चार्ल्स फर्नांडीज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए निधि प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक रुग्ण उपक्रमों के प्रबंधकों और मजदूर संघों के बीच इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमिक कदाचार

4347. श्रीबन शर्मा : क्या प्रधान मंत्री 25 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4613 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) आर० बी० पटेल बनाम अहमदाबाद नगर निगम के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय गुजरात सरकार द्वारा तैयार सेवा नियमों के संबंध में था। चूंकि राज्य लोक सेवाओं को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) में शामिल कर लिया गया है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर गुजरात सरकार को ही कार्रवाई करनी है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक संस्थानों के श्रमिकों का संबंध है, औद्योगिक कार्यनियम (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा इसके अंतर्गत तैयार किए गए नियमों के तहत विशिष्ट कार्य-व्यवहार तथा त्रुटियों को, जिन्हें कदाचार माना जाता है, संलग्न विवरण के अनुसार माडल स्थायी आदेशों में दिया गया है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों को गैर-कोयला खानों में कामगारों के लिए "कदाचार" से सम्बंधित कृत्य तथा चूक

निम्नलिखित कृत्य तथा चूकें कदाचार के रूप में मानी जाएंगी :—

(क) किसी वरिष्ठ के कानूनी अथवा वाजब आदेश की अकेले अथवा अन्यों के साथ मिलकर जान बूझकर अवमानना या अवज्ञा करना;

(ख) नियोक्ता के कारोबार अथवा सम्पत्ति के संबंध में चोरी, जालसाजी अथवा बेईमानी;

(ग) नियोक्ता के सामान अथवा सम्पत्ति को जानबूझकर हानि पहुंचाना;

(घ) रिश्वत अथवा अवैध पारितोषण लेना या देना;

(ङ) बिना छुट्टी लिए आदतन अनुपस्थित रहना अथवा 19 दिन से अधिक बिना छुट्टी की अनुपस्थिति;

(च) आदतन देर से आना;

(छ) संस्थापना में लागू किसी कानून का आदतन उल्लंघन करना;

(ज) कार्य के स्थान पर ड्यूटी के दौरान झगड़ा अथवा दंगा करना अथवा अनुशासनहीनता की कार्यवाही करना;

(झ) आदतन लापरवाही अथवा कार्य की अवहेलना करना;

(ञ) किसी ऐसे कृत्य अथवा चूक को बारबार दोहराना जिसके लिए एक माह के वेतन का अधिकतम 2 प्रतिशत जुर्माना किया जाए; और

(ट) किसी ऐसे कानून के प्रावधान, अथवा कानून सम्मत नियम का उल्लंघन करते हुए काम करना अथवा अन्यों को काम बन्द करने के लिए उकसाना।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कोयला खदानों में कामगारों के लिए "कदाचार से संबंधित कृत्य तथा चूक

निम्नलिखित कृत्य कदाचार माने जाएंगे :

(क) नियोक्ता के कारोबार अथवा सम्पत्ति के संबंध में चोरी, जालसाजी, अथवा बेईमानी।

(ख) नियोक्ता के कारोबार के संबंध में अथवा अपने हित के लिए रिश्वत अथवा अवैध पारितोषण लेना अथवा देना।

(ग) किसी वरिष्ठ के कानूनी अथवा वाजिब आदेश की अकेले अथवा अन्य या अन्यों के साथ मिलकर जानबूझ कर अवमानना या अवज्ञा करना। वरिष्ठ का आदेश प्रायः लिखित रूप में होना चाहिए।

(घ) आदतन देर से आना और बिना अनुमति के अथवा बिना पर्याप्त कारण के आदतन गैर हाजिर रहना।

(ङ) कार्य के स्थान पर ड्यूटी के समय शराब पीना, झगड़ा अथवा दंगा करना, असंगत अथवा अशोभनीय व्यवहार करना।

(च) कार्य के प्रति आदतन लापरवाही।

(छ) आदतन अनुशासन हीनता।

(ज) भू-गर्भ में अथवा खदान क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थान पर जहां धूम्रपान निषेध है बीड़ी सिगरेट आदि पीना।

(झ) निर्माणाधीन कार्य को अथवा नियोक्ता की सम्पत्ति को जानबूझ कर हानि पहुंचाना।

(ञ) ड्यूटी पर रहते हुए सोना।

(ट) कामचोरी अथवा धीरे कार्य करना।

(ठ) अधीनस्थ कर्मचारियों से उपहार लेना।

(ड) चरित्रहीनता से संबंधित किसी आपराधिक मामले में किसी विधि न्यायालय में दोष-सिद्धि।

(ढ) बिना अनुमति के तथा बिना संतोषप्रद कारणों से 10 दिन से अधिक की अवधि की लगातार अनुपस्थिति।

(ण) नौकरी के समय नाम आयु पिता के नाम, अर्हता अथवा पूर्व सेवा के बारे में मिथ्या सूचना देना।

(त) बिना अनुमति के अथवा पर्याप्त कारण से कार्य छोड़ना।

(थ) खान अधिनियम, 1952 अथवा अन्य किसी, अधिनियम अथवा उसके अधीन किसी नियम, विनियम अथवा उपनियम अथवा किसी स्थायी आदेश का कोई उल्लंघन।

(द) किसी सुपरवाईजर अथवा सहकर्मी को धमकी देना, गाली देना, अथवा उस पर प्रहार करना।

(ध) आदतन सूद-खोरी।

(न) हिंसा का प्रचार अथवा उसके लिए उकसाना।

(प) दुराचार के उपर्युक्त कार्य के लिये उकसाना अथवा उकसाने का प्रयास करना।

(फ) 14 दिन के पूर्व नोटिस के बिना स्वयं अकेले अथवा अन्य सहकर्मियों के साथ गैर कानूनी हड़ताल पर जाना।

(ब) प्रतिष्ठान के कार्यकरण अथवा प्रक्रिया के बारे में जो उसके कार्य के दौरान कामगार की जानकारी में आती है कोई गोपनीय सूचना किसी गैर-प्राधिकृत व्यक्ति को देना।

(भ) किसी आरोप पत्र अथवा आदेश अथवा नोटिस जोकि उसे लिखित में दिया गया है को स्वीकार न करना।

(म) नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी सुरक्षात्मक उपस्कर को पहनने अथवा उपयोग में लाने से मना करना अथवा असफल रहना।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का विस्तार

4348. श्री पी०सी० थामस क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक लिमिटेड, अंबलमुगल, कोचीन, केरल का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कंपनी के लाभ और हानि का ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) आवश्यक

पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० (एच० ओ० सी०) का अपने कोचीन स्थित संयंत्र का नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विस्तार करने का प्रस्ताव है :—

(1) लगभग 50 करोड़ रुपए के निवेश से फिनोल का उत्पादन 40,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60,000 टन प्रतिवर्ष और एसिटोन का उत्पादन 24600 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 36900 टन प्रतिवर्ष करना।

(2) इसके अलावा विविधिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए के निवेश से 10,000 टन प्रतिवर्ष हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्षमता का एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

(ग) एच०ओ०सी० के कोचीन एकक ने इसके चालू होने के प्रथम वर्ष से लाभ कमाया गया निम्न प्रकार है :--

वर्ष		लाभ (करोड़ रुपए)
1989-90	—	14.63
1990-91	—	28.62
1991-92	—	38.94

(घ) प्रस्तावित विस्तार के फलस्वरूप उत्पादन में 32,300 टन प्रतिवर्ष और लाभ में प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। इस समय एच०ओ०सी० जानकारी शुल्क, कार्य-क्षेत्र और अन्य संबंधित मामलों के बारे में संविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए विदेशी सप्लायरों के साथ बातचीत कर रहा है। दोनों परियोजनाओं पर 90 करोड़ रुपए का कुल खर्च आएगा।

(ङ) एच०ओ०सी० एल० के कोचीन यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या अभी 418 है।

लघु उद्योग में वृद्धि दर

4349. श्री पी० सी० नारायणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1921-92 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र वृद्धि दर में अनुमानित रूप से तीन प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में वर्ष 1991-92 के दौरान उत्पादन और रोजगार में भी कमी आई;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान लघु औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित विकास दर 3.0% थी जो पिछले वर्ष 1990-91 के दौरान दर्ज 8.5% विकास दर से अपेक्षाकृत कम थी।

(ख) वर्ष 1991-92 में रोजगार तथा उत्पादन की अनुमानित विकास दर भी वर्ष 1990-91 की विकास दर से अपेक्षाकृत कम थी।

(ग) विकास दर में गिरावट के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारक ये हैं—विदेशी मुद्रा की बाधाएं, मांग में मंदी, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यशील पूंजी पर उच्च ब्याज दर तथा कच्चे माल की कमी।

(घ) लघु क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय ये हैं—लघु क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं व रुग्णता पर ध्यान देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति की स्थापना, आयात प्रतिबन्धों में ढील, बैंकों द्वारा 20% के स्थान पर 19% की दर से ऋण देने के लिए ब्याज दर में 1% की कमी और 6 अगस्त, 1991 को लघु एवं अति लघु क्षेत्र के एककों के लिए घोषित विभिन्न नीतिगत उपायों का कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

"कापार्ट" में विशेष भर्ती अभियान

4350. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालोजी (कापार्ट) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी नियुक्तियां की गईं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) दो स्वतंत्र स्वायत्त निकायों, अर्थात् (ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद और भारतीय विकास लोक कार्यक्रम) को मिलाकर 1 सितम्बर, 1986 से अस्तित्व में आया। इससे पूर्व कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित भर्ती प्रणाली को अपनाया जा रहा था। कापार्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में सरकार की भर्ती नीति का पालन करता है। रिक्तियों और पूर्वशेष पदों का सही अनुमान लगाने के लिए परिषद द्वारा अनुसूचित जाति आयोग से एक सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी को रिक्त आरक्षित पदों का पता लगाने के कार्य को करने के लिए नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और पूर्वशेष पदों को शीघ्र से भरा जाएगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4351. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त तारीखों को उपर्युक्त (क) में शामिल रुग्ण एककों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, अंशतः अथवा पूर्णतः गैर-सरकारी हाथों में कितने रुग्ण एकक सौंपे गए; और

(घ) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति अनुसार, उन एककों की संख्या कितनी है जिन्हें बन्द कर दिया गया है अथवा जिन्हें बन्द करने का निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केवल 31-3-1991 की अवधि की जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 246 उद्यम थे। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत सरकारी क्षेत्र के 246 उद्यमों में से 64 उद्यमों को उनके 1990-91 तक के कार्यनिष्पादन को देखते हुए रुग्ण उद्यमों के रूप में अभिज्ञात किया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम का अभी तक निजीकरण नहीं किया गया है अथवा उसे बन्द नहीं किया गया है। बहरहाल, वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों के शेयर बेचे गए थे।

[हिन्दी]

बिहार में बायोगैस संयंत्र

4352. श्री ललित उरांव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य की कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या स्थापित किए गए कई संयंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) बिहार राज्य में वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक संस्थागत तथा विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः कुल लगभग 4,400 परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र और संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1989-90 से 1991-92 की अवधि के दौरान राज्य नोडल एजेंसी को कुल 2.50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। एक अलग कार्यक्रम के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष 1990-91 में बायोगैस संयंत्रों के लिए 4.80 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन०सी०ए०ई०आर०) नई दिल्ली द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों के हाल ही के सर्वेक्षण अध्ययन के अनुसार बिहार में शुरू किए गए संयंत्रों में से लगभग 55 प्रतिशत कार्य करते हुए पाए गए। इस अध्ययन में यह रिपोर्ट दी गई है कि शेष संयंत्र विभिन्न तकनीकी, संचालनात्मक और सामाजिक समस्याओं जैसे कि संयंत्रों में गोबर घोल

न डालना संयंत्रों का गलत ढंग से निर्माण, गैस होल्डरों और पाइप लाइनों में टूट-फूट, इन्लेट और आउटलेट पाइपों में अवरोध, आवास स्थानों और पशुशालाओं के स्थान बदलने तथा मुकदमेंबाजी के कारण कार्य नहीं कर रहे थे।

[अनुवाद]

केरल में बेरोजगार व्यक्ति

4353. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 को केरल में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल श्रेणीवार संख्या क्या थी; और

(ख) उन्हें रोजगार देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार, केरल में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार थी :—

क्रम सं०	श्रेणी	संख्या (हजारों में)
1.	कुल	3426.7
	(क) पुरुष	1745.8
	(ख) महिला	1680.9
2.	शिक्षित (मैट्रिक और उससे ऊपर)	2076.6
3.	अनुसूचित जाति	307.7
4.	अनुसूचित जनजाति	16.5
5.	विकलांग	23.7

(ख) रोजगार आठवीं योजना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आठवीं योजना में परिकल्पित किए गए विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों से पर्याप्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की सम्भावना है जिससे केरल में भी बेरोजगार व्यक्तियों को लाभान्वित होने की आशा है। देश में एक दशक की अवधि में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य है।

गुजरात में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

4354. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के पश्चात, गुजरात सहित देश के अन्य भागों में लघु, मध्यम और बड़े उद्योग लगाने के लिए; अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा गुजरात में स्थापित किए गए विभिन्न उद्योगों का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक परियोजना में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 24-7-91 को नयी औद्योगिक नीति की घोषणा से अब तक, विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) ने 76 अनिवासी भारतीय प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिसमें गुजरात के 06 अनुमोदन शामिल हैं।

(ख) इन प्रस्तावों में कुल 27,879.18 लाख रु० की अचल पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है और इनमें छपाई प्रेस, बीअर, कम्प्यूटर इत्यादि स्थापित करना शामिल है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम/आवेदन सं०	विनिर्माण की मद पूंजीगत माल का आयात	स्थापना स्थल	अचल परिसंपत्तियां (रु० लाख में)	पूंजीगत माल हेतु अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख
1.	श्री किशोर के० मिस्त्री (11/91 सी०जी०/एन०आर०आई०)	ट्रांसमीशन हाउसिंग इत्यादि	सूरत (गुजरात)	31.10	25-9-91
2.	श्री कमलेश एस० पटेल (26/91-सी०जी०/एन०आर०आई०)	सोडी यार्न	वलसाड (गुजरात)	153.54	25-9-91
3.	श्री वाधु जे० रामसिंघानी (54/91-सी०जी०/एन०आर०आई०)	अखबारी कागज	सूरत (गुजरात)	8882.00	4-11-91
4.	श्री अजीत रमन भाई पटेल 65/91/सी०जी०/एन०आर०आई०	मेटेलाइज्ड पालीएस्टर बी०ओ०पी०पी०सेलीफेन फिल्म पेपर्स	(अहमदाबाद) (गुजरात)	83.00	9-12-91

(ख) विदेशी सहयोग हेतु अनुमोदित आवेदनों का ब्यौरा

क्रम सं०	पार्टी का नाम/आवेदन सं०	निर्माण की मद	स्थापना स्थल	एन०आर०आई० इक्विटी भागीदारी (रु० लाख में)	विदेशी सहयोग अनुमोदन जारी करने की तारीख
1.	मैं० अरबुडा ग्रेनाइट इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०	ग्रेनाइट टाइल्स	महासाणा (गुजरात)	10.00(40%)	15-5-92
2.	मैं० स्वान स्वीट्स (प्रा० लि०)	कन्फैक्शनरी	जामनगर (गुजरात)	20.00(80%)	16-7-92

संयुक्त राष्ट्र के अधिकार में स्थाई सशस्त्र सेना

4355. श्री अंकुश राव टोपे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने विश्व के किसी भाग में आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अधिकार में एक स्थाई सशस्त्र सेना के गठन की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में 'एन एजेंडा फोर पीस" में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि सदस्य-राष्ट्र इस बात का वचन ले कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने अथवा उसे बहाल करने के लिए सुरक्षा परिषद को जो सशस्त्र बल, सहायता और सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें वे केवल तदर्थ आधार पर ही नहीं बल्कि स्थायी आधार पर भी देंगे। इस रिपोर्ट में दिए गए प्रस्तावों की भली-भांति जांच की जा रही है और इस वर्ष के अन्त में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें अधिवेशन में भारत सरकार के विचार व्यक्त किए जाएंगे।

ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय

4356. श्री गुरुदास कामत
श्री श्रवण कुमार पटेल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1992 में इकनामिक टाइम्स में ब्रिटेन में कार्य कर रहे भारतीयों के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने यू०के० के जातीय समानता आयोग की 1991 की उस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर गौर किया है जिसका जिक्र इस खबर में है। इस रिपोर्ट में स्थिति का अत्यधिक खराब होने का संकेत नहीं मिलता है और न ही इस बात का संकेत मिलता है कि भेदभाव के लिए भारतीय मूल के लोगों को चुना जा रहा है।

जवाहर रोजगार योजना पर निगरानी

4357. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के पास जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु कोई तन्त्र है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) जी हां। राज्य स्तर पर जवाहर रोजगार योजना की निगरानी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए बनाई गई राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा की जाती है। इस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को भी

आमंत्रित किया जाता है। राज्य सरकारें आवधिक विवरणियां/रिपोर्टें भी निर्धारित करती हैं जिनके माध्यम से वे जिलों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यों के निष्पादन की निगरानी करती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालयों में जवाहर रोजगार योजना का कार्य देखने वाले अधिकारियों को नियमित रूप से जिलों का दौरा करना और यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषजनक रूप में और निर्धारित प्रक्रिया और विशिष्टताओं के अनुरूप हो रहा है।

ग्रामीण भूमिहीनों का सर्वेक्षण

4358. **श्री एन० डेनिस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु में ग्रामीण भूमिहीनों तथा बेघर श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य को इस प्रायोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के इक्विटी शेयर

4359. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्टैंडिंग कानफरेंस ऑन पब्लिक इन्टरप्राइजेज" ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए इक्विटी शेयर देने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने और शेयर बेचने हेतु रूपात्मकताएं सुझाने के लिए एक समिति गठित की है। सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें समिति को उनके विचारार्थ सूचित कर दी गयी हैं। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

आर्थिक विकास दर

4360. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने यह भविष्यवाणी की है कि इस वर्ष भारत के आर्थिक विकास में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आर्थिक विकास में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा उसके अर्द्ध-वार्षिक प्रकाशन "इकानोमिक आउट लुक" में कहा गया है।

(ग) कोई सही मात्रात्मक अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

4361. श्री रामचन्द्र घंगारे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं और वर्ष 1991-92 के दौरान 0 जून, 1992 तक इन उपक्रमों ने कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया है; और

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटा न भरने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" एवं समूह "घ" के 3% पदों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यतियों के लिए आरक्षित किया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कल्याण मंत्रालय' जो शारीरिक विकलांगों के लिए एक प्रमुख मंत्रालय है, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से संचालित विशेष भर्ती अभियान, 1990 के आधार पर कल्याण मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति हेतु नामित किए गए शारीरिक विकलांगों की नियुक्ति की नियमित रूप से जांच-पड़ताल कर रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	शारीरिक विकलांगों द्वारा वास्तविक तौर पर भरे गए पद					
		ग			घ		
		नेत्र विकलांग	बधिर	अस्थि विकलांग	नेत्र विकलांग	बधिर	अस्थि विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इंडियन रेअर अर्थस् लि० मुम्बई	—	—	2	—	—	—
2.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि०, कोचीन	—	3	1	—	1	1
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, नई दिल्ली	—	—	1	—	—	—
4.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मा० लि०	1	[illegible]	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि०	1	—	—	—	—	—
6.	पवन हंस लि०	—	1	—	—	—	—
7.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	3	—	1	—	—	—
8.	नेवेली लिग्नाइट कारपों० लि०, तमिलनाडु	—	—	—	—	1	3
9.	नदर्न कोलफील्ड्स लि०, प० बंगाल	—	—	—	—	1	—
10.	भारत अर्थमूवर्स लि०, बंगलौर	1	3	3	1	—	—
11.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि०, उत्तर प्रदेश	1	2	—	—	2	—
12.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	—	—	18	—	—	9
13.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	—	—	2	—	—	1
14.	भारत लैदर कारपों० लि०	1	—	—	1	—	—
15.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०, हैदराबाद	—	1	—	—	—	1
16.	इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स	—	1	1	—	—	—
17.	खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स	—	—	2	—	—	—
18.	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	—	2	5	—	1	—
19.	मद्रास रिफायनरीज लि०, मद्रास	2	1	2	—	—	1
20.	इंडियन ऑयल कारपों० लि० (विपणन प्रभाग), मुम्बई	—	—	—	2	2	4
21.	भारतीय गैस प्राधिकरण	2	2	—	—	—	—
22.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा	7	2	—	—	2	—
23.	तूतिलकम पोर्ट ट्रस्ट	—	4	2	4	4	2
24.	बम्बई पोर्ट ट्रस्ट	2	5	19	2	—	11
25.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट	—	—	1	—	—	—
26.	डी जी शिपिंग बम्बई	—	—	1	—	2	—
27.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	—	—	—	—	—	1
	कुल :	21	28	61	11	16	35

[हिन्दी]

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा ई० एल०सी० ओ० ईंधन की खोज

4362. श्री राजेश कुमार
श्रीमती शीला गौतम
श्री मुमताज अंसारी
: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने ई० एल० सी० ओ० नाम के किसी किस्म के ईंधन की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो इस ईंधन का कितना वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) ई० एल० सी० ओ० ईंधन के प्रयोग से कितने कोयले की बचत होने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं। किन्तु कार्बनिकृत लिग्नाइट ब्रिकेट्स, जिनका ब्रांड नाम "लेको" तथा फाइन्स है, का उत्पादन नेयवेली स्थित नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के ब्रिकेटिंग तथा कार्बनीकरण संयंत्र में किया जाता है।

(ख) लेको तथा फाइन्स दोनों का मिश्रित उत्पादन औसतन लगभग 2.5 लाख टन प्रति वर्ष है।

(ग) लेको के उपयोग के कारण कोयले की मात्रा में लगभग 4.15 लाख टन/प्रति वर्ष की बचत होती है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

4363. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सरकार अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के संबंध में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जिनमें मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है। वर्ष 1992-93 और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वार्षिक योजना (1992-93) के लिए 4.22 करोड़ रुपए और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के लिए 20.77 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रस्ताव किया है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान स्थापना का काम शुरू किये जाने वाली अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियां तथा युक्तियां का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

वर्ष 1192-93 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में स्थापना के लिए प्रस्तावित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियां तथा युक्तियों का विवरण

क्रम सं०	प्रणालियां/युक्तियां	प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्य
1.	पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र	4,000 संख्या
2.	उन्नत चूल्हा	1.40 लाख
3.	सौर जल-तापन प्रणालियां (लिटर प्रतिदिन)	1.25 लाख
4.	सौर कुकर	12.000 संख्या
5.	सौर प्रकाश वोल्टीय सड़क लाईट	50 संख्या
6.	कुटीर दीप (सफरी सौर प्रकाश वोल्टीय लैम्प)	700 संख्या
7.	प्रकाश वोल्टीय विद्युत यूनिट	1 सं० (6 के० डब्लू०पी०)
8.	पवन पम्प	25 संख्या
9.	ऊर्जा ग्राम	20 गांव
10.	समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	8 ब्लाक

विवरण-2

मध्य प्रदेस में विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों की स्थापना संबंधी उपलब्धियों की स्थिति

क्रम सं०	कार्यक्रम	यूनिट	संचयी उपलब्धि 31-3-92 तक
1	2	3	4
1.	पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र	संख्या हजारों में	46.70
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	संख्या	75
3.	उन्नत चूल्हा	संख्या लाखों में	10.09
4.	औद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियां	लीटर प्रतिदिन लाख में	3.15
5.	घरेलू सौर जल तापन	संख्या	50
6.	सौर स्टिल	संख्या	150
7.	सौर शुष्कक	संख्या	2
8.	सौर काष्ठ भट्टियां	संख्या	1

1	2	3	4
9.	सौर कुकर	संख्या हजार में	71.98
10.	प्रकाश वोल्टीय सड़क लाइटों वाले गांव	संख्या (लगभग)	827
11.	प्रकाश वोल्टीय पम्प	संख्या (लगभग)	90
12.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक टी०वी०/प्रकाश प्रणालियां	संख्या लगभग	64
13.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू लाइटें (स्थिर व सफरी)	संख्या	336
14.	पवन पम्प	संख्या	167
15.	पवन फार्म	मे०वा०	0.64
16.	पवन बैटरी चार्जर	कि०वा०	4
17.	मिनी-माइक्रो जल-विद्युत	मे०वा०	1.20
18.	ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं	संख्या	20
19.	ऊर्जा ग्राम ऊर्जा सर्वेक्षण	संख्या	136
20.	बायोमास ऊर्जा पौधारोपण	हैक्टेयर	119
21.	बायोमास गैसीफायर	संख्या	101

मध्य प्रदेश में बायो-गैस अनुसंधान केन्द्र

4364. श्री आनन्द अहिरवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बायो गैस अनुसंधान और विकास केन्द्र किन-किन राज्यों में किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के सागर जिले में ऐसा केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सरकार अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के लिए सहायता दे रही है जो इस समय आनन्द और वल्लभ विद्यानगर (गुजरात), हिसार और करनाल (हरियाणा), त्रिवेन्द्रम (केरल), बंगलूर और मैसूर (कर्नाटक), सांगली पुणे (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (उड़ीसा), लुधियाना (पंजाब), उदयपुर (राजस्थान), अन्नामलयनगर, कोयम्बटूर तथा मद्रास (तमिलनाडु), खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) और नई दिल्ली स्थित संस्थाओं में प्रगति पर हैं और किसी राज्य में बायोगैस अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों के लिए नहीं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश के सागर जिले स्थित किसी संस्था से बायोगैस में अनुसंधान तथा विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

सरकारी कालोनियों में समाज सदनों का निर्माण

4365. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री 29 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3448 की उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० के० पुरम के सेक्टर VIII में समाज सदन के निर्माण के लिए निर्धारित भूमि को स्वीकृति दे दी गई है तथा बिल्डिंग प्लान को स्वीकृत कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक समाज सदन का निर्माण न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में अनेक समाज सदनों का निर्माण नक्शे पास न होने तथा धनराशि मंजूर न होने के कारण रुका हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) रामाकृष्ण पुरम, सेक्टर 8 में समाज सदन के लिए निर्धारित भूमि की स्वीकृति देने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। समाज सदन के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा खर्च की स्वीकृति 1987 में दे दी गई थी। तथापि अन्तर विभागीय समिति जिसका गठन 1989 में किया गया था उसे प्रस्तुत की गई विभिन्न समाज सदन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए कहा गया है।

पवन ऊर्जा का विकास करने में निजी क्षेत्र में सहयोग लेना

4366. श्रीमती वासवा राजेश्वरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में पवन ऊर्जा क्षमता का विकास करने हेतु निजी पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी नीति की घोषणा की है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और शेष परियोजनाएं इस समय किस चरण में हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। कर्नाटक राज्य मे पवन विद्युत परियोजनाओं के विकास में निजी सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक नीति की घोषणा की है।

(ख) और (ग) कोडागू जिले के तालकावेरी स्थान पर 0.55 मे० वा० की एक प्रदर्शन पवन फार्म परियोजना स्थापित की गई है। धारवाड़ जिले के कपाटगुड्डा स्थान पर 2 मे०वा० के पवन फार्म की स्थापना के लिए परियोजना राज्य सरकार के 4-5 मे० वा० की परियोजना के प्रस्ताव के मद्दे केन्द्र द्वारा मंजूर की गई। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि राज्य में अन्य चिह्नित पवन वेग वाले स्थानों पर पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

बंजर भूमि का विकास

4368. श्री छेदी पासवान
श्री आनन्द अहिरवार
श्री गोपीनाथ गजपति
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंजर भूमि के विकास हेतु नई योजनाएं बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) से (ग) केन्द्र और राज्य सरकारों की चल रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बंजर भूमि सहित परती भूमि के विकास के लिए चलाए जा रहे वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप सतत् रूप से चलाए जाने वाले कार्यकलाप हैं। बंजर भूमि के विकास के लिए पृथक से एक नई योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे कि अन्तिम रूप दिया जा रहा है, के दौरान परती भूमि विकास कार्यक्रम का व्यापक रूप से विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

चल राशन दुकानें

4369. डा० रमेश चन्द तोमर
श्री देवी बक्स सिंह
श्री रामकृष्ण कुसमरिया
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को चल राशन दुकानें उपलब्ध कराई हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को ऐसे कितने वाहन उपलब्ध कराए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार चलती-फिरती उचित दर दुकानों के रूप में प्रयोग करने हेतु वैनों की खरीद के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रही है।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	वाहनों की संख्या जिनके लिए सहायता दी गई
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33
2.	असम	18
3.	बिहार	76
4.	हिमाचल प्रदेश	18
5.	कर्नाटक	26

1	2	3
6.	मध्य प्रदेश	44
7.	महाराष्ट्र	24
8.	मणिपुर	16
9.	मेघालय	6
10.	मिज़ोरम	4
11.	नागालैंड	11
12.	उड़ीसा	48
13.	राजस्थान	61
14.	सिक्किम	4
15.	तमिलनाडु	11
16.	उत्तर प्रदेश	72
17.	चंडीगढ़	2
18.	जम्मू तथा कश्मीर	13
19.	पंजाब	4
20.	केरल	9
21.	हरियाणा	10
	योग :	510

[अनुवाद]

कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले एकक

4370. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला
श्री बलराज सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले सरकारी और गैर सरकारी एककों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) इन उद्योगों में किन-किन कीटनाशकों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने उन को पर्याप्त सुरक्षोपाय अपनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) सरकार उन उद्योगों पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) मे०

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० (एच० आई० एल०) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एकमात्र उपक्रम है जो डी० डी० टी०, बी० एच० सी०, इन्डोसल्फाम, मैलाथियान और मोनोक्रोटोफोस का निर्माण करता है। लघु क्षेत्र के एककों सहित अनेक एकक/कम्पनियां कीटनाशों का निर्माण करती हैं। यह विचार है कि आंकड़ों को एकत्रित/संकलित करने में लगने वाला समय और श्रम प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) और (घ) कीटनाशकों के निर्माताओं को पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए सरकार उचित निर्देश जारी करती है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाने में सुरक्षोपाय सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व कारखाना प्रबन्धकों का है। राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन समय-समय पर इस बात की जांच करते हैं कि उनका प्रबन्धक सुरक्षा उपबन्धों का अनुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं।

केन्द्रीय कर्मचारी भर्ती योजना

4371. **श्री दिली भाई संघाणी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण कितना है और उनमें से सेवावार कितने पदों को भरा गया है;

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी भर्ती योजना के अन्तर्गत आने वाले ऐसे पदों का प्रतिशत सेवावार तथा पदवार कितना है जिन्हें विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में भरा गया है;

(ग) केन्द्रीय कर्मचारी भर्ती योजना में भारतीय वन सेवा के कर्मचारियों की संख्या कम होने का क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार केन्द्रीय कर्मचारी भर्ती योजना में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक उत्पादों के लिए आंतरिक बाजार

4372. **प्रो० सुशांत चक्रवर्ती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास के लिए पहली शर्त आन्तरिक बाजार को मजबूत बनाना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने 1991-92 के दौरान आन्तरिक बाजार को और व्यापक बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ग) इन उपायों के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) आंतरिक बाजार को मजबूत बनाना औद्योगिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

(ख) जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में और, अगस्त, 1991 में व्यापार नीति में घोषित प्रारम्भिक उपायों तथा परिणामस्वरूप निर्यात तथा आयात नीति, 1992-97 में किए गए परिवर्तन, तथा 1992-93 के बजट की गई पहल, सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं।

(ग) इन नीतिगत उपायों से अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है।

इज़रायल के प्रधान मंत्री की अरब देशों के साथ शांति वार्ता

4373. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इजरायल के प्रधान मंत्री की अरब देशों से शांति वार्ता शुरू करने से सम्बन्धित घोषणा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस क्षेत्र की समस्याओं का एक ऐसा न्यायपूर्ण और सम्मानजनक हल निकालने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का स्वागत करती है जो सभी संबद्ध पक्षों को स्वीकार्य हो।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स वर्कशाप

4374. **श्री हाराधन राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई वर्कशापों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोई वर्कशाप बन्द की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नये वर्कशाप स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) वर्तमान में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में क्षेत्रीय तथा यूनिट प्रत्येक स्तर पर निम्न स्थानों पर 8 वर्कशाप विद्यमान हैं।

क्षेत्रीय वर्कशाप	यूनिट वर्कशाप
1. सौदेपुर	1. खोट्टाडीह
2. पोनियाती	2. शंकरपुर
3. नियामतपुर	3. पारसकोला
4. रतीबाती	4. नाबाकजोरा
5. बाराकर इन्जीनियरिंग और फाउन्ड्री वर्क्स	5. नार्थ सियरसोल
6. उखरा	6. सतग्राम
7. सुगमा	7. घूसिक
8. बहुला	8. बोन्जेमहारी

इसके अतिरिक्त, कोलियरी स्तर पर 15 वर्कशाप ओपनकास्ट खानों में तथा 52 वर्कशाप भूमिगत खानों में स्थित हैं।

(ख) और (ग) केवल दो कोलियरी स्तर की वर्कशाप, जोकि कापासारा तथा बजना ओपनकास्ट परियोजनाएं हैं, को बन्द किया गया है क्योंकि इन परियोजनाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इन वर्कशापों से उपकरणों का स्थानान्तरण दूसरी वर्कशापों में किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) नई वर्कशापों की राजमहल, सोनपुर बाजारी, जामबाद तथा झांझरा में स्थापना की जा रही है।

[हिन्दी]

घाटे में चल रही कोयला खानें

4375. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री धर्मभिक्षम
श्री मृत्युञ्जय नायक
: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कोयला खाने में खनन कार्य कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है;

(ख) इनमें से कितनी कोयला खानों को घाटा हो रहा है;

(ग) ऐसी प्रत्येक कोयला खान के घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने घाटे के कारणों की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कोयला खानों में फिजूल खर्च को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और यह खर्च किस प्रकार कम किया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार को०इं०लि० को कोयले का उत्पादन करने वाली खानों की संख्या 440 है।

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर दी जाएगी।

(घ) और (ङ) ऐसे घाटे उठाए जाने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :—

1. ईस्टर्न कोलफील्डस लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में भूमिगत उत्पादन की मात्रा कुल उत्पादन से अधिक है। भूमिगत खनन लागत आमतौर पर ओपनकास्ट खनन लागत से अधिक रहती है।

2. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० खानों का औसतन आकार छोटा है। खान का आकार ही उत्पादन संबंधी आर्थिक स्थिति का निर्धारण करता है। अधिकांशतः पुरानी खानों के होने और विभिन्न भू-खनन समस्याओं के होने के कारण कुछ खानों का पुनर्गठन किए जाने के बाद भी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में खानों का औसतन आकार छोटा है।

3. झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में अधिकांशतः खानों में प्रतिकूल भू-खनन

परिस्थितियां विद्यमान हैं और कोयले का उत्खनन किए जाने के लिए रेत भराई की प्रक्रिया किया जाना अपेक्षित है। इससे कोयले के उत्खनन किए जाने की लागत बढ़ जाती है।

4 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में श्रमशक्ति फालतू है।

5 ऐसे क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण किए जाने और विद्युत की उपलब्धता संबंधी समस्या विद्यमान है, जिनमें कोयले के खनन क्रियाकलाप किए जा रहे हैं।

6. लागत की कुछ मदों का न शामिल किए जाना अर्थात् ब्याज, मूल्य ह्रास और इक्विटी पर लाभांश जिन्हें विगत में कई मौके पर कोयले की प्रशासनिक कीमत में शामिल नहीं किया गया है।

7. मजदूरी संशोधन तथा लागतों की कीमत में वृद्धि और कोयले की कीमतों में संशोधन की प्रभावकारिता के बीच समय-अवधि संबंधी अन्तराल।

(ख) कोलियरियों में व्यय को कम किए जाने और व्यय को रोके जाने के संबंध में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

1. व्यय के संबंध में उत्पादन लागत पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखने तथा रोक लगाए जाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ताकि निरंतर विकास के लिए पर्याप्त मार्जिन रखा जा सके। उत्पादन में जबकि विकास की दर को बनाए रखा जा रहा है किन्तु उत्पादन में समग्र रूप में सुधार हुआ है। मुद्रास्फीति की दर की तुलना में यूनिट लागत की वृद्धि पर रोक लगाकर वास्तविक रूप में उत्पादन यूनिट लागत में काफी कमी की गई है।

(2) उच्च उत्पादन तथा उत्पादकता प्राप्त किए जाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं ताकि उत्पादन लागत को न्यूनतम रखा जा सके :—

(क) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू कामगारों की पुनः तैनाती और प्राकृतिक रूप में फिजूल खर्ची के कारण रिक्त पदों के एवज में नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाया जाना शामिल है।

(ख) श्रमशक्ति में वृद्धि पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिए नियंत्रण।

(ग) "आल मैन-आल-जाब" की संकल्पना को प्रायोगिक आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है।

(घ) पर्याप्त रूप में वर्कशाप-स्पोर्ट, स्पेयर पुर्जों की व्यवस्था में सुधार और उपकरणों की यवस्थापन करके "हैम" की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार। "हैम" और अन्य उपकरणों की खरीददारी की गहन समीक्षा की जाती है ताकि संयंत्र और मशीनरी की खरीद को न्यूनतम रखा जा सके।

(ङ) भूमिगत खानों पर विशेष जोर देकर उत्पादकता में वृद्धि :

(च) अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किए जाने के लिए राज्य सरकारों तथा उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ भी बेहतर समन्वय रखने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि कार्यक्रम के अनुसार खनन क्रियाकलापों को शुरू किया जा सके।

(छ) उत्पादन की अल्पावधि/दीर्घावधि संभावनाओं को अस्त-व्यस्त किए बिना पूंजीगत व्यय में कमी ताकि उत्पादन की भविष्य की लागत में ब्याज तथा मूल्यह्रास की प्रभावकारिता को न्यूनतम किया जा सके।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की उपलब्धि

4376. श्रीमती भावना चिखलिया
श्री चेतन पी० एस० चौहान } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अथवा इसकी प्रयोगशालाओं ने वर्ष 1990-91 के दौरान कोई विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कौन-कौन-सी अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और औद्योगिक मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान वै०औ०अ०प० की प्रयोगशालाओं ने लगभग 50 नई तकनीकी जानकारियों का विकास किया और लगभग 150 औद्योगिकी लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर किए, लगभग 200 पेटेंटों को फाइल किया और लगभग 1900 वैज्ञानिक पेपरों (शोधपत्रों) का योगदान किया। वै०औ०अ०प० औद्योगिकियों पर आधारित इस वर्ष का औद्योगिक उत्पादन लगभग रुपए 1300 करोड़ का आंका गया। इस वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार थीं :—

1. निम्नांकित का वाणिज्यीकरण :

- एथिल बेंजीन के उत्पादन हेतु एक एकल पदीय प्रक्रम (ए सिंगल स्टेप प्रोसेस) का नवीन नवीन उत्प्रेरक
- द्विधातुक सुधार वाला उत्प्रेरक (नेफथा सुधार के लिए।
- साऐनोएक्रीलेट आसंजक और सोडियम एजाइड (अतीक्ष्ण विस्फोटक) और सेन्ट-क्रोमन (एक विकृताकृति महिला गर्भ निरोधक) के लिए प्रौद्योगिकियां

2. निम्नांकित का विकास :

- वायुयान निर्माण के लिए एल्युमिनियम एलॉय रिवेट्स
- तरल नाइट्रोजन स्क्वायड (एसक्यूयूआइडी)

3. निम्नांकित का निर्यात :

- फ्रांस को गुगुलीपिड (हाइपोलिपिडेमिक(की तकनीकी जानकारी
- हालेण्ड को पेंटासिल जियोलाइट उत्प्रेरक (माइल्ड हाइड्रोक्रेकिंग के लिए)
- एक पोलीमर अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए चीन को परामर्शी सेवाएं।

(ग) वर्ष 1992-93 से आरम्भ हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वै०औ०अ०प०

निम्नांकित चार श्रेणियों के कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करेगी :

—उद्योग तथा किफायत उन्मुखी

—सामाजिक कल्याण

—मूल अनुसंधान

—अनुसंधान तथा विकास के लिए समर्थित क्रियाकलाप तथा तकनीकी सेवाएं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी उद्योग

4378. **श्री किरिप चालिहा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी उद्योग के क्षेत्र में देश के अन्य भागों की तुलना में असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में इलेक्ट्रानिकी उद्योग को बढ़ावा देने के मामले में प्रगति हुई है। वर्ष 1991 के दौरान इन राज्यों में इलेक्ट्रानिकी का कुल उत्पादन 32 करोड़ का हुआ था। राज्य सरकारें तथा उनके संवर्धनात्मक अभिकरण राज्यों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना करने की दृष्टि से उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं तथा प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. इलेक्ट्रानिकी विभाग के सुझाव पर, असम, मणिपुर, मेघालय तथा मिज़ोरम की राज्य सरकारों ने राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी तथा विकास निगमों (एस०ई०डी०सी०) की स्थापना की है।

2. इलेक्ट्रानिकी विभाग के मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण (एस० टी० क्यू० सी०) कार्यक्रम के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में एक इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ई० टी० डी० सी०) की स्थापना की गई है।

3. इस क्षेत्र के लिए डिजाइन, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं पर विशेषरूप से बल देते हुए प्रशिक्षण देने के लिए इम्फाल में इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी० ई० डी० टी०) नामक एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था की स्थापना की गई है।

4. इलेक्ट्रानिकी कम्प्यूटर तथा जनशक्ति विकास कार्यक्रम : कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के लिए निष्णात् (एम०सी०ए०), कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर/पालीटेकनिकोत्तर डिप्लोमा (पी०जी०डी०सी०ए०/पी०पी०डी०सी०ए०) कम्प्यूटर इंजीनियरी में डिप्लोमा (ड०सी०ई०)

तथा कम्प्यूटरों के क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्तरीय अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इस क्षेत्र में कई शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान की गई है।

5. प्रयोगशालाओं में विद्यमान मूल संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के जरिए इंजीनियरों तथा तकनीशियनों की क्वालिटी में सुधार करने, पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य विषयों का दर्जा बढ़ाने तथा शिक्षकों की शिक्षण संबंधी निपुणताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से एक इलेक्ट्रानिकी उद्योग विकास कार्यक्रम (जनशक्ति खण्ड) आरम्भ किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत, असम इंजीनियरी संस्थान के रूप में शामिल किया गया है।

6. चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से, मेसर्स असम राज्य इलेक्टानिकी विकास निगम (अम्ट्रान) ने चाय की पत्ती को कुम्हलाने, सुखाने, किण्वन तथा चाय उद्योग की रोलिंग प्रक्रिया के लिए एक कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली का विकास किया है, जिसके लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

7. मिजोरम ने एक इलेक्ट्रानिकी औद्योगिक बस्ती की स्थापना करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत इक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन (ई०टी० एण्ड टी०) लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

8. इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत सी०एम०सी० लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इस क्षेत्र में कई संगठनों को कम्प्यूटर प्रणाली संबंधी परामर्श सेवाएं/अनुरक्षण तथा साफ्टवेयर विकास/सहायक सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

4379. हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान रुग्ण घोषित किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन उपक्रमों ने अपने कार्यनिष्पादन में सुधार नहीं किया है;

(घ) इन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अपने कार्यनिष्पादन में सुधार न करने वाले उपक्रमों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1991-92 के लेखाओं को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना है। बहरहाल, वर्ष 1990-91 तक के कार्यनिष्पादन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 54 उद्यमों को, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां, माना गया है।

(ख) और (ग) इन 54 सरकारी उद्यमों में से 17 उद्यमों ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान अपने घाटे में कमी की थी जबकि शेष 37 सरकारी उद्यमों का घाटा इस दौरान बढ़ गया था।

(घ) कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, सरकारी उद्यम द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कारंवाई की जाती है।

(ङ) 31-3-1991 तक की स्थिति के अनुसार उपरोक्त 4 उद्यमों में कुल पूंजीनिवेश 9052.56 करोड़ रुपये था, जिसमें से पैरा (ख) एवं (ग) में उल्लिखित 37 उद्यमों में उक्त तारीख तक कुल पूंजीनिवेश 2961.77 करोड़ रुपये था।

मध्य प्रदेश के सूखा-प्रवण क्षेत्र

4380. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के राजगढ़ जिले को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) और (ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत राजगढ़ जिले के खिलचीपुर, राजगढ़, बिओरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर और जीरापुर नामक छः खण्डों को शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से जुलाई, 1989 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। क्षेत्रों को शामिल करने अथवा निकालने से संबंधित मामले पर योजना आयोग के तात्कालिन सदस्य श्री एल० सी० जैन के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय समिति द्वारा विचार किया जाना था। तथापि, समिति ने इस पहलू को कवर किया था बल्कि अगस्त 1990 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाए।

भारतीय मजदूर संघ के सुझाव

4381. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी**
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मजदूर संघ ने यह सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने के स्थान पर उनके संचालन का दायित्व मजदूरों की सहकारी समितियों को सौंप दिया जाये;

(ख) यदि हां तो भारतीय मजदूर संघ के प्रस्ताव/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) विशेष त्रिपक्षीय समिति की 20 जनवरी, 1992 को आयोजित दूसरी बैठक में केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों ने जहां कहीं कर्मकार इच्छुक हों वहां पर कर्मकार सहकारी समितियां गठित करने का सुझाव दिया था। ब्यौरे अभी तैयार नहीं हुए हैं।

सिंगरेनी कोलियरी का कोल इंडिया लिमिटेड के साथ विलय

4382. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरी का कोल इंडिया लिमिटेड के साथ विलय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक विलय किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) वर्तमान में, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (सि० को० कं० लि०) का कोल इंडिया लि० के साथ विलयन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड

4383. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली में गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की बैठक कब से आयोजित नहीं की गई है;

(ख) क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 31 अक्तूबर, 1991 को घोषित निर्णय के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली में औद्योगिक कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु दिल्ली प्रशासन कोई कदम उठाने जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में न्यूनतम मजदूरी के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड को कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) पुनर्गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की पिछली बैठक 30-7-92 को हुई थी।

(ख) मजदूरी की न्यूनतम दरों के संशोधन/निर्धारण के लिए आधार के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा उक्त बैठक में विचार किया गया था।

(ग) मामले पर आगे विचार करने के लिए बोर्ड की दोबारा बैठक 18 सितम्बर, 1992 को होनी है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति

4384. श्री मुमताज अन्सारी
श्री भगवान शंकर रावत } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने केन्द्रीय रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन रोजगार कार्यालयों में कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विशेष भर्ती के लिए कोई योजना बनाने का है ?

श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) देश में केवल एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय है जोकि नई दिल्ली में स्थित है।

(ख) देश में 1988, 1989 और 1990 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गये पंजीकरणों की श्रेणीवार संख्या और रोजगार कार्यालयों द्वारा की गई नियुक्तियों की श्रेणीवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार का बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार का अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की विशेष भर्ती हेतु योजनाएं तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

किए गए पंजीकरणों और की गई नियुक्तियों की संख्या—1988-89

(हजारों में)

वर्ष		निम्न के संबंध में किए गए पंजीकरण एवं नियुक्तियां					
		योग (सभी (श्रेणियां)	महिलाएं	शिक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग व्यक्ति
1988	पंजीकरण	5963.2	1081.4	372[illegible].0	708.1	196.2	46.1
	नियुक्तियां	328.5	55.0	147.3	46.1	20.8	5.5
1989	पंजीकरण	6575.8	1275.7	4052.0	913.1	277.2	43.5
	नियुक्तियां	289.2	50.5	143.9	47.4	26.6	3.9
1990	पंजीकरण	6540.7	1319.9	4365.7	720.0	244.0	43.1
	नियुक्तियां	264.5	50.6	129.0	40.6	24.4	3.9

[अनुवाद]

आर्थिक दृष्टि से क्षम और अक्षम उपक्रम

485. डा० वसन्त पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार रुग्ण समझे जाने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन एककों को पुन: चालू करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रुग्ण इकाइयों को आर्थिक दृष्टि से क्षम और अक्षम एककों में बांटने का है;

(घ) इन अर्थक्षम एककों के मजदूरों की सहायता हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अर्थक्षम एककों को पुन: चालू करने के लिए प्राइवेट पार्टियों को बुलाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ङ) वर्ष 1990-91 तक के कार्यनिष्पादन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र 54 उद्यमों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत रुग्ण घोषित किया गया है, जिसकी राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन हेतु विविध उपयुक्त योजनाएं तैयार करने के लिए इन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है। कामगारों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया गया है।

सरकार इन एककों के पुनरुद्धार के लिए गैर-सरकारी पक्षों की भागीदारी के विरुद्ध नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	सदर्न पेस्टीसाइड्स लि०
	असम
2.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम
	बिहार
3.	भारत रिफ्रैक्टोरिज लि०
4.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०
	गुजरात
5.	नेटेका (गुजरात) लि०

1	2
	हरियाणा
6.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
	कर्नाटक
7.	भारत गोल्ड माइन्स लि०
8.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि०
9.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
10.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एंव मांहे) लि०
	केरल
11.	कोचीन शिपयार्ड लि०
	मध्य प्रदेश
12.	ने टे का (मध्य प्रदेश) लि०
	महाराष्ट्र
13.	महाराष्ट्र एंटीबॉयोटिक्स लि०
14.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०
15.	राष्ट्रीय बाइसिकिल निगम लि०
16.	नेटेका (उत्तर महाराष्ट्र) लि०
17.	नेटेका (दक्षिण महाराष्ट्र) लि०
	नागालैंड
18	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०
	उड़ीसा
19.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०
	उत्तर प्रदेश
20.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
21.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रैशर्स लि०
22.	स्कूटर्स इंडिया लि०
23.	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन लि०
24.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०
25.	कानपुर टैक्सटाइल लि०
26.	एल्गिन मिल्स लि०
27.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०
28.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०

1	2
	पश्चिम बंगाल
29.	इण्डियन आयरन एंड स्टील कं० लि०
30.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
31.	स्मिथ स्टेनीस्ट्राट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
32.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियर्स लि०
33.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०
34.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०
35.	वेबर्ड इण्डिया लि०
36.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०
37.	बीको लारी लि०
38.	भारतीय साईकिल निगम लि०
39.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लि०
40.	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि०
41.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लि०
42.	उद्योग पुनर्स्थापन लि०
43.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन
44.	भारतीय टायर निगर लि०
45.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
46	वेटेका (पश्चिम बंगाल) लि०
47.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम
48.	बंगाल इम्युनिटी लि०
	दिल्ली
49.	भारतीय उर्वरक निगम लि०
50	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन
51.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
52.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि०
53.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०
54.	इन्टेलीजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम लि०

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय

4386. श्री रामकृष्ण कुसमरिया
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्री नरेश कुमार बालियान
: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी, छठी और सातवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति आय में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय कितना-कितना था ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) (क) से (ख) पांचवीं, छठी तथा सातवीं योजना के दौरान राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चौथी, पांचवी छठी तथा सातवीं योजना के अंतिम वर्षों के लिए (स्थिर कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद) प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। 1980-81 के लिए आंकड़े अतिरिक्त रूप में दिए गए हैं।

(ग) विवरण-2 में पांचवीं, छठी तथा सातवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति योजना व्यय को दर्शाया गया है।

विवरण-1

स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

क्रम सं०	राज्य	5वीं योजना का अंतिम वर्ष		6ठी योजना का अंतिम वर्ष	7वीं (पी)	योजना का अंतिम वर्ष
		*1973-74	*1978-79	1980-81	1984-85	1989-90†
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	624	659	1380	1505	1826
2.	अरुणाचल प्रदेश	467	661	1561	1908	2202
3	असम	549	537	1200	1457	1650
4.	बिहार	381	432	882	996	1039
5.	गोआ, दमन और दीव	1016	1240	3145	3313	4184
6.	गुजरात	775	920	1951	2304	2634
7.	हरियाणा	818	1060	2370	2483	3124
8.	हिमाचल प्रदेश	671	739	1704	1599	2153
9.	जम्मू व कश्मीर	559	648	1649	1759	—

1	2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	658	726	1623	1872	2183
11.	केरल	600	593	1513	1451	1614
12.	मध्य प्रदेश	477	482	517*	573*	691*
13.	महाराष्ट्र	799	1002	2427	2528	3413
14.	मणिपुर	462	508	1427	1567	1674
15.	मेघालय	—	—	1361	1385	1576
16.	नागालैंड	—	—	1383	1806	2257
17.	उड़ीसा	486	527	2231	1210	1579
18.	पंजाब	1107	1388	2690	3051	3628
19.	राजस्थान	560	628	1222	1379	1651
20.	सिक्किम	—	—	1571	1919	—
21.	तमिलनाडु	603	669	1498	1758	1995
22.	त्रिपुरा	553	692	1323	1363	1511
23.	उत्तर प्रदेश	436	514	1278	1366	1575
24.	पं० बंगाल	714	779	1564	1631	1897

(पी) अनंतिम *1970-71 की कीमतों पर आधारित

— संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया

† 1980-81 की कीमतों पर

स्रोत : राज्य के अनुमानों से संबंधित राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय

टिप्पणी :—1. विभिन्न राज्यों के लिए स्रोत सामग्री में प्रयुक्त आंकड़े भिन्नता के कारण पूर्ण रूप में तुलनीय नहीं है।

टिप्पणी :—2. केवल मिजोरम राज्य ने इन अनुमानों को चालू कीमतों पर तैयार किया है।

टिप्पणी :— 3. भिन्न-भिन्न कीमत आधार होने के कारण, 1973-74 तथा 1978-79 के लिए आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से 1980-81, 1984-85 एवं 1989-90 के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं है।

विवरण-2

प्रति व्यक्ति योजना व्यय (चालू कीमतों पर)

(रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	पांचवीं योजना 1974-79	छठी योजना 1980-85	सातवीं योजना 1985-90
1.	आंध्र प्रदेश	305	579	1008
2.	अरुणाचल प्रदेश	1190*	3333*	7630
3.	असम	252	612	1090
4.	बिहार	190	404	760
5.	गोआ	879*	1972*	3771
6.	गुजरात	456	1091	1417
7.	हरियाणा	593	1149	1673
8.	हिमाचल प्रदेश	611	1502	2772
9.	जम्मू व कश्मीर	710	1471	2930
10.	कर्नाटक	329	686	934
11.	केरल	284	624	812
12.	मध्य प्रदेश	307	709	1107
13.	महाराष्ट्र	471	994	1524
14.	मणिपुर	796	1626	3040
15.	मेघालय	752	1838	3422
16.	मिजोरम	1429*	2795*	5851
17.	नागालैंड	1565	2723	4754
18.	उड़ीसा	263	372	1076
19.	पंजाब	626	1080	1885
20.	राजस्थान	295	589	772
21.	सिक्किम	1391	4392	7188
22.	तमिलनाडु	254	717	1166
23.	त्रिपुरा	430	1351	2944
25.	उत्तर प्रदेश	29	563	897
25.	पश्चिमी बंगाल	255	428	727
	जोड़ (राज्य)	329	694	1111
	वर्ष के लिए प्रयुक्त जनसंख्या अनुमान	1976	1983	1978

*उस समय यह एक संघ राज्य क्षेत्र था।

दिल्ली में उचित दर दुकानें

4387. श्री परशुराम भारद्वाज
श्री एन० डेनिस　: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर की दुकानों में खाद्यान्नों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सर्किल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में उचित दर की और दुकानें खोलने का है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या संसद विहार में इस प्रकार की उचित दर की दुकान खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक खोला जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि केवल उन मामलों को छोड़कर जब कुछ दुकानों में अपरिहार्य कारणों से आपूर्ति में देरी हो जाती है, उचित दर दुकानों में उनके यहां दर्ज उपभोक्ताओं के लिए आमतौर पर खाद्यान्न उपलब्ध होता है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन का एक उचित दर की दुकान के साथ 5000 यूनिटें सम्बद्ध करने का मानदण्ड है। किसी भी क्षेत्र में नई उचित दर की दुकान खोलने का निर्णय इन मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

(ङ) और (च) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है संसद विहार के साथ लगे बैंक इन्क्लेव में एक उचित दर की दुकान चलाने के लिए एक लाइसेंस जारी किया गया है, जो संसद विहार के निवासियों की आवश्यकता भी पूरी करेगी। इस उचित दर की दुकान 10-7-1992 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

संस्थागत ढांचे का निर्माण

4389. श्री राम कापसे : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कृतिक बल ने संस्थागत ढांचे के निर्माण के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) कृतिक बल की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) संस्थागत ढांचे के निर्माण के संबंध में योजना आयोग द्वारा किसी टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया था। एकीकृत विकास के लिए

स्व-प्रबंधित संस्थाओं से संबंधित एक टास्क फोर्स था। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) राजनैतिक निहितार्थों के बिना विकास उद्देश्य के लिए 'ग्राम विकास संगम" नाम की ग्रामीण संस्था की स्थापना;

(2) स्वैच्छिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना तथा उनको 'टोकन सीड कैपिटल" से सहायता करना;

(3) सहकारिता समिति अधिनियम तथा समिति पंजीकरण अधिनियम को सरल बनाना; तथा

(4) स्वैच्छिक संगठनों के प्रबंध के लिए विकास उद्देश्यों के लिए सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण देना। टास्क फोर्स की सिफारिशें कार्यान्वियनाधीन हैं। उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में आयोग में एक स्वैच्छिक कारंवाई सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित स्वैच्छिक संगठनों की स्कीमों की एक निदेशिका तैयार की जा रही है। तेजी से विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों के राष्ट्र-व्यापी नैटवर्क के सृजन के बारे में गैर-सरकारी संगठनों की एक कार्यशाला 29 अप्रैल, 92 को आयोजित की गई।

विकास कार्यक्रमों की निधि को अन्य कार्यों में लगाना

4390. श्री मनोरंजन भक्त }
श्री जार्ज फर्नाण्डीज } : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने और गरीबी उन्मूलन संबंधी विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटित निधि को अन्य कार्यों में लगाया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग का विचार ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के समन्वय हेतु कोई निगरानी एजेंसी स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) के तहत कुछ राज्यों ने स्कीमों पर तथा कार्यक्रम के क्षेत्र के बाहर के प्रयोजनार्थ व्यय किए हैं। इसका उल्लेख लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में किया गया है जिसको संसद में 1985 में प्रस्तुत किया गया था। एन०आर०ई०पी० के क्षेत्र में से दी गई तथा राज्यों द्वारा पूर्ति की गई तथा अभी पूर्ति के लिए बाकी राशियों की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के तहत जनवरी-दिसम्बर 1989 अवधि के लिए समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 16% मामलों में आई०आर० डी० पी० राशियां अनुपयुक्त परिवारों को दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां। गरीबी निवारण कार्यक्रमों की मानिटरिंग तथा मूल्यांकन की मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एन०आर०ई०पी० क्षेत्र से बाहर हुए व्यय की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य	एन०आर०ई०पीके० के क्षेत्र से बाहर दी दी गई राशि	राज्यों द्वारा पूर्ति की गई राशि	राज्यों द्वारा पूर्ति की जाने वाली राशि
1.	आंध्र प्रदेश	200.14	200.14	—
2.	बिहार	863.63	300.00	563.63
3.	गोवा	0.80	—	0.80
4.	हिमाचल प्रदेश	3.55	—	3.55
5.	जम्मू व कश्मीर	0.70	—	0.70
6.	केरल	0.38	—	0.38
7.	मध्य प्रदेश	394.96	394.96	—
8.	महाराष्ट्र	7.46	—	7.46
9.	उड़ीसा	447.46	187.04	260.42
10.	पंजाब	124.21	112.10	12.11
11.	राजस्थान	10.99	10.99	—
12.	सिक्किम	3.60	—	3.60
13.	तमिलनाडु	9 14	—	9.14
14.	उत्तर प्रदेश	1441.36	1441.36	—
15.	प० बंगाल	127.86	—	127.86
	जोड़ :	3636.24	2646.24	989.65

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4391. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम द्वारा प्रतिवर्ष अर्जित लाभ अथवा उठाए गए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे में चलने के कारण सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों को बन्द कर दिया गया है;

(घ) इनमें से प्रत्येक उपक्रम की रुग्णता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख 31-3- 991 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे पांच उपक्रम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित थे। प्रत्येक उपक्रम द्वारा अर्जित लाभ/लाभ उठाई गई हानि का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	शुद्ध लाभ/हानि		
		1990-91	1989-90	1988-89
1.	मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि०	(-) 33	( ) 18	0
2.	नेपा लि०	620	( ) 388	(—) 5:4
3.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	2258	(—) 90	357
4.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०	(—)1978	(—)1838	(--)4466
5.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	(—)2079	(—)3232	(–)4756

(ग) घाटे में चलने के कारण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम को अभी तक बन्द नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) अलग-अलग उद्यमों में रुग्णता/घाटे के कारण अलग-अलग हैं। अधिक कर्मचारी, पुराने संयंत्र तथा मशीनरी, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, कम उत्पादकता, नये आदेशों की पूर्ति के लिए नकदी की कमी आदि घाटे के सामान्य कारण हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उद्यम-विशेष के बारे में सम्बद्ध उद्यम, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले रुग्ण औद्योगिक उद्यमों के लिए पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने के लिए, उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है।

परम्परागत उद्योग

4392. श्री सत्य देव सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से इन राज्यों में परम्परागत उद्योगों की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इन राज्यों को इस कार्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) परम्परागत उद्योगों के नाम से ज्ञात उद्योगों की कोई अलग श्रेणी नहीं है। फिर भी,

संबंधित राज्यों में विभिन्न उद्योग स्थापित करने के लिए 1-1-1989 से 30 जून 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य सरकारी क्षेत्र/राज्य औद्योगिक विकास निगमों से संबंधित उपक्रमों से प्राप्त आवेदनों की संख्या इस प्रकार है—

राज्य	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
(1) 1-1-89 से 30 जून, 1992 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	87	10

(ग) योजना आयोग राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए ब्लॉक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता देता है जिसमें उद्योगों हेतु आवंटन भी शामिल है।

कुशल और अकुशल बेरोजगार व्यक्ति

4393. श्री रतिलाल वर्मा
श्री देवी बक्स सिंह } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय श्रेणीवार और राज्यवार कितने कुशल और अकुशल बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनकी संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है अथवा करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या में से लगभग 80 प्रतिशत ऐसे नए व्यक्ति हैं जिनका कोई विशेष व्यावसायिक वर्गीकृत नहीं है। 31, दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार कुशल/अर्ध-कुशल एवं अकुशल के रूप में वर्गीकरण किए जा सकने वाले व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों की, राज्यवार संख्या संबंधी सूचना (अद्यतन उपलब्ध) का विवरण संलग्न है।

1988 में पंजीकृत कुशल/अर्धकुशल और अकुशल व्यक्तियों की संख्या में 1987 में उनकी संख्या की तुलना में क्रमशः 0.6% और 7% की कमी आयी।

(ग) और (घ) रोजगार आठवीं पंचवर्षीय योजना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस योजना में ऐसे सेक्टरों, सब-सेक्टरों और क्षेत्रों के तीव्र विकास सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया है जिनमें रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए तुलनात्मक रूप से उच्च रोजगार सम्भाव्यता है। भौगोलिक और फसलवार विभिन्नीकृत कृषि विकास, बंजर भूमि विकास और वानिकी, ग्रामीण गैर-फार्म सेक्टर और ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु और विकेन्द्रीकृत उत्पादकता का तीव्र विकास और आवास का विस्तार, इस योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष औसतन 80 से 90 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की आशा है।

विवरण

31-12-1988 की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल व्यक्तियों की संख्या

(हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अकुशल	कुशल/अर्धकुशल
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	623.5	113.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	असम	103.9	17.8
4.	बिहार	308.0	131.6
5.	गोवा	6.8	8.0
6.	गुजरात	98.9	28.8
7.	हरियाणा	152.5	23.6
8.	हिमाचल प्रदेश	70.3	21.3
9.	जम्मू और कश्मीर	44.0	4.7
10.	कर्नाटक	105.4	36.5
11.	केरल	193.2	104.4
12.	मध्य प्रदेश	368.5	42.1
13.	महाराष्ट्र	411.9	93.0
14.	मणिपुर	8.3	1.4
15.	मेघालय	2.8	0.2
16.	मिजोरम	9.2	0.1
17.	नागालैंड	1.6	0.3
18.	उड़ीसा	80.7	27.2
19.	पंजाब	177.2	22.4
20.	राजस्थान	138.2	14.2
21.	सिक्किम*		
22.	तमिलनाडु	335.6	101.6
23.	त्रिपुरा	21.9	1.0

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	560.7	168.5
25.	पश्चिम बंगाल	849.4	93.2
	संघ शासित प्रदेश		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	2.5
2.	चण्डीगढ़	43.0	7.2
3.	दादर और नगर हवेली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	दिल्ली	90.6	20.8
5.	दमन और दीव**		
6.	लक्षद्वीप	—	3.3
7.	पांडिचेरी	15.4	3.7
	योग :	4821.5	1093.1

टिप्पणी : *=इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
**=आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।
—=शून्य।

[अनुवाद]

उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठन द्वारा शुरू किए गए कार्य

4394. श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् ने गत तीन वर्षों के दौरान किसी स्वयंसेवी संगठन को उड़ीसा में कुछ कल्याण परियोजनाएं शुरू करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परिषद् ने उड़ीसा के बोलांगीर जिले में स्वयंसेवी संगठन द्वारा किए गए कार्यों का कोई मूल्यांकन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) ने उड़ीसा में 2,86,51,411/- रुपए की कुल लागत वाली 203 कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 116 स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी है।

(ग) और (घ) परिषद् द्वारा नवम्बर, 1988 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के बोलांगीर जिले के एक स्वयंसेवी संगठन भागपट पथागर को कुल, 1,80,351 रुपए की लागत से डेरी इकाइयों की स्थापना हेतु एक परियोजना स्वीकृत की गई थी। संगठन को

पहली किस्त के रूप में 11-1-1989 को 96,776 रुपए रिलीज किए गए थे। मई 1990 में कापार्ट के निरीक्षक द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया गया था जिसने यह सूचित किया था कि संगठन ने सिर्फ 3700/- रुपए खर्च किए हैं तथा शेष राशि बैंक में पड़ी हुई है। उसने यह भी उल्लेख किया था कि संगठन बैंक से ऋण नहीं ले रहा है और इसलिए लाभार्थियों के लिए ऋणों की स्वीकृति हेतु मामले को बैंक के साथ उठाया जाए। तदनुसार मामले को बैंक के संबंधित प्राधिकारियों के साथ पहले ही उठाया गया है।

परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों को सुविधाएं

4395. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 2000 तक 10,000 मैगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य अब भी केन्द्रीय सरकार की योजनाओं में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यमान परमाणु बिजली संयंत्रों के वैज्ञानिकों/परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जाएगा;

(ग) क्या उन्हें प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह सुविधाएं प्रदान की जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) यद्यपि परमाणु बिजली कार्यक्रम के पहले चरण के भाग के रूप में 10000 मेगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य वही है, तथापि इस लक्ष्य की प्राप्ति का समय धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार, दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टरों द्वारा, यदि धन उपलब्ध हुआ तो, सन् 2002 तक 5700 मेगावाट विद्युत पैदा करने का विचार है। यह तमिलनाडु में कूडनकुलम नामक स्थान पर स्थापित किए जाने वाले 1000 मेगावाट क्षमता के दो सोवियत वी०वी०ई०आर० जिनके बारे में तत्कालीन सोवियत रूस में हाल ही में हुई राजनीतिक घटनाओं के कारण अनिश्चितता बनी हुई है, के अलावा है।

(ख) कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक मानवशक्ति का अनुमान पहले से ही लगा लिया जाता है ताकि भर्ती करने और आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए कारंवाई की जा सके।

(ग) और (घ) वैज्ञानिकों और अभियंताओं की सेवा की शर्तें संतोषजनक है तथा सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुसार हैं।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4396. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार के अवसर पैदा करने, निर्यात करने और लोगों को लाभ प्रदान करने के सन्दर्भ में इनमें से प्रत्येक उपक्रम का कार्यनिष्पादन कैसा है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) **में राज्य मन्त्री** (**श्री पी० के० थुंगन**): (क) से (ग) 31-3-1991 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में ऐसे पांच उद्यम थे जिनका पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में था। सामान्य शेयर पूंजी तथा ऋण, के रूप में पूंजीनिवेश, रोजगार तथा निर्यात मूल्य आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सम्बद्ध उद्यमों प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कारंवाई की जाती है। लोक उद्यम सर्वेक्षण वर्ष 1990-91 के खण्ड-1 पृष्ठ सख्या 165 में इस संबंध में किए गए कुछ उपायों का उल्लेख किया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	सरकारी उपक्रम का नाम	पूंजी निवेश			रोजगार (अनियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त)			निर्यात का मूल्य		
		1990-91	1989-90	1988-89	1990-91	1989-90	1988-89	1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	नेशनल एल्युमिनियम कं० लि०	3083	2978	2967	544[illegible]	5287	4991	278	409	234
2.	नीलांचल इस्पात निगम लि०				(निर्माणाधीन)					
3.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि०	1	1	2	87	90	86	—	—	—
4.	पारादीप फास्फेट लि०	472	[illegible]89	464	870	784	694	—	—	—
5.	उत्कल अशोक होटल कारपो०	2	2	—	54	4[illegible]	64	—	0.02	—

खाद्य तेलों का भण्डार

4397. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून 1992 की स्थिति के अनुसार देश में खाद्य तेलों के उपलब्ध भंडार और उनकी सप्लाई की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992 की अगली दो तिमाहियों के लिए पामोलीन जैसे खाद्य तेलों का आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 30 जून, 1992 को खाद्य तेलों के स्टाक की पक्की स्थिति उपलब्ध नहीं है। लेकिन देश के किसी भी भाग से खाद्य तेल की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) जी, हां।

(ग) मार्गीकरण एजेंसी, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० अपने द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार खाद्य तेल का आयात करेगी।

केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

4398. श्री उदय प्रताप सिंह
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान सूत्र की समीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई त्रिपक्षीय समिति द्वारा कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति ने 23 जुलाई, 1992 को आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया कि वित्त मंत्री तथा सरकार के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जायें :

(1) 1-1-1989 से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 800 अंकों से सम्बद्ध एक अंक की वृद्धि होने पर औद्योगिक महगाई भत्ते की दर 1.05 रुपये से बढ़ाकर 2.00 रुपये कर दी जाये।

(2) 1-1-1989 से लेकर 31-12-1991 तक की बकाया 50% राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाएगी और 50% राशि का नकद भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) 1992 से स्लैब पद्धति लागू करने पर विचार किया जाये।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान की सहायता से 'फ्लोट ग्लास प्लान्ट' स्थापित करना

4399. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशाई ग्लास कंपनी, जापान मुम्बई, निकट एक 'फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लान्ट' स्थापित करने हेतु 500 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। मैं० अशाई फ्लोट ग्लास कं०, जापान ने महाराष्ट्र के जिला रामगढ़ (कुलाबा) में एक फ्लोट ग्लास मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है जिसकी क्षमता 2 एम० एम० आधार पर 25 मिलियन वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। उन्होंने इस परियोजना को चलाने के लिए एक नयी कंपनी मैं० फ्लोट ग्लास इंडिया लि० को मिला लिया है, जिन्होंने सितम्बर, 91 में उद्योग मंत्रालय में एक सूचना ज्ञापन भेजा है। मैं० अशाई फ्लोट ग्लास कं० लि०, जापान के साथ विदेशी सहयोग के लिए इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। विदेशी इक्विटी भागीदार 45.9 करोड़ रु० (अर्थात् कुल इक्विटी का 51%) है। परियोजना की अनुमानित लागत 375 करोड़ रु० है।

(ग) इस संयंत्र के जनवरी, 1994 में चालू होने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बजट सहायता

4400. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली योजनागत और गैर-योजनागत बजट सहायता के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजे गए हैं;

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों के संबंध में योजनागत और गैर-योजनागत बजट सहायता के प्रति कुल कितनी धनराशि की छूट दी गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए प्रत्येक उपक्रम को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 तक के कार्यनिष्पादन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 4 उद्यमों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत रुग्ण उद्यमों के रूप में अभिज्ञात किया गया है और जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना अपेक्षित है। योजनागत पूंजी निवेश तथा गैर-योजनागत ऋण के लिए 1991-92 के संशोधित अनुमानों तथा 1993-93 के बजट अनुमानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर-योजनागत ऋण के रूप में 148.75 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	योजनागत संशोधित अनुमान 1991-92	पूंजीनिवेश बजट अनुमान 1992-93	गैर योजनागत संशोधित अनुमान 1991-92	ऋण बजट अनुमान 1992-93
1	2	3	4	5	6
1.	भारत रिफैक्टरीज	8.90	6.75	2.00	1.50
2.	हैवी इन्जीनियरिंग कार्पो० लि०	9.50	3.00	27.50	11.35
3.	इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मा० लि०	2.37	2.35	2.62	—
4.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	9.30	8.50	—	12.30
5.	कोचीन शिपयार्ड लि०	5.86	5.00	14.85	—
6.	राष्ट्रीय बाइसिकल निगम लि०	0.09	0.10	4.75	3.00
7.	भारत यंत्र निगम लि० (सहायक कंपनियां)	6.17	2.50	9.50	7.00
8.	भारत भारी उद्योग लि० (सहायक कंपनियां)	13.31	8.70	12.35	6.00
9.	नेशनल टेक्सटाइल मिल्स (सहायक कंपनियां)	19.00	20.00	73.00	54.80
10.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	0.09	0.10	15.20	11.45
11.	टेनरी एंड फुटवीयर कारपो० लि०	0.47	0.10	6.22	4.50
12.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो० लि०	6.65	7.00	2.00	1.50
13.	कानपुर टेक्सटाइल लि०	—	—	2.80	2.10
14.	एल्गिन मिल्स लि०	—	—	10.50	7.85
15.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मा० लि०	0.95	0.55	1.24	1.00
16.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मा० लि०	0.95	1.00	0.86	0.72
17.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	3.80	3.00	10.60	8.05
18.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स	3.50	0.58	5.00	—
19.	भारतीय साइकिल निगम लि०	0.09	0.10	12.35	9.60
20.	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि०	0.95	0.80	2.37	1.40

1	2	3	4	5	6
21.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपो०	2.76	2.90	3[illegible].00	26.25
22.	उद्योग पुनर्स्थापन लि०	0.09.	0.10	3.32	3.50
23.	बर्डस, जूट एण्ड एक्सपोर्टस कारपो०	—	—	0 45	0.34
24.	टायर कारपो० ऑफ इण्डिया	25.65	28.00	6.65	4.40
25.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स	0.80	0.50	0.95	0.70
26.	केन्द्रीय अंतर्देशीय परिवहन निगम	5.00	18.00	0.[illegible]0	0.01
27.	बंगाल इम्युनिटी लि०	1.43	1.00	1.24	1.00
28.	भारतीय उर्वरक निगम	25.00	18.00	10.00	7.50
29.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो०	29.00	18.00	10.00	7.50
30.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	5.08	1.60	15.00	11.25
31.	सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि०	2.36	3.30	—	—
32.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	0.01	0.01	—	—
	जोड़ :	187.13	161.54	298.42	206.57

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को राज्यों में भेजा जाना

4401. **श्री रवि राय**
श्री सुशील चन्द्र वर्मा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से उन्हें भेजे जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की संख्या में कमी करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) राज्यवार रिक्तियों के निर्धारण की पद्धति राज्य सरकारों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कम संख्या में लेने का सुझाव दिया है। सिविल सेवा परीक्षा, 1991 के द्वारा भर्ती किए जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या में मामूली सी कमी कर दी गई है।

लिग्नाइट खानें

4402. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिग्नाइट खानों की संख्या और प्रत्येक खान में अनुमानित उपलब्ध कर भंडार का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक खान का गत तीन वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन कैसा रहा;

(ग) राजस्थान में लिग्नाइट के कितने भंडार हैं;

(घ) क्या वहां चालू वर्ष के दौरान उत्पादन में कोई रुकावट आई थी;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राजस्थान में तथा देश के अन्य भागों में लिग्नाइट भंडारों का ठीक से पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) हालांकि देश के कई राज्यों में लिग्नाइट के भंडार होने की सूचना मिली है। किन्तु इस समय लिग्नाइट खनन का कार्य तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान राज्यों में ही किया जा रहा है। इन राज्यों में लिग्नाइट की खानों की संख्या और प्रत्येक उक्त खान में अनुमानित लिग्नाइट के भंडारों को नीचे दर्शाया गया है : —

	क्षेत्र (वर्ग कि०मी० में)	खनन योग्य भंडार (मि० टन में)
तमिलनाडु		
खान-I	21.4	290
खान-II	26.0	390
गुजरात		(भू-गर्भीय भंडार) (मि० टनों में)
पनान्धरों	8.2	94
अखाखिया (राजपारदी)	3.10	20
राजस्थान		
बारसिंहसर	3.0	78

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खानों के उत्पादन का कार्य-निष्पादन नीचे दर्शाया गया है : —

	1989-90	1990-91	1991-92 (मि० टन में)
नेयवेली			
खान-I	7.406	7.544	8.1[illegible]2
खान-II	3.830	4.215	4.431
गुजरात			
पनान्धरो	1.35	2.0	2.9
अखाखिया (राजपारदी)	0.25	1.31	0.33
राजस्थान			

बारसिंहसर खान को प्रारम्भ करने का प्राथमिक कार्य चल रहा है।

(ग) राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में लगभग 870 मि० टन (भू-गर्भीय भंडार) लिग्नाइट भंडार होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। जून और जुलाई, 1992 के दौरान नेयवेली खानों में उत्पादन में रुकावट आई थी। जून, 1992 में, 16-6-1992 को हुई अखिल भारतीय हड़ताल और इसके बाद स्थानीय कोयला कर्मचारियों द्वारा निरंतर तीन दिन की अखिल भारतीय हड़ताल / बाद हड़ताल किए जाने के कारण खान-I और II में 4 दिन के लिए उत्पादन में रुकावट आई। जुलाई, 1992 में स्थानीय श्रमिकों द्वारा खान-I में दो दिन के लिए उत्पादन में रुकावट आई।

(च) राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में लिग्नाइट भंडारों की दोहन किए जाने के लिए उठाए गए कदम/उठाए जा रहे कदम नीचे दर्शाए गए हैं :—

राजस्थान :

राजस्थान के बीकानेर और बाड़मेर जिलों में लिग्नाइट भंडारों की खोज की जा रही है और एन०एल०सी० के एक नोडल एजेंसी के रूप में एस०ई०सी०एल० द्वारा किए गए 400 एम० ग्रिड पर क्षेत्रीय/अर्ध विस्तृत ड्रिलिंग आधार पर भंडारों का अनुमान लगाया गया है। इन राज्यों में तैयार किए गए आंकड़े व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए पर्याप्त हैं। दोहन कार्य की संभाव्यता को निश्चित करने के पश्चात् ही 200 एम० ग्रिड पद्धति पर विस्तृत अन्वेषणों के लिए संभावित खंडों पर कार्य शुरू किया जा सकता है।

राजस्थान के नागौर जिले में लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण राजस्थान सरकार के खनन और भू-गर्भीय विभाग द्वारा किया गया।

तमिलनाडु :

व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए नेयवेली क्षेत्र में सभी ज्ञात खंडों पर 400 एम० ग्रिड का विस्तृत अन्वेषण के अंतर्गत ला दिया गया है। प्रोन्नत विधियों से आवंटित की गई राशि का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय अन्वेषण नर्गईगाउड-मिलथ जिले तथा साउथ अर्काट जिले के वीरनम ब्लाक के पूर्व में मन्नारगुडी ब्लाक में किया जा रहा है।

गुजरात :

गुजरात राज्य में सभी लिग्नाइट खंडों पर अन्वेषण गुजरात सरकार के खनन और भू-गर्भीय विभाग द्वारा किया गया है।

जम्मू और कश्मीर :

निचाहम क्षेत्र में खनन कार्य जुलाई, 1939 में एस०ई०सी०एल० द्वारा शुरू किया गया था और 16 बोरहोलों में 1890 मीटर विस्तृत ड्रिलिंग का के पश्चात् दिसम्बर, 1991 में बंद कर दिया गया। इससे आगे की ड्रिलिंग कार्य बहुत अधिक शीत परिस्थितियों के कारण जारी नहीं रखा जा सका। उस समय चल रही परिस्थितियों के कारण भी ड्रिलिंग में निरंतर रुकावटें भी आईं। जम्मू और कश्मीर में लगातार अस्थिरता की स्थिति के आगे के ड्रिलिंग कार्य को पुनः चालू करना अभी संभव नहीं हो सका है।

केरल :

केरल के कन्नौर, एलेप्पी और वर्कलाई जिलों में लिग्नाइट के भंडार होने की सूचना मिली है। इस सूचना के अनुसार लगभग 100 मि० टन लिग्नाइट के भंडार होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

सेमीकण्डक्टरों का निर्माण

4403. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में कोई एकक सेमीकण्डक्टरों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भविष्य के लिए इस तरह की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मरंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। जहां तक एक सामग्री के रूप में सेमीकण्डक्टर का संबंध है, मेसर्स मेटकेम, तमिलनाडु, सिलिकन एकल क्रिस्टल इन्गांटो तथा वेफरों का उत्पादन कर रहा है। जहां तक सेमीकण्डक्टर युक्तियों का संबंध है, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सेमीकण्डक्टर उद्योगों की सूची (उत्पादन रत)

क्र सं.	नाम	स्थापना स्थल
1	2	3
1.	मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	बंगलोर, कर्नाटक
2.	मेसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	बंगलोर, कर्नाटक
3.	मेसर्स सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लि०	मोहाली, पंजाब
4.	मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
5.	मेसर्स केल्ट्रान पावर डिवाइसेज लि०	त्रिसूल, केरल
6	मेसर्स केल्ट्रान रेक्टिफायर्स लि०	त्रिसूर, केरल
7.	मेसर्स पंजाब वायरलेस लि०	मोहाली, पंजाब
8.	मेसर्स मेल्ट्रान सेमीकण्डक्टर्स लि०	नासिक, महाराष्ट्र
9.	मेसर्स एन० जी० ई० एफ० लिमिटेड	बंगलोर, कर्नाटक
10.	मेसर्स नायर इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०	नासिक, महाराष्ट्र
11.	मेसर्स गुजरात सेमीकण्डक्टर्स प्रा० लि०	विसनगर, गुजरात
12.	मेसर्स काण्टीनेण्टल डिवाइसेज इंडिया लि०	नई दिल्ली
13.	मेसर्स ऊषा रेक्टिफायर्स कारपोरेशन (इंडिया) लि०	फरीदाबाद, हरियाणा भीमताल, उत्तर प्रदेश

1	2	3
14.	मेसर्स नैना सेमीकण्डक्टर लि०	भीमताल, उत्तर प्रदेश
15.	मेसर्स हिन्दुस्तान कण्डक्टर्स लिमिटेड	नादियाड, गुजरात
16.	मेसर्स यूनिवर्सल सेमीकण्डक्टर्स	पुणे, महाराष्ट्र
17.	मेसर्स आर०आई०आर० इण्टर नेशनल रेक्टिफायर्स लि०	बड़ौदा, गुजरात
18.	मेसर्स हिन्द रेक्टफायर्स लिमिटेड	बम्बई, महाराष्ट्र
19.	मेसर्स सुजाता सेमीकण्डक्टर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	बम्बई, महाराष्ट्र
20.	मेसर्स स्पिक इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सिस्टम लिमिटेड	मद्रास, तमिलनाडु
21.	मेसर्स सालिड स्टेट इलेक्ट्रानिक्स कम्पनी प्राइवेट लि०	बम्बई, महाराष्ट्र
22.	मेसर्स खण्डेलवाल हरमन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	बम्बई, महाराष्ट्र धार, मध्य प्रदेश
23.	मेसर्स रामट्रानिक्स (इंडिया) लिमिटेड	गाजियाबाद उत्तर प्रदेश
24.	मेसर्स ग्रीव्ज सेमीकण्डक्टर्स लि०	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
25.	मेसर्स सेमीकण्डक्टर्स लिमिटेड	पुणे महाराष्ट्र
26.	मेसर्स सिलिकान पावर इलेक्ट्रानिक्स	पुणे, महाराष्ट्र
27.	मेसर्स मोनोलिथिक डिवाइसेज एण्ड इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	बम्बई, महाराष्ट्र
28.	मेसर्स सिक्किम टाइम कारपोरेशन लिमिटेड	गंगटोक, सिक्किम
29.	मेसर्स पावर इलेक्ट्रानिक्स	दिल्ली
30.	मेसर्स अरविन्द देसाई	बम्बई, महाराष्ट्र
31.	मेसर्स इण्टरसिल (इंडिया) लिमिटेड	बम्बई, महाराष्ट्र

(अनुवाद)

सेवा संबंधी मामलों पर मुकदमेबाजी

4404. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में सेवा संबंधी मामलों पर मुकदमेबाजी की बढ़ती हुई घटनाओं को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सेवा मामलों में मुकदमेबाजी को कम करने की दृष्टि से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण गठित किया गया है जो उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि अधिकरण साधारणत: कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक यह इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि

आवेदक ने संगत सेवा नियमों के अधीन शिकायतों के निवारण के रूप में उसे उपलब्ध सभी उपायों का उपयोग कर लिया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 27 के अनुसार किसी आवेदन अथवा किसी अपील का अंतिम रूप से निपटान करने वाले अधिकरण के आदेश, अंतिम होंगे तथा इन्हें उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

पंजाब की ग्रामीण विकास परियोजनाएं

4405. **श्री कमल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से अब तक मंजूर की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय को पंजाब राज्य से होशियारपुर, रोपड़ और पटियाला जिलों के गांवों में पेयजल सप्लाई हेतु एक प्रस्ताव 1990-91 के दौरान प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से कुछेक स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह प्रस्ताव अब इस मंत्रालय की तकनीकी शाखा के विचाराधीन है। वर्ष 1989-90 तथा 1991-92 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत इस मंत्रालय को पंजाब राज्य से कोई अन्य परियोजना प्राप्त नहीं हुई थी।

कूडंगुलम परमाणु विद्युत परियोजना

4406. **श्री राम नाईक :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु स्थित परमाणु ऊर्जा निगम की कूडंगुलम विद्युत परियोजना का काम बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कार्य की प्रमुख मदों पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) परियोजना का काम किस तिथि तक पूरा होने की आशा थी; और

(ङ) अब किस संशोधित तिथि तक परियोजना का काम पूरा होने की आशा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। नवम्बर, 1988 में सोवियत रूस और भारत के बीच हस्ताक्षर किए गए अन्तः-सरकारी करार के अनुसार 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो रिएक्टर स्थापित करने का प्रस्ताव था। तथापि, तत्कालीन सोवियत रूस में हाल ही में हुई घटनाओं से अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है।

(ग) प्रस्तावित परियोजना पर (जून, 1989 तक) कुल 5.34 करोड़ रुपए व्यय हुआ है।

(घ) और (ङ) इस परियोजना के दोनों यूनिटों को सन् 1998 और 1999 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी। फिलहाल इन यूनिटों को पूरा करने का कार्यक्रम ऊपर (क) और (ख) में दिए गए कारणों से अनिश्चित सा है।

असम में पेयजल सप्लाई की योजना की निगरानी

4407. **श्री प्रबीन डेका :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोगित पेयजल की सप्लाई की योजनाओं पर कोई निगरानी रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) 834 गांवों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराने के लक्ष्य के मुकाबले 1991-92 में 739 गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई जिससे 6.04 लाख जनसंख्या के लक्ष्य की तुलना में 6.23 लाख जनसंख्या लाभान्वित हुई। कछार/टारांग में मिनी-मिशन परियोजना के 0.44 करोड़ रुपये के अलावा, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 17.6? करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उद्योगों में पूंजी निवेश

4408. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में मध्यम तथा भारी उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकार का विचार कितना पूंजी निवेश करने का है;

(ख) क्या इस राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए भी उक्त अवधि के दौरान धनराशि का नियतन किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। प्रस्तावित पूंजी-निवेश (परिव्यय) इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	आठवी पंचवर्षीय योजना 1992-97	वार्षिक योजना 1992-93
(1) उद्योग निदेशालय (उ०प्र०) (ग्राम्य एवं लघु उद्योग)	4[illegible]360.00	3525.00
(2) उद्योग तथा इलेक्ट्रानिक्स निदेशालय (बड़ा क्षेत्र)	59500.00	5550.00

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

4409. श्री एन० जे० राठवा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गयी धनराशि का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते "विशेष दर्जा" दिया गया है;

(ग) क्या सरकार कुछ अन्य राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों को भी "विशेष दर्जा" देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को इस मद के अन्तर्गत दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क), (ङ) और (च) निम्नलिखित सारणी में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम में सम्मिलित अभिनिर्धारित पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन और आठवीं पंचवर्षीय योजना के राज्यवार किए गए प्रावधानों को दर्शाया गया है।

(रुपये करोड़ों में)

आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि

	1989-90	1990-91	1991-92	आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रावधान
	1	2	3	4
(क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच०डी०पी०) के अंतर्गत राज्यों में अभिनिर्धारित पर्वतीय क्षेत्र				
1. असम	36.48	38.87	38.87	194.34
2. तमिलनाडु	10.41	11.09	11.09	55.49
3. उत्तर प्रदेश	170.81	182.01	182.91	910.04
4. पश्चिम बंगाल	18.75	21.00*	19.32	96.60

	1	2	3	4
ख. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू पी डी पी) के अंतर्गत राज्यों में अभिनिर्धारित पर्वतीय क्षेत्र				
1. केरल	5.68	6.06	6 05	39.09
2. महाराष्ट्र	2.67	3.50	13.50	63.69
3. तमिलनाडु	6.74	7.18	7.18	32.72
4. कर्नाटक	8.89	9.47	9.47	46.35
5. गोआ	1.51	1.61	1.61	9.55

*इसमें दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद (डी०जी०एच०सी०) के लिए 4.68 करोड़ रुपए की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है।

(ख) कुछ राज्यों को "विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है चूंकि उनके पास संसाधन आधार अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। इन राज्यों में पर्वतीय राज्य शामिल हैं (अर्थात वे राज्य जिनमें राज्य की सीमाओं के साथ पर्वतीय क्षेत्र सह-विस्तृत होते हैं) जैसे जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणीपुर, मेघालय नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोराम।

(ग) और (घ) किसी अन्य राज्य को "विशेष दर्जा" देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कृत्रिम बादलों से वर्षा

4410. श्री सनत कुमार मंडल
श्री यशवंत राव पाटिल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कच्छ के सूखा प्रवण क्षेत्र में "सिल्वर आयोडाइड" की सहायता से वर्षा कराने के उद्देश्य से किए गए प्रयोगों का क्या निष्कर्ष निकला;

(ख) कृत्रिम बादल बनाने की प्रौद्योगिकी कितनी सफल सिद्ध हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य सूखा प्रवण क्षेत्रों में ऐसे प्रयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिक तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) सरकार द्वारा ऐसे प्रयोग नहीं किए जाते हैं।

(ख) किसी मेघ बीजन संचालन की सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कुल मिलाकर अनुसंधान अवस्था में है।

(ग) भारत उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे राज्य सरकारों/संगठनों को उनके अनुरोध प्राप्त होने पर नमक बीजन तकनीकों द्वारा उनके मेघ बीजन संचालनों में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) गुजरात महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के राज्य सरकारी संगठनों ने भारत उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे से कृत्रिम वर्षा के प्रयोगों के लिए संपर्क किया है। संस्था ने उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्यालय भवनों तथा गेस्ट हाउसों के लिए किया गया किराए का भुगतान

4411. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली में कार्यालय भवनों तथा गेस्ट हाउसों के किराए के रूप में प्रतिमाह कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और मुम्बई में अलग-अलग कार्यालय भवनों तथा गेस्ट हाउसों के किराए के रूप में प्रतिमाह कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का विचार दिल्ली में उप-लेखा कार्यालय खोलने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिल्ली और बम्बई में कार्यालयो के लिए और दिल्ली में गेस्ट हाउस के लिए मकान किराए पर लिए हैं। इन मकानों का किराया या तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अथवा फेयर रेंट कमेटी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया गया है। अतः इन किराए को राशियों को ज्यादा नहीं समझा जा सकता है।

(ग) जी हां। तथापि दिल्ली में नए कार्यालय खोलने के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का गैर-सरकारीकरण

4412. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कुछ सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का गैर-सरकारीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकी परिषद् में आरक्षित पद

4413. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकी परिषद (कापार्ट) में कर्मचारियों की

श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है तथा इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त संस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को सही ढंग से भरा जा रहा है;

(ग) इस संस्थान में कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् में इस समय कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

श्रेणी	इस समय कुल व्यक्तियों की सं०	अनुसूचित जाति कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या
1	26	4*	1
2	49	7	1
3	44	8	1
4	27	6	2
4 (सफाईवाला)	3	3	—
योग	149	21	5

(*2 प्रतिनियुक्ति पर)

(ख) से (घ) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीम प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) तत्कालीन भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाड़ी) और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कार्ट) का विलय करके 1-9-1986 को अस्तित्व में आया। तब पदों को कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार भरा गया। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में जारी निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। रिक्तियों और पूर्वशेष पदों का सही अनुमान लगाने के लिए परिषद ने अनुसूचित जाति आयोग के एक सेवा-निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की सेवाएं प्राप्त की हैं ताकि रिक्त आरक्षित पदों का पता लगाया जा सके। अधिकारी की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और पूर्वशेष पदों को शीघ्र भरा जाएगा।

[अनुवाद]

सरकार में उच्च पदों की संख्या

4414. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1992 को संयुक्त सचिवों, अपर सचिवों, विशेष सचिवों और सचिवों तथा समकक्ष पदों पर कार्यरत अन्य व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त पदों पर कार्यरत अधिकारियों का अखिल भारतीय सेवावार/केन्द्रीय सेवावार अथवा संबंधित विभागीय संवर्गवार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) अखिल भारतीय सेवाओं अथवा संवर्गों में राज्यों से पदोन्नत होकर आए/आबंटित संवर्गों वाले अधिकारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(घ) राज्यों में निवास के आधार पर केन्द्रीय सेवाओं में सम्मिलित हुए अधिकारियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यवार संयुक्त सचिवों के मामले में निम्नतम आबंटन वर्ष क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) इसे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता।

समुद्र विज्ञान अभियान

4415. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से समुद्र विज्ञान से संबंधित कितने अभियान पूरे किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान समुद्र विज्ञान संबंधी परीक्षणों तथा अभियानों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका पर स्थापित स्थाई स्टेशन कैसे कार्य कर रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंटार्कटिका को तीन अभियान अर्थात् नवां, दसवां और ग्यारहवां भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजे गए।

(ख) इस अवधि के दौरान अंटार्कटिक अभियान कार्यक्रम के लिए 40.10 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई।

(ग) भारत का स्थाई केन्द्र, मैत्री सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

केरल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत मामले

4416. **श्री थाइल जान अंजलोस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) कितने मामलों में जांच अभी भी लंबित है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989-92 (3?-6-1992 तक) के दौरान केरल राज्य में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ?12 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख) 30 मामले अभी जांच के लिए लम्बित पड़े हैं।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा वनरोपण

4417. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए कोयला उद्योग द्वारा तैयार की गई योजनाओं और इस संबंध में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख), इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार को सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा वनरोपण के लिए नियत की गई राशि का दुरुपयोग करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेशनल आर्गेनिक केमीकल्स लिमिटेड का विस्तार

4418. श्री डी० वेंकटेश्वर राव / श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंग्लो-डच ऑयल एण्ड पेट्रोकेमीकल्स ग्रुप ने नेशनल आर्गेनिक केमीकल्स लि० में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां; तो इसके लिए बनाए गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल आर्गेनिक केमीकल्स लिमिटेड के विस्तार हेतु कोई कार्यक्रम भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) नोसिल ने सूचित किया है कि थाणे स्थित पेट्रोरसायन कम्प्लेक्स के लिए नोसिल के विस्तार/आधुनिकीकरण कार्यक्रम में रायल डच/शैल समूह की कम्पनियों द्वारा निवेश का निर्णय वित्त पोषण की विस्तृत योजना तैयार होने के पश्चात् लिया जाएगा।

(ग) और (घ) नोसिल के थाणे स्थित पेट्रो रसायन कम्प्लेक्स का विस्तार/आधुनिकीकरण कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था और कंपनी को 16-11-1989 को एक आशयपत्र जारी किया गया था। इस प्रकार क्रैक क्षमता को 60,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3 0, 00 टन इथाइलीन प्रति वर्ष किया जायेगा साथ ही सह उत्पादकों और अनुप्रवाह इकाइयों की क्षमताओं को भी बढ़ाया जाएगा।

गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

4419. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गुजरात में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ख) विभिन्न अपारम्परिक स्रोतों से अभी तक प्राप्त की गई ऊर्जा का ब्यौरा क्या है और राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गुजरात राज्य में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के संवर्द्धन के लिए वर्ष 1979 में एक सम्पूर्ण नोडल एजेंसी "गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी" की स्थापना की गई। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी और नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों में लगी अन्य संस्थाओं द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन और प्रसार कार्यकलाप किए जा रहे हैं। आर्थिक सहायता, उदार शर्तों पर ऋण जैसे वित्तीय प्रोत्साहन और ह्रास भत्ता तथा बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में छूट के रूप में वास्तविक प्रोत्साहन उपयोगकर्ताओं और विनिर्माताओं को दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रचार और जन जागृति अभियान भी चलाए जाते हैं।

वर्ष 1992-93 के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के वास्ते राज्य सरकार द्वारा गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी को 00 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने गुजरात राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वास्तविक लक्ष्य नियत किए हैं और वास्तविक लक्ष्यों के अनुरूप ही इस वर्ष के दौरान निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ख) गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों में विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों के संवर्द्धन और उपयोग के लिए गुजरात को पिछले तीन वर्षों में 39 99 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई।

विवरण

गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियों की स्थिति

क्रम सं०	प्रणालियां/युक्तियां	संस्थापित
1	2	3
1.	विद्युत उत्पादन के लिए पवन फार्म	13 मे० वा०
2.	सौर जल तापन प्रणालियां औद्योगिक (लीटर प्रतिदिन)	90 लाख
3.	घरेलू सौर जल तापन प्रणालियां (लीटर प्रतिदिन)	3.5 लाख
4.	गांवों की संख्या जिन्हें सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी उपलब्ध कराई गई	30
5.	स्थापित उन्नत चूल्हे	2.68 लाख

1	2	3
6.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र (लगभग)	76,000
7.	ऊर्जा पौधारोपण	350 हेक्टेयर
8.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	2.200 एम^3/दिन
9.	सिंचाई के लिए गैसीफायर इंजन पंप सैट	39
10.	ऊर्जाग्राम	26
11.	जल पंपन पवन चक्कियां	29
12.	आई० आर० ई० पी० ब्लाक	13
13.	कृषि पंपों की मरम्मत	6,400
14.	ऊर्जा की गई लेखा-परीक्षा	30
15.	सौर भभके	415
16.	विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्र	18

परती भूमि विकास योजनायें

4720. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने अन्तरिक्ष प्रायोगिक परियोजना विभाग के माध्यम से विभिन्न राज्यों में परती भूमि विकास योजनाओं के सुझाव हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अन्तरिक्षविभाग द्वारा कुल कितने परती भूमि क्षेत्र का पता लगाया गया है; और

(घ) परती भूमि विकास हेतु अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है तथा इस दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से देश के नौ राज्यों के 10 जिलों में भौगोलिक सूचना प्रणालियों की प्रायोगिक परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इनमें से चार प्रायोगिक परियोजनाएं, परती भूमि विकास के संदर्भ में भौगोलिक सूचना प्रणालियों की प्रभावक्षमता जांचने के लिए अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) बेल्लैरी (कर्नाटक) तथा डूंगरपुर (राजस्थान) जिलों में शुरू की गई है।

(ग) उपरिलिखित भौगोलिक सूचना प्रणालियों की परियोजनाओं के अलावा देश में परती भूमि का पता लगाने, उसका वर्गीकरण तथा मानचित्र तैयार करने के लिए वर्ष 1986 में राष्ट्रीय परती भूमि पहचान परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना के पहले तथा दूसरे चरण में देश के 146 जिलों को शामिल किया गया। इन 146 जिलों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 118.82

मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से उपग्रह से प्राप्त चित्रों की दृश्यात्मक व्याख्या से पता लगाई गई परती भूमि 23.9 मिलियन हैक्टेयर है। परियोजना के तीसरे चरण, जिसमें 91 जिलों के लिए मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं, के वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की 7 मई, 1985 में स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड देश में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम के समन्वय और अनुवीक्षण के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रमुख एजेंसी है। समग्र आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान 8.8 मिलियन हैक्टेयर की उपलब्धि रही। वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमश: 1.39 तथा 1.69 मिलियन हैक्टेयर की उपलब्धियां रहीं।

[हिन्दी]

कोयला उठाना

4421. श्री राजेश कुमार
श्रीमती शीला गौतम
श्री राम टहल चौधरी
: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोल इण्डिया लि०, रांची की राजरप्पा और कठारा कोयला खानों से बिना निविदा आमंत्रित किए ही लोगों को कोयला ले जाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कोल इण्डिया लि० में मनमाने ढंग से कार्य करने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) जी, नहीं। कोल इण्डिया लि० ने यह सूचना दी है कि राजरप्पा और कथारा कोलियरियों में उत्पादित सम्पूर्ण कोयले को सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की संयोजित वाशरियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

खादी ग्रामोद्योग

4422. श्री छेदी पासवान
श्री लाल बाबू राय
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योगों में बरती जा रही कथित अनियमितताओं की जांच करने तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में सुधार करने हेतु गठित विभिन्न आयोगों/समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की महत्वपूर्ण बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन रिपोर्टों को कार्यान्वित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) खादी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों के बारे में उनकी शिकायतों के विशेष संदर्भ में विचार करने तथा उपाय सुझाने हेतु सरकार ने श्री के० पी० सोंधिया की अध्यक्षता में जून 1990 में एक उच्चाधिकार समिति गठित की थी। उक्त समिति ने अक्तूबर, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

बाल श्रम

1423. श्री एन० डेनिस
श्री डी० वेंकटेश्वर राव
श्री वी० धनंजय कुमार
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री सनत कुमार मंडल
श्री गुरुदास कामत

: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे और उद्योगों का पता लगाने का है, जिनमें बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाया जाना है तथा उनके परिवारों को आय सृजन योजनाओं के अंतर्गत लाने के उपाय करने हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में बाल श्रम की बुराई को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) बाल श्रम के प्रतिषेध के लिए उद्योगों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है। अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुसूची में दी गई प्रतिबद्ध उद्योगों की सूची व्यवसायों और प्रक्रियाओं को शामिल करने के उद्देश्य से सरकार को सलाह देने के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 5(1) के अंतर्गत एक बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

ऐसे परिवार सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता का अपनी पात्रता के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत गठित परियोजनाओं में बाल श्रमिकों तथा उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा समेकित बाल विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इन परियोजनाओं को पता लगाये गए बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में आरम्भ किया जा चुका है।

एक प्लान योजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों को लाभ प्रदान करने वाली कार्योन्मुखी परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। देश में बाल

श्रम कुप्रथा मुख्यरूप से सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के कारण है। बाल श्रम विधान का प्रवर्तन कराया मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। प्रवर्तन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य के केन्द्रीय प्रायोजित प्लान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रति व्यक्ति आय

4124. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय औसत आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में श्रमिकों की प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से कम है उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) विवरण-1 में राज्यवार प्रतिव्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर निवल घरेलू उत्पाद) तथा पिछले तीन वर्षों के प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद को दिया गया है।

(ख) 31 मार्च, 1991 को राज्यवार कुल जनसंख्या में कामगारों के प्रतिशत को संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की उत्पादकता तथा लोगों की आय स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विकास स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यों की विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान देने के लिए आठवीं योजना में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग विशेषतः पूर्वी राज्यों में चावल उत्पादन के क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी को अपनाने, कृषि गतिविधियों में विविधीकरण, शुष्क कृषि बीज विकास, उद्यान फसलों का विकास, पशुपालन तथा मुर्गीपालन आदि पर जोर दिया गया है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता हस्तांतरण हेतु फार्मूला में प्रतिव्यक्ति, कम आय वाले राज्यों के संदर्भ में वितरण अधिभार में वृद्धि के लिए प्रतिव्यक्ति आय के अखिल भारतीय औसत स्तर से अंतर तथा विचलन पद्धति को विशेषरूप से प्रयोग में लाया जाता है। कुछ गरीबी उन्मूलन स्कीमों का क्रियान्वयन करने में गरीबी प्रभावित क्षेत्र को महत्व दिया जाता है। आठवीं योजना के दौरान औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना के जरिए औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि, आधारिक संरचना के विकास कृषि उद्योगों में निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करके गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर जोर, जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आदि के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी जोर दिया जा रहा है।

विवरण-1

स्थिर कीमतों (1980-81) : 1988-89 से 1990-91 पर प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रु०)

क्रम सं०	राज्य	1988-89	1989-90 (पी)	1990-91 (क्यू)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1806	1826	1855
2.	अरुणाचल प्रदेश	2260	2202	—
3.	असम	1516	1650	—
4.	बिहार	1068	1039	1130
5.	गोवा	4159	4184	4119
6.	गुजरात	2630	2634	2688
7.	हरियाणा	3163	3124	3327
8.	हिमाचल प्रदेश	1974	2153	2190
9.	जम्मू व कश्मीर	1804	—	—
10.	कर्नाटक	2100	2183	2125
11.	केरल	1557	1614	—
12.	मध्य प्रदेश*	698	691	765
13.	महाराष्ट्र	3044	3413	3522
14.	मणिपुर	1710	1674	1753
15.	मेघालय	1504	1576	1602
16.	नागालैंड	2133	2257	2388
17.	उड़ीसा	1493	1579	1555
18.	पंजाब	3443	3628	3700
19.	राजस्थान	1749	1651	1861
20.	सिक्किम	—	—	—
21.	तमिलनाडु	1887	1995	1965

1	2	3	4	5
22.	उत्तर प्रदेश	1564	157[illegible]	1618
23.	त्रिपुरा	1532	1611	—
24.	पं० बंगाल	1841	1897	—
अखिल भारत प्रतिव्यक्ति एन०एन०पी०		2069	2148	2227

क्यू : त्वरित अनुमान । पी : अनंतिम

— : संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया ।

* : स्थिर कीमतों पर ।

* : 1979-71 की स्थिर कीमतों पर ।

स्रोत : राज्य अनुमानों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा अखिल भारत प्रतिव्यक्ति एन०एम०पी० के लिए सी०एस०ओ०

टिप्पणी 1. प्रयुक्त स्रोत सामग्री में भिन्नता के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आंकड़े सही अर्थों में तुलनीय नहीं है ।

टिप्पणी 2. इन अनुमानों को मिजोरम राज्य स्थिर कीमतों पर केवल तैयार करता है।

विवरण-2

1-3-1991 को राज्यों की कुल जनसंख्या में कामगारों का राज्यवार प्रतिशत

क्रम सं०	राज्य	जनसंख्या में कामगारों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	45.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.46
3.	असम	3[illegible].37
4.	बिहार	35.22
5.	गोवा	32.56
6.	गुजरात	41.17
7.	हरियाणा	39.83
8.	हिमाचल प्रदेश	42.27

1	2	3
9.	कर्नाटक	41.83
10.	केरल	32.05
11.	मध्य प्रदेश	42.70
12.	महाराष्ट्र	42.84
13.	मणिपुर	41.51
14.	मेघालय	43.06
15.	मिज़ोरम	49.36
16.	नागालैंड	44.20
17.	उड़ीसा	37.53
18.	पंजाब	31.44
19.	राजस्थान	38.54
20.	सिक्किम	53.20
21.	तमिलनाडु	44.13
22.	त्रिपुरा	31.30
23.	उत्तर प्रदेश	32.37
24.	पं० बंगाल	32.37
25.	अखिल भारत*	37.64

स्रोत : अनंतिम जनसंख्या जोड़ 1991 का श्रमिक तथा उनका विवरण-पत्र 1 पंजीयन तथा जनगणना आयोग का कार्यालय, भारत ।

* : आंकड़ों में ज० एंड के शामिल नहीं है जहां पर 1991 की जनगणना नहीं हुई है ।

नंदिरा कोयला खान मे आग लगना

4425. श्री मोहर सिंह (देवरिया) : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर में नंदिरा कोयला खान में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) से (ङ) महानदी कोलफील्ड्स लि० की नंदिरा कोलियरी में विद्युत तार में शार्ट-सर्किट होने के कारण दिनांक 7-6-1992 को आग लगने की दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में न तो किसी की मृत्यु हुई और न ही कोई गम्भीर रूप से घायल हुआ है। महानदी कोलफील्ड्स लि० के मुख्य महा प्रबंधक (उत्पादन) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्त की गई जोकि आग लगने के कारणों तथा आग लगने के हालातों की जांच करेगी और यह समिति इस बात की सिफारिश करेगी कि इस प्रकार की दुर्घटना पुन: न हो।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा पट्टों के नवीकरण की मांग

4426. **श्री हाराधन राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार भूमि के पट्टों का नवीकरण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी०न्यामगौड़) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अन्तर्गत कोयले के खनन क्रियाकलापों के लिए पट्टेदारी के नवीनीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। किन्तु कोल इंडिया लि० ने कुछ भूमि के पुनर्ग्रहण किए जाने के एवज में अभ्यावेदन किया है, जिस अभ्यावेदन को पट्टेदारी का नवीनीकरण किया जाना नहीं समझा जाए।

असम में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान

4428. **श्री किरिप चालिहा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिष्ठापित की जाने वाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजनकुमारमंगलम) : (क) आसाम और अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सम्बद्ध राज्य सरकारों ने सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (आर०एस०ए०सी०) स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए अन्तरिक्ष विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की है। ये राज्य सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए वानिकी, कृषि, बाढ़, भूमिजल, मृदा अपरदन, भूमि उपयोग/भूमि आवरण इत्यादि जैसी विविध उपयोग परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं।

उपग्रह आधारित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक मध्यम और छोटे उपग्रह भू-केन्द्र संस्थापित किए गए हैं। इस क्षेत्र में संचार को बढ़ाने के लिए शिलांग

में एक केन्द्रीय स्टेशन सहित एक उपग्रह आधारित ग्रामीण टैलीग्राफी नेटवर्क संस्थापित किया जा रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50 टर्मिनल सम्मिलित हैं। गुवाहाटी में अपलिंकिंग सुविधा के साथ टाइम शेयर मोड के रूप में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रेषानुकर का उपयोग करते हुए मार्च 1991 से असमी दूरदर्शन समाचार सेवा शुरू की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सेवा के लिए कार्यक्रमों के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सम्बद्ध राज्य की राजधानियों में तथा सिलचर और डिब्रूगढ़ में भी कार्यक्रम निर्माण केन्द्र खोले गए हैं।

रिस्पांड (अर्थात् इसरो द्वारा प्रायोजित अनुसंधान) कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तरिक्ष विभाग मणिपुर विश्वविद्यालय में अन्तरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, विविध राष्ट्रीय परियोजनाओं जैसे परती भूमि मानचित्रण, भूमि जल के संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण, भूमि उपयोग/भूमि आवरण का मानचित्रण तथा बाढ़ मानीटरण के क्षेत्रों में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इन केन्द्रों को दीर्घकालीन विकास के समाकलित मिशनों में भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के तहत दीर्घकालीन विकास हेतु स्थानिक विशिष्ट कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों को चुना गया है :

अरुणाचल प्रदेश	—	पूर्वी शिलांग
आसाम	—	कारबियांगलांग, कामरूप
मणिपुर	—	इम्फाल
मेघालय	—	पश्चिम खासी
मिजोरम	—	एजबल
नागालैंड	—	कोहिमा
त्रिपुरा	—	उत्तरी त्रिपुरा

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में उपग्रह आधारित ग्रामीण टेलीग्राफी नेटवर्क को अभिचालित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुदूर संवेदन गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अन्तरिक्ष विभाग अपनी सहायता उपलब्ध कराना जारी रखेगा।

आंध्र प्रदेश को नालियों इत्यादि की मरम्मत हेतु विश्व बैंक ऋण

4429. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नालियों, नहरों तथा सड़कों का मरम्मत कार्य विश्व बैंक की सहायता के अन्तर्गत शुरू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या इन कार्यों के लिए स्वीकृत निविदाएं अनुमानित धनराशि से बहुत अधिक धनराशि की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित आन्ध्र प्रदेश चक्रवात आघात पुनर्निर्माण परियोजना के सिंचाई और नालियों, सड़कों और पुलों के घटकों के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नालियों, नहरों और सड़कों के मरम्मत कार्य किए गए हैं।

सिंचाई तथा नालियां :

यह घटक एक मिलियन हैक्टेयर से अधिक डेल्टा क्षेत्र और चक्रवात् से प्रभावित क्षेत्रों में जिलों के ऊपरी भाग में सिंचाई और नालियों की प्रणालियों के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना का वित्त-पोषण करेगा।

सड़कें और पुल :

इस घटक में मई, 1990 के चक्रवात् में विभिन्न रूपों में क्षतिग्रस्त हुई राज्य की लगभग 13,000 कि० मी० लंबी सड़कों और 12,000 कि० मी० लम्बी ग्रामीण सड़कों, लगभग 100 कि०मी० लंबी सड़कों के किनारों और संबंधित पुलों और पुलियाओं के नितांत आवश्यक भागों के निर्माण और मरम्मत की व्यवस्था है।

(ग) जून 1992 के अंत तक विश्व बैंक सहायता का कुल उपयोग 91.016 मिलियन अमेरिकी डालर था।

(घ) और (ङ) परियोजना के लिए निविदाएं मांगने और उन्हें स्वीकार करने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का नहीं है और इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

4430. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों के लिए न्यूनतम मंजूरी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मंजूरी अधिसूचित की गई है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मंजूरी निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में औद्योगिक केन्द्र वार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों तथा प्रचलित सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखा जाता है।

भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा कोयले की आपूर्ति

4431. श्री ललित उरांव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदार बिक्री योजना के अंतर्गत बिहार में कोकिंग कोल पर से नियंत्रण हटा लिया गया है;

(ख) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने फरवरी, 1992 से पहले धनराशि जमा कराने वाले कोयला डीलरों को नियंत्रित दर पर कोयला सप्लाई के आदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या भारत में कोकिंग कोल लि० के पास समस्तीपुर (बिहार) जिले का 12000 मीट्रिक टन कोयला वर्ष 1990 से बकाया है; और

(घ) यदि हां तो भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा फरवरी, 1992 से पहले जमा कराई गई धनराशि के एवज में कोयले की सप्लाई कब तक कर दी जाएगी ?

कोयला मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़): (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार की कोयला खानों में अवैध खनन

4432. **श्रीमती गिरिजा देवी**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार की कोयला खानों में अवैध रूप से तथा गुप्त रूप से खनन कार्य के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ख) कोयला खानों में अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार स्थित कोल इंडिया लि० के कोयला क्षेत्रों में कोयले का बड़ी मात्रा में अप्राधिकृत रूप में/गैर कानूनी रूप में कोयले की निकासी होने की कोई सूचना नहीं मिली है। किन्तु पुराने कोयला क्षेत्रों में बंद पड़ी खानों से गैर-कानूनी रूप से कोयले की निकासी किए जाने की कुछ छुटपुट घटनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) कोयला कंपनियां अपने पट्टेधारी क्षेत्रों से कोयले के अप्राधिकृत रूप से हटाए जाने के प्रयासों पर शीघ्रता से कार्रवाई करतीं है और उक्त कार्रवाइयों पर निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

लिग्नाइट खानों के मजदूरों को मुआवजा

4433. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेयवेली लिग्नाइट खानों में हाल ही हुई दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों को मुआवजा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़): (क) और (ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के बी एंड सी संयंत्र में 16-6-1992 को हुई एक दुर्घटना में 14 श्रमिक घायल

हुए जिनमें से दो सर्वश्री रंगानाथन और अदाईकलान चोटों के कारण मर गए। मृतकों के निकटतम संबंधितों को प्रत्येक मामले में 1,00,000/- रु० की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित राशि भी जारी की गई:—

	श्री रंगानाथन	श्री अदाईकलान
	रुपए	रुपए
1. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति	74,760.00 (आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के पास राशि जमा है)।	59,898.00
2. उत्पादन	29,031.00	27,245.00
3. मृत्यु से संबंधित मिलने वाले लाभ	26,000,00	26,000.00
4. सामूहिक बीमा	40,400.00	30.000.00

नामित लाभ प्राप्तकर्ताओं से आवेदन-पत्र की प्राप्ति होने पर भविष्य निधि, जो भी लागू हों, की राशि जारी कर दी जाएगी। प्रत्येक मृत श्रमिक के एक आश्रित को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा।

गरीबी उन्मूलन

4435. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का विचार गरीबी उन्मूलन हेतु कोई नई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद में भी चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप दस्तावेज में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन हेतु किसी नई स्कीम को शामिल नहीं किया गया है। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने वाली एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई) जैसी चालू प्रमुख स्कीमें आठवीं योजना अवधि में जारी रहेंगी। दूसरी तरफ आठवीं योजना में एकीकृत क्षेत्र विकास का दृष्टिकोण अपनाया जाना है। यह इस तर्क पर आधारित है कि विकेन्द्रीकृत आयोजना गरीबी तथा

बेरोजगारी की समस्याओं पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टिकोण के ब्यौरे आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में शामिल कर लिए गए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 22-23 मई, 1992 को हुई अपनी 41वीं बैठक में आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप दस्तावेज पर विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक में उपर्युक्त दृष्टिकोण का सामान्य रूप से समर्थन करते समय बात पर सहमति हुई थी कि राज्यों के परामर्श से चालू गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में परिवर्तन किया जाए। यह महसूस किया गया था कि राज्यों को इस बात की पर्याप्त छूट दी जाए कि कौन सी विकास स्कीमें/क्रियाकलाप उनके अनुरूप हैं और किन क्रियाकलापों का क्रियान्वयन किया जाएगा। जे०आर०वाई० के तहत सामग्री तथा मजदूरी संघटक के बीच अनुपात को भी ध्यान में रखना होगा। पुन: यह नोट किया गया कि दिसम्बर, 1991 में हुई विकास परिषद की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि भूमि सुधारों को निष्पादन मानदंड के रूप में शामिल किया जाये ताकि राज्य के पास भूमि सुधारों के कार्य में तेजी लाने के लिए कुछ प्रोत्साहन हों। चालू गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए और कदम उठाये गए हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आठवीं योजना में नवीन दृष्टिकोण अपनाने पर विचार-विमर्श हेतु विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों के सचिवों की एक बैठक का आयोजन किया था। मंत्रालय स्तर की एक बैठक का शीघ्र ही आयोजन किया जाएगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लंबित मामले

4437. श्री मृत्युंजय नायक : क्या प्रधान मंत्री 18 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3486 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचनाएं एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 3486 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पूर्ति की तारीख

लोक सभा का तीसरा सत्र, 1992 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

संख्या तथा तारीख	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5
दिनांक 18-3-92 का अतारांकित प्रश्न संख्या 3486	केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लम्बित मामले पूछा गया कि : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास गत तीन वर्षों से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले लंबित हैं;	(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) पिछले तीन वर्षों (प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर) के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास लम्बित केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:— 1989 193 1990 360 1991 337	

1	2	3	4	5
	(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है;		(ख) चूंकि आयोग को भेजे गए मामलों के विवरणों में यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि अमुक अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है या नहीं, इसलिए इनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है।	
	(ग) क्या सरकार इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु कार्रवाई कर रही है; और (घ) यदि हां, तो इन मामलों को कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है?		(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग विभिन्न स्तरों पर बकाया मामलों को तेजी से निपटाने के लिए नियमित रूप से पुनरीक्षा करता है। चूंकि मामलों का निपटान विभिन्न बातों पर निर्भर करता है तथा यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है इसलिए ऐसी निश्चित समय सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है कि इन मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है।	

[अनुवाद]

भारत को रूस के राकेट इंजन की बिक्री

4438. श्री जार्ज फर्नान्डीज
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को रूसी राकेट इंजन की बिक्री के मामले पर सरकार के साथ विचार विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) अमरीकी विदेश मंत्री ने अप्रैल, 1992 में प्रधान मंत्री को लिखे गए एक पत्र में यह मामला उठाया था।

(ख) सरकार ने इस मामले पर अमरीकी स्थिति को स्वीकार नहीं किया है।

महानदी कोयला क्षेत्र

4439. श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोयला क्षेत्र के कार्यालय ने उड़ीसा के सम्बलपुर जिला में कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय में स्थानीय लोगों की भर्ती करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस कार्यालय में अब तक कुल कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी तक एक कर्मचारी की भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई है।

[हिन्दी]

मेडिकल और इंजीनियर के बेरोजगार स्नातक

4440. श्री रामेश्वर पाटीदार
श्री के० चोक्कारावु } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 को देश के रोजगार कार्यालयों की सूची में राज्यवार कितने मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक बेरोजगार हैं; और

(ख) रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) देश में 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर चिकित्सा और इंजीनियरिंग

कार्मिकों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर), यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या (अद्यतन उपलब्ध) संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक केन्द्रीय उद्देश्य रोजगार सृजन है। योजना में परिकल्पित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों से पर्याप्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की सम्भावना है। इससे चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग स्नातकों को भी लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

विवरण

31-12-1990 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर चिकित्सा एवं इन्जीनियरिंग कार्मिकों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) की संख्या

स्नातकों की संख्या (स्नातकोत्तरों सहित)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चिकित्सा	इंजीनियरिंग
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2800	11991
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	201	1152
4.	बिहार	1493	6609
5.	गोआ	234	251
6.	गुजरात	643	4813
7.	हरियाणा	772	503
8.	हिमाचल प्रदेश	177	819
9.	जम्मू व कश्मीर	17	403
10.	कर्नाटक	919	14961
11.	केरल	2252	8361
12.	मध्य प्रदेश	769	4021
13.	महाराष्ट्र	3862	6618
14.	मणिपुर	61	414
15.	मेघालय	4	37
16.	मिजोरम	2	10
17.	नागालैंड	2	89

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	1418	3539
19.	पंजाब	584	1298
20.	राजस्थान	2233	3030
21.	सिक्किम*		
22.	तमिलनाडु	3729	11168
23.	त्रिपुरा	11	179
24.	उत्तर प्रदेश	1538	4548
25.	पश्चिमी बंगाल	3614	7942
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	131
27.	चंडीगढ़	760	445
28.	दादर और नगर हवेली	7	6
29.	दिल्ली	3176	1712
30.	दमन और दीव**		
31.	लक्षद्वीप	7	—
32.	पांडिचेरी	441	513
	योग :	31731	95563

टिप्पणी :—*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

**आंकड़े नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

तालचेर में कोयले का उत्पादन

4441. श्री० के० प्रधानी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर और इसके घाटी कोयला क्षेत्रों में किस-किस श्रेणी के कोयले का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या तालचेर में उपलब्ध "ए" श्रेणी के कोयले की मांग नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) सभी ग्रेड के अ-कोककर कोयला अर्थात् उच्च, मध्य तथा विद्युत ग्रेड के कोयले का उत्पादन उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों में किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेवा संबंधी मामलों पर न्यायालय के आदेश

4442. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा संबंधी मामलों पर कार्यवाही करने के लिए न्यायालय के कितने आदेश लम्बित पड़े हैं; और

(ख) ये आदेश कब से लम्बित पड़े हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इस सूचना को केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नहीं किया जाता है। यह तो संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की ही जिम्मेदारी है कि वह सेवा संबंधी मामलों में न्यायालय के आदेशों पर आवश्यक कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के फालतू अधिकारी

4443. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1992 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल कितने अधिकारी फालतू हो गए थे;

(ख) क्या सरकार ने उनके वैकल्पिक समायोजन के बारे में कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) 1-7-1992 तक कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी फालतू नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का आयात

4444. श्रीमती वसुन्धरा राजे
श्री एन० जे० राठवा } : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और देशवार विभिन्न देशों से आयात किए गए कोयले का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ख) चालू वर्ष के दौरान किन-किन देशों से, अनुमानतः कितनी मात्रा में और किस दर पर कोयला आयात करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कोयले की मांग को देखते हुए देश के कोयला भंडारों से ही कोयला खरीदने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड़) : (क) वर्ष 1989-90 से 1991-92 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों से इस्पात संयंत्रों द्वारा आयात किए गए कोककर कोयले की मात्रा नीचे दर्शायी गयी है :—

(मिलियन टन में)

देश	1989-90	1990-91	1991-92 (अनंतिम)
आस्ट्रेलिया	4 27	5.05	5.99
पोलैण्ड	0.29	0.25	—
यू० एस० एस० आर०	0.09	0.39	—
न्यूजीलैंड	0.03	0.03	0.09
जोड़ :	4.68	5.72	6.08
अनुमानित लागत मिलियन अमेरिकी डालरों में (एफ० ओ० बी० मूल्य के आधार पर)	243	310	324

(ख) और (ग) इस्पात संयंत्रों द्वारा धातुकर्मीय ग्रेड के कोककर कोयले के लगभग सात मिलियन टन आयात किए जाने का अनुमान है। इस्पात संयंत्रों द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करके कोयले का बिक्री मूल्य तय किया जाता है।

(घ) कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें अन्य कदमों के अलावा निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

( ) वर्तमान खानों का पुनर्गठन करके और नई खानों के विकास के द्वारा कच्चे कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करना।

(2) गुणवत्ता के कारण वाशरियों से 1984-85 में अलग किए गए कोककर कोयला स्रोतों का पुन: सुदृढ़िकरण।

(3) वर्तमान वाशरी क्षमता को बढ़ाने के लिए मधुबंद और केडला प्रत्येक स्थान पर एक-एक नई वाशरी अर्थात दो वाशरियों को चालू किया जाना।

(4) एक्लेकर समिति की क्षमता उपयोग तथा धुले कोककर कोयले की किस्म का सुधार करने संबंधी सिफारिशों को लागू करके वर्तमान कोककर कोयला वाशरियों का आधुनिकीकरण।

(5) लो एश कोककर कोयले को बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए जाने के लिए असम और मेघालय में कोककर कोयला खानों को विनिर्दिष्ट किया जा रहा है।

इन कदमों को उठाए जाने से इस्पात संयंत्रों द्वारा कोककर कोयले के आयात में प्रगामी रूप से कमी आ जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

नदियों को साफ करने के लिए प्राधिकरण का गठन

4445. श्री आनन्द अहिरवार : क्या योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय में नदियों को साफ करने के उद्देश्य से एक प्राधिकरण के गठन के लिए योजना आयोग के पास कोई प्रारूप योजना भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कारंवाई की गई है/अथवा की जाएगी ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश की कुछ बड़ी नदियों के अत्यधिक प्रदूषित घाटों पर प्रदूषण निवारक कार्यों को शुरू करने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है। मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश

4446. श्री कमल चौधरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय पूंजी निवेश की राशि में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) सरकार ने पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दो औद्योगिक विकास केन्द्र—एक पंजाब राज्य के भटिंडा जिले में भटिंडा में तथा एक गुरदासपुर जिले में पठानकोट में आवंटित किए हैं। अनुमोदित वित्तीय पैटर्न के अनुसार प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए 30 करोड़ रुपए के कुल निवेश में से इक्विटी के रूप में केन्द्र सरकार का हिस्सा 10 करोड़ रुपए होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण एककों को फिर से चलाना

4447. श्री वसुदेव आचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार रुग्ण रहने वाले औद्योगिक एककों के श्रमिक संगठनों ने केन्द्रीय सरकार के पास त्रिपक्षीय समिति द्वारा निर्देशित सम्बद्ध प्रलेख प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो एकक-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन एककों के प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है जिन्होंने इन प्रलेखों को प्रस्तुत नहीं किया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की बैठकों में लिये गए निर्णय के अनुसार रुग्ण इकाइयों के संबंध में ट्रेड यूनियन आंकड़े संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये जाने थे, नाकि कर्मकार संघों द्वारा अभी तक आई० डी० पी० एल० और एन० टी० सी० प्रबंधन ने श्रम मंत्रालय को रुग्ण इकाइयों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें उन ट्रेड यूनियन संगठनों के पास भेज दिया गया है जो औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति के सदस्य हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम में नए उद्योग

4448. श्री प्रबीण डेका : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कुल कितनी सहायता प्रदान की गई ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) नीचे दी गई तालिका में पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा तथा निपटान की स्थिति दर्शायी गई है।

(30-6-92 की स्थिति के अनुसार)

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	अनुमोदित	अस्वीकृत या अन्यथा निपटाए गए
1989	7	4	3
1990	2	1	1
1991	3	—	3

योजना आयोग राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण करने के लिए ब्लाक

ऋणों तथा अनुदानों, जिनमें उद्योगों के लिए आवंटन शामिल है, के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

लघु उद्योग क्षेत्र का विकास

4449. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु आवंटन में चार गुना वृद्धि करने का निर्णय है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों हेतु अंतरिम परिव्यय 2812.14 करोड़ रु० का है।

लखनऊ कालोनी में विकिरण का खतरा

4450. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 1992 के "पायनियर" में लखनऊ कालोनी में विकिरण के खतरे के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का सुविचारित दृष्टिकोण क्या है और अपशिष्ट पदार्थों तथा परीक्षण कार्यों में प्रयुक्त अन्य पदार्थों से क्या-क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने उत्तर प्रदेश, भूजल विभाग, अलीगंज, लखनऊ में किए जा रहे कार्य के डिजाइन तथा प्रक्रियाओं की जांच की है। यह सिद्ध हुआ है कि विकिरण-सक्रिय ट्रीशियम आक्साइड जिसका प्रयोग संसाधित करने के कार्यों के लिए किया जाता है, की वजह से अथवा बहिस्रावों की वजह से कामगारों को अथवा जन-सामान्य का कोई खतरा नहीं है।

ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों को काम पर लगाना

4451. श्री नवल किशोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को निजी ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए निर्देश जारी किए थे;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन० डी० डी० बी०) ने इन निर्देशों का पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही गई है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) संविदा-श्रम का नियोजन संविदा-श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के द्वारा शासित होता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह सलाह दी गई है कि सामान्यतः

स्थायी प्रकृति वाले कार्यों के लिए संविदा-श्रम की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए तथा अनियत कामगारों को भी स्थायी कार्यों के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन० डी० बी० बी०) सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। बहरहाल, वे सुरक्षा, भोजन प्रबन्ध, अनुरक्षण आदि के लिए लाइसेंसशुदा संविदाकारों को संविदा तो देते ही हैं क्योंकि ऐसे कार्य संगठनात्मक उद्देश्य अथवा उसके भाग नहीं होते हैं। ऐसे सभी मामलों में विधि द्वारा निर्धारित कार्यविधि का नियमपूर्वक पालन किया जाता है।

युवकों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ

4452. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए गए युवकों हेतु समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभों की प्रतिशतता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मछुआरों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी

4453. श्री सुधीर सावंत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों की सहायता करने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मछुआरों की जानकारी प्रदान करने हेतु कौन से तरीके अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रक्रिया का कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के मछुआरे भी इस प्रौद्योगिकी से लाभ उठा रहे हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन योजना के किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) मौसम विज्ञानीय उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग तापीय सीमाओं, जाइरस, जलावतों, धाराओं, संचरण पद्धतियों, उत्स्रुत कूप क्षेत्रों इत्यादि जैसे लक्षणों, जोक मत्स्य भंडार के संभावित क्षेत्रों के संसूचक हैं, को सूचित करने के लिए समुद्र पृष्ठीय तापमान संबंधी मानचित्रों को तैयार लरने के लिए किया जाता है। इस सूचना के आधार पर संभावित मत्स्य क्षेत्रों को सूचित करने के लिए सप्ताह में दो बार चार्ट तैयार किए जाते हैं और इन चार्टों को सम्बद्ध तटवर्ती राज्यों के मत्स्य उद्योग विभागों और मत्स्य उद्योग एसोसिएशन/संघों को भेजा जाता है। राज्य मत्स्य उद्योग विभागों और मछुआरा एसोसिएशन/संघों को टेलेक्स/टेलीग्राम/टेलीफोन और फैक्स, जहां

कहीं भी ये सेवाएं उपलब्ध हैं, समाचार-पत्रों तथा आकाशवाणी के बुलेटिनों के माध्यम से इन चार्टों को वितरित किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न राज्यों से प्राप्त पुनर्निवेशन से ज्ञात हुआ है कि अधिसूचित क्षेत्रों में मछली पकड़ने के कार्य में सामान्य रूप में मत्स्य पकड़ने की तुलना में 20% से 30% की वृद्धि हुई है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(छ) यह योजना अंडेमान निकोबार और लक्षदीप समूहों सहित सभी तटवर्ती राज्यों के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान

4454. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्यवार कहां-कहां खोली जायेंगी;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार को इन शाखाओं को खोलने के लिए कितने धन की आवश्यकता है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1992-93 को योजना अवकाश वर्ष के रूप में घोषित किए जाने के बारे में दिनांक 8 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर प्रदेश में शुद्धि करने वाला विवरण

योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : 8 जुलाई, 1992 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के भाग (ग) के उत्तर में निम्नलिखित कहा गया था :

"1991-92 के 71,074 करोड़ रुपये के सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय की तुलना में 1992-93 में सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय 79,698 करोड़ रुपए है।"

भाग (ग) का शुद्धि किया हुआ उत्तर इस प्रकार पढ़ा जाएगा :

"(ग) 1991-92 के 71,076 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की तुलना में 1992-93 का सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय 80,772 करोड़ रुपये है।"

1992-93 का वार्षिक योजना दस्तावेज अभी तैयार नहीं हुआ। मई, 1992 में राष्ट्रीय विकास परिषद् को भेजे गए आठवीं योजना के दस्तावेज में उस समय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1992-93 का वार्षिक योजना व्यय 79,698 रुए दर्शाया गया था। यही परिव्यय का आंकड़ा अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर में दिया गया था।

8 जुलाई, 1992 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के संबंध में वार्षिक योजना 1992-93 के राज्यवार नवीनतम आंकड़े एकत्रित किए गए थे। अतः 1992-93 के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् के दस्तावेज के आधार पर 79,698 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय के आंकड़े, जो पूर्व में एकत्र किए गए थे, में परिवर्तन करके उसे नवीनतम 80,772 करोड़ रुपये करना है।

क्योंकि यह भूल हाल में ध्यान में आई अतः विलंब हुआ। इस संबंध में लोक सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है।

पत्रकारों द्वारा हड़ताल के बारे में

12.00 मध्याह्न

·· (व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह बात रोज बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक के बाद एक बोलेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि आज कोई भी समाचार-पत्र नहीं निकला है। कल हम लोगों ने सदन में मामला उठाया था कि जो समाचार-पत्रों के मामले है, वे सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे पत्रकार कल पूरे दिन हड़ताल पर रहे हैं। उनकी मांग है कि प्रत्येक दस साल में जो वेज-बोर्ड बनता है, 1980 में वेज बोर्ड बना और जो 1990 में बनना चाहिए था, वह नहीं बन पाया है। जो 1980 में बना, उनकी सिफारिशों को 1990 में हम लोगों ने लागू करने का काम किया था, लेकिन इन्होंने बछावत रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। उस समय हम लोगों ने एटॉर्नी-जनरल को कोर्ट में भेजा था और कोर्ट में जीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार उसको लागू करने में असफल हो रही है। केन्द्रीय सरकार कह सकती है कि जो मोनिटरिंग का अधिकार है, इम्पलीमेंटेशन का अधिकार है, वह राज्य सरकार का है लेकिन मोनिटरिंग सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर है और लेबर मिनिस्ट्री के अन्तर्गत है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उनकी मांग है कि एक परमानेंट वेज-बोर्ड इन्स्टार्स बना दिया जाए जिससे ज्यों की इम्प्लेमेंटेशन होता है, मूल्य-वृद्धि होती है उसके साथ मामला जुड़ जाए। कल चाहे एजेंसीज हो या हमारे पत्रकार साथी हों, सारे के सारे हड़ताल पर थे। नतीजा यह हुआ कि कल जो पार्लियामेंट की इतनी महत्वपूर्ण कार्यवाही थी, स्कैंप-सिक्योरिटीज की, उसकी भी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई। गुलाम नबी जी यहां बैठे हुए हैं, कल उन्होंने सदन में

आश्वासन दिया था कि सदन की जो भावना है, उसको वे सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। सरकार को इस संबंध में तत्काल निर्णय लेना चाहिए, जिससे वर्किंग जर्नलिस्ट्स की जो समस्यायें हैं, वे सुधर सकें तथा भविष्य में इस तरह की नौबत न आए।

इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार को इसको गम्भीरतापूर्वक लेकर के सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पत्रकारों के लिए बछावत कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशें आने के बावजूद भी पत्रकारों की समस्याओं को अनदेखा किया गया है। इसी लिए पत्रकार कल हड़ताल पर रहे हैं और आज किसी प्रकार का समाचारपत्र प्रकाशित नहीं हुआ। स्कैम व सिक्योरिटीज की चर्चा सदन में हुई और मंत्री जी ने उत्तर दिया, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पत्रकारों की समस्याएं यह गम्भीर मामला है और उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। इस दृष्टि से सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। उनकी मांग है कि स्थायी वेतन-बोर्ड बनाया जाए। सरकार इस दिशा में निर्णय लेकर यहां इसको घोषित करे समस्या का समाधान करे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से मैं भूखा हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि सदन के सदस्य और शायद आप भी भूखे हैं, क्योंकि आज आपको अखबार पढ़ने को नहीं मिला। रोज अखबार पढ़ने की एक भूख होती है।

अध्यक्ष महोदय : भौतिक भूख।

श्री राम नाईक : बौद्धिक भूख है। आज सुबह जब एक घण्टा-डेढ़ घण्टा काम नहीं था, तो मैं समझता हूं कि सभी अस्वस्थ हो गए होंगे। मेरे पास सुबह 20-25 लोगों के फोन आए कि कल सभा गृह में चर्चा में क्या हुआ। किसी ने इस्तीफा दिया नहीं दिया, क्या हुआ? इस बारे में मैंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस्तीफा वगैरह नहीं दिया है, लेकिन आप परसों पढ़िएगा। लोगों ने कहा परसों क्या पढ़ेंगे, वगैरह-वगैरह। मेरा यह निवेदन है कि पत्रकारों की यह जायज मांग है और वेज-बोर्ड का तुरन्त गठन होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो दूसरी मांग है कि उसके लिए एक मेकेनिजम होना चाहिए, जिसके कारण उनका डियरनेस एलाउंस और बाकी की जो मांगें हैं उसमें अपने आप सुधार किया जाए, इस प्रकार की बात होनी चाहिए। जब यहां मामला उठता है और सदन में इस प्रकार की बात होती है तो सरकार उनको बुला सकती है, बात कर सकती है, फैसला कर सकती है और कम से कम कल उठाई गई बात के बारे में सरकार की भूमिका क्या है यह यह स्पष्टतया बताना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। हम सभी इससे चिन्तित हैं। कल श्रमजीवी पत्रकार हड़ताल पर चले गए। आज हम समाचार-पत्र नहीं पढ़ सके। सरकार से मेरा अनुरोध है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु सभी अतिशीघ्र आवश्यक उपाय करें।

ये श्रमजीवी पत्रकार कुछ महीनों से अपनी यूनियन के माध्यम से बछावत समिति की रिपोर्ट

को कार्यान्वित करने तथा नए मजूरी बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इस मामले पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में यथाशीघ्र अपेक्षित कदम उठाए ताकि पत्रकारों की बात सुनी जा सके और इस मामले को आगे बिना किसी बिलम्ब के निपटाया जा सके। धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं अन्य सदस्यों द्वारा की गई मांग का समर्थन करता हूं। कल भी हमने श्रमजीवी पत्रकारों की मांग के समर्थन में अपनी बात कही। कल श्री गुलाम नबी आजाद ने इस सभा को आश्वासन दिया कि वे सरकार को समूची सभा की भावनाओं से अवगत करा देंगे। अब हमारी मांग है कि सरकार इस मामले पर अपना वक्तव्य दें। दिल्ली से प्रकाशित लगभग सभी समाचार पत्र आज प्रकाशित नहीं हुए। सरकार को स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य देना चाहिए कि उक्त पंचाट को लागू किया जाएगा।

किसी एक अन्य मामले पर मैंने कल भी नोटिस दिया था और आज भी उसी तरह का नोटिस दिया है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी नोटिस दिया था। यह बंगाल पोटरीज के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री आचार्य, ऐसा नहीं है। यह दूसरे क्षेत्र में अनधिकार हस्तक्षेप है। अब श्री बन्सल बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : सब की सहमति है, आप सदस्यों की भावनाओं को पहुंचा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सुबह के समाचारपत्र के बिना दिन की शुरूआत करना आप को यह लगेगा कि आज सुबह हुई ही नहीं या आज दिन की अच्छी शुरूआत नहीं हुई। यह एक गम्भीर मामला है। मैं तो कहता हूं कि जब श्रमजीवी और गैर-श्रमजीवी पत्रकार हड़ताल पर गए तो उनकी पूर्ण उपेक्षा कर दी गई। यह तो केवल सांकेतिक हड़ताल थी जो उन्होंने कल एक दिन के लिए की थी। मैं इसका परिणाम जानता हूं।

आपका अधिक समय लिए बिना मैं इस सभा के अन्य सदस्यों के साथ सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र अपेक्षित कदम उठाएं। कुछ काम आज ही किया जाना चाहिए। विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उसके साथ इस समस्या का ऐसा समाधान ढूंढा जाय जो उन्हें भी मंजूर हो ताकि जनता समाचारपत्रों से वंचित न रहे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, कल राम विलास जी ने जब सवाल उठाया था और गुलाम नबी आजाद जी ने उसका रेसपोंस दिया था और दिल्ली के सारे अखबारों का बन्द हो जाना, यह एक महत्वपूर्ण घटना है और सरकार को पता था। श्री पांजा जी और संगमा जी दोनों बैठे हैं इसलिए मैं आप के जरिए यह कहना चाहूंगा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटना है और प्रेस का एवं सांसदों का जो सम्बन्ध है उनको आप भली-भांति जानते हैं। इसलिए मैं आपके जरिए

दोनों मंत्रियों से निवेदन करूंगा और मंत्रियों को इस बारे में पता था, उनको हमारे उठने के पहले ही बयान देना चाहिए था क्योंकि गुलाम नबी आजाद कल रेसपोंस दिए थे, इसलिए मैं चाहूंगा इमीजिएट रेसपोंस करें। सारी अखबारें बन्द हो गई और सारे सांसदों को खबरें नहीं मिली कि दुनिया में क्या हो रहा है इसलिए मैं चाहूंगा दोनों मंत्री बैठे हैं अभी कुछ न कुछ इन्स्टेंट रेसपोंस होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप वक्तव्य नहीं दे सकते ? (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, आज का दिन उदासी भरा दिन है। हमारा प्रत्येक दिन सुबह चाय के प्याले और समाचार पत्र से प्रारम्भ होता है।

केरल में साधारण रिक्शेवाला भी अपना दिन समाचारपत्र से शुरू करता है, लेकिन आज हम इससे वंचित रहे। पत्रकारों की मांगें बड़ी युक्तिसंगत हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक मजूरी बोर्ड गठित करने संबंधी एक साहस-पूर्ण वक्तव्य के साथ आगे आएं ताकि न केवल संसद सदस्यों का बल्कि सारे देश की जनता को प्रत्येक सुबह समाचारपत्र प्राप्त करने का विशेषाधिकार बना रहे। इसलिए मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं पूरी सभा इस मामले पर एकमत है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक छोटा सा पत्रकार हूं, संपादन करता हूं। (व्यवधान)

मान्यवर, पिछले 8 महीने के अनुभव से मुझे यह अहसास हुआ है कि यह कितना कठिन कार्य है। इसलिए जो भाचावत कमेटी की रिपोर्ट है, सरकार को उसको तुरंत मानना चाहिए और यदि यह रिपोर्ट नहीं मानी जाती है तो मैं समझता हूं कि अभी तो पत्रकारिता की एक दिन की हड़ताल हुई है, लेकिन अब हम लोग मिल कर इसको पूरे एक आंदोलन में परिणित करेंगे। इसलिए आप तुरंत कार्यवाही करें और अभी सदन में जवाब दें, उनकी मांगों को मानें, यही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं सभा को सूचित करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कल सदस्यों द्वारा अभि-व्यक्त भावनाओं से मुझे अवगत कराया। श्रमजीवी पत्रकारों से संबंधित चार मामले लम्बित पड़े हैं। पहला मामला श्रमजीवी पत्रकारों के लिए पेंशन योजना के बारे में है। दूसरा बछावत पंचाट का कारगर ढंग से कार्यान्वयन, तीसरा नए मजूरी बोर्ड का गठन और चौथा मामला चिकित्सा संबंधी भत्ते, छुट्टी यात्रा रियायत आदि से संबंधित है।

कुछ समय पूर्व मैंने दूसरी सभा में पटल पर इन सभी चारों मामलों पर विचार-विमर्श करने हेतु श्रमजीवी पत्रकारों की यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का वायदा किया था। तदनुरूप मैंने कुछ समय पूर्व श्रमजीवी पत्रकारों की यूनियन के प्रतिनिधियों की पहली बैठक बुलायी थी जिसमें हमने सरकार द्वारा तैयार की गई पेंशन योजना से संबंधित मुद्दे पर बातचीत की और श्रमजीवी पत्रकारों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मैं इस

सभा को तथा अपने मित्र सभी श्रमजीवी पत्रकारों को आश्वासन देता हूं कि जहां तक अन्य तीन मामलों का सम्बद्ध है, मैं शीघ्र ही श्रमजीवी पत्रकारों की बैठक बुलाऊंगा। जहां तक समाचारपत्रों का संबंध है मुझे व्यवस्थापक मण्डल की बैठक भी बुलानी होगी। मेरा यही आश्वासन है कि मैं इस मुद्दे का समाधान करने का प्रयास करूंगा। इन सभी मामलों के लिए सरकार के द्वार खुले हैं और मैं शीघ्र ही एक बैठक बुलाऊंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : स्ट्राइक का नोटिस देने के बाद इन्होंने क्या किया ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, भाचावत कमेटी का जहां तक मामला है, हम लोगों ने अपने समय में इसको डील किया था। अध्यक्ष महोदय कोई भी पेपर का मालिक इसको लागू नहीं करना चाहेगा, जब तक आप उनके खिलाफ कार्यवाही नही करेंगे।

श्री सूर्य नारायण यादव : जल्दी करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : अब मालिक भी कह रहे हैं, तो आप जल्दी करवा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं मालिक नहीं हूं (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती अनिता मुखर्जी (पंशकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी ट्रेड यूनियनों और आफिसर्स एसोसिएसन की ओर से बंगाल पोटरीज लिमिटेड के मजदूरों के बारे में एक विवादास्पद सवाल उठाना चाहती हूं। ये मजदूर बोट क्लब में कल से धरने पर बैठे हैं। इनका बड़ा कटु अनुभव रहा है, इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण किया ही जाने वाला था लेकिन यह उस समय अनअधिसूचित थी।

इस सभा में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण मजूरी दी जा रही है लेकिन कोई कोई कार्य-पूंजी नहीं दी गई। उसके पश्चात टाटा की सलाहकार समिति ने एक सक्षमता रिपोर्ट दी। इसके बावजूद भी पिछली वर्ष पश्चिम बंगाल से हम सभी दलों के सभी सदस्य प्रो० पी० जे० कुरियन से मिले और उन्होंने कहा कि जांच दुबारा की जानी है। मैंने श्रीमती कृष्णा शाही से सुना था कि ये जांच रिपोर्ट कल ही प्राप्त हुई है। अगर ऐसा है तो फिर हम चाहेंगे कि यह मामला हमेशा के लिए तय हो जाना चाहिये और इस फैक्टरी के मजदूरों के लिए, जिनका उत्पादन इस देश का गौरव है, अनादर नहीं होना चाहिए और न ही सरकार द्वारा इस फैक्टरी की महत्ता को कम नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यह एक अलग पहलू है।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह एक अलग मुद्दे पर है तो मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस पर मैंने कल सूचना दी थी। आज भी मैंने नोटिस दिया है। हमने यह मामला अनेक बार उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरी बार खड़े हो रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : बंगाल पोटरीज की समस्याओं के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि पश्चिम बंगाल का प्राथमिक उद्योग को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और वर्ष 1986 में इसे अनाथ सूचित कर दिया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है बिना इजाजत के बोल रहे हैं आप।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : इसके बाद यूनियन न्यायालय में गई। श्री सोमनाथ चटर्जी उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं और 1986 से यह मामला लटक रहा है। हम प्रत्येक सत्र में मांग करते रहे हैं और सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से इसे पुनः चालू करने और सइका राष्ट्रीयकरण करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। टाटा सलाहकार सेवा ने 1986 में एक रिपोर्ट दी और सुझाया कि 15 करोड़ रुपये का निवेश करके इस इकाई को पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्ष 1986 से केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है और दूसरी ओर इकाई को बंद कर दिया है। केन्द्रीय सरकार ने चार हजार कामगारों को वेतन देने के लिए 115 करोड़ रुपये दिए हैं।

हम मांग करते हैं कि केन्द्रीय सरकार को इस इकाई को चलाने के लिए तुरंत उपाय करने चाहिए और बंगाल पोटरीज को 115 करोड़ रुपये खर्च करके इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और इकाई के देयताओं को बट्टे खाते डाल दिया जाना चाहिए। जब तक उसकी देयताओं को बट्टे खाते नहीं किया जाता, इकाई को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।

अतः यह सभा की मांग है कि बंगाल पोटरीज, जोकि राज्य एक महत्वपूर्ण इकाई है को पुनः चालू किया जाना चाहिए और इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

श्री अयूब खां (झुंझुनु) : जनाबे सदरे मोहतरम, मैं राजस्थान से हूं। वहां झुंझुनु एक डिस्ट्रिक्ट है। झूंझनु के अंदर रानी सती का एक मंदिर है जिसमें सालाना 28 तारीख को उत्सव होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि उस उत्सव में हजारों और लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, उस उत्सव में जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल गाड़ी और स्पेशल बसों का बन्दोबस्त किया जाए तथा वहां पर लोगों को मेडिकल सुविधा दी जाए। साथ ही, वहां से वापस आने के लिए भी उनके लिए ट्रेन और बसों की सुविधा प्रदान की जा जाए। धन्यवाद !

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारी बाग) : अध्यक्ष महोदय, बिहार का हजारीबाग शहर जो जिले के साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमण्डल का भी मुख्यालय है, आज तक रेलवे लाइन से जोड़ा नहीं गया है। जबकि हजारीबाग जिला खनिज एवं वन सम्पदा से भरा पड़ा है और अरबों की

आमदनी राज्य एवं केन्द्र सरकार को होती है। हजारीबाग शहर को रेलवे लाइन से जोड़ने के संबंध में अंग्रेजी हुकूमत के गवर्नर ने भी सिफारिश की थी। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्व० पं० जवाहर लाल नेहरू से लेकर स्व० इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एवं तत्कालीन रेल मंत्री स्व० श्री जगजीवन राम, स्व० श्री केदार पाण्डेय और स्व० ललित नारायण मिश्रा ने हजारी बाग को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन आज तक जोड़ा नहीं गया है।

मेरे प्रश्न एवं पत्रों के उत्तर में यह कहा गया कि यह योजना अलाभकर है जो तथ्यों से विपरीत है। हजारीबाग में कोयला इण्डिया के सी० सी० एल० कंपनी का 90 प्रतिशत क्षेत्र है, जिससे दो करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा कोयले के नये क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। खनिज में कोयले के अलावा अन्य पदार्थ एवं सम्पदा का अरबों रुपए का माल हर वर्ष बाहर रोड़ से जाता है। हजारीबाग का जिला मुख्यालय पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी महत्व रखता है। हर महीने हजारों की संख्या में यहां के धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने के लिए पर्यटक आते है। इस परिस्थिति में इसे अलाभकार कहना मात्र इस योजना को आठवीं योजना में सम्मिलित नहीं करना है। हजारीबाग गिरीडीह एवं चतरा तथा उत्तरी छोटा नागपुर के लोगों में भयंकर आक्रोश है। अतः अक्टूबर 1992 में लोगों ने हजारीबाग रेलवे लाइन को (ग्रेन कोड लाइन समेत) बाधित करने का फैसला लिया है। वैसे यह क्षेत्र झारखंड में पड़ता है जो बराबर उपेक्षित रहा है। अतः सरकार से.मांग करता हूं कि इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर हजारीबाग रेलवे लाइन से जोड़ा जाए।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, जब विदेशों में भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं तो हम सदन में खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बार्सिलोना में हो रहे ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक नहीं लिया है। पदकों की तालिका सूची निकलती है तो उसमें भारत का कहीं नाम नहीं है। सूची देखने के बाद शर्म आती है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि भारत की चयन प्रक्रिया गलत है। जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं खिलाड़ियों के चयन के लिए तो उनको खेल के प्रति कोई जानकारी नहीं होती है। बजट में खेलों के लिए बहुत कम राशि का प्रावधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बजट में बढ़ोत्तरी लायी जाए और एक स्पष्ट खेल नीति बनायी जाए ताकि देश का मान-सम्मान खेलों के माध्यम से बन सके।

एक बात और कहना चाहता हूं। हम लोग पीछे बैठते हैं तो आप बोलने का मौका नहीं देते हैं। जब मैं पीछे से आगे बढ़कर आया तो आपने बोलने का मौका दिया। पीछे बैठे मेम्बरों की तरफ आप ध्यान दीजिए। प्रति दिन हम जीरो-आवर में देखते हैं जो दिन भर बोलते रहते हैं उन्हीं को आप बुलवाते रहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे उस पर कड़ी आपत्ति है। आप संसदीय प्रक्रिया को नहीं जानते। मैं पार्टी सचेतक से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में सदस्य से बात करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं बोल रहा हूं। यहां आप बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, ओलम्पिक खेलों में भारत पराजय जैसी नहीं हुई है बल्कि शर्मनाक पराजय हुई है। इस शर्मनाक पराजय के बारे में मैं सदन को इसके पहले भी बता चुका हूं कि ओलम्पिक खेलों के लिए जो खिलाड़ियों का चयन होता है उसमें धांधली और बेईमानी होती है। उसके पीछे मूल कारण यही है कि उसमें भारत स्तर और प्रदेश स्तर पर राजनीति में दखलंदाजी करने वाले अधिकारी लोग हैं। उनका खेलों से कभी जिन्दगी में संबंध नहीं रहा, जैसे श्री वी० सी० शुक्ला ओलम्पिक संघ के अधिकारी बनाए गए हैं। मैं जानता हूं कि इनका खेल से दूर का रिश्ता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में ओलम्पिक संघ के अधिकारी पं० लोकपति त्रिपाठी बनाए गए हैं। इसका भी ओलम्पिक खेलों से दूर का संबंध नहीं रहा। जब ओलम्पिक संघ में ऐसे पदाधिकारी होते है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको खेलों की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आपने उदारता दिखायी थी और इस सदन में इस बारे में चर्चा करायी थी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर वक्तव्य देना चाहिए कि इस तरह की शर्मनाक पराजय भारत की क्यों हो रही है। यह कोई बार्सिलोना ओलम्पिक खेल नहीं बल्कि जितने भी एशियाड और राष्ट्रकुल के खेल होते हैं तो उसमें भी भारत की शर्मनाक पराजय होती है। ...(व्यवधान) वहां से आ जाते हैं और उसका उत्तर दे दिया जाता है कि इसमें खिलाड़ियों को यह हो गया या वह हो गया। भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। उनका चयन सही तरीके से होना चाहिए। ग्रामीण स्तर से उनका चयन होना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इससे भारत की कभी भी ओलम्पिक में शर्मनाक पराजय नहीं होगी, पराजय हो सकती है। बार्सिलोना ओलम्पिक में जिन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया है, वे प्रशिक्षक भी वहां नहीं गये।

*[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : इतनी बड़ी आबादी वाला हमारा देश है और हमारी वहां शर्मनाक पराजय हुई है इसलिए हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : वह सच्चाई बता रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे नियमों के मुताबिक करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप ओलम्पिक खेलों में खराब प्रदर्शन पर चर्चा की अनुमति देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने देख लिया है कि सदस्य किस प्रकार व्यवहार करते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि अन्य सदस्य भी हैं जिन्हें अन्य मुद्दों पर अपनी बात कहनी है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप इस पर चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : भारत के सम्मान का स्तर गिरा है और यह कोई साधारण मामला नहीं है । इस मामले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि ओलम्पिक में भारत की शर्मनाक पराजय क्यों हुई । आज भी भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, ओलम्पिक खिलाड़ियों से अच्छे खिलाड़ी हमारे पास हैं, लेकिन उनका चयन खेल संघ के पदाधिकारी ठीक से नहीं करते, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए । सरकार का इस सम्बन्ध में वक्तव्य आना चाहिए ।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : बिहार में सूखा है, भरपूर बारिश नहीं हुई है । जिससे खरीफ या धान की फसल लगाई जा सके । बिजली भी नहीं है । इससे किसान तबाह हैं और वे खेती नहीं कर सकते हैं । वहां के मजदूर भी तबाह हो रहे हैं । किसानों को तो खाने को फिर भी मिल जाता है, लेकिन मजदूरों को काम नहीं मिलता इसलिए कि उनको रोजगार नहीं रह गया है । बारिश में तीन महीनों तक वह खेती में लगे रहते थे, लेकिन आज बिहार के तमाम मजदूरों को सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है । अंग्रेजों की बनाई हुई सोन नहर सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है । जिसके चलते 8 जिलों के किसान परेशान हो गए हैं । धान की फसल नहीं लगा सके । इससे वहां के तमाम मजदूर बेकार हैं । इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के मजदूरों को जिन्दा रहने के लिए रोज काम देने के लिए आप योजना बनायें जिससे वहां के मजदूरों को कम से कम तीन चार महीने काम मिल सके और उनको रुपए के बदले अनाज दिया जाए । साथ ही साथ मैं भारत सरकार से यह भी मांग करता हूं कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को राशन, तेल, दाल चावल मुहैया कराया जाए । ये दुकानें दबंग लोगों के पास हैं, वहां से उनको तो राशन मिल जाता है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को, हरिजनों को राशन नहीं मिलता, इसलिए इसकी व्यवस्था सरकार कराये ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी-बारी से ऐसा कर सकता हूं । सदस्यों को यह बात समझनी चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : देश के हजारों लोग आज जम्मू-कश्मीर में श्री अमरनाथ जी जाने के लिए पड़े हुए हैं । उनको यात्रा का सुनिश्चित रास्ता नहीं मिल रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि वह यात्रा परम्परा से हजारों वर्षों से श्रीनगर में दशनामी अखाड़े से शुरू होती थी और पवित्र छड़ी की पूजा के बाद यात्री पदयात्रा करते हुए दस दिन में लोग अमरनाथ गुफा पहुंचते थे । 10 पड़ाव रास्ते में पड़ते थे और उनको 10 विद्या के रूप में पूजा जाता था । शंकराचार्य मंदिर की पूजा करके बृज विहार होते हुए लोग चलते थे, पदयात्रा करते थे । इसमें देश के सभी

प्रदेशों से कर्नाटक, केरल और मद्रास आदि से आकर लोग इसमें शामिल हुआ करते थे और उसका नेतृत्व साधु-सन्त किया करते थे। यह कई हजार वर्षों से चली आ रही यात्रा तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री माननीय जगमोहन जी के समय भी चलती रही। उस समय भी संकट था लेकिन पिछले दो वर्षों से वहां पर सुरक्षा का संकट बताकर उस यात्रा को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। इस साल यह बात उज्जैन कुम्भ में साधु-महात्माओं ने उठायी थी और मांग की थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार हमें परम्परागत मार्ग से यात्रा करने की इजाजत दे। 30 तारीख को मैंने माननीय गृह मंत्री महोदय से भी मिलकर यह आग्रह किया था कि परम्परागत मार्ग से यात्रा चलनी चाहिए और श्रीनगर के दसनामी अखाड़ा में ही छड़ी पूजन होना चाहिए वहीं से यात्रा शुरू होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि निर्धारित मार्ग से और पद्धति से यात्रा पूरी कराई जायेगी भले ही उसमें सारे लोग शामिल न किए जायेंगे। को प्रतीकात्मक रूप से यात्रा के लिए सुरक्षा दे दी जाये लेकिन दुर्भाग्य वहां के राज्यपाल के विशेष सलाहकार ने भी यात्रा समिति के साधु-महात्माओं से मिलकर यह समझौता किया था, यह बात की थी कि हम आपको अमरनाथ की यात्रा श्रीनगर के दसनामी अखाड़ा से पवित्र छड़ी के साथ ले जाने की व्यवस्था करेंगे लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अन्तिम क्षणों में यात्रा की सारी व्यवस्था को रद्द करके साधु-महात्माओं को सीधे जम्मू से चन्दनबाड़ी ले जाने का प्रयास किया गया है और निर्धारित मार्ग को बदल दिया गया है। वहां पर हजारों यात्री पड़े हैं, उन्हें रास्ता नहीं मालूम है कि वे कहां से जायें? जो साधु अपने परम्परागत रास्ते से जाने के लिए जम्मू से पैदल जा रहे थे, नगौता चैकपोस्ट पर उनको रोक दिया गया तो वे वहां धरने पर बैठ गए हैं तो उनको 70 ट्रकों में भरकर रामबाण तक पहुंचाया गया उसके आगे वे कहां गए हैं, कोई अता पता नहीं चल रहा है, सब भटक रहे है। हम सरकार से मांग करते हैं और जानना चाहते हैं कि उन यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, यह भी जानना चाहते हैं कि आपने यात्रियों की सुविधा के लिए क्या किया है? परम्परागत मार्ग से आप यात्रा क्यों नहीं आयोजित कर रहे हैं? सुरक्षा के नाम पर क्यों हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं सुरक्षा के नाम पर? यह हमारा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार की वापसी के लिए हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे धार्मिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। या आप यह कह दें कि कश्मीर में आपका कोई शासन नहीं रह गया है, कश्मीर में आप बिल्कुल खत्म हो गए हैं। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आपकी कश्मीर में हुकूमत है, तो हमारे धार्मिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उस परम्परागत छड़ी पूजन के साथ उसी मार्ग से पद-यात्रा होनी चाहिए और जितने भी यात्रियों को जाने दिया गया है, उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए ताकि रक्षा बन्धन के दिन अमरनाथ गुफा में दर्शन कर सके।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि यह पाला हिन्दू-मुस्लिम एकता का अद्भुत प्रतीक है क्योंकि अमरनाथ गुफा में जो पैसा चढ़ता है, वह हिन्दू-मुसलमानों में बंटता है। वे दोनों के देवता हैं, यह कोई साम्प्रदायिक यात्रा नहीं है, राष्ट्रीय सद्भावना की यात्रा है। इसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा के नाम पर हमारी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। हमें दुख है और दुख के साथ हजारों पद-यात्रियों के लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि परम्परागत मार्ग से यात्रा सुनिश्चित करें और यात्रियों को सुरक्षा दिलवायें।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, इस समय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं और वे भी जम्मू-कश्मीर के हैं और इस कारण से इस बात को भली-प्रकार से जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा का कितना महत्व है?

अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में जितने सारे धार्मिक उत्सव हैं, उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह अमरनाथ की यात्रा है। मुझे स्मरण है कि जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और श्री जगमोहन वहां पर राज्यपाल थे, तब बात हुई थी। कुछ हो न हो, अमरनाथ की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, इसका पूरा प्रबंध होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि श्री चिन्मयानन्द जी के इस वक्तव्य के बाद सरकार को इस पर बयान करना चाहिए और क्या करना है, यह सोचे। जो लोग गए हुए हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए और इस अमरनाथ की यात्रा को विधिवत् रूप से प्रतिवर्ष पवित्र छड़ी के साथ चलाएं जिस प्रकार से वहां पर तिरंगा झण्डा लहराना राष्ट्र के लिए सम्मान की बात है। मैं यह मानता हूं कि वहां पर अमरनाथ यात्रा निर्विघ्न रूप से लगातार होती रहे। यह हमारे लिए राष्ट्रीय सम्मान की बात है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस पर वक्तव्य दे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री चिन्मयानन्द जी ने जो सवाल उठाया है और जिसका समर्थन विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी ने किया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से यह लगता है कि यह मौलिक अधिकार का प्रश्न है और हमारे संविधान में हर किसी को अधिकार है किसी भी पूजा पद्धति को स्वीकार करने का और यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चाहे जो भी धर्मावलम्बी हों, उनको अपनी पूजा पद्धति और अपनी तीर्थ यात्रा का सुनिश्चित रूप से अधिकार होना चाहिए।

मैं यह महसूस करता हूं कि जो ऐतिहासिक और परंपरागत अमरनाथ की यात्रा है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह करोड़ों लोगों के विश्वास का सवाल है और इस यात्रा के सवाल उठाने के पीछे मैं नहीं जानता अगर उसके पीछे कोई राजनीति है तो मैं उसमें अपने को एसोसिएट नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है, उसकी लिबर्टी का सवाल है और परंपरा का सवाल है। उसका निर्वहन होना चाहिए और अगर वह परंपरागत मार्ग से जाना चाहते हैं तो उनको जाने दिया जाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई बाधा है या संकट है तो सरकार को इस सवाल पर साफ साफ-अपनी बात रखनी चाहिये और उस यात्रा में अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए उचित सुरक्षा भी मिलनी चाहिए ताकि यह महसूस हो सके कि सचमुच यह राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सबों की धार्मिक आस्था की आजादी इसमें सुनिश्चत है।---(व्यवधान)---

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इस स्टेटमेंट या उत्तर तो सरकार की ओर से आना चाहिए।---(व्यवधान)---

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : माननीय स्पीकर साहब, मैं लीडर ऑफ अपोजीशन और माननीय सदस्यों की बात से सहमत हूं कि अमरनाथ की जो यात्रा है वह न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत में और विशेष रूप से कश्मीर में हिन्दू-मुसलमान इस यात्रा को हमेशा वैलकम करते आए हैं। मुझे याद है जब मैं खुद स्टूडेण्ट था तो हमारे कई हिन्दू भाई थे, उनके साथ दो दफा मुझे पैदल जाने का अवसर मिला और इंदिरा जी के वक्त जब मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर था, उस वक्त भी मैं खुद उनके साथ यात्रा पर गया था। ..(व्यवधान)...आज भी मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। आपकी जो भावनाएं हैं, उनका पूरा आदर करते हुए अपने कांस्टीट्यूशन में और कांस्टीट्यूशन के बाहर भी हमारे समाज में हिन्दू,

मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के नागरिकों को पूरी आजादी है कि वे अपने-अपने मजहब की इबादत करें और सरकार का यह दायित्व बनता है कि उस फर्ज को पूरा करने के लिए उनको सुरक्षा दे। मैं आपकी जो भावनाएं हैं और अपनी तरफ की जो भावनाएं हैं, वह राज्य सरकार से, गवर्नर साहब से और होम मिनिस्टर साहब को भी बताऊंगा और बात करूंगा कि इसको पूरी सुरक्षा दें और जिस परंपरा से यह पवित्र छड़ी शुरू होती आ रही है, उसे सुरक्षा देनी चाहिए ताकि सदन के अंदर और सदन के बाहर भी जो यात्री हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी कद्र की जाए।

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : श्रीलंका के नौसेना के अधिकारी हमारे मछुआरों को प्रायः डराते रहते हैं और उनके द्वारा मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नावें ले ली गई हैं। उनको जेल में रखना और उन पर अत्याचार करना नियमित घटनाएं हैं। पिछले अनेक वर्षों से हम इस मुद्दे पर एक स्थाई समझौते की मांग कर रहे हैं।

पिछले शनिवार को श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु में रामेश्वरम् से आधा दर्जन नाव और 20 से अधिक मछुआरों को पकड़ लिया और वे थलाईमन्नार में उन पर अत्याचार कर रहे हैं।

पहले मछुआरे रात को मछली पकड़ने समुद्र में जाया करते थे और सुबह वापस आते थे। अब सरकार के आदेशों के कारण वे सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। भारतीय मूल का कोई भी मछुआरा अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता अथवा भारत के सीमांतर्गत जलक्षेत्र से बाहर नहीं जाता। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, श्रीलंका की नौ सेना अक्सर मछुआरों को पकड़ने अथवा उन पर अत्याचार करने के लिए भारत के सीमांतर्गत जलक्षेत्र में आ जाती है। यह बहुत दयनीय स्थिति है जोकि अक्सर उत्पन्न हो रही है।

हम यह मांग कर रहे थे कि सरकार को इस मामले को सुलझाना चाहिए। 20 से अधिक मछुआरे, जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया है, को भारत सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी मुक्त नहीं किए गए हैं। मछुआरों के परिवार वास्तव में कठिनाई में हैं। वे हमें टेलीफोन कर रहे हैं और उनको शीघ्र मुक्त कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वे यह देखने के लिए श्रीलंका के अधिकारियों से तत्काल बातचीत करें कि नाव तथा मछुआरे सुरक्षित वापिस आ जाएं। तमिलनाडु के संबंध में यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मैं, तमिलनाडु के लोगों की ओर से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें शीघ्र मुक्त कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। धन्यवाद।

श्री पी० जी० नारायणन् (गोबिचट्टीपालयन) : महोदय, यह देखने में आया है कि श्रीलंका की नौसेना द्वारा शनिवार को रामेश्वरम् से 20 मछुआरों सहित आधा दर्जन पंजीकृत नावें पकड़कर तलाईमन्नार ले जाई गई थीं। इस संबंध में रामेश्वरम् में मछुआरों के समुदाय के नेता के साथ इस मामले में बातचीत करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री को तार भेजे थे ताकि मछुआरों की शिकायतों को दूर किया जा सके। पहले भी, अनेक मछुआरे श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े गए थे। यह काफी लम्बे समय से चल रहा है।

साधारणतः मछुआरे रात को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में आया करते थे और अगले दिन सुबह किनारे पर वापस आते थे। लेकिन अब वे दिन में जल्दी ही आने लगे ताकि वे उसी दिन शाम को वापस आ सकें। एक तरफ श्रीलंका की नौसेना यह शिकायत करती है कि मछुआरों ने विदेशी मुद्रा कमाने वाली झींगा जो कि उचित संख्या में उपलब्ध है, पकड़ने के लिए को पार कर किया है, दूसरी तरफ मछुआरों ने इस आरोप का खंडन किया है। अब मछुआरों के परिवार बंदी बना लिए गए मछुआरों के बारे में चिंतित हैं।

हालांकि, भारत और श्रीलंका के बीच 1974 में हुआ समझौता मछली पकड़ने का अधिकार प्रदान करता है फिर भी हमारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए कच्छाथीवु के पास भी नहीं जा सकते। श्री लंका सरकार के इस प्रकार के अत्याचारों को हमारे मछुआरों के हित में आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। श्रीलंका की सरकार इस समझौते को सम्मान देने की बजाए हमारे मछुआरों को अक्सर परेशान कर रही है। इस अत्याचार को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी भी काफी लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहे थे कि इस समस्या का एक ही हल है और वह है कच्छाथीवु को वापस लेना।

इसीलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल ही श्रीलंका की सरकार से मछुआरों की सुरक्षित वापसी के लिए इस मामले पर बातचीत करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, आज दिल्ली में बोट-क्लब पर कलकत्ता के लगभग 400 प्रतिष्ठित नागरिकों की एक रैली है जोकि कलकत्ता के नागरिक तथा नगर विकास के लिए काफी अरसे से चल रही मांगों पर जोर देने के लिए आए हैं।

महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधान मंत्री बनने से बहुत पहले सड़कों के सुधार, जल-निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति, रोशनी, परिवहन इत्यादि को शामिल करके कलकत्ता के पूर्ण विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी।

तदनन्तर चार्ल्स कोरिया आयोग की सिफारिशों से भी इस योजना का समर्थन किया गया था। इसके कार्यान्वयन के लिए 1827 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी जिसे राज्य के अल्प संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता था। तदनन्तर कलकत्ता के नागरिक अपनी इस मांग के संबंध में अनेक बार दिल्ली आए। कलकत्ता के महापौर ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात की और उसके बाद श्री वी०पी० सिंह से भी मुलाकात की। परन्तु अभी तक इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। अतः आज विभिन्न व्यवसायों में लगे नागरिक---

अध्यक्ष महोदय : क्या यह विषय राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में है अथवा संघ सूची में है ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : एक मांग यह है कि इसे राष्ट्रीय महत्व का शहर घोषित किया जाए क्योंकि कलकत्ता केवल पश्चिम बंगाल का शहर नहीं है। यह पूरे पूर्वी क्षेत्र की मांग को पूरा करता है। यह भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों में से एक है। इसलिए आज बहुत से व्यवसायों में लगे अनेक नागरिक बहुत से अलग-अलग राजनीतिक सिद्धान्तों के लोग एक साथ मिल गए हैं, वह प्रधान मंत्री से और योजना आयोग के उपाध्यक्ष से पहले ही मिल चुके हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक केंद्रीय मंत्री श्री अजित पांजा भी हमारे साथ थे और उन्होंने हमारी

मांगों का समर्थन किया क्योंकि वह भी कलकत्ता के ही प्रतिनिधि हैं। जो मांगें की जा रही हैं वह इस प्रकार हैं : कलकत्ता के बहुमुखी विकास के लिए कलकत्ता बन्दरगाह के आधुनिकीकरण के लिए भूमिगत रेलवे का कार्य पूरा करने के लिए परिक्रमा रेल सेवा को पूरा करने के लिए और कलकत्ता हवाई अड्डे के महत्व को अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए 1,827 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता देना।

मैं सरकार का और इस सभा का ध्यान कलकत्ता के प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा की गई इन मांगों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मैं आशा करती हूं कि योजना आयोग के आबंटन के माध्यम से यह संसाधन अविलम्ब कलकत्ता शहर को उपलब्ध कराए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नोटिस पर आज एक बहुत दुखद और कष्टपूर्ण सूचना इस सदन को देना चाहता हूं। जब हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के 50 वर्ष, 9 तारीख को मनाने जा रहे हैं, तो उससे एक बहुत बड़े योद्धा और अगुआ श्री अच्युत पटवर्धन जी का आज प्रातः वाराणसी में देहावसान हो गया है। वे 30 तारीख को अभी आचार्य नरेन्द्र देव के संबंध में भाषण करने लखनऊ गए थे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी जिम्मेदार नेताओं की बैठक बुलाकर, यह बहुत ही उचित होगा कि आज या कल, उनको एक श्रद्धांजलि इस सदन की ओर से दी जाए, क्योंकि भारत की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी अवस्था 82 वर्ष की हो गई थी, मुझे सिर्फ इतनी ही सूचना देकर आपसे आग्रह करना है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह जो आपने सूचना दी है, इस मामले में हम जल्दबाजी नहीं करते हैं। सब मालूमात ले लेंगे और जो उचित होगा, उसी को जरूर करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह सूचना अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी आई थी।

अध्यक्ष महोदय : 1942 का जो "भारत छोड़ो आन्दोलन" है, उसके बारे में 8 तारीख को 11 बजे सेंट्रल हाल में हम सब लोग मिल रहे हैं और उसमें जो कुछ उचित है वह किया जाएगा।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में आपका और इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। वह यह है कि मैं जिसके बारे में आपको बोलने जा रहा हूं, मुझको लगता है कि जिस तरीके से जो भी मैं बोलूं, उनकी जो समस्या है, शायद उसके प्रति न्याय नहीं हो पाएगा। और हमारा बोलना नाकाफी ही रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि बिहार में, कालाजार के प्रकोप के बारे में हम कई दिनों से यहां पर चर्चा कर रहे हैं। हमको जिस तरह की खबर मिली है उसके अनुसार सारे बिहार के लगभग 30 जिले इस बीमारी से पीड़ित हैं और खासकर के वैशाली, गोड्डा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर आदि ज्यादा पीड़ित हैं। वैशाली जिले में सारे गांवों की यह स्थिति है यह सिर्फ बीमारी ही नहीं है बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव भी बहुत खतरनाक है। वैशाली जिले के सारे गांवों के लोग अपने लड़के-लड़कियों की शादी, विवाह नहीं करा पाते हैं और वे इस बीमारी से ग्रस्त हैं।

वहां के सारे गरीब लोग अपनी-अपनी जमीन बेचकर के जैसे माइग्रेशन करते हैं, वैसे दूसरी जगह पर चले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जमाल एक गांव है, जहां लोग इस बीमारी से बचने के लिए, इलाज करने के लिए, 30, 40 और 50 हजार रुपए तक उधार लेकर इलाज करते हैं फिर भी वे मर जाते हैं। उसके बाद उनकी जो स्थिति हो जाती है, वह बहुत दयनीय हो जाती है। जालिम सिंह नाम का एक व्यक्ति है, जिसने इस बीमारी से बचने के लिए अपनी जमीन 52 हजार रुपए में बेच दी और इस वह रुपया कालाजार से बचने के लिए खर्च कर दिया और वह कहता है कि मैं तो जिन्दा भी मुर्दे के समान हूं। हम लोग मनुष्य नहीं रहे।

अध्यक्ष महोदय, हालत इतनी खराब है कि वहां के साधारण और सीमान्त किसान जो हैं वे इस बीमारी से बचने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं और इसके कारण वे अपनी जमीनें बेचकर खेत मजदूर बन जाते हैं। बांडेड लेबर बन जाते हैं। यह स्थिति है। इसलिए अध्यक्ष महोदय यह सिर्फ राज्य सरकार के वश में इस बीमारी के इलाज की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसमें इस बीमारी से लगभग ढाई लाख लोग पीड़ित हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बीमारी से बचाव के बारे में जो हमें पता चला है कि जो सहायता केन्द्र सरकार ने दी है वह नाकाफी है। मेरे पास जो खबर है अध्यक्ष महोदय उनके अनुसार एक डा० सी०पी० ठाकुर हैं, जो प्रोफेसर एमीराइटिस इन मैडीसिन हैं, उनका कहना है कि यह जो सारी तकलीफ होती है, गरीब लोग इसके बारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार की तरफ से एक मैडीसन के बारे में जिक्र किया गया था। उस मैडीसन का नाम ऐमफोटेनीसिन बी है। उसको आयात करना पड़ेगा। वे कहते हैं कि इस मैडीसन से कोई साइड इफैक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि बिहार में जो कालाजार से लोग मरते हैं, यह एपीडैमिक की तरह तो हो गया लेकिन इससे सामाजिक नतीजे खतरनाक हैं। लोग और गरीब हो जाते हैं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से कहूंगा कि राज्य सरकार के पास बैठकर, किस तरह से इसका निदान हो सकता है, इसके बारे में पहल करें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में पहली बार 1977 में जीतकर आया था और 1977 से लगातार इस मामले को उठा रहा हू।...(व्यवधान) श्री राजनारायण उस समय हैल्थ मिनिस्टर थे। हमने उस समय कोशिश करके डब्ल्यू०एच०ओ० से सहायता ली थी। उसके बाद किसी भी पार्टी की सरकार रही लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो रवि राय जी ने सवाल उठाया है, हम वहां से आते हैं और बार-बार इस सवाल को उठाना उचित नहीं लगता है। यह बीमारी किसी भी बीमारी से भयंकर है। इतना ही नहीं, एक परिवार में एक आदमी को यह बीमारी लगती है तो पूरा परिवार साफ हो जाता है। यह कैन्सर के समान है। एक-एक बीमारी का खर्च 10-12 हजार का है। श्री गुलाम नबी आजाद यहां हैं, स्वास्थ्य मंत्री से हम कई बार मिल चुके हैं। भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए इसका निवारण करना चाहिए और डब्ल्यू०एच०ओ० से सहायता मांगनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रगति की राह पर अग्रसर गोवा राज्य में गिरती हुई दूरसंचार सेवाओं और उनकी खस्ता हालत की ओर सरकार का ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं। संचार व्यवस्था का शोचनीय पहलू यह है कि गोवा के लोगों द्वारा स्थानीय समाचारपत्रों में अपना व्यापक विरोध प्रकट करने, राज्य विधान सभा में इस बारे में चर्चा हो जाने और केन्द्रीय प्राधिकारियों से इस संबंध में आग्रह करने के बावजूद दूर-संचार प्रणाली की स्थिति दयनीय है। गोवा की राजधानी पणजी में दूरसंचार प्रणाली की अधिकांश लाइनें खराब रहती हैं और लम्बे समय से काम नहीं कर रही हैं। बड़े दुख की बात है कि यह सब कुछ कर गुजरने के बावजूद गोवा में लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। वहां के लोग दूरसंचार सेवाओं की दुर्दशा से बहुत दुखी हैं। इससे सरकार उद्योगपतियों, पर्यटन और लोगों को राजस्व की बहुत हानि हुई है।

तुरन्त कार्रवाई करने के बजाय दूरसंचार प्राधिकारी राज्य के बिजली विभाग पर टेलीफोन की तारों को क्षति पहुंचाने का दोष लगा रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव और राज्य बिजली विभाग ने इस आरोप को निराधार बताया है। एक दूसरे पर दोष मढ़ना गोवा के लोगों को वास्तविक राहत पहुंचाए बिना जले पर नमक छिड़कना है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि स्थिति तेजी से बदत्तर और गम्भीर होती जा रही है तथा इसके लिए तत्काल ठोस और सटीक उपाय करने की आवश्यकता है। जो लोग मौजूदा अवरोध के लिए जिम्मेदार हैं वह इसके लिए उत्तरदाई हैं और उन्हें तदनुसार दण्डित किया जाना चाहिए। गोवा के लिए तत्काल टेलीफोन सलाहकार समिति शीघ्र स्थापित करने की जरूरत है। गोवा में दूर संचार विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है। पे-फोन मंजूर करने में बरती गई अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता है। समाज के कमजोर तबकों के जरूरतमंद और गरीब बेरोजगार युवाओं को तथा विकलांग व्यक्तियों की ऐसी सुविधाएं मंजूर करने में तरजीह दी जानी चाहिए।

गोवा एक विकासोन्मुखी और सक्षम राज्य है तथा इसके लिए दोषमुक्त दूरसंचार प्रणाली नितान्त आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि माननीय संचार मंत्री, जो गतिशीलता और देश में दूर-संचार तंत्र को सुधारने के लिए पहल करने और अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और गोवा राज्य के लिए अत्यन्त प्राथमिकता और तात्कालिकता के आधार पर सुधरी हुई और सक्षम दूरसंचार प्रणाली प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उमा जी को चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि जब आपका सबजेक्ट आया तब आप नहीं थीं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात में बढ़ते आतंकवाद की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। गुजरात एक शान्त और प्रगतिशील राज्य है मगर पिछले चार साल का इतिहास देखिये कि कितने जोर से वहां आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। अगर उसको सही वक्त पर सम्भाला नहीं गया तो गुजरात का जन-जीवन असामान्य बन जाएगा और नागरिकों का जीवन असलामत हो जाएगा। आपको यह स्मरण होगा कि अहमदाबाद इसका मुख्य केन्द्र बना है। अभी पिछले सप्ताह ढाई करोड़ के शस्त्र पकड़ गए और जिसने कनिष्क विमान उड़ाने की योजना बनायी थी, वह कुख्यात आतंकवादी भी पकड़ा गया। उसी के गिरोह के कुछ लोगों ने तीन तारीख को रात दस बजे बार्डर पर ऑटोमैटिक मशीनगन और स्टेनगन से 9 आदमियों

की निर्मम हत्या कर दी। हम लगातार सरकार का ध्यान इस तरह दिलाते रहे हैं लेकिन पिछले दो साल से इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ये वही लोग हैं जो कुख्यात आतंकवादियों से मिले हुए हैं और उनके साथ सरकार के कुछ लोग भी मिले हुए हैं। ये ही वहां ये सब करवाते हैं। सरकार इसको रोक पाने में विफल रही है। अगर इस परिस्थिति को सम्भाला नहीं गया तो गुजरात पंजाब और कश्मीर जैसी स्थिति में आ जायेगा। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जैसे गुजरात में से उस वक्त के डी० आई० जी० श्री रिबेरो को पंजाब की स्थिति सम्भालने के लिये पंजाब भेजा गया था, उसी तरह गुजरात में केन्द्र से पुलिस अधिकारियों की टीम भेजी जाए जोकि बढ़ते हुए आतंकवाद को रोके। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, वास्तव में यह मामला बहुत गम्भीर होता जा रहा है। इसमें जहां प्रदेश सरकार की कानून और व्यवस्था को बनाये रखने की अपनी जवाबदारी है, मैं ऐसा समझता हूं कि कच्छ की सीमा से जिस प्रकार लगातार इनफिलट्रेशन स्मगलिंग ऑफ आर्म्स चल रहा है, उसके कारण केन्द्र सरकार का भी दायित्व बनता है। अभी-अभी जो हथियार, शस्त्रागार पकड़े गए हैं, और मैं जिस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, वहीं पर ये सब मिले हैं। ये ढाई करोड़ के हथियार थे और बहुत आधुनिक हथियार थे। ये अधिकांश हथियार उसी सीमा से आये होंगे, ऐसा अनुमान है। उसमें पाकिस्तान के हथियार अधिक हैं। इसलिए केन्द्र सरकार की जवाबदारी भी इस मामले में है। पंजाब में जो उग्रवाद है, उसके साथ पाकिस्तान का हाथ जोड़ करके यह स्थिति वहां पैदा हो रही है। इस कारण केन्द्र सरकार अपनी जवाबदारी पहचाने और उसका निराकरण करे, यह मैं मांग करता हूं।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश 86 करोड़ की आबादी वाला देश है, लेकिन बार्सिलोना विश्व ओलंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक रहा।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा हो गई है।

श्री विश्वनाथ शास्त्री : ऐसा इन ओलम्पिक खेलों में नहीं हुआ है। पूर्व के ओलम्पिक खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों का इतिहास ऐसा ही रहा है। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से यह शंका हो रही है कि कहीं कोई न कोई कमी जरूर है जिससे हर ओलम्पिक खेलों में देश को धक्का लगता है। क्षेत्रफल एवं आबादी के लिहाज से इतना बड़ा देश होते हुए भी वह एक पदक पाने में असफल रहता है जबकि छोटे-छोटे एवं आर्थिक रूप से हम से भी पिछड़े हुए देशों के खिलाड़ी कोई न कोई पदक अवश्य जीत लेते हैं। अतः मेरी सरकार से मांग है कि वह देश के अन्दर खेलों के विकास पर नए सिरे से सोचे और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों को आधार बनाने पर ध्यान दे। मेरी सरकार से यह भी मांग है कि सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन के लिए गांव सभा, ब्लाक, तहसील एवं जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन की नियमित व्यवस्था करे और संभावित प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर उनके विधिवत एवं समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करे।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, मैं जानती हूं कि इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और मैं आपके आदेश को भी मानना चाहती हूं। मुझे मात्र इतना ही कहना है कि इस खेल में जो हमारी हार हुई, उस समय पर जबकि सभी देशों के कोई न कोई प्रमुख व्यक्ति बैठे हुए थे तो

कैमरा फोकस करने पर भारत का ऐसा कोई प्रतिनिधि बैठा नहीं था जो खिलाड़ियों की हौंसला अफजाही करता। उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं फर्क पड़ता। मानव संसाधन विकास मंत्री जो यहां राजनीति का एक अलग खेल कर रहे थे, उनको दूसरी फिक्र लगी थी, उनकी अनुपस्थिति भी कहीं न कहीं निराशाजनक प्रदर्शन में सहयोगी रही। इसलिए आपकी मार्फत मेरी मांग है कि खेलों में इतनी शर्मनाक स्थिति के लिए अपना उत्तरदायित्व समझते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अगर जरा सा भी संकोच उनके अंदर है। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) पदमा (नागापट्टीनम) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पिछले बकाया पदों को एक ही प्रयास में भरने के लिए भारत सरकार ने 1989-91 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाए। दुर्भाग्यवश भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने सरकार के इन आदेशों का अभी तक पालन नहीं किया है। भारतीय खाद्य निगम के कठोर दृष्टिकोण के कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या 7966 हो गई इनका विवरण इस प्रकार है। श्रेणी-I—190, श्रेणी-II—682, श्रेणी-III—3694 और श्रेणी-IV—3400.

भारतीय खाद्य निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कर्मचारी कल्याण ऐशोसिएशन की संयुक्त सलाहकार समिति ने इस शिकायत को बहुत से मंत्रों पर उठाया है परन्तु यह सब व्यर्थ रहा। अब उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अतः मैं आपसे उनकी शिकायतों का समाधान करने का अनुरोध करती हूं और साथ ही यह भी अनुरोध करती हूं कि उनकी निम्नलिखित मांगों को स्वीकार किया जाए :

— भारतीय खाद्य निगम में सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित/जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों को विशेष भर्ती अभियान से और पदोन्नति द्वारा तत्काल भरना।

— अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों को पदोन्नति देना जो 6 से 16 वर्ष तक उसी ग्रेड में या पद पर रुके हुए हैं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जहां पर कि केन्द्र की नीतियों के कारण आर्थिक संकट पैदा हो गया है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। आप यह सुनकर हैरान होंगे कि प्रदेश के छोटे-छोटे टक्स पास नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि केन्द्र की ओर से जो सहायता दी जाती है, वह समय पर नहीं मिल रही है। नाइंथ फाइनेंस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश की सेल्स टैक्स की इनकम सौ करोड़ रुपए ज्यादा आंक दी है। इसी प्रकार से फॉरेस्ट इनकम भी सौ करोड़ रुपए ज्यादा आंक दी है। इतना ही नहीं आप सुनकर हैरान होंगे कि 900 करोड़ रुपए सालाना ऋण पर ब्याज देना

पड़ता है, उसको 600 करोड़ आंका गया। इस प्रकार जो पोर्शन राज्य को मिलना चाहिए वह कम हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार के पास मामला उठाया गया। मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री महोदय से मिल चुके हैं। वित्त मंत्री जी से भी मिले हैं। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वे सराहनीय हैं और बहुत अच्छा काम राज्य सरकार कर रही है। इसके बावजूद भी प्रदेश को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से मांग थी कि सेंन्ट्रल टैक्सेज का जो हिस्सा है, वह हमें दो तीन महीने का एडवांस दे दिया जाए, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े-बड़े हाइडल प्रोजैक्ट्स जो हमारे लगे हैं, उसका जो हमें दो सौ करोड़ रुपए शेयर मिलना है केन्द्र की ओर बनता है, वह भी नहीं दिया जा रहा है। इस कारण प्रदेश में, खास तौर से, तनख्वाहें देने में भी दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे प्रोजैक्ट्स रुके पड़े हैं।

मेरा आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि तुरन्त हिमाचल प्रदेश सरकार को उचित सहायता दी जाए। रिजर्व बैंक अचानक टेलीग्राम देकर पेमेंट रोक देता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है कि दो महीने का ओवर ड्राफ्ट एलाऊ करेंगे। अचानक रिजर्व बैंक टेलीग्राम देता है और पेमेंट रोक दी जाती है। मैं अनुरोध करूंगा, आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार से, कि छोटे-छोटे राज्य हैं, स्पेशल कैटेगरीज के राज्य हैं, उनको विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। यही मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)* : अध्यक्ष महोदय, मैं पालघाट जिले में चल रही एक अति-भयावह स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। पालघाट जिले के मनारघाट टालुका में पालाक्याम नामक स्थान की जमीन पर गहरी दरारें पड़ गई हैं। इनमें से एक दरार की लम्बाई एक हजार मीटर है। जमीन का एक भाग धंस गया है। इसके कारण अनेक घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। इस जिले के इतिहास में यह घटना पहली बार घटी है। लोगों में आतंक व्याप्त है. उनमें से अनेक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस अद्भुत घटना का अध्ययन करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना रोकने के उपाय सुझाने हेतु भू-वैज्ञानिकों का एक दल इस स्थान पर भेजा जाए।

समस्त केरल राज्य को भारी वर्षा का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यत: पालघाट, वायनाड, इडुकी और अलेप्पी जिलों पर इस वर्षा का असर पड़ा है। पालघाट के अनेक भागों में गम्भीर भूमि-कटाव हुए हैं, जिसके कारण फसलों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। पालाक्याम में सात घर पूर्णतया नष्ट हो गए हैं। अकेले पालघाट में 2 करोड़ रुपयों के बराबर नुकसान का अनुमान है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में कुल कितना नुकसान हुआ होगा। पिछले हफ्ते, जब सभा देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रही थी, तो माननीय कृषि मंत्री जी ने कोई संकेत नहीं दिया कि बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए केरल को कितनी धनराशि वह प्रदान करेंगे। अट्टापड़ी, जहां आदिवासी रहते हैं, स्थिति विशेषकर बहुत गम्भीर है और वहां भूमि-कटाव और भारी वर्षा के कारण व्यापक क्षति हुई है। वहां 200 घरों को नुकसान पहुंचा है। इस क्षेत्र में लगातार भूमि-कटाव के कारण सड़क-यातायात बिल्कुल बंद हो गया है। अत:, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि राहत-कार्य के लिए धनराशि जारी करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी अनुरोध

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

करता हूं कि भूमि पर दरारें पड़ने की अद्भुत घटना और भूमि-धसकन का अध्ययन करने हेतु पालघाट में भू-वैज्ञानिकों का एक विशेषज्ञ-दल भेजने के लिए सरकार को निदेश दें।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, जैसाकि श्री विजयराघवन जी ने यहां उल्लेख किया है, भारी वर्षा के कारण, केरल राज्य को एक बहुत गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। केरल के जिन चार जिलों इडुक्की, अलेप्पी, कोट्टायम और पालघाट में बाढ़ आई है, उनके पांच हजार से भी अधिक परिवारों को फिर से बसाया गया है। विशेषकर कूटानाडू क्षेत्र से जोकि एक जलाक्रान्त क्षेत्र है, पांच हजार से अधिक परिवारों को राहत केन्द्रों में स्थानांतरित किया गया है। राज्य सरकार कोट्टायम जिले के वायकम, कुमाराकोम और अन्य जलाक्रान्त स्थानों पर 300 से अधिक राहत केन्द्र चला रही है। बाढ़ के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। यातायात और अन्य सेवाएं भंग हो रही हैं और हजारों कृषि मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, केरल के तटीय क्षेत्र में, समुद्री कटाव से काफी नुकसान हो रहा है और काफी लोगों को राहत केन्द्रों में स्थानांतरित किया गया है। राज्य सरकार उन्हें राशन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर इडुक्की और वायनाड में भूस्खलन हुआ है। इसके कारण फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई हैं।

अतः, आपके माध्यम से, मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि नुकसान का आंकलन करने के लिए केन्द्र से एक दल भेजें और केरल राज्य को उचित वित्तीय सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्व के विषय को सदन में रखना चाहती हूं। मैं पूरे हिन्दुस्तान के कई राज्यों के कालेजों में हो रही रैगिंग के संबंध में कहना चाहती हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के सदस्य श्री विजय कुमार गोयल ने कार्यकारी परिषद से 28 जुलाई, 92 को त्यागपत्र दे दिया है। दिल्ली के रामजस कालेज में पिछले साल हुई रैगिंग कांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही न किये जाने के विरोध में और रैगिंग कांड की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने पर श्री विजय गोयल ने कुलपति प्रो० उपेन्द्र बख्शी को अपना त्यागपत्र पर दे दिया। कार्यकारी परिषद में राष्ट्रपति की (विजिटर) प्रतिनिधि वीणा मजमूदार इस मामले में विरोध जताते हुए पहले ही त्यागपत्र दे चुकी है। पिछले वर्ष रामजस कालेज में एक छात्र के साथ अमानवीय रैगिंग के नाम पर हुई बदसलूकी के दोषियों के साथ सख्त कार्यवाही नहीं की गई है। राष्ट्रपति भवन पर धरने के बाद उपकुलपति ने कार्यवाही परिषद के कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई थी जिसके सुझाव भी आज तक सामने नहीं आए हैं। उप कुलपति ने 6 अगस्त को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर महिलाओं के सम्मान कर रक्षा करने के लिए त्यागपत्र देने की बात की थी। लेकिन आज वही कुलपति दबाव में आकर अपराधियों को छोड़ रहे हैं। ऐसे असभ्य रैगिंग कांड पूरे हिन्दुस्तान में बिल्कुल बन्द होने चाहिए, जैसे हिमाचल सरकार ने पहले ही इस मामले पर अध्यादेश द्वारा पाबन्दी लगा चुकी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि ये रैगिंग कांड बन्द होने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जी०. एम०. सी० बालयोगी (अमालापुरम) : 2 अगस्त को 3.00 बजे म०प० आकाश-

वाणी के विशाखापट्टनम केन्द्र 'चेदीरीना स्वप्नम' नामक एक नाटिका प्रसारित की गई थी। उस नाटिका में आरक्षित समुदायों विशेषकर पिछड़ी जातियों और अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध कुछ टिप्पणियां की गई थीं। नाटिका में अनेक बार आरक्षित वर्ग के लोगों की आत्म-सम्मान की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत आकाशवाणी, एक सरकारी संगठन है और इस प्रकार के प्रसारण से समाज के विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। उस पर, छात्र रेडियो-स्टेशन में घुस गये थे और कुछ गड़बड़ हो गयी, जिसके कारण 33 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था और विशाखापट्टनम प्रसारण केन्द्र का इससे कुछ नुकसान भी हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाशवाणी विशाखापट्टनम के अधिकारी कार्यक्रम गलत इरादे से इस नाटिका को प्रसारित कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया इस मामले की जांच करें और निदेशक, आकाशवाणी, विशाखापट्टनम और अन्य अधिकारियों, जोकि इस प्रकार का प्रसारण करने के दोषी हैं, के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विशेषकर दूरदर्शन द्वारा की जा रही आपराधिक लापरवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

वीडियो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अब हमारे देश की महान हस्तियों के जीवन के अविस्मरणीय क्षणों को और वार्ताओं को सरलता से वीडियो फिल्मों में सुरक्षित रखा जा सकता है। वास्तव में, यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन बहुमूल्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। इस सभा के सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि फिल्मी हस्ती सत्य जीत रे न केवल भारतीय फिल्मों के सरताज हैं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म जगत में भी सरताज हैं।

बंगाली दैनिक पत्रिका 'आजकल' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि श्री रे ने अकीरा कुरूसूवा, माइकल एन्टोनियोनी, मार्टन तथा एलिजा काजन जैसी महान फिल्मी हस्तियों का साक्षात्कार लिया था और उनसे चर्चा की थी। इन साक्षात्कारों और वार्ताओं जोकि सिनेमा प्रेमियों के लिए दुर्लभ खजाना है, को तीन वीडियो कैसेटों में रिकार्ड किया गया था। हमें यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि इन कैसेटों को ठीक नहीं रखने के कारण, ये खराब हो गए हैं। इस पर मण्डी हाऊस ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसको देखकर हमें आश्चर्य हुआ है। मण्डी हाऊस के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम नहीं उठाये हैं इसलिए वे इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला पंडित रवि शंकर जी के एक कैसेट के संबंध में हुआ था। यह समाचार भी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था कि पंडित रवि शंकर जी के कार्यक्रमों से संबंधित एक बहुमूल्य कैसेट भी खो गई है। मैं यह नहीं जानता कि इन कैसेटों की तस्करी हुई है अथवा नहीं। लेकिन सरकार को इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में अधिक सतर्क रहना चाहिए। बात यह है कि सरकार को इन मामलों में अधिक रुचि लेनी चाहिए।

सत्यजीत रे और पंडित रवि शंकर जैसी महान हस्तियों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के बजाय आज उनसे संबंधित सभी रिकार्डों, दस्तावेजों और पत्रों को सुरक्षित रखने की बहुत आवश्यकता है। यह राष्ट्र समाचार पत्रों में प्रकाशित इस तरह की आपराधिक लापरवाही को कभी माफ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रम गंज) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी अध्यक्षता में मैं पहली दफा बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसको आप छोड़ दीजिए। इसीलिए आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है, जब टाइम दिया जाता है तो आप ऐसी बातों मे वक्त जाया करते हैं।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 30 और शेरशाह सूरी मार्ग ये दोनों सड़कें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है। ये दोनों सड़कें मेरे क्षेत्र से गुजरती हैं। इन सड़कों का उपयोग दिल्ली से कलकत्ता तक माल ढोने तथा आवागमन के लिए होता है। इन दोनों महत्वपूर्ण सड़कों के संबंध में मैं प्रश्नकाल में और शून्यकाल में पहले भी ध्यान आकर्षित कर चुका हू, परंतु भारत सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। 1974 से लेकर आज तक बिहार सरकार को राष्ट्रीय उच्च पथों के लिए, उनकी मरम्मत और विस्तार के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है, जबकि अन्य स्टेट्स को 3-3 बार फण्ड दिया जा चुका है। जब हम बिहार के पथ निर्माण मंत्री से बात करते हैं और बताते हैं कि इन सड़कों की हालत बहुत खराब है, मेरे क्षेत्र से ये सड़कें गुजरती हैं तो बिहार के मंत्री महोदय कहते हैं कि भारत सरकार से पैसा नहीं मिलता है, आप भारत सरकार से कहिए। इन मार्गों की हालत ठीक न होने से ट्रकों की धुरियां टूट जाती हैं, रास्ते में लुटेरे लूट लेते हैं, इतनी भयावह स्थिति है। जो माल 2 दिन में चला जाना चाहिए, उसको ट्रक महीना लगा देते हैं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार को राष्ट्रीय उच्च पथ तथा शेरशाह सूरी मार्ग की मरम्मत के लिए पैसा दिया जाए, ताकि बिहार सरकार राष्ट्रीय उच्च पथों की खराब स्थिति को सुधार सके।

श्री महेश कनोडिया (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के अत्यन्त लोकोपयोगी मसले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, कन्डला-भटिन्डा वाया भिलडी मीटर गेज रेल लाइन को ब्राड गेज में बदलने के काम को रेल मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के पश्चात् इसका सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके पश्चात् इसका कार्य रुका हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता पिछले काफी समय से इस मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की मांग करती रही है। अभी 23 जुलाई के "महागुजरात" तथा 30 जुलाई के "मुम्बई समाचार" में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि इस मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने के कार्य को रद्द कर दिया गया है। जिसके कारण क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और यह धीरे-धीरे एक बड़े आन्दोलन का रूप लेने जा रहा है।

अतः मेरा रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखते हुए इस मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने के कार्य को तुरन्त आरम्भ करवाने के आदेश दें।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुराष्ट्रीय कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर के द्वारा इस देश के उपभोक्ताओं के आर्थिक और मानसिक शोषण तथा नौजवानों

द्वारा जो नई इकाइयां स्थापित की गई हैं उनके शोषण के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस कम्पनी की संयुक्त संस्था यूनी लीवर की पूंजी हिन्दुस्तान लीवर में केवल 4 करोड़ रुपए लगी है। जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनी के शेयरों की कीमत आज के दिन 2800 करोड़ रुपए है। यह कम्पनी प्रतिवर्ष 3500 करोड़ रुपए का माल बेच रही है और पिछले 10 वर्षों में इस कम्पनी ने 120 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में अमेरिका भेज दिया है। यह कम्पनी छोटी इकाइयों का शोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाती रहती है। पूंजी की अधिकता के कारण विज्ञापन के माध्यम से इन्होंने कम्पनी को उच्च कोटि के एकमात्र उत्पादक की प्रतिष्ठा अर्जित कर रखी है, जो सत्य से परे है। इसका पर्दाफाश मैं प्रमाण के साथ करना चाहती हूं। इस कम्पनी ने डिटर्जेंट पाउडर और साबुन के जरिए 85 से 90 प्रतिशत बाजार पर कब्जा कर रखा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी निजी कम्पनी से संबंधित मामले को उठा सकते हैं ?

[हिन्दी]

आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइवेट कम्पनी से सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या संबंध है।

श्रीमती सरोज दुबे : प्राइवेट कम्पनी नहीं सर, साबुन में किस तरह से मिलावट हो रही है...

अध्यक्ष महोदय : यही मुश्किल है। आप हर प्राइवेट कम्पनी की इस तरह से चर्चा करेंगे तो उसमें ही सारा समय चला जाएगा। आपने इसका नोटिस नहीं दिया। आप क्या कह रही हैं, हमें पता नहीं है।

श्रीमती सरोज दुबे : मैंने नोटिस दिया है। यहां हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहां जो बेरोजगार नौजवान हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं ऐसे नहीं। मैंने आपको टाइम दिया, इसका आपको उपयोग करना चाहिए। आपके मन में जो आए वैसे नहीं कह सकते हैं, हाउस के अन्दर। मैंने आपको टाइम दिया, आपको सरकारी मामलों पर बोलना चाहिए।

प्राइवेट कम्पनी का मामला यहां पर कौन डील करेगा ? आपको मालूम नहीं है तो आप अपने सहयोगियों से पूछ लीजिए कि नियम क्या है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, वक्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी पिछले दिनों मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा था। उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि आज जो न्यूज हम देश के अन्दर दूरदर्शन के माध्यम से सुन रहे हैं उसका स्टैण्डर्ड इतना गिर रहा है कि लोग अब स्टार टी०वी० और बी०बी०सी० पर डिपेंड करना शुरू कर रहे हैं। वह बहुत बुरा दिन होगा जब देश की जनता बाहर के माध्यम पर डिपेंड करने लगेगी।

मैं चाहता हूं कि दूरदर्शन के न्यूज के स्टैण्डर्ड को बढ़ाने के लिए कदम उठाया जाए। मैंने लिखा है कि अगर सुझाव की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी सुझाव देने के लिए तैयार हैं। साथ ही-साथ आप देखेंगे, चाहे उर्दू न्यूज हो या हिन्दुस्तानी की न्यूज हो, उसका स्टैण्डर्ड इतना नीचे रहता है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। लोग आज बाहर की न्यूज पर डिपेंड कर

रहे हैं। आखिर में तापमान के बारे में खबर देते हैं, उसके बारे में मैंने लिखा है कि कम से कम हिन्दुस्तान का जहां पर सबसे मिनीमम टैम्प्रेचर और मैक्सीमम टैम्प्रेचर रहा हो उसके साथ-साथ ह्यूमिडिटी आदि सारी चीजों को साथ में लिया जाए।

एक और निवेदन आपके जरिए सरकार से करना चाहते हैं कि उर्दू की खबर जो पांच या सात मिनट के लिए आ रही है इसको पूरे देश में कम से कम 20 मिनट तक दिखाया जाए।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुड़ी) : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समर्थित मूल्य की घोषणा मे विलम्ब और भारतीय पटसन निगम को पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण पटसन उत्पादकों का जूट-फरियार्स द्वारा शोषण किया जा रहा है। असम के पटन को छोड़कर, पटसन की सभी किस्मों के समर्थित मूल्य की घोषणा अभी तक नहीं हुई है हालांकि देशभर में पटसन की कटाई प्रारम्भ हो चुकी है। ऐसे कार्यों में यदि विलम्ब होगा तो इससे पटसन उत्पादकों को कोई लाभ तो नहीं होगा अपितु इससे समस्याएं जरूर उत्पन्न होंगी।

ऐसा देखा गया है कि जब पटसन उत्पादकों के पास पटसन खत्म हो जाएगा, तब भारतीय पटसन निगम बाजार में प्रवेश करेगा। पटसन उत्पादकों को जूट-फरियार्स को कम कीमत पर पटसन बेचने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि इस तरह मजबूरन बिक्री को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं, सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को गम्भीरता से लें और भारतीय पटसन निगम को कच्चा पटसन खरीदने के लिए पर्याप्त धन के साथ बाजार जाने के लिए कहे ताकि पटसन उत्पादकों को और उनके परिवारों को बचाया जा सके।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : श्रीमान्, हालांकि असम सरकार द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं फिर भी सम्पूर्ण राज्य में वन-कटाई को रोका नहीं जा सका। वन-कटाई का तात्पर्य केवल बहुमूल्य वृक्षों को कटाना ही नहीं, अपितु सभी प्रकार के वृक्ष, बांस, केन आदि की कटाई भी है जिसके परिणामस्वरूप लगातार सतत भीषण बाढ़ आ सकती है और वातावरण प्रदूषित हो जाता है। कई रहस्यमय ढंग से हैलाकांडी और करीमगंज के सीमावर्ती जिलों में वन-कटाई हो रही है। यहां पर बंगलादेश से, विशेषकर सीमावर्ती चाय बागानों से हो रही घुसपैठ के अतिरिक्त दोनों जिलों के घने वनों में बड़े पैमाने में हो रहे गैर-कानूनी निवास के कारण समस्या उत्पन्न हुई है।

अत: मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि असम राज्य में अंधाधुन्ध हो रही वन कटाई को रोका जाए और गैर-कानूनी ढंग से निवास कर रहे लोगों को वनों से बेदखल करने के लिए एक सर्वेक्षण कराया जाए और बंगलादेश के घुसपैठियों को जल्द से जल्द यहां से निकालने के लिए कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : स्पीकर साहब, कल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं कल को बयान दूंगा। उत्तर प्रदेश में 29 हरिजनों की गर्दन तोड़कर कत्ल कर दिया गया और 15 हरिजनों का राजस्थान में भी कत्ल हो चुका है। न तो उस सरकार को कुछ कहा गया और न दूसरी बार सरकार को बर्खास्त किया गया। होम मिनिस्टर बताएं कि वहां हरिजनों का क्यों कत्ल कर रहे हैं।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, हमारे निर्वाचन क्षेत्र रांची में नालन्दा सिरामिक इंडस्ट्री 16-17 वर्षों से बंद है और हजारों लोग वहां काम करते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्राइवेट कम्पनी है।

श्री राम टहल चौधरी : जी नहीं, इसमें सरकार का पैसा लगा है। उसमें अधिकतर महिलाएं आदिवासी परिवार की हैं। बार-बार हमने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को पत्र लिखे और सरकार ने उत्तर दिया कि उस कारखाने को शुरू कर दिया जाएगा। मगर, दुख इस बात का है कि अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस कारखाने को यथाशीघ्र खोलने का प्रयास करें ताकि आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : आज सभी को चांस दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आज जो कुछ हुआ उस पर मैं हैरान हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में एक गम्भीर रेल दुर्घटना हुई है। 3 अगस्त को टाडीपलीगुडेम के नजदीक गोदावरी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसके नौ डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। मैं माननीय रेल मंत्री से इस रेल-दुर्घटना के बारे में एक पूरा वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

महोदय, दक्षिण-मध्य रेलवे में ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और अन्य भागों में बहुत सारी रेल-दुर्घटना हुई हैं। दूसरी प्रकार की कई अन्य दुर्घटनाएं भी हुई हैं। कुडप्पा जिले में दो भिखारी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात पूरी कर ली है। कृपया बैठ जाएं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं मांग करता हूं कि इन सब बातों की जांच कराई जाए और इनके लिए जिम्मेवार अधिकारियों को सजा दी जाए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद, जोकि बिहार में है उसका जिक्र करना चाहता हूं। जहानाबाद को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। उस क्षेत्र में आये दिन पुलिस द्वारा अनुसूचित जातियों और गरीबों के नौजवानों की हत्यायें की जा रही हैं। 18 मई को जहानाबाद थाने का एक गांव है मक्करगंज वहां पर दो सगे भाइयों को सोते हुए पुलिस पकड़कर ले गयी और उनकी हत्या कर दी, जिनकी उम्र 28 और 13 बरस थी। लोगों को यह बताया गया कि इन लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई थीं। यह बिल्कुल असत्य है। इसी तरह मखदुमपुर थाने का दरोगा घोसी थाने के रुपदे बीधा गांव के द्वारका ठाकुर को पकड़ कर लाया और थाने में ही हत्या कर दी तथा लाश गायब करा दी। इस तरह आये दिन वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। राज्य सरकार के पास भी मैंने इन सारी बातों को रखा है और उसके बड़े-बड़े अधिकारियों के सामने भी रखा है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। आप भी अखबारों में जहानाबाद के बारे में

पढ़ते होंगे । अगर केन्द्रीय सरकार ध्यान नहीं देगी तो वह क्षेत्र भी पंजाब और असम की तरह हो जायेगा । हम सरकार से मांग करते हैं कि इन दोनों हत्याओं की सी०बी०आई० से जांच कराये और पता लगाये सचमुच में दोषी कौन है । दोषी आदमियों को छोड़ हत्या की गयी है यह निर्दोष लोगों को मारा गया है । इन सब कारणों से वहां के गरीब और अनुसूचित जाति के नौजवान उग्रवाद की ओर जा रहे हैं, राष्ट्रीय धारा से कट रहे हैं । इसलिए आगे चलकर सरकार को इसे सम्भालने में कठिनाई होगी अतः वह अभी जांच करायें और सही चीज का पता लगाये ।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में गैस सप्लाई के बारे में सरकार बहुत भारी अन्याय कर रही है। आज जब गुजरात पावर शार्टेज महसूस कर रहा है तब भी गैस सप्लाई के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है । मेरे क्षेत्र के बगल में उतराण पावर स्टेशन है जहां पर गैस बेस्ड पावर स्टेशन में 155 करोड़ रुपया लगा है जिससे 135 मेगावाट का शक्तिशाली पावर स्टेशन तैयार होकर पड़ा है । इस गैस बेस्ड पावर स्टेशन को गैस सप्लाई करने के लिए सरकार ने 1988 को खत लिखा गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहा गया था कि जब यह तैयार होगा तब हम गैस सप्लाई करेंगे 0.45 एम०सी०एम०डी० सप्लाई करेंगे । आज यह तैयार हो गया है फिर भी गैस सप्लाई करने के बारे में सरकार ने अभी तक कोई सूचना नहीं भेजी है । यह जरूर भेजा है कि अभी गुजरात को गैस नहीं मिलेगा, 1992 के दिसम्बर अन्त तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी। 155 करोड़ रुपये की लागत से 135 मेगावाट का पावर स्टेशन तैयार होकर पड़ा है और हमारे बगल में हजीरा में से एच०बी०जे० की पाइप लाइन पास होती है, अगर सरकार और क्षेत्र से गैस सप्लाई नहीं करती तो यहां से ही गैस पास की जा सकती है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह पावर स्टेशन जल्दी चालू हो सकें, उसके लिए गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड 6-7 कि०मी० की पाइप लाइन डालने के लिए खर्च करने के लिए तैयार है तो सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे । यदि सरकार कहीं और से गैस देने में असमर्थ है तो यह पाइप लाइन डलवाकर व्यवस्था करें । यही मुझे कहना है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निवेदन....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आज नहीं । आप तो बोलते रहे हैं....

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना था....

अध्यक्ष महोदय : खण्डूरी जी, आप हमेशा के लिए नहीं बोलते हैं फिर मैं आपको कल बोलने दूंगा ।

1.30 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मिजोरम को पैटे और पांग जनजातियों को मिजोरम की अनुसूचित जन-जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा० सी० सिलवेरा (मिजोरम) : महोदय, भारत के संविधान का गौर से अध्ययन करने पर यह देखा जा सकता है कि मिजोरम में रहने वाली पाइटे और पांग जनजाति एवं उनकी उप जन-

जातियों को अनुसूचित जनजाति आदेश 1951 के भाग-2 में दी गई सूची में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि इन्हें मणिपुर और त्रिपुरा में इस प्रकार की सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जनजाति आदेश, 1981 की वर्तमान सूची में संशोधन करके उसमें क्रमांक संख्या 15 और 16 पर पाइटे जनजाति और पांग जनजाति के सदस्य को मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को उपरोक्त अनुसूची में शामिल किया जाए।

(दो) अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में आकर बसे चकमा शरणार्थियों को निर्वासित किए जाने की आवश्यकता

श्री लाईता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा बसाये गए चकमा शरणार्थी कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। 1965 में 4,000 के करीब परिवार उस राज्य में आकर बसे थे जिनकी जनसंख्या अब एक लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस चिंताजनक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण सीमा पार से त्रिपुरा होकर लोगों का वहां लगातार पहुंचना है। इन शरणार्थियों की संख्या स्थानीय जनजातीय लोगों की संख्या से अधिक हो जाने के कारण न केवल जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है बल्कि ये लोग विभिन्न समाजविरोधी एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भी संलग्न हैं।

हाल के वर्षों में घटित कुछ घटनाओं में तो उन लोगों ने कुछ स्थानीय लोगों की हत्या भी कर दी है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि कुछ व्यक्ति इस देश के नागरिक बनने के उनके दावे को लेकर उनकी मदद कर रहे हैं। अतः, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन चकमा शरणार्थियों को अरुणाचल प्रदेश से तत्काल निर्वासित किया जाए।

यह समस्या गंभीर परिणाम की ओर उन्मुख हो रही है, अगर इस पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो यह निकट भविष्य में वीभत्स रूप ले लेगा।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में अधिक डीजल पम्प खोले जाने की आवश्यकता

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में डीजल पम्प बहुत ही कम हैं। बरखेड़ा टाऊन पीलीभीत बीसलपुर पर रोड पर स्थित है जिसके चारों तरफ 25-25 किलोमीटर तक कोई भी पैट्रोल-डीजल पम्प नहीं है। इस प्रकार पूरनपुर रोड पर गजरौला में भी उसके 20-25 किलोमीटर के अन्दर कोई भी पम्प नहीं है। इन क्षेत्रों के किसानों को कृषि कार्यों हेतु डीजल की पूर्ति नहीं हो पाती है। जिसके कारण इस क्षेत्र की खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इन दोनों क्षेत्रों के लिए पैट्रोल-डीजल पम्प के लिए आवेदन मांगे गये थे जिसके लिए इन क्षेत्रों के लोगों ने अपने आवेदन-पत्र भी जमा करवा दिये थे, परन्तु आज तक इन क्षेत्रों में पैट्रोल-डीजल पम्प के खोलने के लिए कोई कार्यवाई नहीं हुई है जिससे किसानों को भारी कठिनाई हो रही है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि किसानों की परेशानियों को देखते हुए उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में डीजल पम्प स्थापित करने हेतु शीघ्र निर्देश दें।

(चार) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम का निरसन किए जाने और इस संबंध में राज्य सरकारों को अपना कानून बनाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अरबन लैण्ड सीलिंग ऐक्ट (यू० एल० सी० एफ० आर०) के प्रावधान के कारण नगरीय विकास में आ रही बाधाओं की ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इस एक्ट के प्रावधानों से किसी भी राज्य को भूमि अधिग्रहण करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा ऐसी भूमि पर किया गया कोई भी विकास राज्य सरकारें इस कानून के कारण नियमित नहीं कर पाती हैं। 200 वर्ग गज के भूखंड की सीमा एवं अधिग्रहीत भूमि पर केवल 5 रुपए प्रति वर्ग गज का मुआवजा दोनों ही सीमाएं अव्यावहारिक हैं। इससे न तो बेची गई भूमि का पंजीकरण हो पाता है न नियमितीकरण। बाजार दर से भूमि का अधिग्रहण करने की राज्य सरकारों को स्वतंत्रता न होने के कारण सरकार को भूमि नहीं मिल पाती है। आवासीय व आधुनिक विकास में इस कारण व्यवधान पड़ रहे हैं। मेरी मान्यता है कि शहरी विकास राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार को इसमें अपना दखल स्वयं वित्तीय सहायता देने एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से सहायता व कर्ज दिलाने तक सीमित रखना चाहिए। जयपुर में 1991 सोसाइटियों की कलोनियों में 80 हजार आवास भी इन नियमों के कारण नियमन नहीं हो पा रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि "अलतर" कानून को निरस्त कर राज्य सरकारों को इस विषय में अपने कानून बनाने की स्वतन्त्रता दी जाए।

(पांच) बिहार में हजारीबाग में उत्तरी करमपुरा सुपर ताप विद्युत संयंत्र को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के हजारीबाग (अबचतरा) में नॉर्थ करमपुरा थर्मल पॉवर बनाने की स्वीकृति भारत सरकार एवं एन० टी० पी० सी० तकनीकी रूप से दे चुकी है। मात्र पर्यावरण विभाग से स्वीकृति मिलना बाकी है। लेकिन न तो अभी तक पर्यावरण विभाग से स्वीकृति मिल पाई है और न योजना का काम प्रारंभ हुआ है। केन्द्र सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि इस योजना को आठवीं योजना में शामिल कर लिया गया है और 500-500 मेगावाट के दो यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इस योजना को शुरू नहीं करने से सर्वप्रथम तो इसके आसपास बनने वाले कोयला के क्षेत्र जैसे पिपरवार, मगध, अशोका को बिजली नहीं मिलने से करोड़ों टन कोयले का उत्पादन बंद है तथा अन्य कल-कारखानों की हालत और भी खराब है क्योंकि बिहार में बिजली का भारी संकट है। नॉर्थ करमपुरा सुपर थर्मल पावर झारखंड में पड़ता है। जैसाकि सुनने में आया है कि सरकार इस योजना को दूसरी जगह बनाना चाहती है जो इस इलाके के साथ अन्याय है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस आदिवासी एवं कमजोर क्षेत्र के विकास हेतु कोयला एवं अन्य उद्योगों को बिजली देने तथा बिहार के बिजली संकट को दूर करने के उद्देश्य से इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाए और तुरंत इसका काम शुरू किया जाए।

(छः) मध्य प्रदेश में रीवा और भोपाल के बीच सीधी रेलगाड़ी प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री भीम सिंह पटेल (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, सतना रेलवे स्टेशन, रीवा संभाग का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जोकि इलाहाबाद-इटारसी मुख्य लाइन पर स्थित है। सतना स्टेशन से भारत के किसी भी महानगर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास आदि के लिए सीधी रेल सेवा है किन्तु मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए आज तक सीधी रेल सेवा नहीं है। सतना से 50 किलोमीटर दूर रीवा है जोकि संभाग है तथा यहां पर सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं। यहां पर 50 हजार के लगभग कर्मचारी हैं, जिनका आना-जाना प्राय: भोपाल होता है, किन्तु रीवा से भोपाल केवल बसें ही जाती हैं, जोकि 14 घंटे का समय लेती हैं। सतना से भोपाल एकमात्र काशी ऐक्सप्रेस में एक बोगी भोपाल के लिए लगाई जाती है और इटारसी में काट दी जाती है और यहां से भोपाल के लिए पैसेन्जर ट्रेन में जोड़ दी जाती है जिससे यात्रियों को अत्यंत असुविधा होती है, अत: केन्द्र सरकार मेरा निवेदन है कि रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, दमोह, सागर आदि जिलों के यात्रियों की सुविधा के लिए अविलंब सतना से भोपाल के लिए सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाए।

(सात) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, तमिलनाडु के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम (टिंडिवनाम) : बहुत ही जिम्मेदारी की भावना और चिंता के साथ मैं सरकार का ध्यान हाल ही में तमिलनाडु स्थित भारत सरकार के एक उपक्रम लिग्नाइट कारपोरेशन को हुए भारी नुकसान की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल ही में कुछ अवांछनीय घटनाक्रम के कारण लिग्नाइट कारपोरेशन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है जिसमें उसकी संपत्ति का नुकसान हुआ और उत्पादन भी कम हुआ और विद्युत उत्पादन का कार्य भी एकदम बंद हो गया। ऐसा होने पर इंजीनियरों के खिलाफ जल्दबाजी में कार्यवाही की गई जिसके परिणामस्वरूप निगम के इंजीनियर हड़ताल पर चले गए। इसी समय एक गैस-पाइप में विस्फोट हो जाने के कारण कुछ कर्मचारियों और श्रमिकों की मृत्यु हो गई। पांच माह पहले ही वर्षा और बाढ़ की वजह से निगम को भारी घाटा हुआ था जो थोड़ी सी सावधानी बरतने से रोका जा सकता था। लिग्नाइट का 'बफर्स स्टाक' भी नहीं रखा गया था जिसमें बिजली संयंत्र बन्द हो जाने की वजह से आसपास के उद्योगों के कार्य में बाधा पड़ी। इस बार भी इसी प्रकार के घटनाक्रम के कारण जो संपत्ति और जनशक्ति की हानि हुई उसे अधिकारियों की जागरूकता से रोका जा सकता था।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे।

(आठ) उड़ीसा में झारसुगुडा में और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं रेल मंत्री का ध्यान झारसुगुडा और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों की वास्तविक मांगों की ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि कि इस क्षेत्र को नए सम्बलपुर मंडल के तहत लाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाए और झारसुगुडा

में चौकीपारा में एक ऊपरी पुल और निचले पुल का निर्माण किया जाए और यात्रियों द्वारा पटना और इलाहाबाद इत्यादि जाने हेतु उचित व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन हेतु 2.40 म० प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.40 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.44 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.44 म०प० पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इलैक्ट्रोनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली और इलैक्ट्रोनिकी विभाग के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन, इत्यादि

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, श्री रंगराजन कुमारमंगलम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इलैक्ट्रोनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली और इलैक्ट्रोनिकी विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2424/92]

(2) कम्प्यूटर मेंटेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली और इलैक्ट्रोनिकी विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2425/92]

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 (खंड I और II) और उक्त योजना का हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) "आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97" (खंड I और II) (केवल अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) 'आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97' के हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2426/92]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5क की उपधारा (9) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2427/92]

कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : मैं कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 में हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 2428/92]

राष्ट्रीय संस्कृति नीति—दृष्टिकोण पत्र

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, कुमारी शैलजा की ओर से मैं राष्ट्रीय संस्कृति नीति-दृष्टिकोण पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2429/92]

2.45 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) रायबरेली में मस्जिद में हुए बम विस्फोट की घटना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, रायबरेली शहर के मौहल्ला छोटा बाजार में स्थित जामा मस्जिद के आंगन में दिनांक 3 अगस्त, 1992 को करीब 8.00 बजे एक विस्फोट हुआ। इसके परिणामस्वरूप 10 और 11 साल के दो बच्चे, जो मस्जिद के आंगन में बेसमेंट के ऊपर बने चबूतरे पर बैठे थे, मारे गए। विस्फोट में एक दीवार और आंगन में स्थित चबूतरे को नुकसान पहुंचा। 20 साल की एक लड़की, जो मस्जिद के साथ लगे अपने घर के

आंगन में बैठी थी, घायल हो गई और उसे प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मृत बच्चे के निकटतम संबंधी को 20,000 रुपए की और प्रत्येक घायल को 1,000 रु० की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। नष्ट हुई मस्जिद की दीवार चबूतरे की मरम्मत के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारी उस स्थान पर पहुंचे, जहां बिस्फोट हुआ था। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वहां कोई शव न रहे, घटना स्थल से मलबा हटाया गया। मृत बच्चों के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तेज और प्रभावकारी जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से अपराध जांच-पड़ताल विभाग की एक टीम को रायबरेली जाने का निर्देश दिया गया है। इस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक के एक अधिकारी करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा पुलिल रायबरेली शहर में गश्त लगा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज फैक्स संदेश द्वारा सूचित किया है कि अपराध जांच विभाग का एक दल पहले ही रायबरेली पहुंच चुका है और इसने जांच शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आप केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच क्यों नहीं कराते ?

यह गंभीर मामला है। 1471 की मस्जिद बम ब्लास्ट से उड़ जाए और दो लड़के उसमें मारे जाते हैं। सरकार सिर्फ स्टेटमेंट दे देती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है ?

हम चाहते हैं कि केन्द्रीय ब्यूरो की जांच गठित की जाए और केन्द्र सरकार कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : रायबरेली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच क्यों नहीं की जा सकती ? फैजाबाद में भी कोई जांच नहीं की गई है और न ही कोई अपराधी पकड़ा गया है।

श्री राम विलास पासवान : क्या आप जानते हैं कि अपराधी कौन हैं ?

क्या केन्द्र सरकार ने पता लगाया है कि अपराधी कौन है ? यह पूर्व-नियोजित है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा) : पूरे सुनियोजित तरीके से मस्जिद को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। यह पहली बार नहीं हुआ, फैजाबाद में हो चुका है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी सी०बी०आई० से जांच करवाएं। पहले पंजाब में आतंकवाद हुआ फिर कश्मीर में हुआ, यह धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि यह जहां तक हो गया है इसे यहीं पर रोकने का प्रयास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में हुई हत्याओं के संबंध में श्री एम० एम० जैकब एक और वक्तव्य देंगे।

— — —

2.50 म०प०

(दो) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं की घटना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : श्रीमान्,

मैं सदन को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 29 व्यक्तियों की दुखद हत्याओं की घटना से अवगत कराता हूं।

2. राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार, 31 जुलाई, 92 को गांव घुंघचाई, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत के 19 व्यक्ति तथा गांव शिवनगर थाना गजरौला, जिला पीलीभीत के 10 व्यक्ति, पास के जंगल से स्थानीय जंगली सब्जियां लेने गए थे। ये 29 व्यक्ति जिसमें 3 महिलाएं भी थीं, जब वापस नहीं लौटे तो 10 अगस्त को गांव वाले उन लोगों की खोज करने के लिए निकले तथा जब उन्हें ढूंढने में ये लोग नाकाम रहे तो उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दे दी।

3. पुलिस ने तलाशी और छानबीन अभियान शुरू किए और दिनांक 3 अगस्त, 1992 को करीब दोपहर के समय खनोत नाम की छोटी नदी के किनारे पर लाशों को पड़ा पाया। गांव-वासियों के हाथ-पैर बंधे हुए थे और वे गला घोटे जाने से मारे गए प्रतीत होते हैं। लाशों को जलाने का भी प्रयास किया गया प्रतीत होता है लेकिन शायद वर्षा के कारण यह प्रयास सफल न हो सका।

4. किसी ग्रुप या व्यक्ति ने अभी तक हत्याओं की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह संदेह है कि क्षेत्र में कथित रूप से सक्रिय दो या तीन गिरोह इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों ने, सघन वनों वाले ताले तथा मुख्य मार्ग से 8 कि०मी० दूर स्थित इस सम्पूर्ण क्षेत्र की तलाशी के लिए गहन अभियान शुरू किए हैं।

5. जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप-महानिरीक्षक, मंडलीय आयुक्त और पुलिस के जोनल महानिरीक्षक ने घटनास्थल का दिनांक 3 अगस्त, 1992 को दौरा किया और साथ ही आस-पास के जिलों को सतर्क कर दिया गया है।

6. मुख्यमंत्री ने, मंत्रिमंडल के दो सहयोगियों और पुलिस महानिदेशक के साथ दिनांक 4-8-1992 को क्षेत्र का दौरा किया। प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल अनुग्रह राहत के रूप में 20 000 रु० की राशि का भुगतान किया गया है।

7. भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को ए० के०-47 राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, कारबाइन, हल्की मशीनगन, पिस्तौल आदि आधुनिक हथियार मुहैया कराए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की उपलब्धता में कमी को देखते हुए हथियारों की यह आपूर्ति राज्य सरकार की कुल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी होगी।

8. उत्तर प्रदेश में अर्द्ध-सैनिक बलों की 44 कम्पनियां तैनात की गई हैं। हमने उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को भारत रिजर्व बटालियनों के गठन का सुझाव दिया है और यह प्रस्तावित किया है कि बटालियनों के गठन पर आने वाले प्रारंभिक खर्च का 50 प्रतिशत भारत

सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा और बाकी 50 प्रतिशत खर्च लम्बी अवधि वाले ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार से हमें अभी भी प्रस्ताव प्राप्त होना है।

9. आतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीति बनाने के लिए मैंने दिनांक 29-2-1992 को उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों की एक बैठक बुलायी थी जो आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं। बैठक में स्पष्ट विचार-विमर्श के बाद कुछ निर्णय लिए गए। गृह मंत्रालय में एक विशेष सचिव के अधीन एक कक्ष की स्थापना की गई है और राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से भी उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसे ही एक-एक सेल बनाने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित गृह सचिवों और पुलिस महा-निदेशकों की एक बैठक दिनांक 28 अप्रैल 1992 को गृह मंत्रालय में बुलाई गई थी। इस बैठक में, आतंकवादियों के बारे में जानकारी और आसूचना, उनकी गतिविधियों, उनकी कार्यविधि आदि पर नवीनतम जानकारी का आदान-प्रदान किया गया। आतंकवाद से निपटने और इसे रोकने के लिए उपयुक्त संभारतंत्र और रणनीति की योजना भी बनायी गई।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज वहां जा रहा हूं और मेरे दल के दूसरे सदस्य भी वहां जा रहे हैं। मैंने और विपक्ष के नेता ने कल भी तीन सवाल पूछे थे—एक तो यह कि यू०पी० की सरकार ने आपसे जो 80 कम्पनियां बी०एस०एफ० की मांगी थीं, वे आपने अभी तक क्यों नहीं दी हैं। दूसरा यह कि यू०पी० की सरकार ने कैश पेमेंट पर आपसे जो आधुनिक हथियार मांगे थे लेकिन वे आपने अभी तक क्यों दिये नहीं हैं। तीसरा यह कहना था कि 770 किलोमीटर की सीमा जोकि नेपाल के साथ लगी हुई है, उसे सील किया जाये, लेकिन इन बातों की मंत्री जी ने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। आतंकवादी लोगों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। अतः इसे जल्दी से जल्दी सील किया जाए। हमें कल विश्वास दिलाया गया था कि इनके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन वह अभी तक दी नहीं गई है। तराई का वह क्षेत्र जो आतंकवाद की चपेट में आ गया है, उसका मुकाबला करने के लिए यू०पी० की सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। जितनी उसकी क्षमता है, योग्यता है और जितने उसके पास साधन हैं, उससे वह उनका पूरा मुकाबला कर रही है। यह कोई स्टेट का मामला नहीं है, यह एक नेशनल प्रॉब्लम है। इस नेशनल प्रॉब्लम को साल्व करने के लिए ही यू० पी० की सरकार ने तीन चीजें कही हैं। अतः इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं उत्तर प्रदेश सरकार को सप्लाई किए गए हथियारों और गोलाबारूद के बारे में पहले ही कह चुका हूं। मैंने पहले ही कहा है कि पहले ही वहां केन्द्रीय बलों की 44 कम्पनियां हैं। मैंने इस सभा में पहले भी यह उल्लेख किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस उद्देश्य हेतु गृह मंत्रालय द्वारा 10 करोड़ रुपये विशेष अनुदान के रूप में दिए गये हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे लेंगे ...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । मेरा निवेदन है कि आप इस पर सोचें, विचार करें । कैश पेमेंट पर वे मांग रहे हैं । राज्य विदेशों से तो हथियार नहीं ले सकता है, जैसे आतंकवादी ले सकता है । उत्तर प्रदेश की सरकार कैश पर मांग रही है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें नियमों का पता होना चाहिए । जब भी कोई माननीय मंत्री वक्तव्य देते हैं तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता । पहले मामले में आपने कुछ सुझाव दिए थे, मैंने उसकी अनुमति दी । इस मामले में भी आपने कुछ सुझाव दिए और सरकार उन पर निश्चित रूप से गौर करेगी ।

व्यवधान

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सुझाव है कि आप उनको हथियार तो दें । (व्यवधान)...

श्री मदन लाल खुराना : उत्तर प्रदेश की सरकार कैश पेमेंट पर हथियार मांग रही है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम इसी प्रकार हैं । जब भी एक मंत्री...

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : जब हत्याएं जारी हैं तो नियम किसलिए है ? व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप नियमों को अनदेखा करेंगे ? नियम किसने बनाए हैं ? माननीय सभा ने ये नियम बनाए हैं । नियमों का सम्मान कौन करेगा ? माननीय सभा को ही इन नियमों का सम्मान करना है ।

(व्यवधान)

श्री नितीश कुमार (बाढ़) : अब मंत्री महोदय सभा से चले गए हैं और मामला समाप्त हो गया है । (व्यवधान)

2.58 म०प०

पूंजी निर्गमन (नियन्त्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

पूंजी निर्गमन (नियन्त्रण) निरसन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 9 और 10 एक साथ लेगी ।

श्री नितीश कुमार बोलें ।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 29 मई, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पूंजी निर्गमन (नियन्त्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, कैपिटल इशू कन्ट्रोल एक्ट, 1947 को रिपील करने के लिए निरस्त करने के लिए सरकार आर्डिनेन्स का स्थान लेने के लिए यह बिल सदन में पेश किया गया है।

कैपिटल इशू कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत जो भी कंपनी इस देश में लगती थी, उस कंपनी के लिए यह आवश्यक होता था कि वह कितने शेयर जारी करे अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितने राइट इशू करे, कितने शेयर इशू करे जनता के बीच में—इन सब बातों के लिए उसको अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके साथ ही साथ इशू ये जारी करते थे, उसकी कीमत निर्धारित करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस एक्ट के तहत जो कन्ट्रोल होता था, उसमें सख्ती निहित होती थी। मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है,

[अनुवाद]

पूंजी निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के तत्काल निरसन करने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया।

[हिन्दी]

या बिल में जो आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि इन्डस्ट्रियल पॉलिसी में लिबरलाइजेशन हुआ है। जुलाई, 1991 की जो पॉलिसी की घोषणा हुई है, उसके बाद इस प्रकार के कन्ट्रोल की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए इसको समाप्त किया गया है।

3.00 म०प०

अब सुनने में तो लगेगा कि लिबरलाइजेशन हो रहा है तो किसी भी प्रकार के नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इस नियंत्रण में कैपिटल इशु कंट्रोल एक्ट के द्वारा जो इन बातों पर नियंत्रण होता था उसके दो पहलू हैं—एक पहलू तो यह था कि सारी चीजों को नियंत्रित करते थे कि क्या शेयर्स का दाम होगा और कितना शेयर ये जारी करेंगे। अब यह बिल्कुल समाप्त हो गया, यह अथोरिटी खत्म हो गई तो कम्पनियों को छूट हो गई कि चाहे वे जितना शेयर जारी करें। कम्पनी की क्षमता है या नहीं, उसमें उनके प्रोजेक्ट के साथ लाभ की गुंजाइश है या नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं है और विज्ञापन के जरिए, प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचारित करेंगे कि हमारा यह स्कोप है, यह भविष्य है। जो छोटे-छोटे निवेशक हैं, इनवेस्टर्स हैं उनको लुभावने विज्ञापन से वे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और वे उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, कोई उनकी गारंटी नहीं होगी। पहले तो सरकार की तरफ से एक नियंत्रण था कि वह कितना इशु करे लेकिन अब किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह जाएगा।

राइट्स इशु के लिए भी दाम निर्धारित करने के लिए पहले परमीशन लेनी पड़ती थी, अब वह परमीशन इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हाल का हम एक उदाहरण देना चाहते हैं जी०पी०सी० ने राइट्स इशु जारी किया और 10 रु० वाले शेयर का दाम इन्होंने 90 रु० निर्धारित किया। अब जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं, कम्पनियों को मुनाफा मिल रहा है तो उसका लाभ शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए था। अब 10 रु० की जगह पर राइट्स इशु का दाम निर्धारित कर रही है 90 रु०, इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम तो चाहते थे कि सरकार इसमें कोई न कोई व्यवस्था करे तीन गुना, चार गुना, पांच गुना से अधिक इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए लेकिन

उसको अब खुली छूट होगी चाहे जितना वह दाम रखे और चाहे जितना शेयर जारी कर सकती है। अब जो छोटे-छोटे निवेशक हैं वे अपनी पूंजी लगाएंगे। ये कहते हैं कि लिबरलाइजेशन हो गया इसलिए अब किसी प्रकार के कन्ट्रोल की जरूरत नहीं है और इन्होंने स्टेटमेंट में बताया है कि सेबी को गाइडलाइन इशु करने का अधिकार दिया है, अब गाइडलाइन का क्या हश्र रहे। इस सदन में भी कई घंटे तक चर्चा हुई है और स्कैंडल से पूरा देश हिला हुआ है यानी जवाब देते नहीं बन रहा है और ज्वाइन्ट पालियामेंटरी कमेटी बनी है, हम उस बहस में नहीं जाएंगे, जब रिजर्व बैंक आफ इण्डिया यहां कायम है, उसकी गाइडलाइन्स है उसके बावजूद इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, अब सेबी की गाइडलाइन का क्या हश्र होगा। जब अथोरिटी थी कंट्रोलर, तब तो कई प्रकार की गड़बड़ियां होती थीं और अब वह अथोरिटी समाप्त हो जाएगी तो सबी को कौन पूछेगा, उनकी गाइडलाइन को कौन पूछेगा ? इस प्रकार से जो छोटे-छोटे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं उनके हित की रक्षा नहीं की जा सकती है और जो कम्पनियां हैं वे उनका शोषण जारी रखेंगी। जो कम्पनी चलाने वाले या लाज करने वाले लोग थे उनको कभी-कभी दिक्कत होती होगी कि कंट्रोलर के कार्यालय में लालफीताशाही के चलते कई मामलों में विलम्ब होता था तो उनको संशोधन करना चाहिए था ताकि लालफीताशाही समाप्त हो सके, रेडटेपिजम खत्म हो और जल्दी से जल्दी मामले का निष्पादन किया जा सके, लेकिन अब मामले का निष्पादन वहां क्या करना है, अब पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया और इस एक्ट को रिपील करने के लिए आर्डीनेन्स जारी कर दिया।

इसलिए इसमें जो आम निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं उनके हित की रक्षा नहीं होगी और उसके लिए सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।

इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे और आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करेंगे कि यह सदन इस केपिटल इशु कंट्रोल एक्ट को रिपील करने के लिए, जो आर्डीनेन्स इन लोगों ने जारी किया था उसको निरनुमोदित करें और सरकार से आग्रह करेंगे कि इन्होंने जो बिल लाया है, आर्डीनेन्स को लेप्स होने देते और जो यह बिल लाया है उसमें अपेक्षित संशोधन किया जाए ताकि जो छोटे निवेशक हैं उनके हित की रक्षा की जा सके और कम्पनियों के रास्ते में कई प्रकार की नाजायज बाधाएं जो उत्पन्न की जाती होंगी, तो उसको वर्तमान नीति के तहत दूर करने के लिए उसके लिए कोई उपाय ढूंढे जाएं, हम सरकार से यह आग्रह करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करूंगा कि इस आर्डिनेन्स को निरनुमोदित करें।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : महोदय, पूंजी निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 में पुरःस्थापित हुआ था। इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनियों को जनता और अपने शेयरधारकों से पूंजी जुटाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थीहोती थी और इस मूल्य की भी अनुमति लेनी जिस पर वह ऐसा करती थी। कुछ वर्षों के बाद जनता से 1 करोड़ रुपए तक धनराशि जुटाने के लिए निजी कम्पनियों द्वारा पब्लिक इश्यू के माध्यम से प्राप्त करने हेतु 1969 में एक छूट आध्यादेश भी लागा था।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, सरकार ने गत वर्ष 24 जुलाई में संसद की दोनों सभाओं में औद्योगिक नीति पर एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा था। इस वक्तव्य में संबंधित उपबन्धों

में काफी छूट दी और लाइसेंस देने, विदेशी निवेश इत्यादि की संचालन प्रक्रिया को सरल बनाया गया था। उदारीकरण के तहत यह माना गया कि पूंजी निर्गम और घरेलू कम्पनियों के लिए पूंजी निर्गम का मूल्य तय करने पर सरकारी नियंत्रण अप्रासंगिक हो गया है। सदस्यगण यह भी जानते होंगे कि सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्थापित किया है (एस० ई० बी० आई०) और 30 जनवरी, 1992 को इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस संगठन को व्यादेश दिया गया है कि वह प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करे और प्रतिभूति बाजार का विकास और इनका संचालन करे और इससे संबंधित किसी मामले पर कार्यवाही करे।

भारत में उदारीकरण के लिए सतत अभियान में उक्त दूरगामी गतिविधियों को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम जिसके तहत सरकार इक्विटी के मूल्य और पूंजी निर्गम पर नियंत्रण रखती थी, समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि दोनों सभाओं का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए राष्ट्रपति ने 29 मई, 1992 को उक्त अधिनियम का निरसन करने वाला अध्यादेश जारी किया। मौजूदा विधेयक संसद के अधिनियम द्वारा उक्त अध्यादेश का स्थान लेगा।

अर्थव्यवस्था में उदारता की अनिवार्यता को देखते हुए उक्त अध्यादेश को बदलना जरूरी हो गया है। 11 जून, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जानकारी देने और निवेशक की सुरक्षा हेतु जारी निदेश और इसके द्वारा जारी विभिन्न स्पष्टीकरण निवेशक सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखेंगे और भारत में प्रतिभूति बाजार संस्कृति के उच्च स्तर को सक्रिय रखेंगे। उपरोक्त उद्देश्यों को देखते हुए यह अनुरोध है माननीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 1992 को प्रख्यापित पूंजी निर्गमन नियन्त्रण निरसन अध्यादेश संख्या 9 को बदलने के लिए उक्त विधेयक को पारित करें।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पूंजी निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 29 मई, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

"कि पूंजी निर्गमम (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विचार के लिए इस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन हैं जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन का नोटिस दिया है और जो सभा में उपस्थित हैं, अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 22 अक्तूबर, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"(1)

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 23 अक्तूबर, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (2)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए दो घंटे का समय आबंटित है। विभिन्न राजनैतिक दलों के सचेतकों ने अपने दलों के वक्ताओं की सूची पहले ही भेज दी है। इसलिए अगर अलग से सूची मिलती है तो उसे मानना कठिन है। इसलिए अच्छा हो कि सूची सचेतक के माध्यम से भेजी जाए।

श्री श्रवण कुमार पटेल बोलें।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं और माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, 1992-93 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री महोदय ने वायदा किया था कि वे भारतीय कम्पनियों द्वारा जारी पूंजी निर्गम (कैपिटल इश्यूज) और उन पर मिलने वाले लाभांश से सरकार का नियन्त्रण समाप्त कर देंगे। इसके परिणामस्वरूप, नई औद्योगिक नीति लागू करने के बाद पूंजी निर्गम नियन्त्रक की भूमिका अनावश्यक हो गई है। परिवर्तित परिदृश्य में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए कम्पनियों को भारतीय स्टाक निर्गमन बोर्ड द्वारा जारी किए गए उपबन्धों और मार्ग-निर्देशों के अनुरूप सीधे बाजार की अनुमति होगी।

भारतीय स्टाक विनिमय बोर्ड ने व्यापारी बैंकर्स और अन्य सम्बद्ध दलों के परामर्श से विस्तृत मार्गनिर्देश बनाए हैं और पूंजी निर्गम सम्बन्धी निवेशकों के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। इसलिए माननीय सदस्य का दावा, कि निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, यह है कि ...

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बज रही है। अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मेरा कहना है कि माननीय सदस्य ने यह आशंका जाहिर की है कि इन मार्गनिर्देशों की उपेक्षा की जाएगी तथा निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकेगी। लेकिन अभी कुछ मिनट पहले वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारतीय स्टाक विनिमय बोर्ड को सांविधिक अधिकार दिए गए हैं जिसके अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों को भारतीय स्टाक विनिमय बोर्ड के मार्ग-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जैसाकि मैंने कहा है भारतीय स्टाक विनिमय बोर्ड ने व्यापारी बैंकर्स तथा अन्य सम्बद्ध दलों के परामर्श से विस्तृत मार्गनिर्देश बनाए है और पूंजी निर्गम संबंधी इन मार्गनिर्देशों का निर्धारण करते समय निवेशकों के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।

निवेश प्रस्ताव से संबंधित सूचना का पूरा एवं निष्पक्ष प्रकटीकरण का प्रावधान किया गया है। इसमें भारतीय स्टाक विनिमय बोर्ड और प्रमुख प्रबन्धक को भेजे गए नवीनतम लेखा परीक्षित

तुलना पत्र के अनुसार कम्पनी का शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य आता है, ताकि सार्वजनिक निवेश को आमन्त्रित करने की अनुमति देने से पहले उक्त प्रस्ताव की व्यापक जांच की जा सके।

विद्यमान कम्पनियों के प्रोमोटर्स का विगत दो वर्षों के अपने शेयरों के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य देना होगा ताकि निवेशकों को कम्पनी की विश्वसनीयता का स्पष्ट आकलन प्राप्त हो सके।

प्रमुख प्रबन्धको और व्यापारिक बैंकर्स को प्रोमोटर्स द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की शुद्धता एवं प्रमाणिकता के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करना पड़ेगा इसके अतिरिक्त 90 प्रतिशत अंशदान सहित पूरे निर्गम को दायित्व लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

इन उपबन्धों को पूरा न करने की स्थिति में कम्पनी को निवेशकों की धनराशि की सुरक्षा के लिए आवेशकों की अंशदान की राशि वापस करनी होगी। प्रोमोटर्स को इस परियोजना में अपनी शेयर पूंजी भी लगानी होगी और यह पूंजी तब तक लगी रहेगी जब तक इसमें लाभ न होने लगे। इनके निवेश का न्यूनतम कोटा 100 करोड़ रुपए तक की कुल निर्गम साम्य पूंजी का 25 प्रतिशत तथा 100 करोड़ रुपए से अधिक के लिए इस पूंजी का 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है तथा इस पूंजी को सार्वजनिक निर्गम से पहले निवेश किया जाता है। प्रत्येक प्रोमोटर्स का न्यूनतम अंशदान 1 लाख रुपए नियत किया गया है। प्रोमोटर्स की धनराशि को अपने पास रखने की अवधि पांच वर्ष है। भारतीय स्टाक विनिमय बोर्ड ने कुल निर्गम राशि को 15 प्रतिशत अधिक अंशदान, जिसकी अब तक अनुमति थी, को नामजूर कर दिया है। सार्वजनिक निर्गम जारी करने के 12 महीने तक बोनस निर्गम जारी करने की अनुमति नहीं दी गई। निजी निवेशों की अनुमति के बिना अपरिवर्तनीय 'डिबेन्चर्स' को बदलने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रोमोटर्स शेयर के अन्तरण की अवधि बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है।

इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि नए दिशानिदेश हर प्रकार से कम्पनियों को स्वतन्त्रता देते हैं और निवेशकों को संरक्षण प्रदान करते हैं।

मैं दो तीन टिप्पणियाँ और करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे मुद्दों पर गौर करें। मैं समझता हूं कि ये मार्गनिदेश 'राइट इश्यू' के बारे में कुछ नहीं कहते।

प्रोमोटर्स की अंशदान राशि को नियन्त्रित करने वाले उपबन्ध काफी कठोर होने के कारण कई आने वाले सार्वजनिक निर्गम रुक सकते हैं।

व्यापारिक बैंकर्स द्वारा भी यहां आशंका व्यक्त की गई है कि सार्वजनिक अंशदान प्राप्त करने से पहले प्रोमोटर्स शेयर पूंजी का अग्रिम रूप से जुटाये जाने के कारण सार्वजनिक निर्गम जारी होने में भारी कमी हो जाएगी।

कम्पनी अधिनियम की धारा 372 के अनुसार यदि कोई कम्पनी दूसरी कम्पनी की 50 प्रतिशत साम्य पूंजी हासिल करके उस कम्पनी को सहायक कम्पनी बना लेती है तो इसकी उस कम्पनी को केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। स्पष्टतया इस प्रावधान का कई कम्पनी समूह से मिलकर बड़े औद्योगिक घराने लाभ उठाएंगे, ये सामूहिक रूप से नई-नई विकसित कम्पनियों में उनकी साम्य पूंजी का 50 प्रतिशत शेयर पूंजी का निवेश कर देंगे। अतः यह प्रावधान छोटे अथवा मझोले कम्पनियों के लिए अहितकर ही साबित होगा।

उपर्युक्त मुद्दों के बावजूद मैं वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रतिबन्धक और बोझिल पूंजी निर्गम विभाग को समाप्त कर दिया और इसकी जिम्मेदारी एक स्वायत्त निकाय—

भारतीय स्टाक विनिमय बोर्ड को सौंप दी जो सरकार नियन्त्रण से हटकर स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पुन: समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है तो मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि हमने प्रारम्भ से ही यह मांग की थी और आज हमारी यह मांग पूरी हो रही है। कैपिटल इश्युज कंट्रोल एक्ट में जो कंट्रोलर की पोस्ट थी तो इन्होंने समाप्त कर दी और 'सेबी" ने 11 जून 1992 को अपनी गाइडलाइन बना ली जिससे काम सुचारू रूप से हो सके। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया जिसको "सेबी" कहते हैं, इसका गठन 1988 में हुआ। इसके गठन का उद्देश्य था कि वह निवेशकों के हित की रक्षा करे और पूंजी बाजार का विकास करे और शेयर बाजार के कारोबार की अनुचित गतिविधियों को रोकने के उपाय करे। यह बात तो हो गई लेकिन "सेबी" के गठन से उसको वैधानिक दर्जा नहीं मिल पा रहा है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार से चर्चा रही और अभी तक यह चर्चा बराबर चलती गई। सरकार ने 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश निकालकर "सेबी" को एक दर्जा प्रदान किया। इसके कारण से शेयर बाजार के कामकाज को सुचारू रूप से अच्छा खासा योगदान होगा यह मेरी मान्यता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि "सेबी" के गठन से पूर्व आम निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं होती थी और आप जानते हैं कि जैसे हर व्यक्ति अपनी पूंजी के कुछ हिस्से को शेयर खरीदकर पूर्ति करने में लगा हुआ है। बैंकों में जाएं तो वहां क्यू लगी होती है। पिछली बार जो घटना घटी तो उसके कारण से इस सारे मामले में लगभग लोगों को 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इसके गठन से पहले धोखाधड़ी में करोड़ों रुपए गायब हो जाते थे और कहीं कोई मालिक नहीं होता था। परिणामस्वरूप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने में लोगों में कमी आ गयी थी। अब यह एस० ई० बी० आई० को भारतीय पूंजी प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कहा जाता है। अमेरिका में इसी प्रकार गठित बोर्ड को यू० एस० सिक्यूरिटी एक्सचेंज कमीशन, इंग्लैंड में यू० के० सिक्यूरिटी इन्वेस्टमेंट बोर्ड कहा जाता है।

उपाध्यक्ष जी, अब इस बोर्ड ने 21 फरवरी, 1992 से काम करना शुरू किया है। इसके तीन मुख्य काम हैं: पहला, वह आम निवेशकों के हितों की रक्षा करे, दूसरा पूंजी निवेश उचित वातावरण बनाये और तीसरा सम्पूर्ण पूंजी बाजार नवीनीकरण का काम करे। मेरा यह निवेदन करना है कि जब से एस० ई० बी० आई० का गठन हुआ है उस समय से एक हजार शिकायतें इसके दफ्तर में आती थीं। दलालों के पंजीकरण करने के लिए एक अधिसूचना निकाली जिसका दलालों ने विरोध किया। फलत: एस० ई० बी० आई० अपना काम नहीं कर सकी। उसमें बाद जब शेयर घोटाला हुआ तथा उसका पर्दाफास हुआ तो लोगों ने महसूस किया कि उसके बाद 5401 दलालों, 7132 सब दलालों और 80 ब्रोकर्स ने इसमें आवेदन-पत्र दिया तथा अपना पंजीकरण करा लिया। तब इसने अपना काम करना प्रारम्भ किया।

उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ अभी भी कमियां हैं जिसकी ओर उसका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि एस० ई० बी० आई० में एप्लाई करे, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी मांग है कि जिस उद्देश्य को लेकर इसका गठन किया गया है, उसमें विलम्ब न हो। दूसरी बात यह है कि एस० ई० बी० आई० को दिशानिर्देश करिये कि जो

नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके लिए दण्ड मिलना चाहिए जबकि इस विधेयक में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इसमें कठोर दण्ड मिले।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बार पुन: इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि इसमें विलम्ब न हो, जो कमियां हों उनको दूर किया जाये और उसका जो लोग कहना न मानें, उनको कठोर दण्ड का प्रावधान हो, यह बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस संकल्प का पुरजोर समर्थन तथा विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम मैं सरकार पर अध्यादेशों की सरकार होने का आरोप लगाता हूं। वर्तमान सरकार संसद को टालने और प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही अध्यादेश जारी करने की आदी बन गई है। ऐसी अनौचित्य की घटनाएं कई हुई हैं। माननीय वित्त मंत्री समझते हैं कि औद्योगिक व्यापार और आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के कारण पूंजी निर्गमन नियन्त्रण अधिनियम के सांविधिक पुस्तक में बने रहने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार अध्यादेश जारी किए जाते हैं और विधेयक लाया जाता है। महोदय, यहां यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर 24-7-91 को रखा गया था। उसके बाद शरदकालीन सत्र हुआ। और उस सत्र में भारतीय स्टाक विनिमय बोर्ड से संबंधित विधेयक पारित हुआ। लेकिन उस सत्र में भारतीय स्टाक विनिमय बोर्ड संबंधी विधेयक के साथ यह विधेयक नहीं लाया गया। इसके पश्चात् मई 1992 का लम्बा बजट सत्र भी चला गया। सरकार अभी तक अपेक्षित विधेयक को नहीं ला पाई। लेकिन जब सभा स्थगित हुई और सत्रावसान हो गया, सरकार ने यह अध्यादेश जारी कर दिया। इसके बाद अब सरकार इस विधेयक को लाई है।

इसके अस्तित्व में आने से पहले, पूंजी निर्गमन नियन्त्रण अधिनियम को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् युद्धकालीन उपाय के रूप में अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य देश में ब्रिटिश शासनकाल में भी औद्योगिकीकरण के लिए संयुक्त स्टाक कम्पनियों का गठन करना एवं पूंजी संचय करना था। तद्उपरान्त तत्कालीन विधान सभा से इस अधिनियम को शान्ति-कालीन उपाय के रूप में 1947 में अधिनियम में बदल दिया।

पूंजी निर्गमन नियन्त्रण अधिनियम से सरकार के पास पूंजी निर्गमन पर नियन्त्रण रखने का अधिकार आ गया। ब्रिटिश शासनकाल में भी अन्तरिम सरकार अपने देश के छोटे-छोटे जमाकर्ताओं, फर्मों और कम्पनियों के हितों में इस प्रकार का नियन्त्रण चाहती थी। मुम्बई से व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि श्री मनु सूबेदार ने कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए यह अनिवार्य है। ठीक उसी समय उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि सीमित दायित्व की सुविधा का किसी प्रोमोटर्स अथवा किन्हीं उद्यमी व्यक्तियों द्वारा, जो इस विशेष तंत्र का प्रयोग अपनी जेबें भरने के लिए करते हैं, दुरुपयोग न हो।

श्री अनन्त शयम् अय्यंगर ने कहा था कि, "यदि किसी कम्पनी को शेयर भारत से बाहर

बेचने की अनुमति दी गई तो उनके कार्य देश के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। जहां तक अपने देश में ही शेयर की बिक्री का सवाल है, वहां बड़ी सावधानी से नियन्त्रण लागू किया जाना चाहिए। पूंजी निर्गमों का समुचित रूप से निर्धारित योजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए। ऐसी योजनाओं की अनुपस्थिति में पूंजी निर्गम पर नियन्त्रण रखना बड़ा कठिन है। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि पूंजी निर्गम पर नियन्त्रण रखने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने टिप्पणी की कि पूंजी निर्गम के लिए अध्यादेश युद्धकालीन उपाय के रूप में लाया गया था। अब इन्हें शान्तिकालीन उपायों में बदला जा रहा है। अधिनियम स्वतंत्रता को प्रतिबन्धित करता है। उद्योगों के विस्तार से ऐसे विधेयक का स्वागत किया गया लेकिन इसके साथ साथ वहां तक नियन्त्रण लगाने की मांग की गई जहां तक ब्रिटिश पूंजी का संबंध था।

जब 1957 में इस विधेयक में संशोधन किया जा रहा था, तो श्री भूपेश गुप्त ने टिप्पणी की थी कि :

> "एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, कि पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए, जिसे हम इस मामले में 'अहस्तक्षेप' कहते हैं अर्थात् कम्पनियों को अपनी इच्छानुसार बिना किसी सरकारी प्रतिबन्ध के पूंजी निर्गम जारी करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनका यह दृष्टिकोण है कि आयोजित अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है है कि हम पूंजी निर्गम पर नियन्त्रण संबंधी उपाय का निर्देशन करें, इसे विनियमित करें तथा इसे अपनाएं।"

महोदय, यह सच है कि शेयर बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की उपधारणाएं हैं। सट्टेबाजी, धोखाधड़ी, अनिश्चित लाभ आदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सहवर्ती हैं। सामाजिक दायित्व से युक्त शेयर बाजार और बाजार परस्पर सघनता से जुड़े हुए हैं।

कोई भी दूसरे की सहायता के बिना समृद्ध नहीं हो सकता है। इस तरह के मुक्त बाजार का अत्यधिक विकास होना साम्राज्यवाद का ही निचोड़ है।

महोदय, पूंजीवाद का दूसरे शब्दों में मुक्त बाजार समाज के लिए अच्छा नहीं है और हम इसे साम्राज्यवाद भी कह सकते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के लिए लाभकारी है। क्या सच नहीं है कि असमानता और भेदभाव पूंजीवाद का आधारभूत लक्षण है? क्या यह सच नहीं है कि पिछले दो युद्ध साम्राज्यवादी ताकतों की वजह से हुए हैं? क्या आज के विश्व परिवेश में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जी-7 और जी-77 संगठन साम्राज्यवादी ताकतों के रूप में एकजुट नहीं हैं?

वर्ष 1947 से पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम चलता आ रहा है। सरकार का पूंजी बाजार पर नियंत्रण था। एक ऐसे समाज में जहां कि आम आदमी विशेषरूप से गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की दशा सुधारने की बात हो वहां यह आवश्यक था। पंडित नेहरू ने एकाधिकार-वादी घरानों के व्यापार को विनियमित करने के लिए एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का सहारा लिया। यहां तक कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम भी लाया गया था। यह सब इस दृष्टि से किया गया ताकि छोटे और मझौली फर्मों को देश में समृद्धशाली बनाने हेतु सहायता दी जा सके।

साथ ही संविधान भी विश्व को यह दिखाने के लिए संशोधित किया गया कि हमारा समाजवादी समाज है यद्यपि व्यवहार में ऐसा नहीं है। इस संबंध में आयोजना काफी पहले शुरु कर दी गयी थी। आप जानते हैं कि इस आयोजना के अन्तर्गत पूंजी बाजार पर सरकार के नियंत्रण और प्रतिबंध की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है कि पूंजी बाजार को उस दिशा में जाने से रोका जाये जो कि अपेछित नहीं है। एकाधिकारवादी अधिकतम लाभ के पीछे जाते हैं। वे देश में अपने हितों की पूर्ति के लिए बाहरी ताकतों से साझादारी करने लगते हैं।

इस तरह सहयोग की आड़ में समाजवाद हावी हो जाता है। विभिन्न देशों में इसका यही आधार बना देखा गया है। हमारे देश में भी इस वक्त यही परिणाम सामने आ रहे हैं। 1947 में ब्रिटिश शासन के दौरान भी पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इस खतरे के बारे में विधान सभा में सतर्क किया था।

3.33 म०प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

हमारे साहसी लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने यह लड़ाई जीती। हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की। योजनायें बनाई गयीं। कई पंचवर्षीय योजनायें बनायी गयीं। पूंजीगत निर्गम पर नियंत्रण किया गया। कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस दिशा में कुछ उपलब्धियां भी हासिल हुई। लेकिन ये सब साम्राज्यवादी ताकतों की इच्छा के खिलाफ था, अतः वे चुप बैठे नहीं रह पाये। और वे ऐसे रह भी नहीं सकते थे। हमारे शासक उस साम्राज्यवाद के चुंगल में फंस गये। उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ना ठीक नहीं समझा। उन्होंने धीरे-धीरे आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ के टूटने पर अमरीका और इसके मित्र राष्ट्रों के एक ध्रुवीय ताकत के रूप में उभरने से हमारे शासकों ने संघर्ष और स्वयं को जीवित बनाये रखने के मार्ग को त्याग दिया। उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों के समक्ष आत्मसमर्पण उन्होंने बगैर किसी प्रतिबंध के पूंजीवाद का रास्ता चुन लिया। पूंजीगत निर्गम निरस्त करने संबंधी कर दिया। विधेयक इसी प्रकार के प्रयासों का परिणाम है।

महोदय इस संदर्भ में मैं संविधान में निहित हमारे राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का जिक्र करूंगा। इसमें कहा गया है कि केवल कुछ ही हाथों में धन-दौलत का समावेश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तो भारत के लोगों में समान रूप से वितरित होनी चाहिए। बल्कि इसके विपरीत पूंजी निर्गमों के नियंत्रण करने संबंधी इस उपबंध को एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों के फायदे के लिए निरस्त किया जा रहा है।

महोदय, सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व बाजार के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है, उन्होंने ऐसा करके हमें एक औद्योगिक रूप से विकसित अर्थव्यवस्था देने का वायदा किया है। अतः उन्होंने औद्योगिक नीति को उदार कर दिया है। उन्होंने आयात को उदार करके व्यापार नीति में संशोधन किया है। उन्होंने हमसे वायदा किया है कि तीन वर्षों के अन्दर वे औद्योगिक उत्पादन में क्रान्तिकारी परिवर्तन ले आयेंगे। लेकिन क्या गारन्टी है? वर्तमान परिस्थितियों से सिद्ध हुआ है कि सरकार ने हमसे जो वायदा किया है वह उसे पूरा नहीं कर पायेगी या वह उस लक्ष्य को पाने की स्थिति में नहीं रहेगी।

महोदय, क्या हमारी अर्थव्यवस्था का विश्व के मुक्त बाजार से सामंजस्य स्थापित करने से कोई वांछित प्रभाव प्राप्त होंगे ? जहां तक मैं समझता हूं हम ऋण के जाल में फंस गए हैं। हमारे लोगों को बार-बार त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। सरकार अब और किस हद तक चाहेगी कि हमारे गरीब लोग अपनी जरूरतें कम करें ? पैसे का अवमूल्यन हो गया है। किसके हित में ? क्या भारत को इस तरह से रुपये के अवमूल्यन से फायदा हुआ है ? क्या हमारा विदेशी व्यापार डालर की तुलना में कुछ कम नहीं हुआ है ? क्या जी-7 देशों ने हमारा समर्थन किया है ? इस डंकल प्रस्ताव के क्या प्रभाव पड़ेंगे ? क्या यह सच नहीं है कि विकसित औद्योगिक देशों ने विकासशील देशों का शोषण करने का एक जाल बुना है ? और क्या भारत एक विकासशील देश होते हुए इस तरह को शोषण के संदर्भ में एक अपवाद है ? सरकार ने इन बड़े पूंजीपतियों के एजेंटों की इच्छा के आगे देश की प्रभुसत्ता की अवधारणा को ताक में रखकर क्यों आत्मसमर्पण कर दिया है अभी तक यह बात एक पहेली बनी हुई है ? तथापि अभी इस बात को स्पष्ट करने की बहुत गुंजाइश है, जोकि हमें बहुत परेशान कर रही है। कुछ बड़े लोगों में देशभक्ति की कमी है। उन लोगों को देश के विकास हेतु प्रमुख नीति के प्रारूप को बनाने का कार्य कभी नहीं सौंपा जा सकता है। उनके पास करोड़ों लोगों के भाग्य का निर्धारण करने का पूर्ण अवसर मौजूद है। यह बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है कि देश की प्रभुसत्ता दांव पर है या नहीं। अत: हमने देखा है कि जिन लोगों के हाथ में देश का प्रशासन है वे अपने व्यक्तिगत हितों के लिए अनुचित कदम उठाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। और ये लोग फिर इस मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थक होते हैं। सरकार पर इन बेईमान लोगों ने काफी प्रभाव डाला है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जनता विरोधी उपाय जैसे औद्योगिक और व्यापार नीतियों के उदारीकरण को न अपनाये।

हमारी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करने से हमारे औद्योगिक उत्पादन में पहले ही काफी गिरावट आयी है। विदेश का स्तर कम हो गया है। वाणिज्य असूचना महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के पिछले दो महीनों में व्यापार घाटे में 10 गुना वृद्धि हुई है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी भारतीय अर्थ-व्यवस्था में उदारीकरण की नीति की घोषणा के बाद एक संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने बार-बार हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ने के समर्थन में मुक्त स्पर्धा के आधार पर तर्क दिया है। हम स्वीकार करते हैं कि स्पर्धा जरूरी है। लेकिन प्रतियोगिता किसके साथ होगी ? क्या हम चाहते हैं कि ये गरीब बटाईदार धनी किसानों से स्पर्धा करें ? क्या हम उस आदमी और एक करोड़पति के बीच स्पर्धा चाहते हैं जिसके पास व्यापार करने के लिए कोई पैसा नहीं है ?

अत: इस प्रकार की स्पर्धा औचित्यहीन है।

महोदय, इस विश्व मुक्त बाजार के भ्रम पर भी गौर कीजिए। अमरीका विश्व भर में सबसे बड़ा महाजन देश है। पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी बढ़ रही है। कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे देशों में मंदी आने लगी है। अत: औद्योगिक रूप से विकसित देश विकासशील देशों पर अपनी शर्तें थोप रहे हैं। और औद्योगिक रूप से पिछड़े देशों को पूंजीवादी देशों का अखाड़ा बनाया जा रहा है।

इन सभी खामियों के बावजूद हमारे देश के शासकों ने औद्योगिक, व्यापार और आर्थिक नीतियों को उदार कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हम सुधार नहीं चाहते हैं। लेकिन हम वे सुधार चाहते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा दें और पूंजीवादी देशों के शोषण को बढ़ावा न दें।

अत: महोदय, यह विधेयक जोकि पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम के उपबन्धों को निरस्त कराता हो यह हमारे देश के पतन के रास्ते पर ले जाने वाला है। मैं इन उदारवादी उपायों का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इस उदारीकरण से क्या हासिल किया है ? जी हां, यह प्रतिभूति घोटाला भी इस तरफ इंगित करता है। सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक पर नियंत्रण था, रिजर्व बैंक का भारतीय स्टेट बैंक के उपरांत ये सभी सरकार नियंत्रित वित्तीय संस्थान हैं। फिर भी हजारों करोड़ों रुपए का कांड हो सकता है। और यदि कोई नियंत्रण न हो तो सोचिए भविष्य में क्या होगा ?

इस प्रतिभूति घोटाले से देश की बैंकिंग प्रणाली पर जनता का विश्वास हिल गया है फिर भी इस तरह के विसंगतिपूर्ण व्यवस्थायें अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी विकास का ही परिणाम है।

पूंजी निर्गम पर से सरकार का नियंत्रण हटाने से इस वित्तीय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और उठ जायगा। फिर भारत विदेशी एकाधिकारवादियों का एक अखाड़ा बन जायेगा। तत्पश्चात् साम्राज्यवादी ताकतों की भारत पर गाज गिरेगी। हमें पूंजीवादियों की इच्छाओं पर मजबूरन झुकना पड़ेगा ? मैं समझता हूं कि यह कुल मिलाकर देश के लिए खराब होगा।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को इस अन्तिम चरण में भी वापस ले ले।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदय मैं इस निरस्त करने वाले विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं यह सरकार की उस नयी आर्थिक नीति का एक भाग है जिसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है और इसके संबंध में जो विरोध हुआ है वह भी सर्वविदित है। लेकिन यहां इस सरकार ने इस अधिनियम से स्वाभाविक रूप से कंपनियों द्वारा लाभांश निर्धारित करने संबंधी अपने वित्तीय नियंत्रण को खत्म कर दिया है अब कंपनियां इस लाभांश का निर्धारण करेगीं। पहले सी०सी०आई० किसी भी कंपनी का लाभांश निर्धारित करती थी। इसका अर्थ है कि सारे मर्चेन्ट (व्यापारिक) बैंक अब अच्छा व्यापार करेंगे वे इससे खुश हैं क्योंकि अब उन पर कोई भी ऐसा नियंत्रण नहीं है जिसे वे पहले नौकरशाही नियंत्रण कहते थे।

नि:संदेह अब कुछ शक्तियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सौंप दी गयी हैं, इस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पहले ही अपने मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन इन मार्गनिर्देशों से सभी चीजें कवर नहीं होती हैं। कल जब सभा में प्रतिभूति घोटाले पर चर्चा हो रही थी तो ये बातें उठायी गयी थी कि इस प्रणाली में कुछ खामियां हैं जिसका अपराधी फायदा उठाते हैं जैसाकि श्री मणि शंकर अय्यर ने भी कहा था मैं भी उससे सहमत हूं। ये कंपनियां खुश हैं, ये मर्चेन्ट बैंक भी प्रसन्न हैं।

हाल ही में, थापर कंपनी, जिसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनके लाभांश की कीमत

63 रुपये आयेगी, इस अधिनियम के अध्यादेश के द्वारा आने के बाद अब उनका लाभांश 65 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा वे उनके इस निर्धारित लाभांश पर नियंत्रण रख सकें।

मर्चेन्ट बैंकों को काफी बड़ी भूमिका निभानी है। अतः मर्चेन्ट बैंकों को विनियमित करना बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं—इस हाल के विश्व इतिहास के अभूतपूर्व घोटाले से जोकि देश, राष्ट्र और बैंकों का अभूतपूर्व घोटाला है, हमारे लोगों का विश्वास हिल गया है। अब भारतीय प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों के मुताबिक इन्हीं बैंकों को ये अधिकार दिए जायेंगे क्योंकि अब वे मुख्य भूमिका निभायेंगे। अब वे प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यह संदेह करना सही है कि निवेशककर्ताओं का निवेश सुरक्षित नहीं होगा। यह सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि यह कहा जा रहा है कि नियंत्रण आवश्यक था और निवेशकर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं थी। यह माना जाता है कि निवेशकर्ताओं को इस बात की जानकारी है अतः वे निश्चित रूप से स्थिति को देखते हुए निवेश करेंगे।

यहां एक बात भुला दी गई है कि जो व्यक्ति लाभ के लिए जनता को धोखा देते हैं वे अब अधिक सजग हो गए हैं। यदि हमारा वित्त मंत्रालय रिकार्ड का अध्ययन करे तो वह यह पाएगा कि सरकार और जनता को धोखा देने के नए रास्ते किस प्रकार खोये जा रहे हैं।

इस प्रकार एक मुद्दा यह है कि इस प्रत्याभूति अधिनियम को समाप्त किया जाए। हम निश्चित रूप से व्यापारी बैंकों और कंपनियों को सब कुछ दे रहे हैं। अनेक झूठी कंपनियां भी होंगी और उनके शेयर भी होंगे। चार्टर्ड एकाउंटेंट इनकी लेखा परीक्षा करेंगे क्योंकि प्रत्याभूति और एक्सचेंज बोर्ड द्वारा यह निदेश दिए गए हैं। लेकिन मुझे यह आशंका है कि निवेशकर्त्ताओं को धोखा दिया जाएगा और व्यापारी बैंक उन्हें गुमराह करेंगे। चाहे सरकार इसे समाप्त कर दे फिर भी अभी इसकी आवश्यकता है। व्यापारी बैंकों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्याभूति और एक्सचेंज बोर्ड को समुचित तंत्र बनाना चाहिए जिसका जारी किए गए मार्गनिर्देशों में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इन झूठे व्यापारी बैंकों और कंपनियों, जो प्रीमियम बढ़ाने के लिए लेखों में हेर-फेर करते हैं, को नियंत्रित करने के लिए प्रत्याभूति और एक्सचेंज बोर्ड को पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः जनता के साथ धोखा किया जाएगा।

यह कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया द्वारा पूंजी बाजार में अधिक खुलापन आएगा। घोटाले के बाद इसमें खुलापन कैसे आएगा। मैं नहीं समझता कि सरकार ने इस घोटाले के जनता पर पड़े प्रभाव पर गंभीरता से विचार किया है।

दूसरी ओर इसे समाप्त करने से विदेशी निवेशकर्त्ताओं को सहायता मिलेगी। यह भी खबर है कि विदेशी बैंकों की इक्विटी का 51% शेयर खरीदने के लिए बाजार में है। इसका अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूंजी बाजार और विदेशी एजेंसियों द्वारा नियंत्रित होती। हमारे सामने यही खतरे हैं।

मोटे तौर पर सरकार यह आर्थिक सुधार इस आशा से लाई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सार्वभौमिकीकरण होगा। पिछले दो वर्षों के अनुभव से यह पता चलता है कि हमारा आयात और निर्यात कैसा रहा है। क्या हम आयात के लिए अधिक कीमत नहीं चुका रहे हैं ? हमारा निर्यात कम हुआ है। क्या इससे यह पता नहीं चलता है कि अनेक क्षेत्रों में उत्पादन कम हुआ है ?

यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार राष्ट्र की वास्तविकताओं तथा रुचियों के प्रति उदासीन है। जब मुनाफाखोरी को अनुमति दी जा रही है और जनता लाभ कमाने के लिए धन निवेश कर रही है तब क्या देश में उत्पादन बढ़ेगा ? यह एक विचित्र स्थिति है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है, वित्तीय नियंत्रण समाप्त करने से कंपनियों तथा बैंकों को अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। वास्तव में देश पर कंपनियों तथा इन कपटी बैंकरों का शासन होगा। यह विधेयक हमें उसी ओर ले जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। सरकार को इस मुद्दे पर पुन: विचार करना चाहिए और प्रत्याभूति और एक्सचेंज बोर्ड को अधिक शक्तियां देनी चाहिएं ताकि व्यापारी बैंकरों को नियंत्रित और विनियमित किया जाए।

— — — —

3.51 म०प०

सभा की विशेष बैठक के बारे में घोषणा

सभापति महोदय : जैसाकि सदस्यों को ज्ञात है कि "भारत छोड़ो आंदोलन" की पचासवीं वर्षगांठ मनाने तथा स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों की एक बैठक शनिवार, 8 अगस्त, 1992 को 10.45 म०प० केन्द्रीय कक्ष में होगी।

इस बैठक को राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज की बैठक में इस मामले पर विचार किया। समिति ने यह सिफारिश की कि इस पावन अवसर पर शनिवार 8 अगस्त, 1992 को केन्द्रीय कक्ष में बैठक समाप्त होने के 15 मिनट बाद सभा की भी एक विशेष बैठक की जाए।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि इस अवसर पर सभा में एक संकल्प परित किया जाए।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : जो रेजोल्यूशन होगा उसमें सब लोगों को बोलने का मौका मिलेगा ?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : क्या मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी दे सकता हूं कि यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न राजनीतिक दलों के वक्ता बोलेंगे। यदि दलों के नेता

बोलना चाहें तो वे बोल सकते हैं। अन्य वक्ता भी इसमें भाग ले सकते हैं। इस बात पर सहमति नहीं हो पाई कि शनिवार के स्थान पर सोमवार को अवकाश घोषित किया जाए।

सभापति महोदय : जिस बारे में सहमति नहीं हो पाई उसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

अब श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या बोलेंगे।

———

?.54 म०प०

पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 9) का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरु) : सभापति महोदय, पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) विधेयक कंपनियों को पूंजी का मुक्त निर्गमन करने के लिए पूंजी निर्गमन पर नियंत्रण हटाने के बारे में है।

वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में दिए गए आश्वासन के अनुसार उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया की कि पूंजी निर्गमन के नियंत्रण को समाप्त किया जाए। लेकिन उनके स्थान पर प्रत्याभूति और एक्सचेंज बोर्ड में नई व्यवस्था लागू कर दी गई जिसने मार्गनिर्देश भी जारी किए। कुछ मार्गनिर्देश अस्पष्ट हैं और उनमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

संवर्धकों के अंशदान के मामले में मार्गनिर्देशों के अनुसार न्यूनतम अंशदान एक लाख रुपया है जो बहुत अधिक प्रतीत होता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से भी नए संवर्धक और अंशदाता इसमें आने को तैयार हैं। मेरा सुझाव है कि इसे घटाकर 5,000 रुपए अथवा 10,000 रुपए कर दिया जाए ?

प्रमुख प्रबंधकों तथा व्यापारी बैंकरों के अनेक दायित्व हैं, उन्हें यह बात ध्यान में रखनी है कि नए ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति भी शेयर बाजार में रुचि ले रहे हैं और कुछ मार्ग-निर्देशों में कहा गया है कि 'लॉकिंग' अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी जाए। यह एक गलत बात प्रतीत होती है।

कुछ मार्गनिर्देशों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए वर्तमान कंपनियां, जिनका लगातार पांच वर्ष तक लाभ कमाने का रिकार्ड है, अपने निर्गमन का मूल्य तभी अपनी इच्छा से निर्धारित कर सकती हैं यदि संवर्धनकर्ता कम से कम इक्विटी का 50% देते हैं, आजकल शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए जनता के पास कम से कम 60% शेयर होने चाहिएं। कुछ मार्ग-निर्देश संदेहजनक हैं। उन्हें इन्हें व्यवहार्य बनाना चाहिए और इसका आकलन किया जाना चाहिए।

पहले एम०ई०बी०आई० "सेबी" ने सी०सी०आई० द्वारा कुल निर्गमन राशि के 15% का अति पूर्वक्रमण की अनुमति दी थी लेकिन अब वे इसे समाप्त करना चाहते हैं। उतार-चढ़ाव की स्थितियों तथा वर्तमान परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में भिन्नता को देखते हुए उसकी सबैब

आवश्यकता नहीं है। वर्तमान लागत वृद्धि या तो मुद्रास्फीति के कारण है अथवा अन्य कारणों से है। 100 करोड़ रुपए तक के निर्गमन के लिए संवर्धकों का न्यूनतम अंशदान 25% निर्धारित किया गया है और 100 करोड़ रुपये से अधिक होने पर यह 20% निर्धारित किया गया है। यह अवास्तविक प्रतीत होता है। इनमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। जब तक मार्गनिर्देश भारतीय कम्पनियों, संवर्धकों तथा अंशदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं होंगे तब तक वे वर्तमान विश्व स्थिति में उदार नीति के रहते प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। जिन कंपनियों के कम क्षमता के संयंत्र हैं वे भी देश में अपने उत्पाद जबरदस्ती भेज रहे हैं। उच्च ब्याज दर तथा उत्पाद शुल्क के कारण अनेक भारतीय कंपनियां रुग्ण हो सकती हैं। आधारभूत ढांचे को बदलना होगा। सरकार को उन्हें समुचित सहायता देनी होगी ताकि वह चलती रहे और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर सके।

पहले कर्मचारियों को 500 शेयरों तक स्टॉक विकल्प उपलब्ध था। अब वे इसे 200 तक करना चाहते हैं। वे निर्गमन का 5% रखते हैं। "सेबी" को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा। मुझे विश्वास है सेबी को वित्त मंत्रालय से कुछ विशेष मार्गनिर्देश मिलेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या "सेबी" स्वयं कार्यवाही कर रही है। यदि आवश्यकता हो तो वित्त मंत्री को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हस्तक्षेप करके देश की कम्पनियों तथा व्यापार को बचाने के लिए उचित मार्गनिर्देश देने होंगे। काफी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और इन्हें सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। जबकि हम यह महसूस करते हैं कि पूंजी निर्गमन के नियन्त्रण को हटाना एक अनिवार्य कदम है लेकिन "सेबी" अभी स्थिर स्थिति में नहीं है। "सेबी" में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। "सेबी" के निदेशक मंडल में विभिन्न संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस संबंध में उपयुक्त मार्गनिर्देशों की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखेंगे जिससे भारतीय बाजार, शेयरधारकों तथा जनता को सहायता मिलेगी। मेरा केवल यही कहना है कि वित्त मंत्री "सेबी" पर सतत निगरानी तथा नियंत्रण रखें तभी इसका फायदा होगा। मुझे आशा है कि वह इन सभी तथ्यों पर विचार करेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं तथा इसकी बजाय पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक का समर्थन करता हूं।

दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई आपत्ति दो प्रकार है। पहले इस क्षेत्र की सभी पाबंदियों को हटाना अर्थात् पूंजी निर्गम तथा मूल्य निर्धारण पर सरकारी नियन्त्रण।

4.00 म०प०

उद्योग के संस्थापक अथवा उद्योगपति जोकि इन उद्योगों को चला रहे हैं वे निवेशकों का शोषण करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। वे अपनी इच्छा से निवेशकों का शोषण करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। वे अपनी इच्छा से मूल्य निर्धारण करेंगे तथा बिना सम्पत्तियों अथवा प्रतिभूतियों इत्यादि के वे बाजार में शेयर जारी कर सकेंगे। संक्षेप में निवेशकों के हित सुरक्षित नहीं होंगे।

दूसरे एक उद्देश्य के लिए अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी? सरकार संसद के सत्र तक प्रतीक्षा करके फिर संसद में इसे प्रस्तुत कर सकती थी। मेरे विचार में यही दो आपत्तियां माननीय सदस्य उठा रहे हैं।

दूसरे पक्ष के अनेक सदस्य दोगली बातें कर रहे हैं। अगर प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं तो वे इनका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि उदारीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं एक उदाहरण

देना चाहता हूं । कुछ दिन पहले जब कुछ सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के शेयरों को बेचने के सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो उसकी यह कहकर आलोचना की जा रही थी कि आप संबंधित सार्वजनिक प्रतिष्ठान को स्वयं मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता क्यों नहीं देते ? उनकी कोई पूछ नहीं है । इसके विपरीत सार्वजनिक उपक्रम विभाग को यह कार्य सौंपा गया । इसके कारण कई इकाइयों को लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ी । ऐसी आलोचना भी की जाती रही कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण की तरह उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए । यद्यपि इस विधेयक में संस्थापक उद्योगपति को यह स्वतंत्रता दी गई है; फिर भी ऐसी आलोचना की जा रही है ।

अध्यादेश के संबंध में, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने बिना कोई समय गंवाए अपने आश्वासन की पूर्ति के लिए इस अध्यादेश को जारी किया । वित्त मंत्री ने अपने भाषण में सभा को यह विश्वास दिलाया था कि इन प्रतिबन्धों को हटा लिया जाएगा । उसके तत्काल बाद इस सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ कर दी गई । उन्हें सभा के सत्र तक क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी ? बजट भाषण में इसका उल्लेख किया गया है । इसे पारित भी कर दिया गया था । इस सम्बन्ध में आम सहमति थी तथा यह कदम नई औद्योगिक नीति की भावना के अनुरूप था । इसलिए, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई पहल वास्तव में प्रशंसनीय है ।

अब मैं इस अध्यादेश अथवा अध्यादेश के मूल पाठ के विरोध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर आता हूं । न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी परिदृश्य में बहुत अन्तर आया है । जिस अधिनियम का निरसन किया गया है, वह 1947 का है तथा तब हमें आजादी मिली ही थी और तब से अनेक परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से पिछले एक-दो वर्षों में बहुत परिवर्तन आया है । मैं सम्माननीय सदन का ध्यान वित्त मंत्री के भाषण के इस बारे में दिए गए सम्बद्ध भाग की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं इसे उद्धृत करता हूं :

> "वित्त मंत्रालय में पूंजी निर्गम नियन्त्रक की भूमिका की, विशेष रूप से उभरते हुए औद्योगिक और वित्तीय परिदृश्य के सन्दर्भ में, समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है । आज के बदलते हुए विश्व में पूंजी निर्गमों पर और साथ ही निर्गमों की कीमतों पर सरकारी नियन्त्रण की प्रथा अप्रासंगिक हो गई है । इसलिए प्रीमियम निर्धारण सहित पूंजी निर्गमों पर सरकारी नियन्त्रण समाप्त करने का प्रस्ताव है । कम्पनियों को बाजार तक सीधे ही पहुंचने की अनुमति होगी, बशर्ते कि निर्गम प्रकटन तथा निवेशकर्ता के संरक्षण से सम्बद्ध अन्य मामलों से सम्बन्धित प्रकाशित मार्गनिर्देशों के अनुरूप हों ।"

इससे पहले वित्त मंत्रालय ने प्रक्रिया को आसान बनाने के सम्बन्ध में कुछ उपायों की घोषणा की । उन्होंने कुछ सीमा तक प्रक्रिया को आसान भी बनाया तथा 11 जून को काफी सोच-विचार के पश्चात् इन्होंने इस व्यापार से सम्बन्धित विस्तृत दिशानिर्देशों की घोषणा की । "सेबी" ने भी इन दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप देने से पहले उन्होंने उन्हें व्यापारी बैंकों तथा अन्य सम्बन्धित लोगों में परिचालित किया । उन्होंने उनके विचार भी मांगे । उनके विचारों को समक्ष रखकर इन दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दिया गया । 'सेबी' ने निवेशकों के संरक्षण पर बल दिया है । यह एक अतिमहत्वपूर्ण बात है क्योंकि मेरे माननीय मित्रों ने यहां पर स्वाभाविक तौर पर निवेशकों के हितों के संरक्षण के सम्बन्ध में संशय प्रकट किया है । मैं इसे पढ़ रहा हूं :

> "सेबी ने निवेशकों के संरक्षण पर बल दिया है । इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम निवेश प्रस्ताव के सम्बन्ध में सम्पूर्ण और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध करवाना है । कम्पनी

को 'सेबी' तथा 'लीड मैनेजर' को निवेश प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देनी होगी। वे कम्पनी को सार्वजनिक अंशदान प्राप्त करने की अनुमति देने से पहले सभी पक्षों पर विचार करेंगे। कम्पनी के संस्थापक (प्रोमोटर्स) को अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य घोषित करने होंगे। तथा 'सेबी' द्वारा निर्गमों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में मांगे गए स्पष्टीकरणों को उत्तर देना होगा।"

महोदय, इस प्रकार बहुत से सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है। बदलती हुई परिस्थितियों में इन व्यापारिक बैंकों, लीड मैनेजरों इत्यादि को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्हें अब कार्यों पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

शेयरों के स्थानांतरण, शेयरों की मात्रा, व्यापार की मांग इत्यादि के सम्बन्ध में भी काफी प्रतिबन्ध लगाये गए हैं। एक लाख से अधिक के लेन-देन तथा तीन से पांच वर्ष के लेन-देन के संबंध में वे क्या कार्यवाही करेंगे, इसकी जानकारी देनी होगी। इसलिए अनेक सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके, उनमें कोई हस्तक्षेप न हो तथा उन्हें हानि न हो।

परन्तु एक बात है। हाल ही में हुए प्रतिभूति घोटाले के संदर्भ में यह बात आवश्यक है कि अगर इन बातों को केवल कानून में शामिल कर लिया जाए, तो यह पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि इनका कार्यान्वियन भी सही हो। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में सतर्क रहना होगा तथा इन प्रावधानों के क्रियान्वयन पर नजर रखनी होगी। इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि यह एक प्रणाली के असफल होने की ही बात है। हमें हाल ही में हुए प्रतिभूति घोटाले से सबक लेना चाहिए।

अनेक क्षेत्रों में हमने पाया है कि हमारे कानून और नियम आदि बहुत अच्छे हैं और उन्हें अच्छी नियत से बनाया गया है। परन्तु उनके कार्यान्वयन में कहीं कमी है। जब कुछ स्थानों पर इनका गलत क्रियान्वयन किया जाता है तो इनकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। कई बार कुछ और ही घटित हो जाता है। इसलिए सरकार को हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मई में अध्यादेश लागू होने के बाद नौ सप्ताह की छोटी सी अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में सरकार के क्या अनुभव रहे? क्या ये 'लीड मैनेजर' सचमुच रुचि लेने लगे हैं तथा अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि कितनी कर्तव्य निष्ठा से उन पर निगरानी रखी जा रही है। यह सब बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। एक अन्य आशंका अथवा उलझन यह भी है कि कुछ उपबंध, कुछ अन्य अधिनियमों के उपबन्धों अथवा 'सेबी' के मार्गदर्शी सिद्धांतों कम्पनी अधिनियम, 'सिक्यूरिटीज रेगुलेशन बिल' इत्यादि के विपरीत हैं। यह आशंका सामान्य है। मेरे विचार में कानून मंत्रालय ने अवश्य ही इस पर विचार किया होगा। मुझे प्रसन्नता होगी अगर यह आशंका मात्र निराधार ही हो। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की नीति का सावधानी से क्रियान्वयन किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि दूसरे पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियां निराधार हैं। वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए तथा अगर इनमें से कोई विनिमय कठोर कार्यवाही करने में सक्षम न हो, तो सरकार को 'सेबी' तथा अन्य प्राधिकरणों को इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति का सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिकार

सौंपने चाहिए। इसके साथ सरकार को सदैव सतर्क रहना चाहिए ताकि निवेशकों के हितों को पूर्ण संरक्षण दिया जा सके।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सभापति महोदय पूंजी निर्गमन के नियंत्रक के पद का निरसन करने वाले अध्यादेश के स्थान पर लाये गए विधेयक के संबंध में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछले चार महीनों में इस देश में क्या घटित हुआ है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसने समाजवादी और नेहरू युग की नीतियां को पूर्णतया त्याग दिया है और इसीलिए वे अब सभी नियंत्रणों को समाप्त कर रहे हैं और हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त पर विश्वास करते हुए मुक्त बाजार अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब नियन्त्रण तथा शर्तों और विनियमों में व्यापक भ्रष्टाचार हो तो उन्हें जितनी शीघ्रता से निरस्त किया जा सके, उतना ही अच्छा होगा। परन्तु जो उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं वे और भी बदतर प्रमाणित हुए हैं। इस देश में जो शेयर घोटाला हुआ है, वह विश्व का रिकार्ड है तथा इस विषय पर हमने इस सदन में कई बार चर्चा ही नहीं की है बल्कि इसके कारण हमारे वित्तीय प्रबन्धन, वित्तीयनीति, वित्तीय परियोजनाओं तथा वित्तीय कार्यक्रमों से सारे विश्व का विश्वास समाप्त हो गया है। इस संदर्भ में नियंत्रक के पद को निरस्त करने पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। प्राथमिक उद्देश्य यह है कि पूंजी निर्गमों के सम्बन्ध में नियंत्रक की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी। इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार सामान्य बात हो गई थी। परन्तु, अब प्रश्न यह उठता है कि गरीब शेयर धारक तो इन सभी जटिलताओं से अनभिज्ञ, दूर किसी गांव अथवा कस्बे में बैठा होगा। निवेशक अपने जीवन की सारी जमा पूंजी शेयरों में लगा देता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें व्यापारियों ने सरकारी अधिकारियों से सांठ-गांठ करके ऐसी कम्पनियां आरम्भ की हैं जिनके पास न कोई भूमि थी और न ही कोई मशीनरी इत्यादि। उन्होंने करोड़ों रुपए इसलिए इकट्ठे किए कि कुछ ही समय बाद यह घोषित किया जा सके कि कम्पनी रुग्ण हो गई है अथवा उसका दिवालिया निकल गया है।

मेरे क्षेत्र, जोधपुर के पास गोटन में, एक बड़ा सीमेंन्ट संयंत्र शुरू किया गया था। यहां पर व्यक्ति विशेष का नाम लेने की परम्परा नहीं है। अतः मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन कुछ माननीय सदस्य जो विपक्ष में बैठे हैं, इस संयंत्र का उद्घाटन करने गये थे और लोगों ने सोचा कि ऐसे महत्वपूर्ण लोग इस कम्पनी का उद्घाटन करने आ रहे हैं और अतः हमें इसमें धन लगाना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और इसमें धन लगा दिया और बाद में पता लगा कि सीमेन्ट संयंत्र की तो बात ही क्या करें इस इकाई के लिए न तो कोई जमीन ही आबंटित की गई है और न ही कोई मशीनरी खरीदी गई। यह सब धोखेबाजी है।

अब, विशेषतया कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्युम् हटाने से धोखाधड़ी तथा घोटाले बढ़ जायेंगे। इस संदर्भ में, इस पर विचार किया जायेगा यह कहा गया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ने मार्गनिर्देशों द्वारा कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। यह सच है कि सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ने कतिपय मार्गनिर्देश दिए हैं, लेकिन इस देश में मार्गनिर्देशों का पालन कौन करता है जहां भ्रष्ट लोगों द्वारा जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। मार्गनिर्देशों में कहा गया है कि आपको कम से कम एक लाख रुपया लगाना चाहिए; करोड़ों रुपए के शेयर बेचे जाते हैं अगला मार्गनिर्देश क्या है। आपको कम से कम 20 प्रतिशत शेयर खरीदने चाहिए और 80 प्रतिशत जनता के धन का दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः ये मार्गनिर्देश कुशासन व धोखेबाजी पर नियंत्रण रखने तथा निवेशकों को संरक्षण देने के लिए अपर्याप्त है। एक अच्छी सरकार की पहली आवश्यकता निवेशकों को संरक्षण देना है।

महोदय, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है जहां छोटे निवेशकों ने अपना सारा पेंशन धन और अपनी भविष्य निधि निवेश कर दिया था और उसको बड़े व्यापारी घरानों ने यह धन हड़प लिया है। उन्होंने सोचा कि शेयर एक ऐसी चीज है जोकि भगवान का उपहार है और जिससे वे लोग रातों रात करोड़पति बन जायेंगे। यह धारणा थी चूंकि जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसके तुरन्त बाद टेलीविजन पर इसकी प्रशंसा की गई थी टेलीविजन पर जिसकी फोटो दिखाई गई थी वह व्यक्ति कोई और नहीं श्री हर्षद मेहता थे, 'बिग बुल' मानो कि सरकार को यही आदमी मिला था।

इसमें पालिकीवाला की कोई टिप्पणी नहीं थी। और उसमें और कोई नहीं था उसमें कोई वित्तीय विशेषज्ञ नहीं था।

सभापति महोदय: ये सब मुद्दे पहले ही हो चुके हैं।

श्री गुमान मल लोढा: इन मुद्दों को दुबारा उठाया जायेगा क्योंकि इस देश के लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत घबराये हुए हैं निःसंदेह इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। नियंत्रण (उन्मूलन) संबंधी विधेयक को पारित करते हुए इस पर चर्चा की जायेगी या निवेशकों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा मार्गनिर्देशों की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसके लिए कुछ अधिनियम, कुछ सांविधिक नियम, कुछ जुर्माने, कुछ बाधाएं कुछ बन्ड होने चाहिए जिसके कारण ऐसा संरक्षण फायदेमंद साबित हो सके। अन्यथा, मार्गनिर्देश वह चीज नहीं है जिसकी पूजा की जाए और फिर भूल जाए। इस देश में, प्रत्येक व्यक्ति मार्गनिर्देश जानता है। श्री कृष्णमूर्ति ने स्वीकार किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने श्री मेहता को वित्त मंत्रालय में मिलाया था। श्री मेहता को आयकर के छापे के बाद भी काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया था उन्हें दूरदर्शन द्वारा टिप्पणी देने के लिए भी बुलाया गया था। यह सब क्यों हो रहा है। इस पृष्ठभूमि.से देखने पर लगता है कि इस देश के निवेशकों को किसी कानून के न होने के कारण इन बड़े उद्योगों की दया पर छोड़ देने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा अतः मैं निवेदन करता हूं कि अनुज्ञाओं तथा नियंत्रण राज को समाप्त किया जाये। हमने अपने राजनीतिक दर्शन के अनुसार पहले इसकी आलोचना की है। इसका कारण है कि भ्रष्टाचार फैल रहा था और अच्छे परिणाम नहीं निकल रहे थे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जोकि भ्रष्टाचार से भी खराब हो। हर व्यक्ति आता है और कहता है "किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा" मुद्दा यह है कि हमारे वित्त मंत्री स्वयं रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। वे कहते हैं पिछले कई वर्षों से रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या कर रहे हैं ? वे ऐसा क्यों नहीं कहते कि "हम इस संस्था के संरक्षक हैं। हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम चेयरमैन हैं तथा इस प्रकार हम दोषी व्यक्ति हैं।" लेकिन वे सारा दोष इस संस्था पर डाल रहे हैं। इसी प्रकार वे कहते हैं "देखिये, हमनें केवल इसे उदार बनाया था एक बार जब हम इसे उदार बनाते हैं तब मांग व पूर्ति करने लग जाते हैं हमने इसे विश्व बाजार में खुले मार्किट की तरह छोड़ दिया है।" लेकिन विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है जैसा भारत में हुआ है।

आपको याद होगा कि हमने वित्त मंत्री से उस समय अपील की थी और कहा था कृपया यह सीमा केवल 18,000 तक बढ़ा दी जाये।' तब उन्होंने कहा था कि इससे बहुत अधिक राजस्व घाटा होगा अब घोटाले का धन कहां गया ? 35,000 करोड़ रुपया बैंकों से कहां गया ? जहां तक निवेशकों के धन का सवाल है, यह 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़ रुपए हो सकते हैं। कोई

नहीं जानता क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे सर्वेक्षण किया जा सके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले पर मंत्रालय को पहले विचार करना चाहिए जल्दी क्या थी? 27 मई को, वे अध्यादेश लाये थे इस अध्यादेश को क्यों लाये? संविधान में यह बात सर्वविदित है कि अध्यादेश बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर लाया जाता है जब ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि सामान्य कार्य में विधिवेत्ताओं का इन्तजार नहीं किया जा सकता परिस्थितिवश ऐसी अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर इसे लाया जाना चाहिए जब वे विधिवेत्ताओं के कार्यकरण का इन्तजार नहीं कर सकते हों। 10 तारीख तक संसद का सत्र था वे इसे नहीं लाये। 10 तारीख के बाद, 27 मई को एक सुबह उन्होंने इसे उत्सादित कर दिया मेरा नम्र निवेदन है कि यह कोई तरीका नहीं है (व्यवधान)

अब आपने देखा होगा कि बैंकों मुचुअल फण्ड और वित्तीय संस्थाओं ने नियम पुस्तक में मापदण्ड स्थापित किए हुए हैं। अब यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो मार्गनिर्देशों का क्या होगा? मैं जानकीरमण समिति की दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट की उपलब्धियों के बारे में उल्लेख कर रहा हूं। इसमें कहा गया है कि कुल 2.75.108 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ और 12,22 बार लेन-देन हुआ। यह लेन-देन 3 महीने और 21 दिन चलता रहा आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह लेन-देन केवल एक दिन में ही नहीं हो गया। यह काफी समय तक होता रहा है रिपोर्टिंग बैंक की किताबों में जिस पार्टी बैंक का नाम लिखा था उस पार्टी बैंक की किताबों में उसकी पुष्टि नहीं होती है। यह रिपोर्टिंग लेन देन का रुपयों के प्रतिप्रेक्ष्य में यह 22·16 प्रतिशत है यह सब अस्थायी आंकड़े हैं। वास्तव में, इससे भी अधिक हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने स्वयं के वक्तव्य में, जो उन्होंने संसद में दिया था, यह स्वीकार किया है कि देश के वित्तीय क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाएं बड़ी चिन्ता का कारण हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि इसकी विस्तार से तहकीकात की जानी चाहिए। नामजद विशेष जज ने जांच एजेंसियों पर 'यूको' बैंक के अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। सी० बी० आई० ने बड़े बैंक अधिकारियों की सम्पत्तियों की जांच नहीं की है। मेरे विचार से यह केवल मात्र दिखावे के लिए जांच की गई है। स्टेट बैंक आफ इंडिया से नेशनल हाऊसिंग बैंक को 700 करोड़ रुपए धरोहर के रूप में देने के लिए कहा था जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का अनुषंगी बैंक है। यह तो एक से लूटकर दूसरे का घर भरने जैसा मामला लगता है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने का निवेदन करता हूं। केवल कंट्रोलर को हटाकर तथा अन्य को छोड़ देंगे तो यह देश के वित्तीय मामलों के लिए बहुत खतरनाक बात होगी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): सभापति महोदय, जिस प्रस्ताव को हमारे साथी श्री नीतीश कुमार ने यहां पर रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसका विरोध करते हुए मुझे सरकार की नीयत पर सबसे पहले जहां पर शक व्यक्त करना है वह इस कानून के स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्टस एंड रीजन्स, जो आपने दिए हैं, उससे पैदा होता है। कौन सी वह परिस्थिति थी जिसको लेकर आपको यह आर्डिनेंस लाना पड़ा, इस सवाल को हम सबसे पहले मंत्री महोदय के सामने रखना चाहते हैं। आपने जो निवेदन यहां पर किए उसको अभी हमने सुना और इसमें जो स्टेट बैंक आफ ऑब्जैक्टस एंड रीजन्स वित्त मंत्री के हस्ताक्षर पर हैं, उसको हमने पढ़ा। आप यहां पर कह रहे हैं कि:

[अनुवाद]

"चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और औद्योगिक व वित्तीय स्थिति को देखते हुए पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम 1947 को रद्द करना आवश्यक हो गया था इसलिए राष्ट्रपति ने 29 मई, 1992 को पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश 1992 की उद्घोषणा की थी ....."

अब मैं जानना चाहूंगा कि आप किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हो गई यह जो वाक्य है उभरती हुई औद्योगिक तथा वित्तीय परिस्थितियों के संदर्भ में यह वही शब्द है जिसको 29 फरवरी को आपके वित्त मंत्रालय ने अपने बजट भाषण में इस्तेमाल किया था। वह बजट भाषण बहुत पहले लिखा हुआ था। मैं यह मानकर चलता हूं कि जनवरी महीने में आपने चार शब्द पहले ऐलान करके लिखे थे एमर्जिग इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल सीनेरियो। जनवरी से लेकर एमर्जिग इण्डस्ट्रियल सीनेरियो मे आप फंसे हुए थे या लगे हुए थे तो 29 मई को ऐसी कौन सी घटना घटी जिसको लेकर आपको अचानक एक आर्डिनेंस लेकर आना पड़ा। आर्डिनेंस के नाम से राज करने की सरकार की आदत है, हम सबसे पहले इसकी यहां पर निन्दा करते हैं। यह नहीं आना चाहिए था। कोई भी कारण हो नीतीश कुमार के प्रस्ताव का समर्थन करने का, मैं समझता हूं केवल एक कारण ही काफी है जिसका आपने यहां पर जो तर्क दिया है उसमें तथ्य नहीं है कि हम तो एमर्जिग इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल सीनेरियो एक क्षण के लिए लाए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन सी ऐसी घटनायें घट रही हैं वित्त मंत्रीजी कि जिसको लेकर आपको यह विधेयक पारित करना पड़ रहा है। आपके एमर्जिग इंडस्ट्रियल सीनेरियो में कारखाने बन्द हो रहे हैं, औद्योगिक उत्पादन घट रहा है, ऐसी विदेशी कम्पनीज को आप हिन्दुस्तान में ला रहे हैं जो कोका-कोला बना रही हैं, जो फ्रैंक-फास्ट फूड बना रही हैं, क्लोन जो सूप बना रही हैं मैगी, यह आपका एमर्जिग इंडस्ट्रियल सीनेरियो है।

4.33 म० प०

[श्री पीटर जी० मरबनियांग पीठासीन हुए]

हिन्दुस्तान मे जिन क्षेत्रों में एक जमाने में ज्यादा नाम था, जिसको 1956 की औद्योगिक नीति से लेकर जिसको पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने बनाया था, उनका नाम हम लोगों को लेने की नौबत आई है, क्योंकि आपने तो उनको छोड़ दिया है और आगे जाकर पता नहीं जार्ज बुश और जाने कौन-कौन से नेताओं के सिद्धांतों का पालन करेंगे। 1956 और उसके बाद जो औद्योगिक नीति में सुधार हुआ था उसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान में औद्योगिक विकास का ढांचा बनना था जो पिछड़े इलाके हैं जहां कुछ नहीं होता है वहां औद्योगिकता को प्रधानता देनी थी, आपने जो मुक्त व्यवस्था रखी है. जो लिबरेलाइजेशन की कल्पना की है उसके अन्दर जो पिछड़े इलाके थे, जहां उद्योग नहीं थे वहां उद्योगों को अब जाना नहीं है। अब उद्योग वहीं जायेंगे जहां पहले से पूंजी है जैसे बम्बई है, पूना है, बंगलौर है, हैदराबाद है, कानपुर है, इनके ही इर्द-गिर्द उद्योग लगेंगे। चूंकि हर क्षेत्र में आपने इस प्रकार का मुक्त व्यवहार चलाया है इसलिए वह नीति आपकी खत्म हो गई। इसलिए एमर्जिग इंडस्ट्रियल सीनेरियो कौन सा है। हम उसको आपसे सुनना चाहते हैं।

इस विधेयक के समर्थन मे जब आप बोलेंगे तो यह जवाब देना। फिर आपने कहा है कि एमर्जिग फाइनेंशियल सीनेरियो, यह और चमत्कारिक है। आपको एमर्जिग फाइनेंशियल सीनेरियो पर

जितनी बहस करनी चाहिए आप करें, मैं तो ढाई घंटे बोल चुका हूं, मैं 25 घंटे और बोल सकता हूं। कौन से पहलू पर बोलना है, बैंकिंग पहलू पर बोलना है, मनी मार्किट पहलू पर बोलना है, स्टाक एक्सचेंज के पहलू पर बोलना है, जो बोगस करेंसी आपके बैंकर्स रिसिट के नाम पर चलती है, उस पर बोलना है, किस चीज पर बोलना है ? उभरती हुई वित्तीय परिस्थिति क्या है ? क्या हिन्दुस्तान में दौलत बढ़ गई, जब आप इस आर्डिनेंस को तैयार कर रहे थे तब आपको मालूम नहीं था कि यह सारा स्टाक मार्किट का खेल है, वह खेल कितना नकली है एमरजिंग फाइनेंशल सिनेरियो का मतलब हम आपसे जानना चाहते हैं चूंकि वह नीयत को चुनौती देता है और आपका निवेदन जो वित्त मंत्री के अपने बजट से जुड़ा हुआ है।

कंट्रोल ऑफ कैपिटल इंस्टीट्यूट के कार्यालय का एबॉलिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस लम्बी बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं। नियंत्रण को रखना है या नहीं रखना है, यह जो मूल सवाल है, उस पर आप अभी यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि कंट्रोल ऑफ कैपिटल को खत्म करते हुए भी हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) का निर्माण कर रहे हैं और सेबी के माध्यम से वह सारा काम होना है जो कि सी०सी०ए० के जरिए हो रहा है। यहा पर अंतर्विरोध है और यहां भी मैं नीयत की बात लेना चाहता हूं। अंतर्विरोध यह है कि एक ओर आप कंट्रोल को हटाने जा रहे हो या तो कंट्रोल मकैनिज्म जो कि सी०सी०आई० के नाम से था, उसको सेबी के नाम पर चलाने जा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि आपकी नीयत क्या यहां पर है। कंट्रोल को हटाना है या कंट्रोलिंग एजेंसी जो थी, जो मकैनिज्म था, उसके नाम को बदलकर किसी दूसरी एजेंसी के हाथों में देना है तो वहां एक और सवाल उठता है कि पहले जो आपका नियंत्रण था जो नियंत्रण अधूरा कम था और उस नियंत्रण से काम नहीं बन पा रहा था, उसके अनेक सबूत मैं आपके सामने रख सकता हूं व एक-आध रखूंगा भी। इसमें आप नियंत्रण नहीं कर पाए तो फिर सेबी को आज आप अधिक अधिकार दे रहे हैं या कम अधिकार दे रहे हैं, जिस सेबी से आप इस कंट्रोल को कराना चाहते हैं, अगर आपका कहना है कि सेबी को अधिक अधिकार दे रहे हैं तो फिर जो फिलासफी इसके पीछे आपने रखी है, वह बोगस होगी। इसलिए नीयत का प्रश्न उठता है। सदन और देश को इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिए। आपको कौन से काम इस कानून से करने हैं, किस मकसद से करने हैं, इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में यहां रखना चाहिए।

कैपिटल कंट्रोल हिन्दुस्तान में होना जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसलिए कि हमारे यहां पूंजी कम है। कंट्रोल आफ कैपिटल इश के सामने अनेक प्रश्न विचाराधीन रहते हैं। उसमें एक यह भी है और यही है नियोजन। नियोजन क्या है ? प्लानिंग कमीशन, प्लान, फाइव इयर प्लान, इस सबके पीछे क्या दर्शन है, क्या विचार है, यही विचार है कि देश में पूंजी कम है। कम पूंजी किसके हाथ में जाए, किसके विकास के लिए जाए, किस इलाके में जाये, ये तय करने के वास्ते आपके नियंत्रण की जरूरत है। हम आपकी लिबरलाइजेशन की नीति का विरोध करते हैं। आप नौकरशाहों को हटा दीजिए, मिटा दीजिए। हिन्दुस्तान पर 2-3 चीजों को मैं महाशाप करके मानता हूं, उसमें से एक हिन्दुस्तान के नौकरशाह हैं। इन नौकरशाहों को जितना क्षीण कर सकते हो, क्षीण करो। उनके हाथों से जितने अधिक अधिकारों को हटा सकते हो, हटाने का काम करो।

1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई उसके प्रधान मंत्री थे। मैं उसमें उद्योग मंत्री था। हम नई औद्योगिक नीति लाये थे। उस नीति के अन्तर्गत नौकरशाहों के हाथों में जो अधिकार केन्द्रित थे, उसको हमने खत्म किया या कम किया था। हर चीज के लिए लोगों

को दिल्ली आना पड़ता था। हमने उसको खत्म कर दिया। जिन चीजों के लिए राज्यों की राजधानियों में जाना पड़ता था, उसे हमने खत्म किया। किसी जिले या गांव में लघु उद्योग लगाना है तो उसके लिए भी बैंक, पैसा और जो चीजें उसके लिए जरूरी होती थी, उनके लिए राजधानी में दौड़ना पड़ता था। हमने उसको खत्म कर दिया था। हमने हिन्दुस्तान के हर जिले में जिला औद्योगिक केन्द्र बनाए थे और कहा कि सारा काम वहां पर होगा। इस प्रकार का मैनीपुलेशन होता है। जहां ऊपर से सब नियन्त्रित करने की जगह पर, ऊपर के लोगों की बुद्धि बहुत विशेष है, यह जो कल्पना है, उस से हट कर लोगों के हाथ में अधिकार देना, उनको अपने भविष्य को तय करने का मौका देना हम इसको लिबरलाइजेशन मानते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में पूंजी पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहेगा, चाहे जिस मर्जी, चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे जो व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर अपना काम करेगा, यह, सभापति जी, संभव नहीं है। पूंजी, पूंजी को आकर्षित करती है, तो पूंजी आएगी महानगरीय सभ्यता के आस-पास, पूंजी जाएगी उन्हीं इलाकों में और अंग्रेजों ने इस देश का विकास अपने देश के हित के वास्ते जिन-जिन केन्द्रों में अपनी सत्ता, अपनी पूंजी केन्द्रित करके इस देश का शोषण करने का काम किया था। आप उसी अवस्था को अभी भी चलाना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को मानते हैं, इस देश में कहां कम पूंजी कहां किन क्षेत्रों में लगानी चाहिए, यह हम लोगों की बात, आजादी के संघर्ष के दिनों की बात आजादी के मिलने के पहले दिन से नई योजना की आधार की बात, आज भी हमारे लिए मतलब रखती है और उस बात को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

सभापति जी, इसके साथ ही मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। रक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। आप जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब कोंकण रेलवे के निर्माण में हमने जो पहल की थी, रेल मंत्री के नाते, उसमें आपका योगदान था। केरल के मुख्यमंत्री, श्री नयनार, का योगदान था; गोवा के मुख्यमंत्री, श्री बारबोजा, का योगदान था; और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, श्री विरेन्द्र पाटिल का योगदान था—इन चारों मुख्यमंत्रियों ने बैठकर दिल्ली के रेल मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके कोंकण रेलवे की योजना बनाई। आज इस सरकार की अजीब सी स्थिति है, अजीब सी स्थिति है इस देश के विकास के ढांचे की, कोंकण रेलवे के लिए पैसा नहीं है। कोंकण रेलवे के लिए जब बांड की बात आती है, तो कहा जाता है कि पैसा नहीं मिल रहा है। बांड्स इशू करने के बारे में वित्त मंत्रालय की हरकतें आती हैं यानि जहां हिन्दुस्तान के पश्चिम किनारे पर विकास अति आवश्यक है – कोंकण पट्टी—वहां विकास के लिए जो इस देश के भीतर की पूंजी मिलनी चाहिए, वह पूंजी नहीं आ रही है और आप यहां लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हो। किसी भी प्रकार का नियन्त्रण न रहे, चाहे जिस तरह से, चाहे जो व्यक्ति, चाहे जिस ढंग से पैसा कमाने का काम करेगा, इस प्रकार की योजना आप लेकर आते हो। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

दूसरा, जो इसके पीछे मेरा विरोध है, उसको भी मैं बताना चाहूंगा। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से यह घोटाला चला हुआ है। इस घोटाले ने एक बात सिद्ध की है कि हिन्दुस्तान में जितना मैनीपुलेशन होता है, उस क्षेत्र में जहां पूंजी का बाजार है, जहां स्टाक मार्केट है, वहां सार्वजनिक पूंजी का इस्तेमाल करके लोग अपनी औकात और अपनी हैसियत को बनाने का काम करते हैं। मैंने एक उदाहरण कल यहां घोटाले पर बात करते हुए, एक कम्पनी का नाम लिया था। आज फिर उसी कम्पनी का मैं नाम लेता हूं, लेकिन कुछ और संदर्भ में। कैसे मैनीपुलेशन होता है,

यह बात मैंने कही थी और रिलाएंस कम्पनी का नाम लिया था। आज मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं। आपके यहां एस०ई०बी०आई० और सी०सी०आई० है इसको खत्म करना कोई महत्व नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं रखता है और यह भी सिर्फ दिखाने के लिए हैं। स्टाक मार्किट को मैनीपुलेट किया गया था। स्टॉक मार्केट को इसलिए मैनीपुलेट किया गया था कि यूरो-मार्केट में रिलाएंस को जाकर अपने शेयर को बेचने का काम करना था। लगातार तीन महीने बैंकों से, बैंकर्स रिसीट के जरिए, अन्य तौर-तरीकों से पैसा उठाकर स्टाक मार्केट को मैनीपुलेट किया गया। यूको बैंक से पैसा निकाला, ओमान बैंक से पैसा निकला और किन-किन लोगों ने पैसा निकाला, यह कुछ पता नहीं। आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग का कितना पैसा उसमें चला गया, किन-किन मंत्रियों ने उस पर दस्तखत किए, यह तो खोज का विषय है। वह खोज तो हो ही जाएगी, लेकिन अनेक तौर तरीकों से पैसा निकालकर रिलाएंस का शेयर सवा सौ रुपए, डेढ़ सौ रुपए का चल रहा था।

उस शेयर को साढ़े चार सौ रु० तक उठा रखने का काम आपकी लिबरलाइज्ड व्यवस्था ने कर दिया और फिर क्या हुआ कि रिलायंस वाले यूरोप में चले गए, यूरोप में अपने शेयर बेचने गए। यूरोप में शेयर बेचा जाता है—जिसे ग्लोबल डिपोजटरी रसीद के नाम से जाना जाता है। एक ग्लोबल डिपोजटरी रसीद का मतलब दो शेयर होते हैं, दो शेयर का मतलब बीस रु०, फेस वेल्यू रिलायंस एक शेयर था 10 रु० तो दो शेयर का मतलब होता है 30 रु०, एक ग्लोबल डिपोजटरी रसीट कितने में यूरोप और अमरीका के मार्केट में इन लोगों ने बेची, 16.35 यू०एस० डालर्स यानी पांच सौ रु० में 20 का शेयर यरोप के मार्केट में पांच सौ रुपए में आपने बेचा—20 रु० इक्विटी के नाम पर जमा किया और 480 रु०, आपने रिजर्व के नाम पर, वे तो ऊपर का अपना था, तो रिजर्व नाम पर उस कंपनी में जमा किया यानी बिना ब्याज, बिना किसी प्रकार का रिटर्न, बिना किसी का डिवीडेंड 480 रु० दो शेयर के ऊपर या 10 रु० के ऊपर 240 रु० बिना ब्याज, बिना डिवीडेंड, बिना किसी प्रकार का कमिटमेंट आपकी कंपनी की तिजोरी में आ गया। अम्बानी और मोटा हो गया घूम ले-लेकर और पैसा बनाया। उसका एक सिद्धान्त है कि हर आदमी हिन्दुस्तान में खरीदा जा सकता है केवल उसका दाम तय करना चाहिए यह उसका सिद्धान्त है और उस सिद्धांत के आधार पर उसने अपना और पैसा जुटाने का काम किया लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ 10 दिनों में यूरोप के लोगों ने महसूस किया कि हम लोग बेवकूफ बनाए गए, कैसे बेवकूफ बनाए गए क्योंकि आपके स्टाक मार्केट ने उनको बेवकूफ बनाया था। मगर मेरी समझ में नहीं आता है कि उनको समझने में क्यों इतनी देरी हो गई, 10 दिनों में 16.35 डालर और ग्लोबल डिपोजटरी रसीद जो शेयर चल रहे थे उनका दाम 11.5, साढ़े ग्यारह डालर पर आ करके टपक गया, यानी पांच सौ रु० में जो विलायत के लोगों ने, अमरीका के लोगों ने दुनिया के लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीदे थे उसका दाम हो गया था 345 रु०। इसका नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं, वित्त मंत्री जी आप तो जानते हैं कि नतीजा क्या हुआ, हिन्दुस्तान के जितने पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर, जो भी कंपनियों को यूरोप मार्केट में जाकर, अपने शेयर को बेचकर देश के अंदर पूंजी लाना था उन सब के लिए विदेश के दलालों ने कहा कि आप यूरोप में अगले साल भर आने की बात को छोड़ दीजिए और आज विकास का काम रुका हुआ है। जमशेदपुर में पुणे में, बम्बई में, दिल्ली में रुका हुआ है। आज दर्जनों कंपनियों की जो पूंजी आनी थी, इस एक धोखेबाज के चलते, लोगों को गुमराह करने के काम के चलते स्टाक एक्सचेंज के मेनुप्लेशन के चलते आज हिन्दुस्तान के कम से कम 10-12 कंपनियों को यूरोप के मार्केट में सीधे जाकर उनकी पूंजी को अपने शर्त पर हिन्दुस्तान में लाने की

जो कल्पना थी वह खत्म हो गई। मुझे वित्त मंत्री जी बताएं कि इसको आप कैसे रोकने वाले हो। आपकी सरकार के पास कौन सी शक्ति है इसको रोकनी की, हर प्रकार की शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, हमको मत बोलिए हम बहुत शक्तिवान हैं, हम सरकार की खूब शक्ति को जानते हैं। दीवाला निकाली हुई कंपनियां उधर आंध्रा में एक रिजर्व बैंक के 23 करोड़ रु० लेकर निकली हैं और जिसने 23 करोड़ रु० निकाला उसको आंध्रा में पिछले दो साल से आपने मंत्री बना कर रखा है, उसके ऊपर चार सौ बीसी का केस है। प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर केस है, सी०बी० आई० का दाखिल किया हुआ जानकीराम पर केस है। आपको हिम्मत है? और आज आप यहां कह रहे हैं कि हम लोग अब लिबरलाइजेशन का रास्ता पकड़ने जा रहे हैं, हम नहीं मानते हैं। यह एक उदाहरण मैंने आपको दिया, मैं और भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूं।

उषा रेक्टीफायर, आप जानते हैं सभापति जी, किसकी कंपनी है, श्रीराम वगैरह की होगी, हम नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत नामी कंपनी है उषा रेक्टीफायर। इसका शेयर जब मार्केट में आया तो इस तरह से स्टाक मार्केट को मेनिपुलेट किया गया और दाम तय किया 10 रुपए के शेयर का 325 रु०। कंट्रोलर आफ केपीटल इशू ने जब कहा कि आपने बहुत ज्यादा दिखाया है, गिरा दो और कहां तक गिराने के लिए कहा 325 रुपए के शेयर को 50 रु० तक, सी०सी०आई० ने 50 रुपए पर लिख दिया और लोगों ने 50 रु० का शेयर खरीद लिया, क्योंकि बहुत प्रचार हो चुका था। जैसे अभी जज साहब ने बताया कि किस तरह से उनके क्षेत्र में एक न बनी हुई सीमेंट फैक्ट्री, जिसको नींव डालने के लिए जमीन भी नहीं थी, यहां बैठे हुए लोग वहां भी पहुंच गए, वही खेल यहां हुआ है और लोगों ने शेयर खरीद लिए। 15 दिन बाद उस शेयर का दाम रह गया 32 रु० और यह कंपनी इतनी बदमाश थी कि 325 रु० लूटना चाहती थी, 10 रु० का शेयर था और 10 रु० पर ही ब्याज और डिवडेंड देना पड़ता और 325 रु० कंपनी के पास आते, उसको चाहे जिस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था, स्टाक मार्केट में उससे खेलने का काम किया जा सकता था।

सभापति महोदय, सेबी के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से सीधा सवाल करता हूं कि आपने सेबी के गाइडलाइंस की यहां पर चर्चा की और अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा की, क्या यह सही नहीं है कि इन गाइडलाइंस के बारे में सरकार ने नोटीफाई नहीं किया है। हम मंत्री जी से इसका जवाब चाहेंगे। आपने अभी तक सेबी के भेजे हुए गाइडलाइंस को नोटीफाई नहीं किया है, वे गाइडलाइंस सरकार के मंत्रालयों में वित्त मंत्रालय में पड़े हुए हैं, किसी का नोटीफिकेशन जारी नहीं किया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार तो फिर आप किस आधार पर इस कानून को लाए हैं। सेबी, के पास कौन-सा अधिकार है, 'सेबी' के पास मुम्बई के बंद स्टाक मार्केट को खुलवाने का अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह मुद्दा उठाना है। आखिर, हमें इस मुद्दे के लिए दो घंटों का समय दिया गया है। अभी हमारे पास काफी समय है। हम भारत के कार्पोरेट सेक्टर पर चर्चा कर रहे हैं। इस मामले को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। यह मुझे काफी बड़ा मामला लगता है। हम काफी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हैं। कल आप कहेंगे कि आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। इससे मुद्दे के महत्व का पता चलता है।

सभापति महोदय : इसके लिए 2 घंटे की समय सीमा है।

श्री आर्कं फर्नान्डीज : हमें समय दुगुना करके चार घंटे का देना चाहिए।

सभापति महोदय : तब तो आपको सलाहकार समिति को बताना चाहिए।

श्री आर्कं फर्नान्डीज : हम समय दुगुना करके चार घंटे कर सकते हैं। हम मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं।

[हिन्दी]

अपने सेबी को कौन से अधिकार दिए हैं, मुम्बई का स्टाक मार्केट क्यों बंद है, मुम्बई का स्टाक मर्कोट खोलने का सेबी को अधिकार नहीं है, स्टाक ब्रोकर्स की मीटिंग बुलाने का सेबी को कोई अधिकार नहीं है, सेबी के पास कोई शक्ति नहीं है, कौन सी शक्ति आपने दी है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सेबी के लिए जो गाइड लाइंस तय करके भेजी हैं, जिसकी चर्चा यहां पर माननीय सदस्यों ने की है, जिनके बारे में अखबारों में छपवाया गया है—

[अनुवाद]

यह 'सेबी' के लिए दिशानिर्देश है। यह 'सेबी' द्वारा रखे गए प्रस्ताव हैं। मेरे विचार से सरकार ने अभी तक उसकी सूचना जारी नहीं की है। यदि मेरा विचार ठीक है तो सरकार को तब सदन तथा देश को धोखा देने का अधिकार नहीं है। अन्यथा मंत्री जी को अभी इसी समय कह देना चाहिए कि मैं ठीक नहीं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

अब सभापति जी, मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होगा, कैसे यह बिल पास होगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : आप सब बात बोल लीजिए, फिर एक ही साथ जवाब दूंगा।

श्री आर्कं फर्नान्डीज : यह भी ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर्ड रीडिंग में बोलते वक्त हम और सफाई मागेंगे। सभापति जी यह जो लिबरलाइजेशन का खेल है, कारपोरेट सेक्टर में जो लिबरलाइजेशन की बात होती है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबल इकानमी, ये सारे इनके शब्द हैं।

मैं इस पर लम्बा चौड़ा बजट भाषण या लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक इशारा, हिन्दुस्तान का जो इनवेस्टर है, जो शेयर मार्किट में पैसा डालना चाहता है उसको देना चाहता हूं कि एक बार फंस चुके हो, स्टाक मार्किट सट्टे का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है। यह बात बार-बार जानी चाहिए, लेकिन यह बात सरकार नहीं बता रही है।

[अनुवाद]

सट्टा निवेश से भिन्न है।

[हिन्दी]

सट्टा खेलने का मतलब ऊपर की मलाई निकालना, टैक्स चोरी करना, कहां-कहां किन-किन को पैसा देना है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हैं।

[अनुवाद]

निवेश प्राथमिक क्षेत्र में होता है।

[हिन्दी]

सैकेण्डरी मार्किट होनी है, मुझे मंजूर है, लेकिन सैकेण्डरी मार्किट में अगर सट्टे का खेल शुरू हो जाता है तो उसमें लाखों लोगों का हजारों, करोड़ों नहीं, बीसियों हजार, तीसियों हजार करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। जो पिछले दो-तीन महीनों में हो चुका है। एक तो मैं यह इशारा देना चाहता हूं।

दूसरा, मैं वित्त मंत्री जी को इशारे के तौर पर कहना चाहता हूं, चूंकि इन्होंने कहा है कि एक-एक प्रश्न का जवाब बाद में देंगे। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब ये कम्पनियां बैंकरप्सी म जायेंगी क्योंकि आपका नियन्त्रण नहीं के बराबर हो जाएगा ? अब जिनके इक्विटीं कम्पनियों में जाते हैं, उनके इक्विटी का क्या होगा ? यह प्रश्न इसलिए महत्व रखता है कि जो ग्लोबेलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस ग्लोबेलाइजेशन मे बैंकरप्सी, जापान और अमेरिका में विशेषकर यह माना जाता है कि जिसने पूंजी उठायी उसको अधिकार है बैंककरप्ट होने का। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, गम्भीरता से कह रहा हूं। यह वहां का मोटा कानून है कि जिसने पूंजी उठायी उसको अधिकार है चाहे पूंजी को जिस ढंग से खर्च करे। अदालत के जज साहब यहां बैठे, हैं वे इसके बारे में गवाही देंगे। हिन्दुस्तान में क्या स्थिति है ?एक कम्पनी थी जिसका नाम था, मारुति वह नहीं जो अभी है, अभी सरकारी कम्पनी है, उसने 8 करोड़ रुपए के इक्विटी उठाए, लगभग 7 करोड़ के डिपाजिट उठाए यह कह कर तुम्हें लाइसेंस देंगे. तुम्हें डीलरशिप देंगे, मेरा फिगर गलत हो सकता है, आठ की जगह दो हो सकता है, सात की जगह नौ हो सकता है, यह गलती हो सकती है, लेकिन अनेकों करोड़ रुपया उठा दिया गया, इक्विटी और डिपाजिट के आधार पर उठाया गया। गाड़ी बननी रहीं थी, गाड़ी बनने का प्रश्न ही नहीं था, यह सब खेल था। कंसल्टेंसी का पैसा अपने घर में चला गया, टैक्नीकल सर्विसिज का इंश्योरेंस का पैसा गया, अनेकों चीजों का पैसा। अनेक जगहों पर गया, घराना और बड़ा हो गया, सम्पन्न हो गया, जितने लोगों ने पूंजी डाली थी उनकी जिन्दगी बरबाद हो गयी। जितने लोगों ने स्टाकिस्ट के नाम पर दो लाख, तीन लाख या पांच लाख डिलेविंग आन द एरिया, डिपाजिट किया था उनका पैसा बरबाद हो गया।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अहमदाबाद में 5 लाख रुपया एक व्यापारी ने दिया, उसको कुछ नहीं दिया। उसने अपने बंगले का नाम मारुति रखा। अब वह रो रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह से मारुति तो क्लासिक केस है, क्योंकि प्राईम मिनिस्टरी के घर से मारुति बननी थी, अगर प्राईम मिनिस्टर के घर से बनी हुई मारुति हिन्दुस्तान के स्टाकिस्ट, जो मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के हैं, की जिन्दगी को बरबाद करके चली गयी तो मुझे बताइए आपका सी०सी० आई० रहते हुए और कम्पनी तत्कालीन प्रधान मंत्री के घर से चलते हुए अगर यह हो गया तो फिर आज जो लोगों को आप बता रहे हो कि स्टाक मार्किट में आए, उन लोगों का क्या होगा जब कम्पनियों का दिवाला निकलेगा।

5.00 म० प०

क्योंकि दिवाला निकलना है और जिस वर्ल्ड इकोनोमी के साथ आप अपने आपको जोड़ना

चाहते हैं तो मैं आपको अमेरिका का एक उदाहरण देता हूं। पिछले साल अमेरिका में जो तीन सबसे बड़ी बैंकरप्सी हो गई,

[अनुवाद]

पिछले वर्ष अमेरिका में दिवालियेपन के तीन बड़े मामलों में एक लाख 20 हजार करोड़ रुपए डूब गए। अगर आप अमेरिका में दिवालियेपन की सभी घटनाओं में डूबी धनराशि को जोड़ें, जोकि लोगों ने इक्विटी शेयर खरीदकर अथवा अन्य किसी तरीके से इन कंपनियों में लगाई तो तो वह 4 लाख करोड़ रुपए होगा।

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि जब आप अपने आपको ग्लोबल मार्किट के साथ जोड़ रहे हो तो फिर बैंकरप्सी के साथ भी जोड़ोगे। उनके साथ आपके रिश्ते बने है अनेक किस्म के और विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में जिसको लेकर तथाकथित लिबरेलाइजेशन का आपका खेल चल रहा है। इस बैंकरप्सी से बचाने के लिए हमारे शेयर होल्डर्स को जिनसे आज आप अपेक्षा करते हो कि वह स्टाक मार्किट में आ जाए तो आपका कौन सा उपाय है और इसके लिए कौन से नियम बनाए हैं। अभी जो खेल हो गया और तीस-चालीस करोड़ रुपया लोगों का डूब गया और जिनका घर जल गया और खत्म हो गया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे तमाम प्रश्नों का जवाब दें। मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं कि पूरा सदन इसका विरोध करेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमने इस विषय पर चर्चा हेतु 2½ घंटे से अधिक समय लिया है। दो वक्ता और भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण पांच मिनट तक सीमित रखें।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, मैं पूंजी निर्गमन निरसन विधेयक, 1992 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसे पूंजी निर्गमन निरसन अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। बहुत से वक्ताओं ने पहले ही सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि यह सरकार मामलों को संसद में लाने के बजाय अध्यादेश पारित करती रही है। महोदय, मैं इस प्रथा का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जब तक कि आपातकाल की स्थिति उत्पन्न न हो तब तक भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पूर्व वक्ता माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने सरकार से प्रश्न किया है कि ऐसी कौन सी वित्तीय अथवा औद्योगिक स्थिति हो गई थी जिससे सरकार को अध्यादेश जारी करने के लिए मजबूर किया। मैं वही प्रश्न उठाता हूं और मंत्री महोदय, से जवाब की उम्मीद करता हूं।

दूसरे यह विधेयक औद्योगिक नीति के पश्चात आया है जिसने पूंजी निर्गमों की कीमतों पर नियंत्रण तथा साथ ही उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण को कम किया। अगर ये सब बातें इस रूप में अपनाई जाती है तो मुझे डर है कि ये बातें हमारी अर्थव्यवस्था की स्वतन्त्रता के लिए एक खतरा सिद्ध होंगी। कांग्रेस (इ) के हमारे साथी सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले सदस्य इसे वास्तव में कोई खतरा नहीं मानते। लेकिन महोदय, इसमें भी एक कहानी है। यह वित्तीय प्रणाली की दिशा दिखाता है। यह हमारे लिए यह आवश्यक कर देती है कि हम वित्तीय और औद्योगिक व्यवस्था को राष्ट्र के हितों के लिए चलायें।

गरीबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी डालर मूल्य निर्यात में गिरावट तथा प्रतिभूति घोटालों के रूप में आया हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। हमारे साथी विदेशी राष्ट्रों

और निजी ऋणों के भरोसे शांत बैठे हुए हैं। आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए स्थिरीकरण कार्यक्रम और अर्थव्यवस्था को पुनः संगठित करने के नाम पर सरकार उदारीकरण की नीति लाई है। इस महान सभा में हमने पहले भी औद्योगिक नीति तथा सरकार की कार्यप्रणाली का विरोध किया है। महोदय मैं वही आरोप लगाऊंगा महोदय एक तरीके से हम पूंजी बाजार को नियंत्रित कर सकते थे। हमारे देश में पूंजी की कमी होने के कारण, पूंजी बाजार को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है।

मुझे याद है कि वर्ष 194 में भी जबकि टाटा और बिरला ने मुम्बई योजना और औद्योगिक नीति घोषित की थी तब उन्होंने राष्ट्रीय हित में अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण का समर्थन किया था। सन् 1946 में जबकि यह अध्यादेश जारी किया गया था तथा 1947 में भी जब यह अधिनियम पारित किया गया था तब भी उन्होंने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण का समर्थन किया था ताकि स्वतन्त्रता के नाम पर आम निवेशकों के हितों को नुकसान न पहुंचे। निवेशकों के हितों की सुरक्षा की जानी चाहिये। हमारी अर्थव्यवस्था के हितों की सुरक्षा की जानी है। और, वर्तमान वित्तीय प्रणाली के हित में उसमें कुछ संतुलन तथा कुछ नियंत्रण होना चाहिए। अगर हमें प्रतिभूति घोटाले से कुछ सबक लेना है तो वह यह है कि कोई विनिमय आवश्यक है। सेबी ऐसा प्रभावी तंत्र नहीं है जिसके द्वारा हमें ऐसा होने की उम्मीद हो।

महोदय, हम बी० आई० एफ० आर० जैसे स्वायत्त शासी संगठन की दशा जानते हैं। हमारे पास बीमार बी० आई० एफ० आर० था और अब हमें बीमार सेबी मिल गई है क्योंकि शेयर बाजार को मात्र उनके मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए नहीं कह सकते ? इन मार्गनिर्देशों से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सेबी द्वारा बाजार नियंत्रित हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं और पुनः सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें कि किस प्रकार निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखा जाये; किस प्रकार पूंजी बाजार को नियंत्रित रखा जाए किस प्रकार पूंजी का मूल्य निर्धारित किया जाये। छोटे निवेशकों को शेयर दलालों की मर्जी पर अथवा उन शेयर दलालों, जिनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो केपिटल इश्यूज (कंट्रोल) रिपील बिल रखा है, वह एक आर्डिनेंस केपिटल इश्यूज (कंट्रोल) रिपील आर्डिनेंस 1992 की जगह पर यहां पेश किया है। जब आप यह आर्डिनेंस लाये थे उसके कुछ दिन बाद ही हमारा सदन शुरू होने वाला था। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपको इस आर्डिनेंस को लाना पड़ा। यह बिल नई औद्योगिक नीति का एक हिस्सा है और यहां बिल लाकर खुले बाजार की व्यवस्था की है। हम जब कल प्रतिभूति घोटाले पर बहस कर रहे थे तो ये बातें भी कल आई थीं। उसमें पूंजी निवेशकों ने जिन्होंने इसमें पूंजी लगाई और फंस गए और बैंकों में पैसा जमा कराया वे अब बैंकों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनका विश्वास बैंकों से उठ गया है। इस बिल से आशंका पैदा हो सकती है कि पूंजी निवेशकों की रक्षा करेंगे या नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं हम नई नीति चलाकर आर्थिक सुधार के लिए

यह काम कर रहे हैं। जो आप सुधार कर रहे हैं उससे कुछ भी नतीजे सामने नहीं आए। न मूल्य वृद्धि काबू में आई है और न ही हम निर्यात को बढ़ा पाए हैं।

जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध करते हुए कई चीजों को यहां पर रखा है मैं भी इसका विरोध करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसको पुनः विचार करके लायें और सभी माननीय सदस्यों से मेरा कहना है कि वे इसका विरोध करें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : माननीय सभापति जी, आज के प्रस्तावित बिल के सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्री नीतीश कुमार, श्री श्रवण पटेल, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री सुधीर गिरि, श्री लोकनाथ चौधरी, श्री बी० डी० रमैया, श्री पाणिग्रही, न्यायमूर्ति लोढा जी, श्री जार्ज फर्नांडीज, श्री शुशांत चक्रवर्ती और श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह। मैंने नाम इसलिए लिए हैं कि अलग-अलग नाम का उल्लेख करके उत्तर न देते हुए मैं इन माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब इकट्ठा दूंगा। जिन सदस्यों ने आशंका प्रकट की है, कुछ सदस्यों ने सुझाव दिए हैं और कुछ ने विरोध किया है उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस प्रकार इस बिल पर अच्छी व्यापक चर्चा हुई है। हमारे बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज ने इस बिल की बहस के दौरान इसकी व्यापकता को बढ़ाया है। स्वाभाविक है उनका अपना अनुभव है और उस अनुभव तथा जानकारी के आधार पर उन्होंने ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिनका प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका हमारी नीति और नई व्यवस्था से सम्बन्ध है। उन्होंने अपने अनुभव से जो इसमें त्रुटियां हैं और इस बिल के पास होने पर उसका निवारण करने पर जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मैं संक्षेप में देने की कोशिश करूंगा। कुछ बातें ऐसी थीं जिनका उल्लेख आपने कल ढाई घंटे के भाषण के दौरान किया था और जिनका उत्तर कल रात को वित्त मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। मैं समझता हूं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उन बिन्दुओं का जिनका प्रत्यक्ष संबंध इस बिल से है मैं उन पर जवाब देने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी ने जो दो बातें कहीं तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि यह आर्डिनेंस क्यों लाया गया और क्यों नहीं सामान्य तौर से यह बिल संसद में लाया जाता। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् जब यह आवश्यक समझा गया तो उस समय चूंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, इसलिए यह आर्डिनेंस के रूप में बिल लाया गया और यह आर्डिनेंस 29 मई, 1992 को लाया गया।

सभापति महोदय, इसमें दूसरी बात यह कही गयी और कई सदस्यों ने अपना विचार प्रकट किया जोकि वाजिब है और वास्तव में हम एक तरफ मौजूदा कानून को समाप्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ऐसा कहते हैं कि जैसाकि हमने वक्तव्य में कहा कि जो एस० ई० बी० आई० ने गाईडलाइन्स बनाई हैं, उनके जरिए क्या जो प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले छोटे लोग हैं, उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है? उनको उचित रूप से सहयोग या जैसा आपने प्रोटेक्शन वर्ड यूज किया है वह बरकरार रहेगा? इस बात पर कुछ लोगों ने चर्चा की है और संदेह भी प्रकट किया है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पुराने कानून का सवाल है जो सन् 1947 में लाया गया था, उसमें सन् 1989 में परिवर्तन किया गया था और एक करोड़ तक की छूट दी गई थी, उतने रुपए तक की प्रतिभूतियां भी कोई भी कम्पनी निकाल सकती है, उसपर प्रतिबंध उठाया गया था, ढील दी गई थी।

सभापति महोदय, अभी हमारे वित्त मंत्री ने 24 जुलाई, 1991 को जो नयी आर्थिक नीति की घोषणा की थी, उसको मद्देनजर रखते हुए बाद में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वे नई आर्थिक नीति की तो प्रशंसा करते हैं लेकिन उन्हें संदेह है कि जो छूट का प्रावधान कानून के अन्तर्गत था, एस०ई०बी०आई० में उसकी पूर्ति होगी या नहीं ? पहली बात तो यह है कि जो परिस्थितियां आईं जिसकी वजह से यह परिवर्तन लाया गया, वह उसी शृंखला की कड़ी है जो कानून या नीति लाइसेंस के लिए अपनायी गयी। जो हमारे यहां कोटा परमिट की पद्धति थी, उसको छोड़ा जाए। देश की जो स्थिति है, यह इतनी व्यापक हो चुकी है कि जो कानून या रेगूलेशन पहले बनाए गए थे, जो किसी वक्त अत्यन्त आवश्यक थे और जिसका उल्लेख श्री जार्ज फर्नान्डीज ने किया कि 1956 के कानून में कमी थी। इण्डस्ट्रियल रिजोल्यूशन 1948 का है, उसके बाद 1956 में हुआ और बाद में विभिन्न सरकारों के समय क्रमशः कई बार परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन उस समय भी हुआ जब श्री फर्नाण्डीज उद्योग मंत्री थे और बाद में भी हुआ है। यह एक व्यापक बात है जिसकी चर्चा आपने कर दी है। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि पहली योजना से लेकर आज तक की योजना में जो नीतिगत बातें थीं, प्रगति की बात अलग थी, उसमें हमें यह लगता था कि हमारी जो आर्थिक अवस्था होगी वह हमारी योजना के अन्तर्गत होगी और मिश्रित अर्थ-व्यवस्था होगी। हमारे जो मूलभूत नियम हैं जिनके बारे में कई सदस्यों ने कहा कि नेहरू जी के जमाने से है, वह आज भी बरकरार हैं। उसमें मूलभूत कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो देश का आर्थिक विकास हुआ है, जैसे सदस्य अभी स्टॉक ऐक्सचेंज की बात करते हैं तो कार्पोरेट सेक्टर में जो व्यापकता आई है उसको ध्यान में रखते हुए हमें यदि इस व्यवस्था को ठीक चलाना है तो सभी चीजों को केन्द्रित करने से यह नहीं होगा। इसमें छूट के अतिरिक्त, प्रतिबंध को हटाने के अतिरिक्त विकेन्द्रीकरण की भी दिशा इस में सम्मिलित है और इस दिशा में जो एक प्रकार का केन्द्रीय विकार था पुराने कानून के अंतर्गत उसको निकाल दिया गया क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे छोटे निवेश करने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक समझा गया कि हमारा "सेबी" का कानूनी इसी सदन ने पास किया जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था है कि इसमें छोटे निवेश करने वाले या सामान्य निवेश करने वाले लोगों के हितों की रक्षा की जाए और इसलिए उनके हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। "सेबी" ने 11 जून, 1991 को जो मार्गदर्शिका बनाई है, उसके अन्तर्गत काफी व्यापकता के साथ विधिवत सारी बातों का उल्लेख है कि किन परिस्थितियों में कौन सी कंपनी अपने शेयर को निकाल सकती है और उसके लिए कई सदस्यों ने उल्लेख भी किया है जिसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य भी जानते हैं कि वह व्यापक है। माननीय जार्ज फर्नान्डीज जी ने भी इसका उल्लेख किया कि वास्तव में ये जो गाइडलाइन्स बनाई गई हैं सरकार ने उनको मान्यता नहीं दी। इसमें कुछ भेद की बात है। जो सरकार के विचाराधीन हैं वह रेगुलेशंस हैं जिन पर कानून मंत्रालय भी विचार कर रहा है और ये जो गाइडलाइन्स बनाई गई हैं सेक्शन 11 के अंतर्गत, सामान्य रूप से यह अधिकार "सेबी" ऐक्ट में स्वयं "सेबी" को दिया हुआ है। उन्होंने अपने अधिकार के अन्तर्गत इन गाइडलाइन्स को बनाया है और वह "सेबी" के द्वारा नोटिफाइड किया गया है। उसमें सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, जो उनकी रेगुलेशंस हैं, वह विचाराधीन हैं और मंजूर होने पर रेगुलेशंस बनाई जाएंगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अगर आपकी लॉ मिनिस्ट्री जहां रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन होना जरूरी है, उसको नोटिफाइ नहीं करती है तो इन गाइडलाइन्स की क्या कीमत है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : यह चीज अलग है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मंत्री जी, मैं समझता हूं कि ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन इस वक्त "सेबी" किसी प्रकार का काम करने की स्थिति में नहीं है चूंकि उसके अधिकारों के लिए आपकी तरफ से रेगुलेशंस पर जो स्वीकृति मिलनी चाहिए थी मगर पिछले साल भर से या छह महीने से मिनिस्ट्री नहीं दे रही है चूंकि उसको लगता है कि उसके अधिकार जा रहे हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। मैं बहुत साफ कर रहा हूं कि ये रेगुलेशंस नहीं हैं। मैं जो कह रहा हूं, हमारी समझ में कुछ फर्क हो सकता है लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो प्रश्न है वह रेगुलेशन का है जोकि कानून मंत्रालय को दिया गया है। "सेबी" की ये गाइडलाइन्स नहीं हैं जिसकी चर्चा हमने और दूसरे माननीय सदस्यों ने की है। यह सेक्शन 11ए में जो अधिकार "सेबी" को दिया है कि छोटे और सामान्य निवेशकर्ता हैं उनके हितों की रक्षा के लिए गाइडलाइन बनाई हैं। यह सर्वमान्य हैं। "सेबी" के रेगुलेशन की मान्यता पर, कानून के अन्तर्गत सदन के कानून पास किया है, उसके अधिकार के अन्तर्गत इसको बनाया गया है। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा की बात नहीं है। यही मैं निवेदन कर रहा हूं। इसके बाद जो हमारी बात कही गई। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बीच में न टोकें। माननीय मंत्री पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अब मैं श्री श्रवण कुमार पटेल द्वारा छोटे निवेशकों के संबंध में उठाए गए अन्य मुद्दों पर आता हूं।

[हिन्दी]

उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम ऐन्श्योर करें, हम व्यवस्था करें कि जो छोटे निवेशकर्ता हैं, उनको कोई कठिनाई न हो और सेबी को जो अधिकार दिए गए हैं, उनका दुरुपयोग न होने पाए। उनका बहुत वाजिब सुझाव है क्योंकि कानून के रहते हुए भी, चाहे वे कन्ट्रोलर आफ केपिटल ईश्यूज के पास हों, उसके नियम बने हुए हैं और गाइड-लाइन्स बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी यदि उनका पालन न किया जाए तो उससे कठिनाई उपस्थिति हो सकती है। इस सम्बन्ध में, माननीय सदस्य का यह सुझाव बहुत ही उपयुक्त है कि सेबी को इस मामले में पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार से इन कानूनों के प्रावधानों को लागू करने में कोई कमी न रहे और उनका ठीक से पालन किया जाए।

उसके बाद माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव ने एक प्रश्न यह उठाया था, उन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें सख्ती से निपटा जाए और दोषी व्यक्ति को सजा दी जाए परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सेबी के कानून में। मैं खाली उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धारा 24 के अंतर्गत पहले से ही एक प्रावधान किया हुआ है—

[अनुवाद]

"कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों या इसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम या विनमय का उल्लंघन करता है, ऐसा करने का प्रयत्न करता है अथवा उल्लंघन करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, तो उसे जुर्माने के साथ कारागार की सजा, जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकती है, दी जाएगी।"

[हिन्दी]

इसलिए उसका पालन होना आवश्यक है, लेकिन प्रावधान है, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढ़ा : क्षमा करें मार्गनिर्देश का अतिल्लंघन कोई अपराध नहीं है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : नहीं। उन्होंने यही कहा है। आप धारा 11(1) देखिए। यह अनिवार्य है। उनको उसका पालन करना ही होगा।

[हिन्दी]

आप तो स्वयं न्यायाधीश रहे हैं। ···(**व्यवधान**)···

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : जब एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश आपसे कह रहे हैं तो उनका सुझाव वाजिब है। कितने ही जजमेंट इन्होंने दिए होंगे, उसी आधार पर ये कह रहे हैं। ठीक से पढ़ने की जरूरत है। हाउस में बोल रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं भी कानून का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने भी 30 साल तक प्रैक्टिस की है इसलिए आप मुझे यह बात मत कहिए, हम उसे समझते हैं। (**व्यवधान**)

श्री गुमान मल लोढ़ा : आपने अभी सैक्शन 24 को यहां पढ़ कर सुनाया। (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं यहां भार्गव जी के सुझाव का जवाब दे रहा हूं। हमारी दृष्टि से इस सम्बन्ध में अच्छी तरह कानूनों में प्रावधान है इसलिए चिन्ता की कोई बात नहीं है और उसमें कोई दिक्कत यदि होगी तो हम जस्टिस साहब की राय लेकर उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन हमारे ख्याल से द्विविधा की कोई बात नहीं है।

इसके बाद श्री गिरि ने भी अपने कुछ सुझाव दिए। कुछ सुझाव जार्ज फर्नान्डीज जी ने कहे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, उनका अलग दृष्टिकोण हो सकता है कि जो नई नीतियां आई हैं, उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपकी दृष्टि में, और वास्तविकता की बात भी है कि उत्पादन में जितनी वृद्धि होनी चाहिए औद्योगिक उत्पादन में वह वृद्धि नहीं हुई है, इसे हम कबूल कर सकते हैं···(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, वह घट गया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : उत्पादन घट गया है लेकिन उसकी शुरूआत भी थोड़ी देखनी पड़ेगी क्योंकि जिस समय हमारी सरकार सत्ता में आयी थी उस समय जो स्थिति थी उसे भी आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि एकाएक घट गया है उत्पादन बाद में, और उस समय तक बहुत अच्छी स्थिति थी।

आप जानते हैं कि स्थिति नाजुक थी। करीब-करीब मार्च 1991 में इम्पोर्ट बन्द कर दिया गया था। हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति 2300 करोड़ पर पहुंच गई थी, आपको यह भी जानकारी है। यह भी जानकारी है कि हमको 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा और उसको छः महीने में वापिस कर लिया। अभी आपको खुशी होगी कि हमने नई नीति जो सोने की बनाई है उसके अंतर्गत तीन महीने में 35 टन का लक्ष्य रखा था पूरे साल में और हमारे पास 30 टन से ज्यादा आ चुका है।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अधिकतम तस्कर लोग ला रहे हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : यह आपकी व्याख्या हो सकती है। हमारे यहां एन०आर० आईज आते हैं जिनके पास प्रमाण पत्र होता है कि वे छः महीने से अधिक विदेश में रहे हैं। ··(व्यवधान) हमने माना कि सोने पर हमको 75 करोड़ रुपये मार्च 93 तक आएगा। आपको प्रसन्नता होगी कि जुलाई के आखिर तक हमको 70 करोड़ रुपया उसमें प्राप्त हो चुका है जबकि हमने दर घटा दी है, 450 से 220 कर दी है।

बाकी चीजों में भी आप सभी जानते हैं। आज हमारे पास 17 हजार से अधिक विदेशी मुद्रा है। उसमें दोनों तरह की है—कुछ बाहर से आई है जो ऋण के रूप में है और दूसरी भी है जो स्वाभाविक रूप से आई है। 6500 करोड़ तो केवल इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड्स का रैमीटेंस स्कीम का है जो स्थायी तौर पर आया हुआ है। ··(व्यवधान) हम ऐसा नहीं मानते कि पूर्णरूप से सफल हो गए, आंशिक शुरूआत हुई है और अच्छी शुरूआत है। आर्थिक व्यवस्था और औद्योगिक विकास के सुधार मे समय लगता है। खासतौर से जो हमारा विदेशी व्यापार होना चाहिए, जिसमें एक्सपोर्ट का सवाल है, वह अधिक बढ़ना चाहिए। इसकी तरफ सरकार प्रयत्नशील है और उसे बढ़ना जरूरी है।

गाइडलाइन के बारे में मैंने निवेदन कर दिया है। सिक्युरिटीज स्कैम की बात आप लाए हैं। स्कैम की बात आप भी व्यापक रूप से कह चुके हैं और इसका जवाब भी वित्त मंत्री दे चुके हैं। (व्यवधान) आपने कुछ कंपनियों का उल्लेख किया और मैं समझता हूं उसमें आपने पिछली बार भी अपने भाषण में उल्लेख किया था। एक-दो कंपनियों का नाम लिया। कुछ और कंपनियां थीं जिसका नाम आपने नहीं लिया। विदेश में हमारी जो कंपनियों का शेयर बिकेगा वह बहुत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियों में अभी थोड़ा-सा सुधार हुआ है और सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। संभवतः भविष्य में केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं ··(व्यवधान)

श्री आर्ज फर्नान्डीज : आपने कहा कि अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैंने एक ठोस कंपनी का नाम लिया कि कैसे उन्होंने 500 रुपए में शेयर बेचने के लिए यहां उनके दाम को मैनीपुलेट किया और कैसे उसका दाम गिर गया और उससे देश को नुकसान हो गया। हम साल भर के लिए विदेशी मार्केट में जाने की स्थिति में नहीं थे। वे कौन-सी परिस्थितियां हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : 500 के शेयर 300 में हो गये। आपके हिसाब से 10-15 दिन में हो गये। आप सभी जानते हैं कि शेयर मार्किट सुबह कुछ होती है, दोपहर में कुछ होती है और शाम को कुछ होती है। परिस्थितियां ऐसी थीं कि पहले 500 उसके भाव थे। 10-15 दिन के बाद परिस्थितियां बदल गई और वह 300 400 पर आ गये। परमिशन रिजर्व बैंक ने केवल एक ही कंपनी को नहीं दिया था बल्कि कई दूसरी कंपनियों को दिया था जिसमें रिलायंस, ग्रेसम वगैरह कई कंपनियां थीं।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : आप मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं। आपने स्टाक मार्किट को यहां मैन्यूप्लेट किया ··(व्यवधान)···अगर विदेश की मार्किट में रिलायंस के शेयर गिर गए तो उसकी वजह यह थी कि उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

भारत में शेयरों के भाव गिर गए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : नहीं, नहीं। सच्चाई नहीं है। मैं इसका पूर्णत: खंडन करती हूं। ऐसा सरकार ने नहीं किया था। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव आता ही रहता है। उसमें सरकार के शामिल होने का प्रश्न ही नहीं है। शेयर बाजार पर अन्य कारक भी प्रभाव डालते हैं। एक घोटाला हुआ है। वह एक अलग चीज है। इसकी चर्चा अलग की जानी चाहिए और अलग उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक शेयर मूल्यों का संबंध है वे अनेक बातों पर निर्भर करते हैं·· (व्यवधान) आज जो है, दस दिन के बाद ये कुछ अलग होंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने सुना है कि विदेशी दलालों ने टिस्को सहित अन्य भारतीय उद्योगपतियों को कहा है कि वे अगले 10-12 महीनों तक यूरोप में न आएं। क्या यह सही नहीं है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सभापति महोदय, यह जानकारी सदस्य महोदय के पास हो सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, वह मेरे प्रश्न का उत्तर देने में टाल-मटोल कर रहे हैं। सारा संसार इसके बारे मे जानता है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैंने उन सभी बातों को शामिल करने का प्रयास किया है जो उठाई गई है। अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई हों तो जहां तक संभव होगा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के लिए उनका आभारी हूं उन पर सरकार भली-भांति विचार करेगी तथा सरकारी नीतियों पर मार्गनिर्देश लागू करते समय उसको ध्यान में रखा जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सांविधिक संकल्प को वापिस ले लें।

सभापति महोदय : नीतिश कुमार जो माननीय मंत्री महोदय से इतना अच्छा जवाब मिलने के पश्चात् मुझे उम्मीद है कि अब इसे वापिस ले लेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होने मेरे इस स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन की बहस में भाग लिया। हालांकि अधिकार मेरा था धन्यवाद देने का, लेकिन मेरे इस अधिकार को मंत्री जी ने छीन लिया और धन्यवाद सब लोगों को दे दिया।

हमने जो सवाल इस रेजोल्यूशन में उठाये थे, जिस आधार पर हमने इस संकल्प को रखा, आर्डिनेंस को डिसएप्रूव करने का प्रस्ताव रखा, इसमें जिन माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये थे और खास करके माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो सवाल उठाये, उनका एक भी जवाब मंत्री जी नहीं दे सके। उन्होंने इवेसिव रिप्लाई दिया···(व्यवधान)···विद्वान वकील, भूतपूर्व चार्टर्ड एकाउंटेंट और वर्तमान राज्य मंत्री जी ने अभी जो कहा, उसको ध्यान से सुना। सेबी की इन्होंने चर्चा की और कहा कि सी०सा०आई० की जगह सेबी इन कामों को देखेगा। सेबी को कोई अधिकार अब तक नहीं मिला, मतलब यह है कि सेबी को कोई दांत नहीं मिला। उनके सामने भट्टी वाला और भुना हुआ खाना रख दिया, वह कैसे खायेगा, मतलब उसके सामने धोखा करने वाली एक से बढ़कर एक कंपनियां है, जो छोटे निवेशकों को धोखा देगी, जो भाग जायेंगी, दिवाला निकल जाएगा। जो

छोटे निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई की पूंजी लगाते हैं उनकी पूंजी डूब जायेगी और इनको देखने वाला कोई नहीं है। कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। हमने जो बिन्दू उठाया था, उसका जवाब नहीं दिया है। इसलिए हम यह उचित समझते हैं और सरकार से आग्रह करेंगे कि अभी भी समय है इनके पास, जिद् पर नहीं अड़े रहें, क्योंकि इस देश की भलाई का सवाल है और जिस ग्लोबल इकोनोमी के साथ अपने आपको जोड़ने की बात कह रहे हैं और जो मुक्त अर्थ नीति अपनाना चाहते हैं, मार्केट इकोनोमी और लिबरलाइजेशन की बात कह रहे हैं, इन सब से देश को धोखा मिल रहा है। इनके तमाम लिबरलाइजेशन का नतीजा यह हुआ है, आज जो कुछ हुआ है, चार हजार करोड़ रुपए से लेकर दस हजार करोड़ रुपए, जो पब्लिक मनी था, उसको लोगों ने लूट लिया गया और आप कुछ नहीं कर पाए। यह स्थिति है, तो आपके लिबरलाइजेशन का क्या असर होने वाला है। हरिम पाठक जी सदन में नहीं हैं, जार्ज फर्नान्डीज साहब ने माडर्ति का हवाला दिया है और उसमें जो पूंजी लगी है, लोग मर गए, कोई पागल हो जाता है, उनकी रक्षा करने का इनके पास कोई इंतजाम और उपाय नहीं है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि वे जिद् पर अड़े न रहें, आर्डिनेंस को लैप्स होने दें और सोच विचार करके इसके बारे में निर्णय लें। हम लोगों का इरादा कहीं से भी अफसरशाही को बढ़ावा देने का नहीं है। मैंने अपने भाषण में कहा था, जो रैड-टैपिज्म है, लालफीताशाही है, उसको दूर करने के लिए जो कंपनियों को जैन्युइन तकलीफ हैं, उसमें अनावश्यक विलम्ब न हों और वे जो एप्लाई करते हैं, उसका निष्पादन जल्दी हो, उसमें देरी न लगे। इसको खुला रखने के लिए कम-कम से अफसरशाही का असर हो, इस आशय का संशोधन कैपिटल इश्यूज कन्ट्रोल एक्ट में लायें, लेकिन इसको बिल्कुल निरस्त न किया जाए रिपील न किया जाए, नहीं तो इस देश में अनर्थ होगा। उसके रहते लोगों की रक्षा नहीं हो पाई और जब यह कन्ट्रोल नहीं रहेगा, तो इस देश में जो छोटी पूंजी लगाने वाले लोग हैं, उनके साथ अनर्थ होगा। अन्ततोगत्वा स्थिति ऐसी आएगी कि नई कंपनियां नहीं खुल सकेंगी। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, विज्ञापन के सहारे, रोज हम लोग टी०वी० पर, रेडियो पर और अखबारों में देखते हैं और अब तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सी०एन०एन०, इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से जो उनके सामने आता है, उस पर विश्वास हो जाता है। विज्ञापन का असर पड़ता है, मनुष्य के मानस पर। अगर फ्रॉड कंपनी कोई लांच करे और उसके बारे में दिवास्वप्न दिखाए हरियाली दिखाए, तो कई लोग गुमराह होकर उसमें फंस जाते हैं। ऐसी लोगों को प्रोटैक्ट करना, उनकी रक्षा करने का कोई प्रबन्ध इसमें नहीं किया गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि अभी भी समय है, राष्ट्रीय हित का मामला है, देश के उद्योगों को बढ़ावा देना देश के हित में है, इसको वापिस न लें और आर्डिनेंस को लैप्स करें। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे सरकार से और सदन से भी कि वे हमारे स्टेचूटरी रिजोल्यूशन को स्वीकार कर देश का भला करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : नहीं महोदय। मैं अपना संकल्प वापिस नहीं ले रहा हूं। मैं तो उसे स्वीकार करने के लिए जोर दे रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 मई, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश सं० 9) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : विधेयक पर विचार किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कुछ संशोधन हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव यहां नहीं हैं। मैंने उनका संशोधन संख्या 1 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी यहां नहीं हैं। मैं उनका संशोधन संख्या 2 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को निरसित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम पूरा विधेयक में जोड़ दिए गए।

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.46 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

5.47 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1992-93
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1988-89

सभापति महोदय : अब सभा—मद संख्या 11 और 12 को एक साथ लेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

(एक) "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 16 के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशि से अधिक संबंधित अनुपूरक राशि भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

(दो) 'कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें मांग संख्या 10, 13 और 16।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1992-93 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
16	परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय	रुपए
	पूंजी	1,00,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3
		रुपए
10	परिचालन व्यय-ईंधन	3,82,74,306
13	भविष्य निधि, पेंशन, और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	93,30,34,414
16	परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय	
	रेलवे निधियां	7,32,34,305

सभापति महोदय : अब डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय बोलेंगे ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सेनापति जी, रेलवे की अनुदान की अतिरिक्त मांगों के संबंध में तथा अनुदान की पूरक मांगों के सम्बन्ध में चर्चा होने जा रही है और ये दोनों चर्चाएं एक साथ की जा रही हैं । जहां तक अतिरिक्त मांगों का सम्बन्ध है इस बारे में लोक लेखा समिति ने अपनी 1५वीं रिपोर्ट में जो अभिमत दिया है उसके अनुसार इसकी आपूर्ति करने जा रहे हैं ।

लोक लेखा समिति ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है वह ठीक नहीं है और शायद जो पिछली बार कुछ बातें कही गई हैं उनको भी ध्यान में नहीं रखा गया है । यह जो रिपोर्ट 29 अप्रैल को प्रस्तुत की गई है उसका पृष्ठ 3 मैं उद्धृत करना चाहूंगा :—

[अनुवाद]

महोदय, मैं रिपोर्ट से उद्धरित करता हूं :

"लोक लेखा समिति विगत में मंत्रालयों को बार-बार कठोर राजकोष नियंत्रण लागू रखने एवं विभागों के बीच वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए कहती रही है ताकि परिव्यय के बजट आबंटन के अनुरूप बनाये रखा जा सके । तथापि, वित्तीय अनुशासन मात्र एक लक्ष्य बनकर रह गया है ।

समिति ने पाया कि पुनरीक्षा वर्ष अर्थात वर्ष 1988-89 के दौरान 26 अनुदानों के अंतर्गत अधिक परिव्यय 267.98 करोड़ रुपए था, जबकि इससे पूर्व वर्ष अर्थात वर्ष 1987-88 में 21 अनुदानों के अंतर्गत यह राशि 304.15 करोड़ रु० थी । संयोगवश समिति ने पाया कि पिछले दशक (1979-89) के दौरान एक ऐसा समय (1981-82 से 1984-85) था, जबकि 1981-82 में अधिक परिव्यय 462.69 करोड़ रु० से कम होकर वर्ष 1984-85 में 64.87 करोड़ रु० रह गया था परन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रवृत्ति वर्ष 1985-86 में बदल गई जबकि अधिक परिव्यय की राशि 441.72 करोड़ रु० हो गई । उस समय से अभी तक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है । समिति इस स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करती है ।"

महोदय, समिति ने आगे यह और उल्लेख किया :

"वर्ष 1988-89 के दौरान अधिक परिव्यय के लिए उत्तरदायी कारणों, जिन पर इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती पैराओं में विस्तृत चर्चा की गई है, का विश्लेषण करने से पता चलता है कि व्यय में हुई वृद्धि की समुचित निगरानी के अभाव, वित्तीय आवश्यकताओं की समय पर पुनरीक्षा करना तथा अधिक निधियों की आवश्यकता का समुचित मूल्यांकन न करने के परिणामस्वरूप अधिक परिव्यय हुआ है ।"

[हिन्दी]

यह लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आपने भी इन मांगों के साथ उद्धृत

किया है कि लोक लेखा समिति ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि इसको रेगुलराइज किया जाए, उसके बाद ही इसको रेगुलराइज करने के लिए लाया गया है।

सभापति महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि इसमें कितना पैसा सम्मिहित है, कितना पैसा मांग रहे हैं कितना एडजस्टमेंट है, सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से नियमों के तहत यह कार्य करना चाहिए था, मंत्रालय ने उस तरह से काम नहीं किया, इसके बारे में जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी, वह सावधानी नहीं बरती गई और इसीलिए लोक लेखा समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है, इसके बारे में सावधानी बरती जानी चाहिए।

इसमें जो बातें कही गई हैं जिनके बारे में 198 -89 की अतिरिक्त मांगों को प्रस्तुत किया गया है, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, रिपेयर्स एण्ड मेंटीनेंस आफ प्लांट इक्विपमेंट्स, आपरेटिंग एक्सपेंसेस रीप्लेसमेंट, ट्रैफिक के बारे में भी यही है, एक्यूजिशन कांस्ट्रक्शन, इनके बारे में सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता था कि एक वर्ष में कितना व्यय करने जा रहे हैं, कितना व्यय नहीं करने जा रहे हैं। 1988-89, 1989-90, 1990-91 इस प्रकार तीन वर्ष बीत गए और अब इस समय इसको लाए हैं जबकि 29 अप्रैल के प्रस्तुत लेखा समिति ने रिपोर्ट अपना अभिमत व्यक्त किया है या यह कहा है कि मंत्रालय ने काम ठीक नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके बारे में जवाब देते समय स्पष्टीकरण दें कि आखिर इतना विलंब होने का क्या कारण है, जिसके कारण समय पर काम नहीं किया गया, क्यों मानिटरिंग नहीं किया गया।

जहां तक एक्सपेंडीचर का सवाल है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम किया गया है। मैं आज इस विषय को नहीं उठाना चाहता, मेरे मित्र राजबीर सिंह जी इस पर चर्चा करेंगे।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घण्टी बज चुकी है। माननीय सदस्य अब अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से रेलों के कामकाज में अपव्यय मनमाने ढंग से किया जाता है। जिस प्रकार की स्थिति आज रेलों की है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ दिन पूर्व प्रश्न उठाया गया था लोकोमोटिव की परचेज के बारे में कि किस प्रकार के रेल मंत्रालय ने सारे नियमों और कानूनों को एक तरफ रख कर 30 लोकोमोटिव खरीदे, जिसके अंदर करोड़ों का व्यय सन्निहित था। बी० एच० ई० एल० उसके लिए दावेदार था, लेकिन उसके दावे को अस्वीकार करके ए० बी० बी० को इसका ठेका दे दिया गया। मैं नहीं समझता कि कौन सा कारण इसके पीछे था, समाचार पत्रों में काफी विस्तार से इसके बारे में छपा है, मैं उन सम्पूर्ण समाचार पत्रों की ओर नहीं जाना चाहता लेकिन जिस जल्दबाजी से सौदा किया गया, वह विचारणीय है। इस मंत्रालय के वित्त संबंधी मामलों को जो देखते हैं, उन्होंने भी यही टिप्पणी की थी कि यह सौदा नहीं किया जाना चाहिए, कमेटी की यह रिपोर्ट थी कि यह सौदा नहीं किया जाना चाहिए, यह सौदा ठीक नहीं है। यदि सौदा किया जाता है तो फर्स्ट

बीटर के नाम पर बी० एच० ई० एल० को ठका दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी उसको ठेका नहीं दिया गया। यह आज सन्देह की परिधि में आता है। इस सन्देह से आप बच नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि फाइनेंशियल कमिश्नर रेलवे के थे उन्होंने 21-8-91 की अपनी रिपोर्ट में अपना मत व्यक्त किया था और कहा था कि ए० बी० बी० का ठेका देना ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लोकोमोटिव्स खरीदे गए, खरीदने का आर्डर ए० बी० बी० को दिया गया। इसके बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चा हुई, अखबारों में इसके बारे में जो समाचार छपे हैं वे और भी परेशान करने वाले हैं।

मैं केवल थोड़ा सा संदर्भित करना चाहता हू। यह 'राजस्थान पत्रिका" 27 मार्च, 1992 की है। इसमें कहा गया है कि "विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब एक दर्जन सांसदों ने प्रधान मंत्री श्री पी० बी० नरसिंह राव को लिखे एक पत्र में कहा है कि भारतीय रेलवे 1100 करोड़ रुपए की की लागत से 30 इलेक्ट्रोनिक रेल इंजिन स्वीडन की एक फर्म से खरीद रही है, जबकि भारत का एक सरकारी कारखाना भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० (भेल) यह इंजन 560 करोड़ रुपए में ही बना कर देने को तैयार है। इस पत्र में यह भी मांग की गई है कि प्रधान मंत्री को इस मामले में बीच में पड़कर सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकना चाहिए।' प्रधान मंत्री तक को इस बारे में निवेदन किया गया है। एक-दो नहीं अनेक सांसदोंने इसके बारे में कहा है। लेकिन इस बारे में शायद रेल मन्त्रालय को कोई चिन्ता नहीं है। रेल मंत्रालय के पास इसका कोई उत्तर भी नहीं है। अब मैं आपसे एक अन्य समाचार पत्र के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह "इंडियन एक्सप्रेस" का समाचार है, आठ फरवरी का

[अनुवाद]

"इसने इस अवधि के दौरान तीन बार टेंडर आमंत्रित किए, लेकिन तत्काल क्रयादेश नहीं दिए, जिसके फलस्वरूप ऊंची बोली वालो के साथ दीर्घावधि के लिए बातचीत होती रही, ए० बी० बी० पहले दो टेंडरों में सबसे कम बोली वाला नहीं थी, लेकिन तीसरे टेंडर में अचानक ही सबसे कम बोली उसी की थी।'

"ऋण का उपयोग न करना रेल मंत्रालय की स्वयं की गलती थी, जिसकी वजह से भारत को वचनबद्धता प्रभार के रूप में एशियन विकास बैंक को लगभग 4,000 अमेरिकी डालर प्रतिदिन का भुगतान करना पड़ा।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी माननीय मंत्री महोदय, जहां अतिरिक्त अनुदान की मांगों के संबंध में यहां पर विचार ले कर आए हैं, बात करने के लिए आए हैं, अतिरिक्त अनुदान की मांगों में जो लोक लेखा समिति ने आबजर्वेशन दी है उसके बारे में तो आप कहेंगे, लेकिन इस सारी परचेजिज, जिसके बारे में चर्चा हो रही है और जिसके बारे में आपके मंत्रालय में भी मतभेद पैदा हो रहा है जिसके बारे में आपके मंत्रालय ने सीधे-सीधे कह दिया था कि यह उचित नहीं है, उसके बाद भी जिस जल्दबाजी में यह काम किया गया है, निश्चित रूप से वह संदेह की परिधि में है, उस संदेह के घेरे से निकलना संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप सदन को सभी तथ्यों से अवगत कराने की कृपा करें।

एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप अतिरिक्त अनुदान के

साथ-साथ दूसरी जो मांगें ले कर आए हैं, ये अनुदान की पूरक मांगें हैं। इन पूरक मांगों के बारे में "अन्तिम पृष्ठ-3" पर जो अमान परिवर्तन की बात कही गयी है, अमान परिवर्तन के बारे में रेलवे की क्या नीति है, क्या सम्पूर्ण देश में एक ही प्रकार का अमान परिवर्तित करने वाले हैं, वर्तमान में किस क्षेत्र में अमान परिवर्तित करने जा रहे हैं, किस-किस क्षेत्र में अभी नहीं करने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई अगर नीति बनायी है तो वह आप यहां प्रस्तुत करें। मैं समझता हूं कि रेलवे के बजट के पास होने के बाद आपके ऊपर कहीं से प्रेशर पड़ा, दबाव डाला गया और आपने कहा कि हम इन-इन क्षेत्रों में अमान परिवर्तन करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से टोकन ग्रांट लेते हैं, एक रुपये की, 10 रुपये की या एक लाख रुपये की, इस प्रकार आप टोकन ग्रान्ट ले कर आते हैं। लेकिन कितना पैसा पूरा लगने वाला है, यह इससे पता नहीं लगता है। मेहरबानी कर इसे स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय सभा का समय समाप्त होता है। सभा को कल 6 अगस्त, 1992 को 11.00 म० पू० बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय कल अपना वक्तव्य जारी रखेंगे।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 6 अगस्त, 1992/15 श्रावण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

————

चौहान प्रिंटिंग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53